Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

अप्रैल 2024

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440,
Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- बिग-टेक का विनियमन: भारत और विश्व 3
- HIV/AIDS उपचार में ART की भूमिका 9
- PMLA, 2002 का पुनर्वलोकन 15
- कच्चातीवू द्वीप: सामरिक क्षेत्र 20
- नाटो की 75वीं वर्षगाँठ 24
- RBI के 90 वर्ष 29
- कॉलेज की स्वायत्तता को बढ़ावा 35
- भारत में समावेशी स्वास्थ्य देखभाल को नया आकार देना 39
- भारतीय सेना में तकनीकी 46
- जलवायु संकट को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाना 51
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: भविष्य हेतु भारत की तैयारी 57
- बजट के माध्यम से राज्य के वित्तीयन का विश्लेषण 61
- भारत की खाद्य प्रणालियों का उन्नयन 66
- भारत का आर्कटिक अभियान 71
- दिव्यांग उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण 76
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण 81
- क्षेत्रीय सुरक्षा एवं वैश्विक समुद्री व्यवस्था के लिये दक्षिण चीन सागर का महत्त्व 89
- ईरान-इज़राइल संघर्ष: मध्य पूर्व में अस्थिरता 96
- पृथ्वी दिवस 2024 100
- भारत-मॉरीशस कर संधि का अवलोकन 108
- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन पर अंकुश लगाना 114
- स्वच्छ भारत मिशन की यथार्थता 122
- पश्चिम एशिया: अत्यधिक सैन्यीकृत क्षेत्र 128
- बिना किसी विपक्ष के चुनाव जीतना 134
- दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न 140

नोट :

बिग-टेक का विनियमन: भारत और विश्व

गूगल (Google) जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनी और विभिन्न भारतीय कंपनियों के बीच संघर्ष की शुरूआत कुछ वर्ष पूर्व हुई जब ऐप डेवलपर्स ने **भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI)** के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि गूगल एंड्रॉइड और प्ले स्टोर पारितंत्र में अपनी प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। विशेष रूप से, गूगल सर्च इंजन पर आरोप लगाया गया कि यह ऐप डेवलपर्स पर गूगल के प्रोप्राइटरी बिलिंग सिस्टम का उपयोग करने, अन्यथा किसी अन्य प्रतिस्पर्द्धी की सेवा को चुनने के लिये एक शुल्क का भुगतान करने का दबाव बना रहा है।

स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जहाँ CCI ने अपने महानिदेशक को मामले की जाँच करने और 60 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। संभव है कि निष्कर्ष में, जैसा कि CCI द्वारा अनुमान लगाया है, गूगल की कार्रवाइयों को प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 का उल्लंघन माना जाएगा।

बिग-टेक फर्मों से संबंधित विभिन्न पहलू:

- **परिचय**
- बिग टेक (Big Tech) शब्द वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली प्रौद्योगिकी कंपनियों को संदर्भित करता है। ये कंपनियाँ अपने विशाल बाजार पूंजीकरण, नवोन्मेषी उत्पादों एवं सेवाओं और व्यापक उपयोगकर्ता आधार के कारण विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण शक्ति एवं प्रभाव रखती हैं।
- इसके कुछ प्रमुख उदाहरण Google, Facebook, Amazon, Apple आदि हैं।

नोट :

- **बाज़ार पर प्रभुत्व और प्रभाव:**
  - बिग टेक कंपनियाँ आमतौर पर अपने संबंधित बाज़ारों पर हावी होती हैं, जहाँ प्राय: एकाधिकारवादी या अल्पाधिकारवादी स्थिति (monopolistic or oligopolistic positions) रखती हैं। वे उद्योग के रुझान, उपभोक्ता व्यवहार और यहाँ तक कि सार्वजनिक नीति पर भी व्यापक प्रभाव डालती हैं।
    - अमेज़न (Amazon): यह अपने Amazon.com प्लेटफ़ॉर्म और अमेज़न वेब सर्विसेज़ (AWS) के साथ ई-कॉमर्स एवं क्लाउड कंप्यूटिंग पर प्रभुत्व रखता है।
    - गूगल (Google - Alphabet): यह अपने सर्च इंजन और यूट्यूब (YouTube) एवं गूगल एड्स (Google Ads) जैसी सहायक कंपनियों के माध्यम से अधिकांश ऑनलाइन सर्च ट्रैफ़िक और डिजिटल विज्ञापन राजस्व को नियंत्रित करता है।
    - फ़ेसबुक (Facebook - Meta): यह फ़ेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram) और व्हाट्सएप (WhatsApp) जैसे अपने प्लेटफ़ॉर्मों के साथ सोशल मीडिया क्षेत्र का नेतृत्व करता है, जहाँ ऑनलाइन संचार और कंटेंट उपभोग को आकार देता है।
- **प्रौद्योगिकीय नवाचार:**
  - बिग टेक कंपनियाँ अपने निरंतर नवाचार के लिये जानी जाती हैं, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति का नेतृत्व कर रही हैं।
    - **एप्पल (Apple):** यह iPhone, iPad और MacBook जैसे अपने अग्रणी उत्पादों के साथ-साथ Apple Music और iCloud जैसी सेवाओं के लिये प्रसिद्ध है ।
    - **माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft):** यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम (Windows operating system), ऑफिस सूट (Office suite), एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल (Xbox gaming consoles) और एज़्योर क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म (Azure cloud platform) जैसे उत्पादों के साथ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं क्लाउड सेवाओं में नवाचार को आगे बढ़ा रहा है।
    - **टेस्ला (Tesla):** यह इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों और स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक के साथ ऑटोमोटिव उद्योग को आमूल-चूल रूप से रूपांतरित कर रहा है।
- **डेटा संग्रहण और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:**
  - बड़ी टेक कंपनियाँ अपने प्लेटफ़ॉर्मों और सेवाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करती हैं, जिससे गोपनीयता, निगरानी और डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
    - **गूगल:** यह सर्च क्वेरी, ईमेल संचार, लोकेशन ट्रैकिंग और ब्राउज़िंग हिस्ट्री के माध्यम से उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करता है तथा लक्षित विज्ञापन एवं वैयक्तिकृत सेवाओं को बढ़ावा देता है।
    - **फेसबुक:** इसके डेटा संग्रह अभ्यासों के लिये इसकी संवीक्षा की जा रही है। इसमें कैंब्रिज एनालिटिका स्कैंडल (Cambridge Analytica scandal) भी शामिल है जहाँ राजनीतिक प्रोफ़ाइलिंग के लिये लाखों फेसबुक उपयोगकर्ताओं के डेटा का अनधिकृत उपयोग किया गया था।
    - **अमेज़न:** यह उत्पाद अनुशंसाओं, मूल्य निर्धारण रणनीतियों और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिये ग्राहकों की खरीदारी की आदतों एवं प्राथमिकताओं का विश्लेषण करता है।
- **विनियामक संवीक्षा और एंटी-ट्रस्ट (Anti-trust) संबंधी चिंताएँ:**
  - बड़ी टेक कंपनियों को प्राय: अपने बाज़ार प्रभुत्व, कथित प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी व्यवहार और उपभोक्ता अधिकारों के संभावित उल्लंघन के कारण नियामक संवीक्षा एवं एंटी-ट्रस्ट जाँच का सामना करना पड़ता है।
    - **गूगल:** कथित एकाधिकारवादी अभ्यासों, अनुचित प्रतिस्पर्द्धा और इसके सर्च इंजन, विज्ञापन व्यवसाय एवं एंड्रॉइड पारितंत्र से संबंधित एंटी-ट्रस्ट उल्लंघनों के लिये दुनिया भर में सरकारी एजेंसियों और नियामक निकायों द्वारा इसकी जाँच की जा रही है।
    - **फेसबुक:** इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे संभावित प्रतिस्पर्द्धियों के अधिग्रहण के साथ ही डिजिटल विज्ञापन एवं सोशल नेटवर्किंग बाज़ारों पर इसके नियंत्रण के बारे में मौजूद चिंताओं को लेकर इसे एंटी-ट्रस्ट मुक़दमों और नियामक जाँच का सामना करना पड़ रहा है।

नोट :

- **अमेज़न:** इसके ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के साथ व्यवहार, आक्रामक मूल्य निर्धारण (predatory pricing) के आरोपों और खुदरा विक्रेता एवं बाज़ार ऑपरेटर दोनों के रूप में हितों के संभावित टकराव के संबंध में इसकी एंटी-ट्रस्ट समीक्षा की जा रही है।

नोट:

एंटी-ट्रस्ट (Antitrust):

- एंटी-ट्रस्ट कानून ऐसे विनियम हैं जिनका उद्देश्य एकाधिकारवादी अभ्यासों, मूल्य निर्धारण और अन्य गतिविधियों (जो उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचा सकते हैं या प्रतिस्पर्द्धा को दबा सकते हैं) को नियंत्रित कर बाज़ार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना है।
  - एंटी-ट्रस्ट कानूनों, जिन्हें प्रतिस्पर्द्धा कानूनों (competition laws) के रूप में भी जाना जाता है, का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर विभिन्न प्रकार के उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादों तक पहुँच प्राप्त हो।
- एंटी-ट्रस्ट कानूनों का उद्देश्य कंपनियों को एकाधिकार शक्ति प्राप्त करने से रोकना है, जो तब उत्पन्न होता है जब कोई एकल कंपनी या समूह बाज़ार के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। ऐसे एकाधिकार से उच्च कीमत, निम्न गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और नवाचार की कमी की स्थिति बन सकती है।

'बिग टेक' को विनियमित करने के लिये हाल ही में कौन-से कदम उठाये गए हैं?

- **अमेरिका का फेडरल ट्रेड कमीशन (FDC):**
  - FDC के अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ यह परिवर्तन आया है। अमेरिकी न्याय विभाग और 16 राज्यों ने एप्पल (Apple) पर स्मार्टफ़ोन बाज़ार पर एकाधिकार करने और इसका दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए मुक़दमा दायर किया है।
    - एप्पल के विरुद्ध मुक़दमा बाज़ार की शक्ति का दुरुपयोग करने के लिये गूगल, फ़ेसबुक और अमेज़न के विरुद्ध मुक़दमों की लंबी होती सूची का अनुसरण करता है। प्रतिद्वंद्वी उत्पादों की कार्यक्षमता को अवरुद्ध करने, दबाने, अपवर्जित करने, कम करने और तीसरे पक्ष के वॉलेट को सीमित करने के रूप में इनकी कार्यप्रणाली एक जैसी है।
- **यूरोपीय संघ (EU) की पहलें:**
  - **डिजिटल मार्केट एक्ट (DMA), 2022** के प्रावधानों के अनुरूप 'डिजिटल क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धी एवं निष्पक्ष बाज़ार' सुनिश्चित करने के उपायों की एक श्रृंखला के तहत यूरोपीय आयोग ने मार्च 2024 में तथाकथित **बिग टेक** (एप्पल, मेटा और अल्फ़ाबेट) के विरुद्ध 'गैर-अनुपालन अन्वेषण' की शुरूआत की है। यह अमेज़न के मार्केटप्लेस में उसके रैंकिंग अभ्यासों की भी जाँच करेगा।
- **भारत का रुख:**
  - **प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002:** भारत में एंटी-ट्रस्ट के मुद्दे **प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002** द्वारा शासित होते हैं और CCI एकाधिकारवादी अभ्यासों पर नियंत्रण रखता है।
    - CCI ने वर्ष 2022 में 'प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी अभ्यासों' के लिये विभिन बाज़ारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिये गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपए का अर्थदंड आरोपित किया।
  - **प्रतिस्पर्द्धा संशोधन विधेयक, 2022:** सरकार ने **प्रतिस्पर्द्धा संशोधन विधेयक, 2022** के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया। विधेयक को अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
    - CCI किसी उद्यम के भारत में पर्याप्त व्यवसाय संचालन का आकलन करने के लिये आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाले विनियम बनाएगा।
    - यह आयोग के समीक्षा तंत्र को, विशेष रूप से डिजिटल एवं अवसंरचना क्षेत्र में, सुदृढ़ बनाएगा, जिनमें से अधिकांश की रिपोर्टिंग पूर्व में नहीं की गई थी, क्योंकि संपत्ति या टर्नओवर मूल्य क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाओं को पूरा नहीं करते थे।

बिग टेक के कार्यकरण से संबद्ध विभिन्न चिंताएँ:

- **घरेलू सेवाओं को प्राथमिकता देना:**
  - गैर-अनुपालन जाँच अल्फ़ाबेट द्वारा अपने ग्राहकों को अपने प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में स्वयं के इन-हाउस सेवाओं की ओर ले जाने या निर्देशित करने वाले कथित नियमों के उपयोग पर केंद्रित है। एप्पल की उसके ऐप स्टोर में कथित तौर पर इसी तरह के अभ्यासों के साथ-साथ उसके द्वारा सफ़ारी ब्राउज़र की तैनाती के तरीकों के लिये जाँच की जाएगी। इसी तरह, मेटा की उसके 'भुगतान या सहमति मॉडल' के लिये जाँच की जाएगी।

- **EU के डिजिटल मार्केट एक्ट, 2022 (DMA) का गैर-अनुपालन:**
  - अल्फ़ाबेट, अमेज़न, एप्पल, बाइटडांस (टिकटॉक की पैरेंट कंपनी) और माइक्रोसॉफ्ट को सितंबर 2023 में 'गेटकीपर' के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। उनसे उम्मीद की गई कि वे 7 मार्च, 2024 तक DMA के तहत सभी दायित्वों का पूरी तरह से पालन करना शुरू कर देंगे।
  - यूरोपीय आयोग ने DMA प्रावधानों के गैर-अनुपालन की जाँच शुरू करने से पहले इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अनुपालन रिपोर्ट का आकलन किया और हितधारकों से प्रतिक्रिया (कार्यशालाओं के संदर्भ में भी) एकत्र की।
- **बिग टेक द्वारा अपनाया गया भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण:**
  - यूरोपीय आयोग का लक्ष्य यह आकलन करना है कि क्या गूगल के सर्च परिणाम पूर्वाग्रह रखते हैं, विशेष रूप से यदि कंपनी प्रतिस्पर्द्धियों की सेवाओं पर अपनी स्वयं की सेवाओं को प्राथमिकता देती हो।
    - इसने आशंका जताई कि DMA के अनुपालन के अल्फाबेट के प्रयास गूगल की अपनी सेवाओं की तुलना में गूगल के सर्च रिज़ल्ट पृष्ठ पर थर्ड पार्टी सेवाओं के प्रति निष्पक्ष व्यवहार की गारंटी नहीं भी दे सकते हैं।
    - इसके अलावा, CCI ने भी मार्च 2024 में गूगल द्वारा इसकी प्ले स्टोर मूल्य निर्धारण नीति पर कथित भेदभावपूर्ण अभ्यासों के लिये प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्द्धा कानून का उल्लंघन पाए जाने पर उसके विरुद्ध विस्तृत जाँच का आदेश दिया।

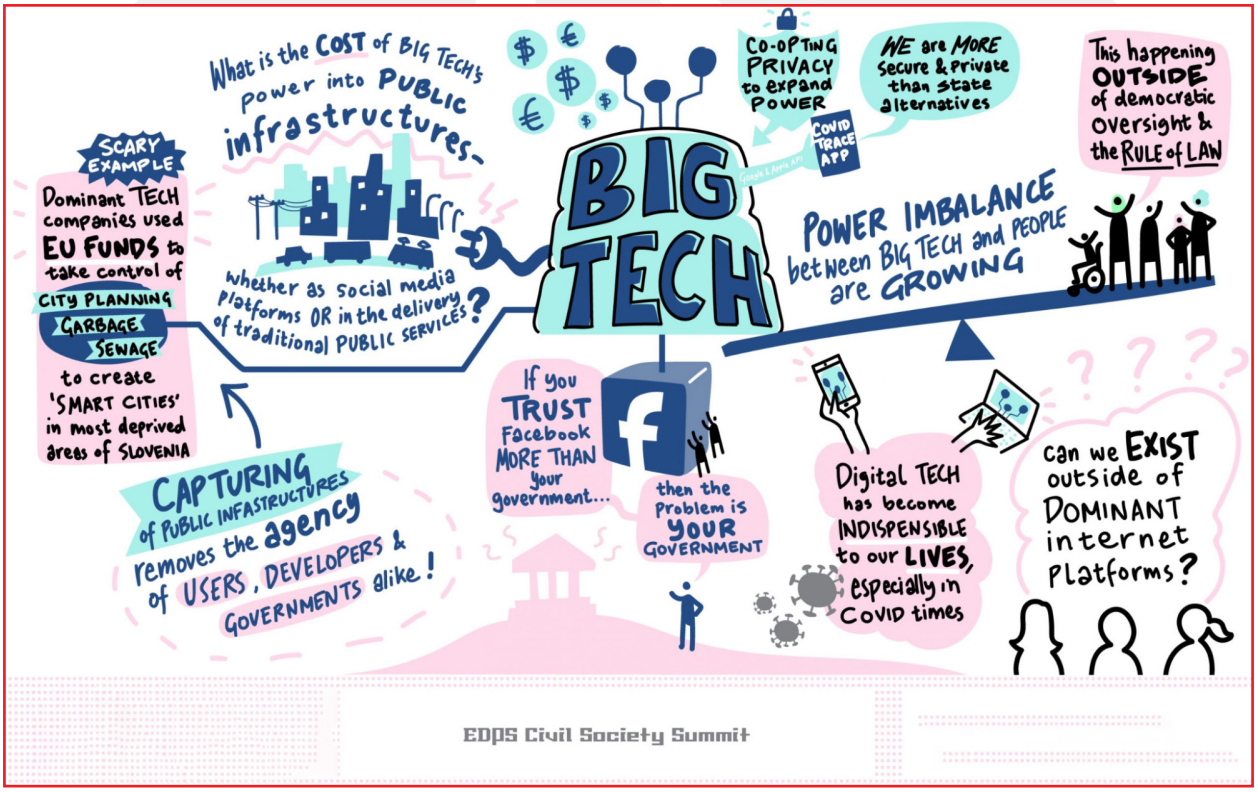

- **ग्राहकों के लिये विकल्प कम करना:**
  - अक्टूबर 2020 में अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) ने गूगल पर "सर्च और सर्च विज्ञापन बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी एवं अपवर्जनकारी अभ्यासों के माध्यम से गैर-कानूनी रूप से एकाधिकार बनाए रखने" का आरोप लगाया और इससे "प्रतिस्पर्द्धी हानि का समाधान" करने की मांग की।

नोट :

- DoJ के अनुसार, इस आचरण ने उपभोक्ताओं को उनके सर्च की गुणवत्ता को कम करने, विकल्पों को कम करने और नवाचार में बाधा डालने के रूप में नुकसान पहुँचाया है। अमेज़न को भी अपने मार्केटप्लेस में लिस्टिंग को इसी तरह व्यवस्थित करने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

- **पारितंत्र बंधन (Ecosystem Captitvity) के बारे में चिंताएँ:**
  - यूरोपीय आयोग यह आकलन करना चाह रहा है कि क्या एप्पल उपयोगकर्ताओं को iOS पर किसी भी प्री-इंस्टॉल्ड (या वर्तमान में डिफ़ॉल्ट) सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन को आसानी से अन-इंस्टॉल करने या डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को बदलने में सक्षम बनाता है और क्या उन्हें पसंद का स्क्रीन या इंटरफेस प्रदान करता है जो उन्हें डिफ़ॉल्ट सेवाओं के बदले प्रभावी ढंग से एवं आसानी से विकल्प चुनने की अनुमति देता हो।
    - जाँच की आवश्यकता आयोग की इस चिंता से उत्पन्न हुई है कि संभव है कि एप्पल द्वारा किये गए उपाय उपयोगकर्ताओं को "एप्पल पारितंत्र के साथ वास्तव में अपनी पसंद की सेवाओं का उपयोग करने" से बाधित कर रहे हैं जो वास्तव में "पारितंत्र बंधन या पारितंत्र की क़ैद" से संबद्ध चिंता के समान है।
- **मेटा की 'बाइनरी-चॉइस' से संबद्ध चिंताएँ:**
  - मेटा ने एक सब्स्क्रिप्शन मॉडल प्रस्तुत किया है जो EU, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) और स्विट्ज़रलैंड के लोगों को बिना किसी विज्ञापन के फेसबुक एवं इंस्टाग्राम का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करता है। वैकल्पिक रूप से, वे अपने लिये प्रासंगिक विज्ञापन देखते हुए (दूसरे शब्दों में वैयक्तिकृत विज्ञापन के लिये सहमति के साथ) इन सेवाओं का नि:शुल्क उपयोग जारी रख सकते हैं।
    - यह मॉडल नियामकों को पर्याप्त आश्वस्तिकारी नहीं लगा। माना गया कि मॉडल की 'बाइनरी चॉइस' की पेशकश उपयोगकर्ताओं की सहमति नहीं होने की स्थिति में वास्तविक विकल्प नहीं भी प्रदान कर सकती है; इस प्रकार, 'गेटकीपर्स' द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संचय को रोकने का उद्देश्य पूरा नहीं भी हो सकता है।
- **नियामक निर्वात:**
  - बिग टेक कंपनियों द्वारा द्रुत गति से नवाचार और उन्नति आगे बढ़ाने के कारण, नियामक केवल प्रतिक्रिया दे सकने में ही सक्षम हैं, पूर्व-तैयारी कर सकने में नहीं। इन दिग्गज प्लेटफ़ॉर्मों का कहना है कि वे केवल मध्यस्थ हैं और इसलिये, उन्हें कंटेंट के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- **मनमाना मूल्य निर्धारण:**
  - गैर-डिजिटल क्षेत्र में मूल्य निर्धारण बाज़ार शक्तियों के माध्यम से होता है। लेकिन डिजिटल क्षेत्र में नियम बड़े पैमाने पर बड़े प्लेटफ़ॉर्मों द्वारा तय किये जाते हैं। इन प्लेटफ़ॉर्मों पर उपभोक्ता स्वयं उत्पाद भी हैं। बिग टेक फर्मों द्वारा गेटकीपिंग के साथ ही नेटवर्क इफ़ेक्ट और 'विनर्स-टेक-इट-ऑल' जैसी अवधारणाएँ समस्या को और बढ़ा देती हैं।

बिग टेक को विनियमित करने के लिये कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने दिसंबर, 2022 में 'बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की प्रमुख टिप्पणियों और सिफारिशों में शामिल हैं:

- **डिजिटल बाज़ारों का विनियमन:**
  - डिजिटल बाज़ार लाखों उपयोगकर्ताओं वाली इंटरनेट-आधारित कंपनियों से निर्मित है। भौतिक बाज़ारों के विपरीत, डिजिटल बाज़ारों में प्राय: कंपनी के आकार के साथ रिटर्न बढ़ता हुआ देखा जाता है, जो लर्निंग और नेटवर्क प्रभावों से प्रेरित होता है।
  - इससे कुछ प्रमुख खिलाड़ी नीतियों और एंटी-ट्रस्ट उपायों के लागू होने से पहले ही तेज़ी से उभर सकते हैं। समिति ने वस्तुस्थिति के बाद मूल्यांकन करने के मौजूदा अभ्यास के बजाय बाज़ारों पर एकाधिकार कायम होने से पहले ही प्रतिस्पर्द्धी व्यवहार का मूल्यांकन कर लेने का सुझाव दिया।
- **डिजिटल गेटकीपर्स:**
  - समिति ने सुझाव दिया कि भारत को डिजिटल बाज़ारों में उन प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान करनी चाहिये जो प्रतिस्पर्द्धा को नुकसान पहुँचा सकते हैं और उन्हें राजस्व, बाज़ार पूंजीकरण एवं उपयोगकर्ता आधार जैसे कारकों के आधार पर व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण डिजिटल मध्यस्थों (Important Digital Intermediaries-

नोट :

SIDIs) के रूप में वर्गीकृत करना चाहिये। SIDIs के लिये फिर निर्दिष्ट किया जाना चाहिये कि वे अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अपने प्रयासों की रूपरेखा बताते हुए भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया करें।

- **डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम:**
  - समिति ने माना कि भारत को डिजिटल बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये अपने प्रतिस्पर्द्धा कानून को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इस बाज़ार के आर्थिक चालक कुछ खिलाड़ियों को पारितंत्र पर हावी होने में मदद करते हैं।
  - समिति ने सिफ़ारिश की कि सरकार को एक निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्द्धी डिजिटल पारितंत्र सुनिश्चित करने के लिये एक डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम पेश करना चाहिये।
- **स्व-प्राथमिकता (Self-Preferencing):**
  - किसी इकाई के पास मंच प्रदान करने और उसी मंच पर प्रतिस्पर्द्धा करने की दोहरी भूमिका हो सकती है। स्व-प्राथमिकता ऐसा अभ्यास है जहाँ कोई मंच अपनी स्वयं की सेवाओं या अपनी सहायक कंपनियों की सेवाओं का पक्षधर होता है।
  - समिति ने कहा कि प्लेटफ़ॉर्म तटस्थता की कमी से डाउनस्ट्रीम बाज़ारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसने सिफ़ारिश की कि SIDIs को पहुँच में मध्यस्थता करते समय अपने प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में स्वयं द्वारा प्रदत्त सेवाओं का पक्षधर नहीं होना चाहिये।
- **डेटा उपयोग:**
  - समिति ने पाया कि वृहत उपयोगकर्ता डेटा तक पहुँच रखने वाले प्रमुख बाज़ार खिलाड़ी और बड़े होते जा रहे हैं, जबकि नए प्रतिस्पर्द्धी पकड़ हासिल करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इसे संबोधित करने के लिये यह अनुशंसा की गई कि SIDIs को उन अंतिम उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित नहीं करना चाहिये जो SIDIs की मुख्य सेवाओं पर निर्भर थर्ड पार्टी सेवाओं का उपयोग करते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, उन्हें अपनी मुख्य सेवाओं के व्यक्तिगत डेटा को अन्य मुख्य सेवाओं के डेटा के साथ विलय नहीं करना चाहिये, न ही उन्हें स्पष्ट उपयोगकर्ता सहमति के बिना अपनी मुख्य सेवाओं के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग अन्य अलग से प्रदान की गई सेवाओं में करना चाहिये। उपयोगकर्ताओं को अन्य प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं में स्वचालित रूप से साइन-इन नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि उन्होंने ऐसा करने के लिये स्पष्ट रूप से सहमति न दी हो।
- **CCI का पुनरुद्धार:**
  - CCI भारत में बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा को नियंत्रित करता है। समिति की राय है कि डिजिटल बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी समस्या से निपटने के लिये CCI को सशक्त किया जाना चाहिये। इसने CCI में एक विशेष डिजिटल बाज़ार इकाई के निर्माण का सुझाव दिया।
    - यह इकाई: (i) स्थापित और उभरते SIDIs की निगरानी करेगी, (ii) SIDIs को निर्दिष्ट करने के मामले में केंद्र सरकार को सिफ़ारिशें देगी, और (iii) डिजिटल बाज़ारों से संबंधित मामलों पर न्याय-निर्णयन करेगी।
- **थर्ड पार्टी एप्लीकेशन (Third-Party Applications):**
  - समिति ने पाया कि गेटकीपर इकाइयाँ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की इंस्टॉलिंग या संचालन को प्रतिबंधित करती हैं। उसने माना कि SIDIs को थर्ड पार्टी सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन की इंस्टॉलिंग और उपयोग की अनुमति देनी चाहिये और इसे प्रौद्योगिकीय रूप से सक्षम करना चाहिये।
    - ऐसे सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन या सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन स्टोर प्लेटफ़ॉर्म की प्रासंगिक मुख्य सेवाओं के अलावा अन्य माध्यमों से अभिगम्य होने चाहिये। हालाँकि, SIDIs से किसी विदेशी प्रतिद्वंद्वी की सरकार को डेटा हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिये।
- **बंडलिंग और टाइंग (Bundling and Tying):**
  - कई डिजिटल कंपनियाँ उपभोक्ताओं को संबंधित सेवाएँ खरीदने के लिये बाध्य करती हैं। समिति ने कहा कि इससे मूल्य निर्धारण में विषमता पैदा होती है और बाज़ार से प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो जाती है।
  - यह अग्रणी खिलाड़ियों को एक मुख्य मंच से दूसरे मंच पर अपनी बाज़ार शक्ति का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाता है। यह राय दी गई कि SIDIs द्वारा व्यवसायों या अंतिम उपयोगकर्ताओं को अपनी मुख्य प्लेटफ़ॉर्म सेवा का उपयोग करने में सक्षम होने के लिये किसी भी अन्य सेवा की सदस्यता लेने के लिये विवश नहीं किया जाना चाहिये।

नोट :

- **एंटी-स्टीयरिंग (Anti-Steering):**
  - एंटी-स्टीयरिंग प्रावधान ऐसे खंड हैं जिनमें कोई प्लेटफ़ॉर्म अपने व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को अपने ग्राहकों को प्लेटफ़ॉर्म द्वारा प्रदान किये गए ऑफ़र के अलावा अन्य ऑफ़र की ओर ले जाने से रोकता है।
  - समिति ने सिफ़ारिश की कि SIDIs को अपने प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच के लिये ऐसे अन्य उत्पादों या सेवाओं की खरीद/उपयोग की शर्त नहीं रखनी चाहिये जो उस प्लेटफ़ॉर्म का अंग नहीं हैं या उसके लिये अंतर्भूत नहीं हैं।

निष्कर्ष:

यूरोपीय आयोग और CCI ने निष्पक्ष एवं प्रतिस्पर्द्धी डिजिटल बाज़ारों की सुनिश्चितता के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं और एप्पल, मेटा, अल्फाबेट और अमेज़न जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियों के विरुद्ध गैर-अनुपालन जाँच शुरू की है। ये जाँच कथित प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी अभ्यासों पर केंद्रित है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाओं के उपयोग, रैंकिंग अभ्यासों और सदस्यता मॉडल की ओर ले जाना शामिल है। ये जाँच 'गेटकीपर्स' को विनियमित करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के डिजिटल बाज़ार अधिनियम के उद्देश्य से संरेखित है। हालाँकि, एप्पल जैसी कंपनियों ने DMA के प्रावधानों के विरुद्ध तर्क दिया है और कहा है कि संभव है कि वे उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिये व्यापक लाभों के अनुकूल नहीं सिद्ध हों।

HIV/AIDS उपचार में ART की भूमिका

1 अप्रैल भारत में **एचआईवी/एड्स (HIV/AIDS)** महामारी पर प्रतिक्रिया के इतिहास में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण दिवस है। बीस वर्ष पहले, 1 अप्रैल 2004 को भारत सरकार ने एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों (Persons living with HIV-PLHIV) के लिये **एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (Antiretroviral Therapy- ART)** की शुरूआत की थी, जो एचआईवी/एड्स के विरुद्ध संघर्ष में एक सफल एवं महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप साबित हुआ है।

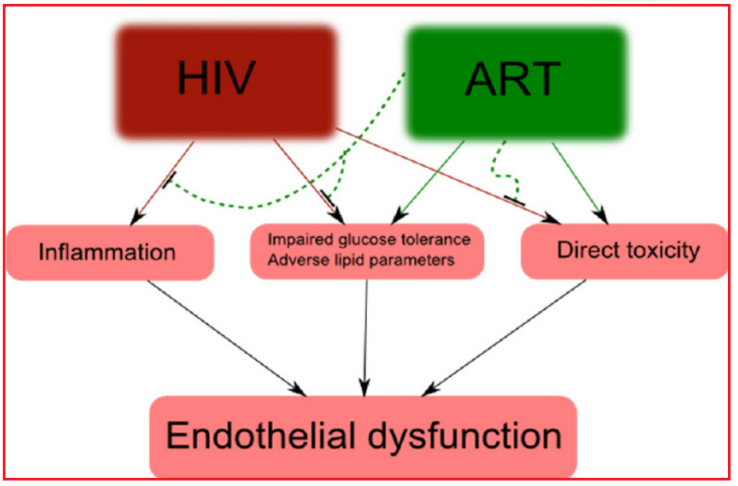

एचआईवी/एड्स (HIV/AIDS):

- **परिचय:**
  - एचआईवी/एड्स एक विषाणुजनित या वायरल संक्रमण है जो प्रतिरक्षा प्रणाली, विशेष रूप से संक्रमण से लड़ने में प्रतिरक्षा प्रणाली की मदद करने वाली CD4 कोशिकाओं (T cells) पर हमला करता है।अनुपचारित छोड़ दिए जाने पर, एचआईवी शरीर में CD4 कोशिकाओं की संख्या को कम कर देता है, जिससे व्यक्ति के संक्रमित होने या उसमें संक्रमण-संबंधी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।
  - एड्स वस्तुत: एचआईवी संक्रमण का अंतिम चरण है, जब प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है और संक्रमण से लड़ सकने में अक्षम हो जाती है।
- **एचआईवी/एड्स के कारण:**
  - एचआईवी संक्रमण ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (human immunodeficiency virus-HIV) के कारण होता है। यह वायरस संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ, जैसे रक्त, वीर्य, योनि तरल पदार्थ, मलाशय तरल पदार्थ और स्तन के दूध के संपर्क से फैलता है।
  - यह यौन संपर्क, सुई या सीरिंज साझा करने से अथवा बच्चे के जन्म या स्तनपान के दौरान माता से बच्चे में फैल सकता है। रक्त आधान (blood transfusions) या अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से इसके फैलने का खतरा दुर्लभ पाया गया है।
- **एचआईवी/एड्स के लक्षण:**
  - **एक्यूट एचआईवी संक्रमण (Acute HIV Infection):**
    - इसके लक्षण फ्लू जैसे हो सकते हैं, जिनमें बुखार आना, लिम्फ नोड्स का सूजन, गले में खराश, दाने/चकत्ते, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द और सिरदर्द शामिल हैं।
  - **नैदानिक अव्यक्त संक्रमण (Clinical Latent Infection):**

नोट :

- ऐसे मामलों में एचआईवी सक्रिय होता है लेकिन अत्यंत निम्न स्तर पर प्रजनन करता है। पीड़ितों में लक्षणों का अभाव होता है या हल्के लक्षण प्रकट होते हैं।

◆ **एड्स (AIDS):**

- एड्स के लक्षण गंभीर होते हैं और इनमें तेज़ी से वजन कम होना, बार-बार बुखार आना या रात में अत्यधिक पसीना आना, अत्यधिक एवं अस्पष्ट कारणों से थकान महसूस होना, लिम्फ ग्रंथियों (काँख, कमर या गर्दन की) में लंबे समय तक सूजन, एक सप्ताह से अधिक समय तक रहने वाला दस्त, छाले (मुँह, गुदा या जननांग में), निमोनिया और त्वचा पर या उसके नीचे अथवा मुँह, नाक या पलकों के अंदर लाल, भूरे, गुलाबी या बैंगनी रंग के धब्बे शामिल हैं।

● **एचआईवी/एड्स का निदान (Diagnosis of HIV/AIDS):**

◆ **एचआईवी एंटीबॉडी/एंटीजन परीक्षण:** ये परीक्षण वायरस द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी या एंटीजन का पता लगाते हैं और आमतौर पर रक्त या लार पर किये जाते हैं।

◆ **न्यूक्लिक एसिड परीक्षण (NATs):** ये परीक्षण स्वयं वायरस की तलाश करते हैं और एंटीबॉडी परीक्षणों की तुलना में पहले एचआईवी संक्रमण का पता लगा सकते हैं।

● **उपचार एवं प्रबंधन:**

◆ **एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART):** ART में प्रति दिन एचआईवी दवाओं का एक संयोजन ग्रहण करना शामिल है। ART एचआईवी का इलाज नहीं कर सकती है, लेकिन यह वायरस को नियंत्रित कर सकती है, जिससे एचआईवी पीड़ित लोग लंबे समय तक और अपेक्षाकृत स्वस्थ जीवन जी सकते हैं तथा वायरस को दूसरों तक प्रसारित करने का जोखिम कम किया जा सकता है।

◆ **प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (Pre-exposure prophylaxis- PrEP):** PrEP उन लोगों के लिये एक दैनिक गोली है, जिन्हें एचआईवी नहीं है, लेकिन इसका जोखिम रखते हैं। इसे नियमित रूप से लेने से एचआईवी संक्रमण का खतरा कम हो सकता है।

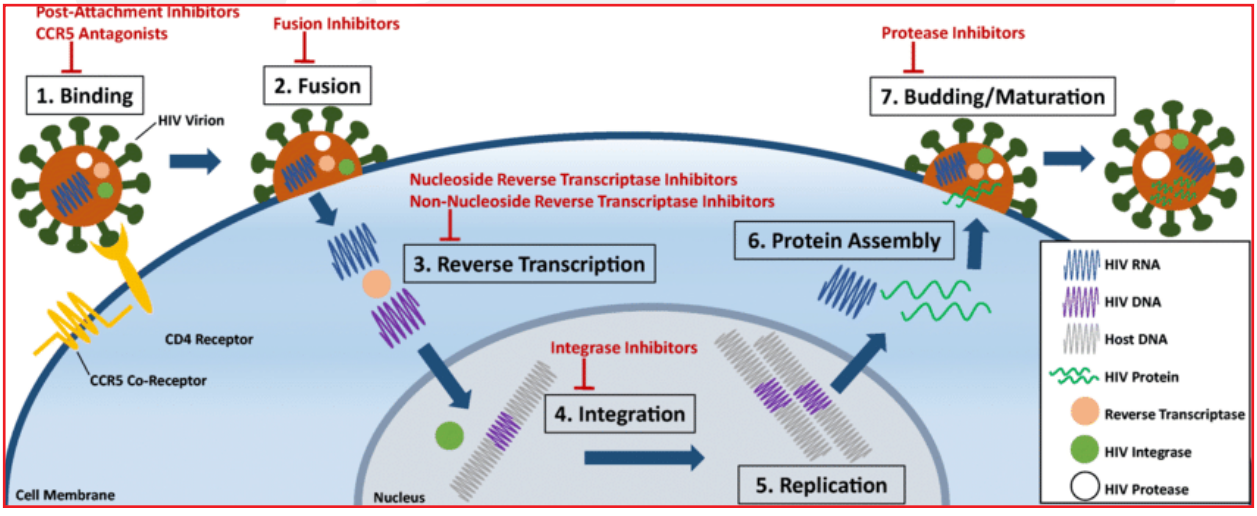

एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART):

● **परिचय:**

◆ एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) एचआईवी/एड्स—जो ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) के कारण होने वाला एक दीर्घकालिक या क्रोनिक वायरल संक्रमण है, के प्रबंधन के लिये एक आधारशिला उपचार है।

नोट :

- इस थेरेपी का उद्देश्य शरीर में एचआईवी की प्रतिकृति (replication) को दबाना है; इस प्रकार, 'वायरल लोड' को कम करना, प्रतिरक्षा कार्य को संरक्षित करना और एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

- **एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी की कार्यप्रणाली:**
  - एंटीरेट्रोवायरल दवाएँ एचआईवी प्रतिकृति चक्र के विभिन्न चरणों को लक्षित करती हैं, कोशिकाओं में वायरल प्रवेश को रोकती हैं, डीएनए में वायरल आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करती हैं, मेजबान जीनोम में वायरल डीएनए का एकीकरण करती हैं और वायरल असेंबली एवं रिलीज को रोकती हैं।
  - इन प्रक्रियाओं को बाधित करके, ART वायरल प्रतिकृति को दबा देती है और शरीर में वायरल लोड को कम कर देती है।
- **एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी के घटक:** ART में आमतौर पर विभिन्न वर्गों की एंटीरेट्रोवाइरल दवाओं का एक संयोजन होता है, जिनमें शामिल हैं:
  - **न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिपटेज़ अवरोधक (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors- NRTIs):** ये दवाएँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं, जिससे वायरल आरएनए के डीएनए में परिवर्तन को रोका जा सकता है। इसके उदाहरणों में टेनोफोविर (tenofovir), एमट्रिसिटाबाइन (emtricitabine) और अबाकावीर (abacavir) शामिल हैं।
  - **गैर-न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिपटेज़ अवरोधक (Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors- NNRTIs):** NNRTIs एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिपटेज़ एंजाइम की गतिविधि को बांधते हैं और रोकते हैं, जिससे वायरल प्रतिकृति अवरुद्ध हो जाती है। इसके उदाहरणों में एफेविरेंज़ (efavirenz), नेविरापीन (nevirapine) और रिलपीविरिन (rilpivirine) शामिल हैं।
  - **प्रोटीएज़ अवरोधक (Protease Inhibitors- PIs):** PIs एचआईवी प्रोटीएज़ एंजाइम की गतिविधि को अवरुद्ध करते हैं, वायरल पॉलीप्रोटीन के क्लीवेज एवं संक्रामक वायरल कणों की परिपक्वता को रोकते हैं। इसके उदाहरणों में रिटोनाविर (ritonavir), एटाज़ानाविर (atazanavir) और डारूनाविर (darunavir) शामिल हैं।
  - **इंटीग्रेज़ स्ट्रैंड ट्रांसफर अवरोधक (Integrase Strand Transfer Inhibitors- INSTIs):** INSTIs मेजबान जीनोम में वायरल डीएनए के एकीकरण को रोकते हैं, जिससे एक स्थायी वायरल भंडार की स्थापना को रोका जा सकता है। इसके उदाहरणों में राल्टेग्राविर (raltegravir), डोलूटेग्राविर (dolutegravir) और बिक्टेग्राविर (bictegravir) शामिल हैं।
  - **प्रवेश अवरोधक (Entry Inhibitors):** प्रवेश अवरोधक वायरल प्रोटीन और मेजबान सेल रिसेप्टर्स के बीच अंत:क्रिया को अवरुद्ध करते हैं, जिससे कोशिकाओं में वायरल प्रवेश को रोका जा सकता है। इसके उदाहरणों में माराविरोक (maraviroc) और एनफ्यूवर्टाइड (enfuvirtide) शामिल हैं।
- **एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी के लाभ:**
  - **वायरल दमन:** ART शरीर में वायरल लोड को कम करती है, रोग की प्रगति को धीमी करती है और प्रतिरक्षा कार्य को संरक्षित करती है।
  - **अवसरवादी संक्रमणों की रोकथाम:** ART प्रतिरक्षा कार्य को पुनर्बहाल कर अवसरवादी संक्रमणों (opportunistic infections) और एड्स से संबंधित जटिलताओं को रोकने में मदद करती है।
  - **जीवन की गुणवत्ता में सुधार:** प्रभावी ART एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को स्वस्थ और अधिक उत्पादक जीवन जीने की अनुमति देती है; रुग्णता और मृत्यु दर में कमी लाती है।
  - **संचरण की रोकथाम:** ART के माध्यम से प्राप्त वायरल दमन यौन साझेदारों में एचआईवी संचरण और गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान माता से बच्चे में ऊर्ध्वाधर संचरण के जोखिम को व्यापक रूप से कम कर देता है।

प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने में ART किस प्रकार विकसित हुई है?

- **विकास:**
  - 1980 के दशक के आरंभ में एचआईवी/एड्स के उभार के समय इस बीमारी को मौत की सज़ा जैसा देखा जाता था और यह अत्यंत भय, कलंक एवं भेदभाव का कारण था।

नोट :

- US FDA द्वारा मार्च 1987 में पहली एंटीरेट्रोवायरल दवा AZT (zidovudine) को मंज़ूरी दी गई, जबकि वर्ष 1988 में तीन अन्य दवाओं को भी मंज़ूरी प्राप्त हुई। एंटीरेट्रोवायरल दवाओं का एक नया वर्ग प्रोटीएज़ अवरोधक (PIs) वर्ष1995 में पेश किया गया। हालाँकि इन दवाओं तक पहुँच कुछ उच्च आय वाले देशों को छोड़कर दुनिया की अधिकांश आबादी के लिये सीमित ही रही।

- **वैश्विक प्रयास:**
  - इस चुनौती को चिह्नित करते हुए वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं ने एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया और एचआईवी के प्रसार को रोकने एवं व्युत्क्रमित करने के लिये एक घोषणा जारी की।
  - **एड्स, टीबी और मलेरिया हेतु वैश्विक फंड (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria)** का गठन वर्ष 2002 में किया गया, जिसने एचआईवी की रोकथाम, उपचार, देखभाल और सहायता सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच की वकालत की।
    - वर्ष 2004 में भारत में 0.4% जनसंख्या प्रसार के साथ एचआईवी पीड़ित लोगों (PLHIV) की संख्या 5.1 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था। उनमें से बहुत कम लोग (केवल 7,000) एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी प्राप्त कर रहे थे।

- **ART के विकास में बाधाएँ:**
  - ART के लिये मुख्य बाधा इसकी उच्च लागत एवं व्यक्तियों के लिये उच्च वहनीयता और उपचार तक भौगोलिक पहुँच की कमी थी।
  - वास्तव में, तथाकथित 'कॉकटेल थेरेपी' या HAART (highly active antiretroviral therapy)—जो तीन या अधिक एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं का एक संयोजन था, वर्ष 1996 में उपलब्ध हो गया था, लेकिन इसकी लागत निषेधात्मक रूप से उच्च थी (10,000 डॉलर प्रति वर्ष)।
  - एचआईवी से संक्रमित लोगों को कलंकित किया जा रहा था और वे जान गँवा रहे थे, जबकि स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता ART की अनुपलब्धता या उच्च वहनीयता के कारण असहाय महसूस कर रहे थे।

- **नि:शुल्क इलाज की आवश्यकता:**
  - एचआईवी से पीड़ित किसी भी वयस्क के लिये ART को नि:शुल्क बनाना एक क्रांतिकारी निर्णय था। नवंबर 2006 से बच्चों के लिये भी नि:शुल्क ART उपलब्ध करा दी गई।
  - नि:शुल्क ART पहल के दो दशकों में ART की पेशकश करने वाली सुविधाओं की संख्या 10 से भी कम से बढ़कर लगभग 700 ART केंद्रों तक पहुँच गई है। 1,264 लिंक ART केंद्रों ने लगभग 1.8 मिलियन PLHIV को इलाज के लिये नि:शुल्क ART दवाएँ प्रदान की हैं और प्रदान कर रहे हैं।

- **ART की प्रभावशीलता:**
  - ART केवल एचआईवी पीड़ित व्यक्ति का इलाज शुरू करने तक सीमित नहीं है। यह वायरल लोड को कम रखने और दबाने के लिये भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है ताकि सुनिश्चित हो कि बीमारी के संचरण पर भी रोक लगी है।
  - इसका असर यह हुआ है कि वर्ष 2023 में 15-49 आयु वर्ग में एचआईवी का प्रसार घटकर 0.20 (0.17%-0.25% का कॉन्फिडेंस इंटरवल) रह गया है और अनुमानित PLHIV के संदर्भ में बीमारी का बोझ 2.4 मिलियन तक कम हो गया है।

- **भारतीय जनसंख्या के लिये उपयोगिता:**
  - वैश्विक स्तर पर PLHIV में भारत की हिस्सेदारी घटकर 6.3% (दो दशक पहले लगभग 10% से) हो गई है। वर्ष 2023 के अंत तक, सभी PLHIV में से अनुमानित 82% को अपनी एचआईवी स्थिति पता थी, 72% ART प्राप्त कर रहे थे और 68% में वायरस को दबाये रखा गया था।
  - भारत में वार्षिक नए एचआईवी संक्रमणों में वैश्विक औसत 31% (आधार वर्ष 2010) की तुलना में 48% की गिरावट आई है। एड्स से संबंधित वार्षिक मृत्यु दर में वैश्विक औसत 47% (आधार वर्ष 2010) के मुकाबले 82% की गिरावट आई है।

वे कौन-से कारक थे जिन्होंने ART हस्तक्षेप को सफल बनाया?

- **सेवाओं के लिये रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण:**
  - सफलता का श्रेय अकेले ART को देना अनुचित होगा। ऐसी कई पूरक पहलें की गई थीं जिन्होंने समग्र रूप से एचआईवी महामारी को रोकने में योगदान दिया है।

नोट :

- इनमें नि:शुल्क निदान सुविधाओं का प्रावधान; माता-पिता से बच्चे में एचआईवी संक्रमण की रोकथाम (PPTCT) सेवाओं पर ध्यान देना; टीबी जैसे सह-संक्रमणों के प्रबंधन सहित अवसरवादी संक्रमणों की रोकथाम, निदान एवं प्रबंधन करना शामिल थे।

- **गतिशील संशोधनों को शामिल करना:**
  - कार्यक्रम ने चुस्ती और गतिशील संशोधन भी दिखाया है। ART की आरंभिक शुरूआत और 'ट्रीट ऑल' की नीति गुज़रते वर्षों के साथ विकसित हुई, जहाँ ART पात्रता मानदंड में धीरे-धीरे ढील दी गई। यह 200 सेल्स/मिमी3 से कम CD4 संख्या (2004 में) से 350 सेल्स/मिमी3 से कम (2011 में) और फिर 500 सेल्स/मिमी3 से कम (2016 में) के रूप में आगे बढ़ी।
- **सार्वभौमीकरण को बढ़ावा देना:**
  - वर्ष 2017 से 'ट्रीट ऑल' का दृष्टिकोण अपनाया गया जो यह सुनिश्चित करता है कि CD4 की संख्या कुछ भी हो, ART शुरू की जा सकती है। यह एक वास्तविक सार्वभौमिकीकरण रहा है और इसने व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर वायरस संचरण को कम करने में योगदान दिया है।

नोट:

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के सितंबर 2015 के 'ट्रीट ऑल' मार्गदर्शन में यह सिफ़ारिश की गई कि एचआईवी संक्रमण और निदान के बाद सभी व्यक्तियों का जल्द से जल्द इलाज किया जाए।
- इसके अलावा, कचूँकि एचआईवी वायरल लोड को नगण्य स्तर तक कम करने से आगे के संचरण का खतरा समाप्त हो जाता है, 'ट्रीट ऑल' दृष्टिकोण में एचआईवी के मामलों को कम कर आबादी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की क्षमता है।
- **वहनीय और नि:शुल्क ART:**
  - कार्यक्रम ने उपचार के दौरान सभी PLHIV के लिये नि:शुल्क वायरल लोड परीक्षण को भी अपनाया, जहाँ 'स्टेबल' PLHIV को दो-तीन माह की दवाएँ प्रदान की गईं, जिससे ART केंद्रों में रोगियों की संख्या कम हो गई। इससे रोगियों के लिये यात्रा के समय और लागत में कमी आई।
  - यह दृष्टिकोण औसत दैनिक OPD को कम कर ART केंद्रों पर भीड़ कम करने के अलावा उपचार के प्रति अनुपालन को भी बढ़ाता है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को अन्य रोगियों की देखभाल के लिये अधिक समय मिल पाता है।
- **नई दवाओं को शामिल करना:**
  - भारत ने कार्यक्रम में नई और अधिक प्रभावशाली दवाओं को (उनकी उपलब्धता के अनुसार) को शामिल करना जारी रखा। उदाहरण के लिये, वर्ष 2020 में बेहतर वायरोलॉजिकल प्रभावकारिता एवं न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव रखने वाली नई दवा डोलूटेग्रावि (DTG) को शामिल किया गया।
  - वर्ष 2021 में भारत ने द्रुत ART शुरूआत की एक नीति अपनाई जहाँ किसी व्यक्ति में एचआईवी निदान के सात दिनों के भीतर और कुछ मामलों में तो उसी दिन ART शुरू की गई।

ART से संबद्ध चिंताएँ:

- सर्वप्रथम, ART सुविधाओं के लिये नामांकन में देरी इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में ART केंद्रों में CD4 संख्या 200 से कम के साथ आने वाले मरीज कुल संख्या में लगभग एक-तिहाई हिस्सेदारी रखते हैं।
- दूसरा, ART शुरू करने और जारी रखने के बाद रोगी अच्छा महसूस करने लगता है। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है, वे खुराक छोड़ना शुरू कर देते हैं या पूरी तरह से बंद कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रतिरोध का विकास होता है। अनुपालन की इस कमी पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

एचआईवी की रोकथाम के लिये भारत द्वारा किये गए प्रयास:

- **एचआईवी और एड्स (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017:**
  - इस अधिनियम के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें एचआईवी या एड्स के प्रसार को रोकने के लिये उपाय करेंगी।
- **ART तक पहुँच:**
  - भारत ने दुनिया में एचआईवी से पीड़ित 90 प्रतिशत से अधिक लोगों के लिये **एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART)** को सस्ता एवं सुलभ बना दिया है।

नोट :

- **समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding- MoU):**
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एचआईवी/एड्स संबंधी जागरूकता बढ़ाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों तथा एचआईवी /एड्स से पीड़ित बच्चों एवं अन्य लोगों के विरुद्ध सामाजिक दुर्व्यवहार एवं भेदभाव की घटनाओं को कम करने के लिये वर्ष 2019 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- **प्रोजेक्ट सनराइज़:**
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ते एचआईवी के प्रसार से निपटने हेतु (विशेष रूप से ड्रग्स इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु) 'प्रोजेक्ट सनराइज़' (Project Sunrise) शुरू किया गया था।

ART उपचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक कदम:

- **सतत आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करना:**
  - राष्ट्रीय कार्यक्रम द्वारा ART की सतत आपूर्ति एवं उपलब्धता को देश के हर हिस्से में और विशेष रूप से दुर्गम, पहाड़ी एवं दूरदराज के क्षेत्रों में सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
  - PLHIV की देखभाल में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो अपनी विशेषज्ञता से कुशल आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता:**
  - निरंतर विकास के लिये आवश्यक है कि स्वास्थ्यकर्मी अपने क्षेत्र में नवीनतम प्रगति एवं तकनीकों के प्रति अद्यतन ज्ञान रखें। इसके अलावा, प्रशिक्षण में व्यावहारिक अधिगम पर बल दिया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मी सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक स्थितियों में प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।
  - यह दृष्टिकोण न केवल उनके कौशल को बढ़ाता है बल्कि उनकी समस्या-समाधान क्षमताओं और नई चुनौतियों के प्रति अनुकूलन क्षमता में भी सुधार करता है।
- **अन्य कार्यक्रमों के साथ एकीकरण को सुदृढ़ करना:**
  - हेपेटाइटिस, गैर-संचारी रोग (मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप) और मानसिक स्वास्थ्य जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ एकीकरण को सुदृढ़ करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि सामान्य जीवन जी रहे PLHIV अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के शिकार हो सकते हैं।
  - निवारण योग्य मृत्यु दर को कम करने के लिये एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें व्यवस्थित मृत्यु समीक्षा करना और उन्नत निदान की उपलब्धता शामिल है।
- **बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना:**
  - भारत में नि:शुल्क ART पहल को राजनीतिक इच्छाशक्ति और क्रमिक सरकारों के निरंतर समर्थन को सुनिश्चित कर और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस क्रम में निरंतर एवं पर्याप्त वित्तपोषण, नियमित कार्यक्रम समीक्षा और क्षेत्र-आधारित निगरानी, पूरक पहलों की एक शृंखला; समुदाय और हितधारकों की संलग्नता एवं भागीदारी; सेवा वितरण में जन-केंद्रित संशोधन; कार्यान्वयन संबंधी कमियों को दूर करने के लिये नीतिगत मंशाओं को पाटना और एचआईवी से पीड़ित अधिकाधिक लोगों को कवर करने के लिये सेवाओं का निरंतर विस्तार करना महत्त्वपूर्ण होगा।
- **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) का कार्यान्वयन:**
  - **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम** के वर्तमान में जारी पाँचवें चरण का लक्ष्य (2025 तक) वार्षिक नए एचआईवी संक्रमणों को 80% तक कम करना, एड्स से संबंधित मृत्यु दर को 80% तक कम करना और एचआईवी एवं सिफलिस के ऊर्ध्वाधर संचरण को समाप्त करना है।
  - इसके लिये NACP के पाँचवें चरण में वर्ष 2025 तक 95-95-95 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने का आह्वान किया गया है, जहाँ एचआईवी पीड़ित 95% लोग अपनी एचआईवी स्थिति से अवगत हों; एचआईवी संक्रमण से पीड़ित सभी लोगों में से 95% को लगातार एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) प्राप्त होती हो और एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी

नोट :

प्राप्त करने वाले सभी लोगों में से 95% लोग वायरल दमन की स्थिति प्राप्त कर लें। ये लक्ष्य UNAIDS द्वारा सहमत वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं।

निष्कर्ष:

नि:शुल्क ART पहल ने निश्चित रूप से भारत में एचआईवी/एड्स महामारी वक्र को मोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि अगर इच्छाशक्ति हो तो सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सभी के लियेनि:शुल्क, उपलब्ध एवं सुलभ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर सकता है। नि:शुल्क ART के 20 वर्ष और NACP के तहत उसके बाद के कदमों में देश में अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करने की भी क्षमता है। उदाहरण के तौर पर, भारत में राष्ट्रव्यापी नि:शुल्क हेपेटाइटिस C उपचार पहल शुरू करने और हेपेटाइटिस C उन्मूलन की दिशा में प्रगति में तेज़ी लाने के लिये प्राप्त अनुभव का उपयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिये।

PMLA, 2002 का पुनर्वलोकन

धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act- PMLA), 2002 को एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी के माध्यम से उत्पन्न भारी मात्रा में काले धन (black money) ने कई देशों की अर्थव्यवस्था के लिये गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। इस बात को व्यापक रूप से अनुभव किया गया कि मादक पदार्थों के फलते-फूलते व्यापार के माध्यम से उत्पन्न एवं वैध अर्थव्यवस्था में एकीकृत हो रहा काला धन विश्व अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने और राष्ट्रों की अखंडता एवं संप्रभुता को खतरे में डालने की संभावना रखता है। PMLA, 2002 के तहत कई राजनीतिक नेताओं की हाल में गिरफ़्तारी और सरकार की इस पर निर्भरता, इसके प्रावधानों की गहन जाँच की आवश्यकता को उजागर करती है।

धन शोधन या 'मनी लॉन्ड्रिंग':

- **परिचय:**
  - मनी लॉन्ड्रिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसका उपयोग व्यक्तियों और संगठनों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त धन के उद्गम/उत्पत्ति को छिपाने के लिये किया जाता है। इसमें लेन-देन की एक शृंखला के माध्यम से अवैध धन को वैध की तरह प्रकट करना शामिल है।
- **मनी लॉन्ड्रिंग के चरण:**
  - **धन का प्रवेश (Placement):** यह प्रारंभिक चरण जहाँ अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराया जाता है। इसमें बैंक खातों में धन जमा करना, मुद्रा विनिमय या मूल्यवान संपत्तियों की खरीद शामिल हो सकती है।
  - **स्तरीकरण (Layering):** यह जटिल वित्तीय लेनदेन की एक शृंखला के माध्यम से अवैध धन को उनके स्रोत से पृथक करने की प्रक्रिया है। इसमें प्राय: धन के उद्गम को अस्पष्ट करने के लिये विभिन्न खातों के बीच या सीमाओं के पार धनराशि स्थानांतरित करना शामिल होता है।
  - **एकीकरण (Integration):** यह मनी लॉन्ड्रिंग का अंतिम चरण है जहाँ शोधित धन को वैध धन के रूप में अर्थव्यवस्था में पुन: शामिल कराया जाता है। इसमें व्यवसायों में निवेश करना, अचल संपत्ति की खरीद करना या धन को वैध बनाने के अन्य साधन शामिल हो सकते हैं।
- **मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके:**
  - **स्ट्रक्चरिंग या स्मर्फिंग (Structuring/Smurfing):** यह नकदी की बड़ी मात्रा को छोटी और कम ध्यानाकर्षी राशि में तोड़ने की प्रक्रिया है, जिन्हें फिर बैंक खातों में जमा किया जाता है।
  - **व्यापार-आधारित शोधन (Trade-Based Laundering):** धन को सीमाओं के पार ले जाने और अवैध धन के स्रोत को छिपाने के लिये व्यापार लेनदेन का उपयोग करना।
  - **शेल कंपनियाँ (Shell Companies):** वैध प्रकट होने वाले लेनदेन के माध्यम से अवैध धन के प्रवाह के लिये ऐसी कंपनियों का निर्माण करना जो किसी वैध व्यावसायिक गतिविधियों से संलग्न नहीं होतीं।
  - **अचल संपत्ति (Real Estate):** अवैध धन से अचल संपत्ति खरीदना और फिर मूल्य को वैध संपत्ति में बदलने के लिये इसे बेच देना।

नोट :

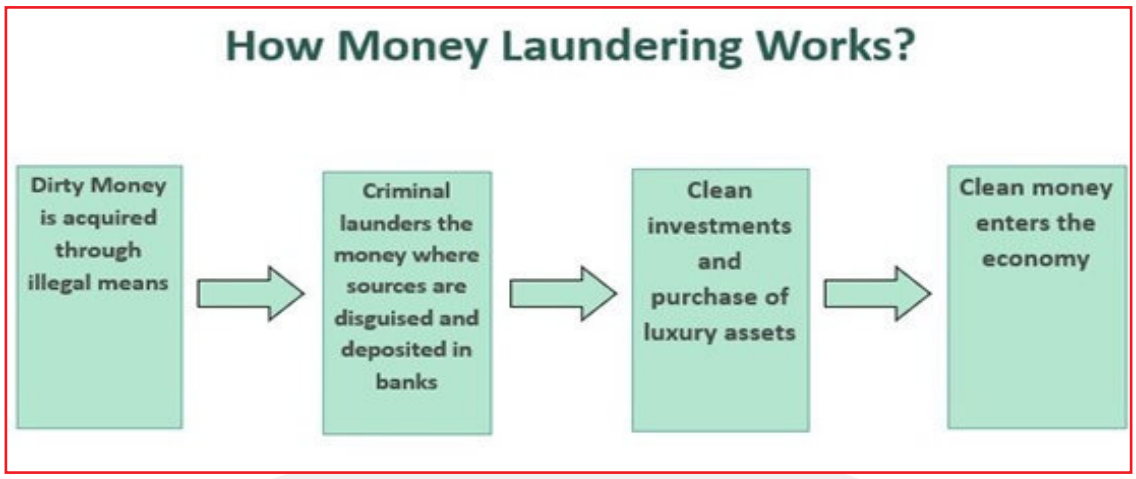

PMLA, 2002:

- **परिचय:**
  - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिये अधिनियमित किया गया है।
  - इसका उद्देश्य ड्रग टैफिकिंग, स्मगलिंगऔर आतंकवाद के वित्तपोषण जैसी अवैध गतिविधियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग से मुकाबला करना है।
- **PMLA के प्रमुख प्रावधान:**
  - **अपराध और दंड:** PMLA मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी अपराधों को परिभाषित करता है और ऐसी गतिविधियों के लिये दंड आरोपित करता है। इसमें अपराधियों के लिये कठोर कारावास और अर्थदंड शामिल है।
  - **संपत्ति की कुर्की-जब्ती:** अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग से संबद्ध संपत्ति की कुर्की-जब्ती की अनुमति देता है। यह इन कार्यवाहियों की निगरानी के लिये एक न्याय निर्णय प्राधिकरण (Adjudicating Authority) की स्थापना का प्रावधान करता है।
  - **रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ:** PMLA बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों जैसी कुछ संस्थाओं को लेनदेन के रिकॉर्ड बनाए रखने और वित्तीय आसूचना इकाई (Financial Intelligence Unit- FIU) को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने का आदेश देता है।
  - **निर्दिष्ट प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण:** अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी अपराधों की जाँच एवं अभियोजन में सहायता के लिये एक निर्दिष्ट प्राधिकरण की स्थापना करता है। यह न्याय निर्णयन प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) की स्थापना का भी प्रावधान करता है।
- **PMLA के उद्देश्य:**
  - **निवारण (Prevention):** कड़े उपाय लागू कर और वित्तीय लेनदेन की निगरानी कर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना।
  - **पता लगाना (Detection):** उचित प्रवर्तन और नियामक तंत्र के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों का पता लगाना और इसकी जाँच करना।
  - **जब्ती (Confiscation):** अपराधियों का भयादोहन कर उन्हें अपराध से रोकने और अवैध वित्तीय प्रवाह को बाधित करने के लिये मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करना।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International Coorperation):** मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाना।
- **वर्ष 2023 में PMLA, 2002 में संशोधन:**
  - **अपराध से प्राप्त आय या संपत्ति की स्थिति बारे में स्पष्टीकरण:** अपराध से प्राप्त आय या संपत्ति (Proceeds of Crime) में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि इसमें अनुसूचित अपराध से संबंधित या इसके समान किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलग्नता से प्राप्त की गई कोई अन्य संपत्ति भी शामिल होगी।
  - **मनी लॉन्ड्रिंग को पुन: परिभाषित किया गया:** मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध नहीं था बल्कि यह किसी अन्य अपराध पर निर्भर था, जिसे विधेय अपराध या अनुसूचित अपराध के रूप में जाना जाता है। संशोधन का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को स्वयं में एक अपराध घोषित करना है।

नोट :

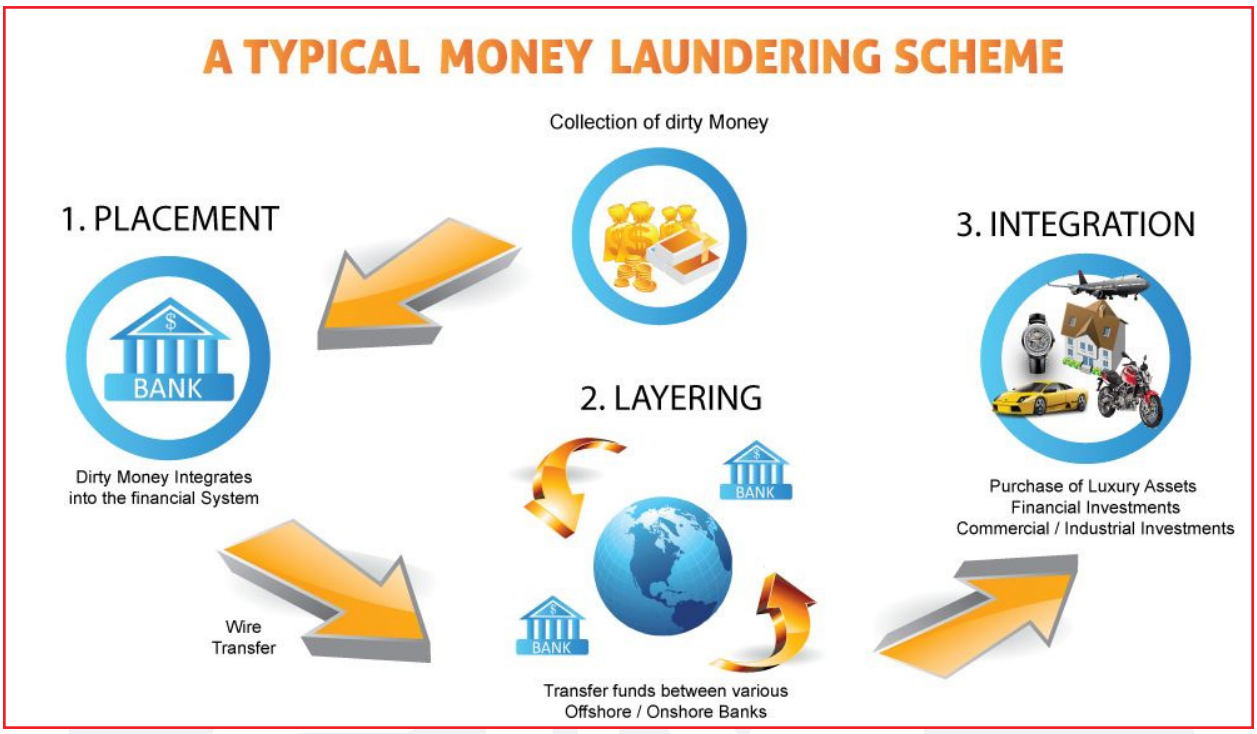

किन कारकों के कारण PMLA, 2002 को अपनाना आवश्यक हो गया?

- **वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों का फलता-फूलता व्यापार:**
  - **संयुक्त राष्ट्र** ने इस पर गंभीरता से ध्यान दिया और वर्ष 1988 में '**नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन**' का आयोजन किया। सभी देशों से मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों और अन्य संबंधित गतिविधियों से प्राप्त आय के शोधन को रोकने के लिये तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया गया।
- **वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का गठन:**
  - सात प्रमुख औद्योगिक देशों ने वर्ष 1989 में पेरिस में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या की जाँच करने और इस खतरे से निपटने के उपायों की सिफ़ारिश करने के लिये **वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (Financial Action Task Force- FATF)** का गठन किया।
  - इसके बाद, वर्ष 1990 में **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** ने 'राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्ययोजना' (Political Declaration and Global Programme of Action) शीर्षक संकल्प/प्रस्ताव को अंगीकृत किया, जहाँ सभी सदस्य देशों से मादक पदार्थों से प्राप्त धन के शोधन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये उपयुक्त कानून बनाने का आह्वान किया गया।
- **भारतीय संसद द्वारा अंगीकरण:**
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस प्रस्ताव के अनुसरण में भारत सरकार ने ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिये एक कानून बनाने हेतु FATF की सिफ़ारिशों का उपयोग किया।
  - चूँकि मादक पदार्थों की तस्करी एक सीमा-पारीय कार्रवाई है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1998 में 'वैश्विक मादक पदार्थ समस्या का मिलकर मुकाबला करना' (Countering World Drug Problem Togethe) शीर्षक थीम के साथ एक विशेष सत्र का आयोजन किया और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर एक और घोषणा जारी की।
    - तदनुसार, **भारतीय संसद** ने वर्ष 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम बनाया जो 2005 में लागू किया गया।

नोट :

- **नरसिम्हम समिति की सिफ़ारिशें:**
  - वर्ष 1998 में **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** द्वारा गठित बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिम्हम समिति ने भारतीय वित्तीय प्रणाली के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी चिंताओं को संबोधित करने के महत्त्व को रेखांकित किया। इन सिफ़ारिशों ने विधायी कार्रवाई को प्रेरित किया।
- **पूर्ववर्ती विधानों के प्रावधानों का पालन:**
  - कानून का मुख्य ध्यान मादक पदार्थों से संबंधित धन के शोधन से निपटने पर है। तदनुसार, वर्ष 2002 के अधिनियम में **भारतीय दंड संहिता (IPC)** तथा **'स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985'** में सूचीबद्ध कुछ अपराध शामिल किये गए।
  - संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और FATF की सिफ़ारिशें, सभी मादक दवाओं की लॉन्ड्रिंग से होने वाले धन की रोकथाम पर केंद्रित हैं। हालाँकि, भारत के PMLA ने समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से एक अलग चरित्र प्राप्त कर लिया।

नोट:

- PMLA को भारत की संसद द्वारा **अनुच्छेद 253** के तहत अधिनियमित किया गया था जो इसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों को लागू करने के लिये कानून बनाने का अधिकार देता है।
- यह अनुच्छेद इंगित करता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय के किसी भी निर्णय को लागू करने के लिये संसद जो कानून बनाएगी वह उस निर्णय की विषय वस्तु तक ही सीमित होगी।
- संविधान की **सातवीं अनुसूची की संघ सूची** में मद 13 इस बिंदु पर स्पष्ट है।

PMLA, 2002 के संबंध में विभिन्न चिंताएँ:

- **'अपराध की आय' की अत्यंत व्यापक परिभाषा:**
  - PMLA के संदर्भ में 'अपराध की आय' (proceeds of crime) पद की व्याख्या के संबंध में बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का तर्क है कि परिभाषा अत्यधिक व्यापक है और इसमें वैध वित्तीय लेनदेन को भी संलग्न कर लेने की क्षमता है, जिससे इसके दुरुपयोग की स्थिति बन सकती है।
  - मनी लॉन्ड्रिंग पर कानून अपराध से प्राप्त उस आय के इर्द-गिर्द घूमता है जिसका शोधन किया जाता है। न केवल अपराध और अपराध से आय के सृजन में सीधे तौर पर शामिल व्यक्ति, बल्कि ऐसे व्यक्ति भी, जिनका अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन बाद के चरण में उनकी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में कुछ भागीदारी रही, इस कानून के तहत दोषी हैं।
- **अपराधों की बड़ी संख्या:**
  - PMLA का सबसे गंभीर पहलू यह है कि इसमें बड़ी संख्या में ऐसे अपराध शामिल किये गए हैं जिनका इस कानून के मूल उद्देश्य, यानी ड्रग मनी की लॉन्ड्रिंग से मुकाबला करना, से कोई लेना-देना नहीं है।
  - संयुक्त राष्ट्र के जिस प्रस्ताव के आधार पर भारत में लॉन्ड्रिंग पर कानून बनाया गया था, उसमें केवल ड्रग मनी की लॉन्ड्रिंग के अपराध के बारे में बात की गई थी। इसे सबसे गंभीर आर्थिक अपराध माना गया था, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने और राष्ट्रों की संप्रभुता को खतरे में डालने की क्षमता थी।
- **साक्ष्य का भार अभियुक्त पर:**
  - साक्ष्य के भार (Burden of Proof) के संबंध में आलोचकों का कहना है कि यह PMLA के तहत अभियुक्तों के लिये अनुचित रूप से बोझिल है। साक्ष्य का भार अभियुक्त पर डालने से कई बार निष्पक्ष विचारण (fair trial) सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **अधिकारियों का अतिरेक या अत्यधिक हस्तक्षेप:**
  - तर्क दिया गया है कि यह विधान अधिकारियों को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान कर सकता है, जिससे संभावित रूप से इसके दुरुपयोग और अतिरेक (overreach) की स्थिति बन सकती है। कानून प्रवर्तन को सशक्त बनाने और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करने के बीच संतुलन रखना एक सूक्ष्म चुनौती प्रस्तुत करता है।
- **जमानत की कठोर शर्तें:**
  - भारत में PMLA मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर कठोर जमानत शर्तें लागू करने की अनुमति देता है।
  - एंग्लो-सैक्सन न्यायशास्त्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाए। PMLA इस सिद्धांत को पूरी तरह पलट देता है।

नोट :

- किसी आरोपी को अदालतों के पूरे पदानुक्रम द्वारा जमानत से वंचित कर दिया जाएगा क्योंकि PMLA की धारा 45 में निहित जमानत प्रावधान कहता है कि एक न्यायाधीश केवल तभी जमानत दे सकता है जब वह संतुष्ट हो कि आरोपी निर्दोष है।

- **गिरफ़्तारी के आधार की लिखित सूचना के बिना व्यक्ति की गिरफ़्तारी:**
  - **संविधान के अनुच्छेद 22(1)** और PMLA की धारा 19(1) का उल्लंघन करते हुए गिरफ़्तारी के लिये केवल मौखिक संचार पर निर्भर रहना अपर्याप्त माना जाता है। **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** के अधिकारियों ने एक उल्लेखनीय अवधि के लिये लगातार इन प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

PMLA, 2002 में सुधार के लिये किन सुझावों को लागू करने की आवश्यकता है?

- **'अपराध की आय' की परिभाषा का परिशोधन:**
  - वित्तीय संचालन को बाधित कर सकने वाली संभावित अस्पष्टता को कम करने के लिये PMLA में 'अपराध की आय' की अधिक सटीक परिभाषा प्रस्तुत की जाए।
  - अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक स्पष्ट, व्यापक परिभाषा का मसौदा तैयार करने के लिये कानूनी विशेषज्ञों, वित्तीय संस्थानों और संबंधित हितधारकों से इनपुट ग्रहण किये जाएँ।
- **साक्ष्य के भार का पुनर्मूल्यांकन करना:**
  - अभियुक्त पर साक्ष्य के भार का मूल्यांकन किया जाए, विशेष रूप से अन्य अभियुक्तों या व्यक्तियों के बयानों पर निर्भरता के संबंध में।
  - साक्ष्य का एक उचित भार सुनिश्चित करने पर विचार करें जो संविधान द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों की सुरक्षा करते हुए निष्पक्ष विचारण की आवश्यकता को संतुलित करे।
  - अभियोजन पक्ष और अभियुक्त के बीच साक्ष्य के भार के अधिक न्यायसंगत वितरण के लिये आवश्यक संशोधनों पर विचार करें।
- **अधिकारियों के अतिरेक के विरुद्ध सुरक्षा उपाय:**
  - अधिकारियों द्वारा संभावित अतिरेक को रोकने के लिये, विशेष रूप से राजनीतिक विरोधियों से जुड़े मामलों में, अतिरिक्त नियंत्रण एवं संतुलन लागू करें।
  - व्यक्तिगत अधिकारों और निजता की रक्षा के लिये जाँच के तरीकों के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल स्थापित करें; कानूनी रूप से उचित संपत्ति जब्ती और उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें।
  - मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा एवं निगरानी के लिये एक स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र स्थापित करें।
- **जमानत की कठोर शर्तों की समीक्षा करना:**
  - जमानत की कठोर शर्तों की आवश्यकता और आरोपी व्यक्तियों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये, विशेष रूप से PMLA की धारा 45 के तहत, इसकी व्यापक समीक्षा करें।
  - कथित पूर्वाग्रह या अनुचित कठिनाई को दूर करते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के लिये जमानत प्रक्रियाओं को अन्य वित्तीय अपराधों पर लागू होने वाली प्रक्रियाओं के साथ संरेखित करने पर विचार करें।
  - जाँच की सत्यनिष्ठा से समझौता किये बिना जमानत निर्णय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के विकल्पों की तलाश करें।
- **PMLA की आवधिक समीक्षा और संशोधन:**
  - PMLA की प्रभावशीलता और प्रासंगिकता का आकलन करने, उभरती चुनौतियों का समाधान करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने के लिये एक आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित करें।
  - कानूनी विशेषज्ञों, विधि निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए PMLA में संभावित संशोधनों पर संसदीय चर्चा एवं बहस को प्रोत्साहित करें।
- **ED की स्वतंत्रता और पारदर्शिता में वृद्धि करना:**
  - प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्वतंत्रता को सुदृढ़ किया जाए, जहाँ सुनिश्चित किया जाए कि उसकी कार्रवाइयाँ राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हों।
  - ED के कार्यकरण में (नियमित रिपोर्टिंग एवं प्रबंधित मामलों का खुलासा करने, दोषसिद्धि सुनिश्चित करने और कार्रवाई करने सहित) पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय पेश करें।
- **जन जागरूकता और शिक्षा:**
  - PMLA के उद्देश्य, प्रक्रियाओं और निहितार्थों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाये जाएँ।

नोट :

- व्यक्तिगत अधिकारों एवं कानूनी सुरक्षा उपायों की समझ को बढ़ावा दिया जाए; कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं जनता के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

- **परामर्शी दृष्टिकोण:**
  - नीति निर्माण प्रक्रिया में परामर्शात्मक एवं समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाए, जहाँ कानून विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों, वित्तीय संस्थानों और आम लोगों से इनपुट ग्रहण किया जाए।
  - चिंताओं को संबोधित करने और प्रस्तावित सुधारों पर विविध दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिये खुले संवाद एवं परामर्श में संलग्न हों। सुधारों के कार्यान्वयन की सतत निगरानी एवं मूल्यांकन के लिये तंत्र स्थापित किये जाएँ।
  - वैश्विक मानकों पर अद्यतन बने रहने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से भागीदारी करें और मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आकार देने में योगदान करें।

निष्कर्ष:

PMLA के अधीन मामलों में जमानत के लिये वर्तमान न्यायिक दृष्टिकोण अत्यधिक तकनीकी प्रतीत होता है। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने वर्ष 1978 में गुडिकंती नरसिम्हुलु मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्त्व पर बल दिया था और कहा था कि जमानत से इनकार करना अनुच्छेद 21 के तहत एक गंभीर न्यायिक उत्तरदायित्व है, जिसके लिये व्यक्ति और समाज पर इसके प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। समय के साथ विभिन्न संशोधनों ने ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग से परे के अपराधों को शामिल करने के लिये PMLA के दायरे का विस्तार किया है, जिससे इसके मूल इरादे के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। PMLA का विकास मनी लॉन्ड्रिंग को संबोधित करने में जारी चुनौतियों को रेखांकित करता है और वित्तीय अपराध से निपटने तथा कानूनी प्रणालियों के भीतर निष्पक्षता एवं न्याय के सिद्धांतों की सुरक्षा करने के बीच संतुलन पाने के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

कच्चातीवू द्वीप: सामरिक क्षेत्र

चाहे वह मालदीव हो (जो अब चीन के साथ बढ़ते समुद्री संघर्ष के बीच भारत के लिये अधिक महत्त्व रखने लगा है) या प्रशांत द्वीप समूहों में से संसाधन-संपन्न पापुआ न्यू गिनी के साथ भारत की नई संलग्नता, **मॉरीशस के अगालेगा द्वीप** पर अवसंरचना का संयुक्त विकास हो या पूर्वी **हिंद महासागर** के द्वीपों में ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग या पूर्व में स्थित अंडमान, पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप एवं श्रीलंका से सटे कच्चातिवु को विकसित करने पर सरकार का ध्यान—द्वीप क्षेत्र भारत की नई भू-राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण अंग बनकर उभरे हैं।

आसन्न **लोकसभा** चुनाव के परिदृश्य में एक बार फिर कच्चातिवु द्वीप चर्चा में आया है। तमिलनाडु के मतदाताओं को लुभाने के लिये यह एक उपयुक्त विषय प्रस्तुत कर रहा है, जहाँ श्रीलंका के साथ मछुआरों का मुद्दा लंबे समय से विमर्श में शामिल रहा है।

कच्चातिवु द्वीप:

- **परिचय:**
  - कच्चातिवु द्वीप (Katchatheevu Islands) भारत के दक्षिण-पूर्वी तट (तमिलनाडु) और श्रीलंका के उत्तरी तट के बीच पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) में स्थित निर्जन द्वीपों की एक जोड़ी है।
  - इनमें से बड़े द्वीप को कच्चातिवु, जबकि छोटे को इमरावन (Imaravan) के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप अपनी रणनीतिक स्थिति और भारत एवं श्रीलंका दोनों की मत्स्यग्रहण गतिविधियों में उनके महत्त्व के कारण ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण रहे हैं।
- **मछुआरों का मुद्दा:**
  - कच्चातिवु का स्वामित्व भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, विशेष रूप से आसपास के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर। तमिलनाडु के मछुआरे इससे विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वे इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारों का दावा करते हैं।
  - कच्चातिवु को श्रीलंका को सौंपे जाने के परिणामस्वरूप भारतीय मछुआरों के द्वीप के आसपास के पारंपरिक मत्स्यग्रहण क्षेत्रों तक पहुँच पर प्रतिबंध लग गया है। इसके कारण कई संघर्ष हुए और बार-बार श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ़्तार किया गया है।
- **राजनीतिक और कानूनी रुख:**
  - राजनीतिक रूप से कच्चातिवु के मुद्दे का इस्तेमाल भारत में विभिन्न दलों द्वारा इस मामले पर सरकार के रुख की आलोचना करने के लिये किया गया है। इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपने वाले समझौतों की वैधता के संबंध में कानूनी चुनौतियाँ भी पेश की गई हैं।
- **द्विपक्षीय चर्चाएँ:**
  - मुद्दे की विवादास्पद प्रकृति के बावजूद भारत और श्रीलंका दोनों तमिलनाडु के मछुआरों की चिंताओं को दूर करने के लिये द्विपक्षीय चर्चा में संलग्न रहे हैं। इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिये संयुक्त गश्त और संयुक्त मत्स्यग्रहण क्षेत्र जैसे विभिन्न प्रस्तावों का सुझाव दिया गया है।

नोट :

भारत-श्रीलंका संबंधों की वर्तमान स्थिति:

- **ऐतिहासिक संबंध:**
  - भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंधों का एक सुदीर्घ इतिहास रहा है।
  - दोनों देशों के बीच मज़बूत सांस्कृतिक संबंध हैं, जहाँ कई श्रीलंकाई लोग अपनी विरासत को भारत से जोड़कर देखते हैं। **बौद्ध धर्म**, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई, श्रीलंका में भी एक महत्त्वपूर्ण धर्म है।
- **भारत से वित्तीय सहायता:**
  - भारत ने श्रीलंका के अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान उसे लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की, जो देश को संकट से उबारने में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई।
  - **विदेशी मुद्रा भंडार** की भारी कमी के कारण श्रीलंका वर्ष 2022 में एक विनाशकारी वित्तीय संकट की चपेट में आ गया था, जो उसके लिये वर्ष 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद की सबसे संकटपूर्ण स्थिति थी।
- **ऋण पुनर्गठन में भूमिका:**
  - श्रीलंका को उसके ऋण के पुनर्गठन में मदद करने के लिये भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** और ऋणदाताओं के साथ सहयोग के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।
  - भारत, चीन और जापान के बीच भारत पहला देश था जिसने श्रीलंका के वित्तपोषण एवं ऋण पुनर्गठन के लिये अपना समर्थन पत्र सौंपा था।
- **कनेक्टिविटी के लिये संयुक्त दृष्टिकोण:**
  - दोनों देश एक संयुक्त दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं जो व्यापक कनेक्टिविटी पर बल देता है, जिसमें लोगों के परस्पर संपर्क (People to People connectivity), नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह कनेक्टिविटी और बिजली व्यापार के लिये ग्रिड कनेक्टिविटी शामिल हैं।
  - श्रीलंका **बिम्सटेक (BIMSTEC)** और **सार्क (SAARC)** जैसे समूहों का भी सदस्य है जिनमें भारत अग्रणी भूमिका निभाता है।
  - दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने और विकास को बढ़ावा देने के लिये **आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (Economic and Technology Cooperation Agreement-ETCA)** की संभावना तलाश रहे हैं।
- **बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन पर समझौता:**
  - भारत और श्रीलंका दोनों भारत के दक्षिणी भाग से श्रीलंका तक एक बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन (Multi-Product Petroleum Pipeline) स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।
  - इस पाइपलाइन का उद्देश्य श्रीलंका को ऊर्जा संसाधनों की सस्ती एवं विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना है। आर्थिक विकास और प्रगति में ऊर्जा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को चिह्नित करते हुए इस पेट्रोलियम पाइपलाइन की स्थापना को प्रेरित कर रही है।
- **श्रीलंका द्वारा UPI का अंगीकरण:**
  - श्रीलंका ने भारत की UPI सेवा को अपनाया है, जो दोनों देशों के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - **व्यापार निपटान के लिये भारतीय रुपए** के उपयोग से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को मदद मिल रही है। ये श्रीलंका के आर्थिक सुधार और वृद्धि में मदद के लिये कुछ ठोस कदम हैं।

नोट :

- **आर्थिक संबंध:**
  - अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। श्रीलंका के 60% से अधिक निर्यात **भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार** समझौते (FTA) का लाभ उठाते हैं। भारत श्रीलंका में एक प्रमुख निवेशक भी है।
  - भारत परंपरागत रूप से श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक रहा है और श्रीलंका सार्क में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक बना हुआ है। वर्ष 2021 में 5.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र द्विपक्षीय माल व्यापार के साथ भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
  - वर्ष 2022 में 100,000 से अधिक पर्यटकों के साथ भारत श्रीलंका के लिये पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत था।
- **रक्षा:**
  - भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य (**मित्र शक्ति**) और नौसैन्य अभ्यास (**SLINEX**) आयोजित करते हैं।

कच्चातिवु द्वीप के संबंध में भारत-श्रीलंका संबंध किस प्रकार विकसित हुए हैं?

- **औपनिवेशिक काल (19वीं सदी तक):** श्रीलंका ने क्षेत्राधिकार के साक्ष्य के रूप में 1505 से 1658 ई. तक द्वीप पर पुर्तगालियों के नियंत्रण का हवाला देते हुए कच्चातिवु पर अपनी संप्रभुता का दावा किया।
  - औपनिवेशिक युग में इस लघु द्वीप पर अंग्रेज़ों का शासन था। ऐतिहासिक रूप से, माना जाता है कि तमिलनाडु में रामनाड या वर्तमान रामनाथपुरम के राजा के पास इस द्वीप का स्वामित्व था, जो बाद में मद्रास प्रेसीडेंसी का हिस्सा बन गया।
- **20वीं सदी में परिवर्तन:** श्रीलंका और भारत दोनों ने 1920 के दशक में कच्चातिवु पर मछली पकड़ने के विशेष अधिकार की तलाश की, जिससे लंबे समय तक विवाद चला। 1940 के दशक में दोनों देशों की स्वतंत्रता के बाद भी यह मुद्दा बना रहा। वर्ष 1968 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा के दौरान कच्चातिवु पर श्रीलंका की संप्रभुता का दावा करते हुए आधिकारिक तौर पर इस मामले को उठाया।
  - इसके बाद भारत और श्रीलंका के प्रधानमंत्रियों—इंदिरा गांधी और सिरीमावो भंडारनायके के बीच क्रमिक वार्ता के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच वर्ष 1974 में एक समझौते (Agreement on the Boundary in Historic Waters) पर हस्ताक्षर किये गए।
  - इस समझौते ने ऐतिहासिक साक्ष्यों, कानूनी सिद्धांतों और पूर्व-दृष्टांतों के आधार पर एक सीमा को परिभाषित किया, जो कच्चातिवु को श्रीलंका के पश्चिमी तट से एक मील की दूरी पर उसके अधिकार क्षेत्र में शामिल करता था।
- **भारतीय मछुआरों के लिये महत्त्व:** समझौते के अनुच्छेद 4 में यह निर्धारित किया गया है कि **प्रत्येक राज्य के पास पाक जलडमरूमध्य और पाक खाड़ी में समुद्री सीमा के किनारे के जल, द्वीपों, महाद्वीपीय शेल्फ** और उप-मृदा पर संप्रभुता एवं विशेष क्षेत्राधिकार और नियंत्रण प्राप्त होगा तथा **कच्चातिवु द्वीप के बारे में माना गया कि यह श्रीलंकाई जलक्षेत्र में आता है।**
  - अगले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय मछुआरों एवं तीर्थयात्रियों को पहले की तरह द्वीप तक पहुँच प्राप्त होगी और इन उद्देश्यों के लिये श्रीलंका से यात्रा दस्तावेज़ या वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्व में भारत के लिये कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र:

- **हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific):**
  - हिंद-प्रशांत का विचार सर्वप्रथम जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा वर्ष 2007 में **भारतीय संसद** में प्रस्तुत अपने भाषण में प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने भारत से हिंद और प्रशांत "दो महासागरों के संगम" पर विचार करने का आग्रह किया था।
  - वर्ष 2018 के ग्रीष्मकाल में सिंगापुर में आयोजित वार्षिक 'शांगरी ला डायलॉग' में प्रधानमंत्री मोदी के संभाषण में इसकी चर्चा के साथ **'हिंद-प्रशांत'** के विचार को औपचारिक रूप से अपनाने में भारत को एक दशक से अधिक का समय लगा।
  - चीन के साथ भारत के बिगड़ते संबंध (वर्ष 2013, 2014 और 2017 में सैन्य संकटों की एक शृंखला द्वारा चिह्नित) और अमेरिका के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के परिप्रेक्ष्य में अंततः भारत 'हिंद-प्रशांत' के विचार की ओर आगे बढ़ा।
  - हिंद-प्रशांत अब भारतीय विमर्श में सुस्थापित हो गया है। इसके संस्थागत लंगर के रूप में **'क्वाड' (Quad)** भी आकार ले चुका है, जो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को एक साथ लाता है।

नोट :

- **यूरेशिया:**
  - जापान और अमेरिका ने हिंद-प्रशांत या 'इंडो-पैसिफिक' के विचार को लोकप्रिय बनाया तो रूस ने 'यूरेशिया' (Eurasia) के विचार को आगे बढ़ाया है। यूरोप और एशिया में विस्तृत एक बड़ी शक्ति के रूप में रूस विशाल यूरेशियाई भूभाग को अपने प्रभाव के नैसर्गिक क्षेत्र के रूप में देखता है।
    - रूस और चीन द्वारा संयुक्त रूप से गठित **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** ने यूरेशिया के विचार को संस्थागत अभिव्यक्ति प्रदान किया।
  - महाद्वीपीय एशिया में भारत की हिस्सेदारी, रूस के साथ इसके दीर्घकालिक संबंध और एक बहुध्रुवीय विश्व की इसकी तलाश को देखते हुए, यूरेशिया कई पहलुओं में भारत के लिये अत्यंत महत्त्व रखता है।
- **नॉर्डिक क्षेत्र:**
  - नॉर्डिक क्षेत्र, नॉर्डिक-बाल्टिक गठबंधन और काकेशस भारत के लिये यूरोप में और इसके आसपास परिणाम के नए क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। यूक्रेन ने हाल ही में उस मध्य यूरोप में युद्ध और शांति को आकार देने में भारत की संभावित भूमिका को रेखांकित किया है, जिसकी अशांत राजनीति ने दो **विश्व युद्धों** को जन्म दिया था और तीसरे को आमंत्रित करने का खतरा उत्पन्न कर रही है।
- **भारत-मध्य पूर्व:**
  - मध्य-पूर्व के माध्यम से भारत एवं यूरोप को जोड़ने वाले एक आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव, **अब्राहम समझौते**, गाज़ा में संघर्ष, अरब खाड़ी का बढ़ता प्रभाव, संयुक्त अरब अमीरात एवं सऊदी अरब के साथ भारत के मज़बूत होते संबंध, **लाल सागर** क्षेत्र में लगभग 20 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों की तैनाती और अफ्रीका के साथ बढ़ते संबंध से मध्य-पूर्व, अफ्रीका, पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र और पश्चिमी हिंद महासागर का अधिक परस्पर-संबद्ध परिप्रेक्ष्य सामने आ रहा है।
    - पहले उन्हें विशिष्ट क्षेत्र के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब वे भारत के विकास पथ के लिये अपनी उल्लेखनीय प्रासंगिकता को उजागर करते हैं।

भारत के लिये कच्चातिवु द्वीप की प्रासंगिकता:

- **रणनीतिक महत्त्व:**
  - **भू-राजनीतिक अवस्थिति:** कच्चातिवु पाक जलडमरूमध्य में रणनीतिक अवस्थिति रखता है, जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।
  - कच्चातिवु पर नियंत्रण भारत को जहाज़ों की आवाजाही और संभावित सुरक्षा खतरों सहित क्षेत्र में विभिन्न समुद्री गतिविधियों की निगरानी में रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकता है।
- **आर्थिक महत्त्व:**
  - **मत्स्य संसाधन:** कच्चातिवु के आसपास का जल क्षेत्र मछली एवं अन्य समुद्री खाद्य सहित समुद्री संसाधनों से समृद्ध है, जो तमिलनाडु के मछुआरों की आजीविका के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - **वाणिज्यिक क्षमता:** कच्चातिवु पर नियंत्रण से मत्स्यग्रहण, जलीय कृषि एवं पर्यटन जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास में मदद मिल सकती है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व:**
  - **ऐतिहासिक दावे:** कच्चातिवु भारत के लिये ऐतिहासिक महत्त्व रखता है, जहाँ तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के सदियों पुराने पारंपरिक अधिकारों का दावा किया जाता है।
  - सांस्कृतिक संबंध: इस द्वीप का भारत और श्रीलंका में तमिल समुदायों के लिये ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व है, क्योंकि यह प्रसिद्ध तमिल संत **तिरुवल्लुवर** से संबद्ध है।
- **कानूनी और राजनयिक निहितार्थ:**
  - **राजनयिक संबंध:** वर्ष 1974 और 1976 के समझौतों के माध्यम से कच्चातिवु को श्रीलंका को सौंपे जाने के बावजूद, कच्चातिवु का मुद्दा **भारत-श्रीलंका संबंधों** के लिये निहितार्थ रखता है, जो प्राय: मछली पकड़ने के अधिकार और समुद्री सहयोग सहित विभिन्न मामलों पर द्विपक्षीय चर्चाओं एवं बातचीत को प्रभावित करता है ।
  - **अंतर्राष्ट्रीय कानून:** कच्चातिवु पर विवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुप्रयोग, विशेष रूप से क्षेत्रीय संप्रभुता, समुद्री सीमाओं और तटीय राज्यों के अधिकारों के बारे में व्यापक प्रश्न उठाता है।
  - **प्रादेशिक जल:** श्रीलंका द्वारा द्वीप पर नियंत्रण का भारत के प्रादेशिक जल और क्षेत्र में स्थापित **विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** पर प्रभाव पड़ता है।
- **मानवीय पहलू:**
  - **मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ:** श्रीलंका द्वारा कच्चातिवु के आसपास मत्स्यग्रहण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों ने विभिन्न मानवीय चिंताओं को जन्म दिया है, जिसमें भारतीय मछुआरों की गिरफ़्तारी, उत्पीड़न और जान के नुकसान की घटनाएँ शामिल हैं।

नोट :

- **समाधान की आवश्यकता:** अपनी जीविका के लिये जल पर निर्भर मछुआरों और उनके परिवारों के कल्याण एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये कच्चातिवु मुद्दे को संबोधित करना मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक है।

- **सुरक्षा एवं तस्करी विरोधी अभियान:**
  - **तस्करी गतिविधियाँ:** कच्चातिवू की भारतीय तट से निकटता इसे हथियारों, मादक पदार्थों और प्रतिबंधित सामग्री सहित विभिन्न तस्करी गतिविधियों का एक संभावित केंद्र बनाती है।
  - **तस्करी गतिविधियों को रोकना:** श्रीलंका द्वारा द्वीप पर नियंत्रण से क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों की निगरानी करने और उन पर अंकुश लगाने की भारत की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है।
    - भारत ने तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों के लिये कच्चातिवु के उपयोग पर चिंता व्यक्त की है जो सुरक्षा के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

कच्चातिवु द्वीप अपने छोटे आकार के बावजूद अपनी रणनीतिक अवस्थिति, मछली पकड़ने के अधिकार पर प्रभाव और सांस्कृतिक महत्त्व के कारण भारत एवं श्रीलंका के बीच एक जटिल मुद्दा बना हुआ है। श्रीलंका को द्वीप के हस्तांतरण से द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण बने हैं और यह एक व्यापक समाधान की आवश्यकता को उजागर करता है जो समुद्री सुरक्षा, मछुआरों की आजीविका संबंधी चिंताओं और दोनों देशों की ऐतिहासिक भावनाओं का सम्मान करे। क्षेत्र में सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये निरंतर संवाद, आपसी समझ और नवीन संसाधन-साझाकरण तंत्र के माध्यम से लंबे समय से जारी इस विवाद को हल करना महत्त्वपूर्ण है।

नाटो की 75वीं वर्षगाँठ

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो (North Atlantic Treaty Organisation (NATO) 4 अप्रैल को अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगाँठ धूमधाम से मनाई। वर्ष 1949 में इसी दिन पश्चिमी देश एक-दूसरे की रक्षा की प्रतिबद्धता जताने के लिये वाशिंगटन डीसी में एकत्र हुए थे। **द्वितीय विश्व युद्ध** के अभी भी हरे रहे घाव और मंडराते नए खतरों के परिदृश्य में उन्होंने अपने लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करने की शपथ ली थी। नाटो की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर पर **लोकतंत्र**, स्वतंत्रता एवं **विधि के शासन** जैसे गठबंधन के मूल मूल्यों के प्रति पुन: प्रतिबद्धता जताने, **यूक्रेन पर रूस के आक्रमण** जैसी उभरती सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और नाटो के भविष्य के अनुकूलन के लिये मार्ग की रूपरेखा तैयार करने जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

नाटो (NATO):

- **परिचय:**
  - उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो वर्ष 1949 में गठित एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसे संभावित आक्रामकता, विशेष रूप से शीत युद्ध काल के दौरान सोवियत संघ की ओर से संभावित आक्रामकता, के विरुद्ध सामूहिक रक्षा प्रदान करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था। समय के साथ नाटो अपने मूल अधिदेश से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु विकसित हुआ है।

- **इतिहास:**
  - **गठन: यूरोप** और उत्तरी अमेरिका के 12 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा वाशिंगटन डीसी में उत्तरी अटलांटिक संधि (North Atlantic Treaty) पर हस्ताक्षर के साथ 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई।
  - **शीत युद्ध काल: शीत युद्ध** के दौरान नाटो ने सोवियत विस्तारवाद के विरुद्ध एक निवारक शक्ति के रूप में कार्य किया, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने यूरोपीय सहयोगियों को महत्त्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान की गई।
  - **सोवियत संघ** के विघटन के बाद नाटो ने अपने दायरे का विस्तार करते हुए संकट प्रबंधन, संघर्ष की रोकथाम और सहकारी सुरक्षा प्रयासों जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया।

- **सदस्यता:**
  - **मूल सदस्य:** नाटो के मूल 12 संस्थापक सदस्यों में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्राँस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे।
  - **विस्तार:** स्थापना के बाद से नाटो का विस्तार हुआ है जहाँ अलग-अलग दौर में नए सदस्य देश शामिल किये गए। गठबंधन में वर्तमान में 32 सदस्य देश शामिल हैं।

- **मिशन और उद्देश्य:**
  - **सामूहिक रक्षा:** नाटो का प्राथमिक मिशन सामूहिक रक्षा है जैसा कि उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में उल्लिखित है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा और सदस्य सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया देंगे।

नोट :

- **संकट प्रबंधन:** नाटो सामूहिक रक्षा के अलावा दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष की रोकथाम, शांति स्थापना और स्थिरीकरण प्रयासों सहित विभिन्न संकट प्रबंधन गतिविधियों में संलग्न है।

- **संरचना:**
  - **राजनीतिक नेतृत्व:** उत्तरी अटलांटिक परिषद (North Atlantic Council- NAC) नाटो के प्रमुख राजनीतिक निर्णयकारी निकाय के रूप में कार्य करती है, जिसमें सभी सदस्य देशों के राजदूत शामिल होते हैं।
  - **सैन्य कमान संरचना:** नाटो की सैन्य कमान संरचना में परिचालन योजना एवं निष्पादन के लिये उत्तरदायी रणनीतिक कमान (Strategic Commands)—उदाहरण के लिये, एलाइड कमांड ऑपरेशंस (Allied Command Operations), के साथ-साथ क्षेत्रीय कमान (Regional Commands) और बल मुख्यालय (Force Headquarters) शामिल हैं।
  - **एकीकृत सैन्य बल:** नाटो एकीकृत सैन्य बलों को बनाए रखता है, जहाँ सदस्य देशों को नाटो कमान के तहत सामूहिक रक्षा प्रयासों में कर्मियों और संसाधनों का योगदान करने की अनुमति मिलती है।

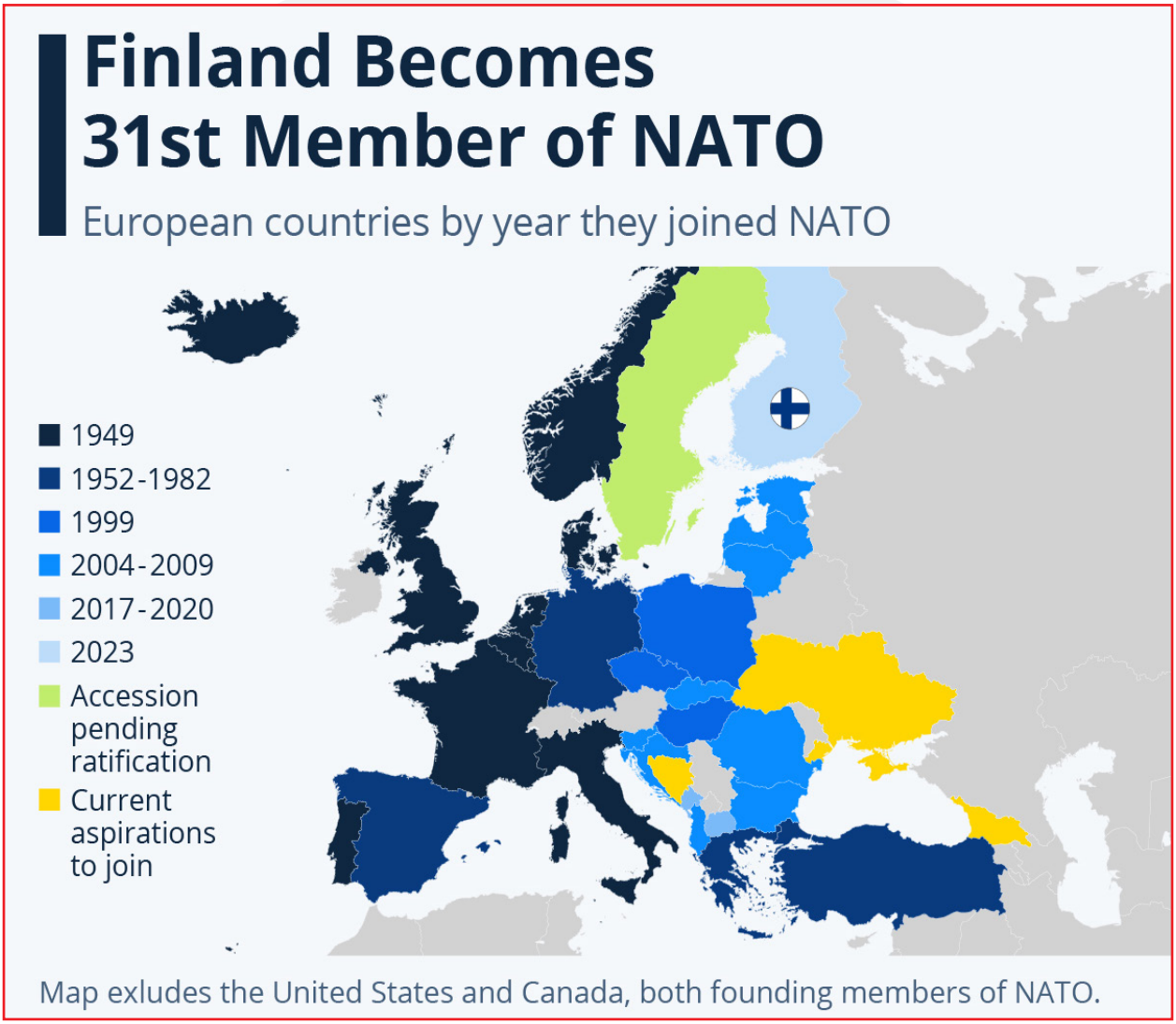

नोट :

नाटो की कार्यप्रणाली से संबंधित विभिन्न चिंताएँ:

- **अनियंत्रित रूप से आक्रामक:**
  - नाटो की स्थापना इसके सदस्य देशों को किसी भी संभावित आक्रामकता से बचाने के लिये की गई थी। जैसा कि तथ्य बताते हैं, इसे कभी किसी आक्रामकता या आक्रामकता के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। इसके विपरीत, अपने सदस्य देशों की रक्षा के नाम पर स्वयं नाटो ही आक्रामक हो गया। पिछले सात दशकों में इसने दुनिया भर में 200 से अधिक सैन्य संघर्षों की शुरुआत की या उनमें भाग लिया, जिनमें 20 बड़े सैन्य संघर्ष भी शामिल हैं।
- **पूर्वी यूरोपीय, मध्य-पूर्व और एशियाई देशों में उसके दुस्साहसिक कदम:**
  - यूगोस्लाविया पर बमबारी, इराक पर आक्रमण, लीबिया की राज्य सत्ता की तबाही, सीरिया में गैर-कानूनी सैन्य हस्तक्षेप और अफगानिस्तान में आतंकवाद से संघर्ष इनमें से कुछ प्रमुख मामले हैं।
- **रूस-यूक्रेन युद्ध को भड़काना:**
  - वर्ष 1991 के बाद से नाटो के विस्तार के पाँच दौर (जबकि ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया गया था) और यूक्रेन को रूस के विरुद्ध 'स्प्रिंगबोर्ड' में बदल देना (यानी उसे रूस के विरुद्ध गतिविधियों के लिये एक रणनीतिक लॉन्चपैड के रूप में उपयोग करना) अब तक का सबसे बड़ी भड़काने वाली कार्रवाई सिद्ध हुई।
  - गठबंधन ने रूस के साथ संवाद तंत्र को नष्ट कर दिया और मैड्रिड में वर्ष 2022 में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में इस रणनीतिक अवधारणा को अपनाया कि मास्को यूरो-अटलांटिक क्षेत्र में मित्र देशों की सुरक्षा, शांति एवं स्थिरता के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण एवं प्रत्यक्ष खतरा है, जबकि रूस ने ऐसा रुख कभी नहीं रखा है।
- **पश्चिमी आधिपत्य को बनाए रखना:**
  - कठोर वास्तविकता यह है कि नाटो, जबकि अपनी शांतिपूर्ण आकांक्षाओं की घोषणा करता है, ऐसे किसी भी राज्य के विरुद्ध युद्ध में उतर जाता है या उस पर हमला करने की धमकी देता है जो पतनशील उदार 'नियम-आधारित व्यवस्था' को स्वीकार करने से इनकार करता है।
    - इस अर्थ में, नाटो की सैन्य क्षमता उन देशों पर पश्चिम के आधिपत्य को बनाए रखने के लिये एक प्रभावी उपकरण की स्थिति रखती है जिन्हें सैन्य खतरे के रूप में नहीं देखा जाता है।
  - यह नाटो के बारे में यह धारणा स्थापित करता है कि यह यूरो-अटलांटिक शासकों द्वारा निर्धारित लोकतंत्र, मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता के नारों के तहत आधुनिक रूप में औपनिवेशिक अभ्यासों की ही निरंतरता है।
- **अनुचित विस्तार:**
  - इस गठबंधन की क्षमताओं का निर्माण बाह्य अंतरिक्ष और साइबरस्पेस में किया जा रहा है। नाटो के 'पूर्वी अंग' को समायोजित क्षेत्रीय सैन्य योजनाओं हेतु तैयार करने के लिये नए संसाधनों और सैन्य बलों से सुसज्जित किया गया है। नाटो का आक्रामक व्यवहार रूस तक ही सीमित नहीं है। यह अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में नए साझेदारों की तलाश कर रहा है।
  - नाटो की नज़र अब व्यापक रूप से उत्तर-सोवियत परिदृश्य एवं यूरेशिया की ओर है जहाँ वह विभिन्न देशों के बीच अलगाव बढ़ाने और उनके पारंपरिक रूप से घनिष्ठ संबंधों को क्षति पहुँचाने पर केंद्रित है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न खतरे का लाभ उठाना:**
  - यूरो-अटलांटिक और **इंडो-पैसिफिक क्षेत्रों** में सुरक्षा की अविभाज्यता के नारे के तहत पूरे पूर्वी गोलार्द्ध पर अपनी ज़िम्मेदारी बढ़ाने के नाटो के प्रयासों में इस मंच के विस्तारवाद की एक नई अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है।
  - इस उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका **AUKUS**, 'यूएस-जापान-दक्षिण कोरिया ट्रोइका' और टोक्यो-सियोल-कैनबरा-वेलिंगटन क्वार्टेट जैसे छोटे, अनौपचारिक, लघु-पक्षीय गठबंधनों के निर्माण में व्यस्त रहा है ताकि उन्हें नाटो के साथ व्यावहारिक सहयोग के लिये घसीटा जा सके।

नाटो की प्रमुख सफलताएँ और असफलताएँ:

- **सफलताएँ:**
  - **शीत युद्ध:**
    - **शीत युद्ध** के दौरान नाटो के प्रयास तीन लक्ष्यों पर केंद्रित रहे थे: सोवियत संघ को नियंत्रित करना, संपूर्ण यूरोप में उग्रवादी राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद पर रोक रखना और वृहत यूरोपीय राजनीतिक एकता स्थापित करना।
    - गठबंधन ने शीत युद्ध की तनावपूर्ण शांति को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाई कि शीत युद्ध 'शीत' ही बना रहे। इस युद्ध की समाप्ति के साथ नाटो ने शांति बनाए रखने की दिशा में कार्य किया।
    - इस क्रम में उत्तरी अटलांटिक सहयोग परिषद (North Atlantic Cooperation Council) की स्थापना की गई और वर्ष 1997 में नाटो ने 'फाउंडिंग एक्ट' (Founding Act) के माध्यम से अमेरिका एवं रूस के बीच द्विपक्षीय चर्चा को प्रोत्साहित किया।

नोट :

- **आधुनिक समय में सुरक्षा:**
  - नाटो अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने में अभी तक सफल रहा है। इसकी स्थापना के बाद से केवल एक बार ऐसा हुआ है जब नाटो के किसी सदस्य पर हमला किया गया (अमेरिका पर **9/11** हमला) और अनुच्छेद 5 (सामूहिक सुरक्षा और परस्पर सहयोग) को औपचारिक रूप से सक्रिय या प्रभावी किया गया।
  - सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसा कि मूल रूप से नाटो का लक्ष्य था। इसके अतिरिक्त, नाटो ने दुनिया भर में 40 से अधिक देशों और अन्य भागीदारों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाया है, जिसमें अफ्रीकी संघ (AU) से लेकर OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) तक कई समूह शामिल हैं।
  - यह नेटवर्क नाटो को उसके संकट प्रबंधन कार्यों में सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2005 के कश्मीर भूकंप के बाद राहत आपूर्ति जैसे सहायता कार्यों से लेकर **भूमध्य सागर** और सोमालिया के तट पर आतंकवाद विरोधी अभियानों तक इसके कई उदाहरण हैं।
- **यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करना:**
  - नाटो ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा की है और नाटो के सदस्य देशों एवं सहयोगियों ने यूक्रेन को पर्याप्त सहायता प्रदान की है। अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है।
  - अन्य देशों ने युद्ध के 5 मिलियन से अधिक शरणार्थियों के लिये मानवीय सहायता एवं सहयोग प्रदान किया है। यूक्रेन युद्ध ने नाटो के महत्त्व की पुष्टि की है और यहाँ तक कि फिनलैंड एवं स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के अपने प्रयासों को तेज़ करने के लिये प्रेरित किया है।
  - इन देशों की सदस्यता हवाई और पनडुब्बी क्षमताओं की वृद्धि के माध्यम से नाटो को सैन्य रूप से मज़बूत करेगी, जिससे नाटो को रूसी आक्रामकता को और कम करने की अनुमति मिलेगी।

- **विफलताएँ:**
  - **वित्तपोषण संबंधी मुद्दे:**
    - वर्ष 2006 में नाटो सदस्य देशों के रक्षा मंत्री इस प्रतिबद्धता पर सहमत हुए कि उनके देशों के सकल घरेलू उत्पाद का 2% रक्षा व्यय के लिये आवंटित किया जाएगा। हालाँकि, नाटो के अधिकांश सदस्य इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में **गठबंधन के रक्षा व्यय का दो-तिहाई से अधिक भाग अमेरिका से प्राप्त** होता है।
  - **अफगानिस्तान:**
    - 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में नाटो की व्यापक उपस्थिति रही और उनके सैन्य बल ने अफगान सरकार को महत्त्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा वर्ष 2020 में तालिबान के साथ एक समझौते के बाद नाटो और अमेरिकी सैन्य बलों की अफगानिस्तान से वापसी हुई।
    - इसके तुरंत बाद ही तालिबान के हाथों अफगान सरकार का पतन हो गया। नाटो की अफगानिस्तान में **दो दशकों तक उपस्थिति के बावजूद कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं निकला** और उनने बाहर निकलते ही देश की पूर्व सरकार का पतन हो गया।
  - **दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद:**
    - संपूर्ण यूरोप में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद के प्रसार के साथ नाटो और यूरोपीय संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। यदि यूरोप में दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी आंदोलनों की लोकप्रियता बढ़ती रही तो विभिन्न देशों में नाटो जैसी संस्थाओं को छोड़ने की मांग बढ़ सकती है। नाटो के सामने वर्तमान में चुनौती यह है कि वह अपनी **आलोचना का मुक़ाबला और उसे संबोधित कैसे करे, जबकि विभाजित यूरोप को एकजुट कैसे** किया जाए।
  - **रूसी आक्रमण:**
    - नाटो द्वारा रूस से इस कथित मौखिक वादे के बावजूद कि वह पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेगा, उसने **सोवियत संघ के पतन के बाद से वारसॉ संधि के कई पूर्व सदस्यों को गठबंधन में शामिल** किया है।
    - नाटो सदस्यों की सीमा रूस से लगने तथा आगे इसके और विस्तार के वादे के साथ रूस अपने लिये अधिकाधिक खतरा अनुभव करने लगा है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की संभावना को रूस-यूक्रेन संघर्ष में रूसी कार्रवाइयों के लिये एक महत्त्वपूर्ण कारण के रूप में उद्धृत किया गया है।

नोट :

नोट:

- भारत नाटो और रूस के बीच एक सुचिंतित रुख रखता है, जहाँ रक्षा एवं आर्थिक क्षेत्रों में गुटनिरपेक्षता और द्विपक्षीय सहयोग पर बल देते हुए दोनों के साथ रणनीतिक हितों को संतुलित करता है।

नाटो को अधिक प्रभावी एवं कुशल बनाने के लिये आवश्यक सुधार:

- **सलाह की गुणवत्ता, सुसंगतता और समयसीमा:**
  - नाटो के अंदर पाँच प्रमुख नीति समितियों—सैन्य समिति, राजनीतिक समिति, नीति समन्वय समूह, कार्यकारी कार्य समूह और सीनियर रिसोर्स बोर्ड के महत्त्व एवं कार्यों को उन्नत बनाएँ।
  - इन समितियों के बीच समन्वय में सुधार करें, जहाँ उनके एजेंडे को परिषद की प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करें। इससे सैन्य और नागरिक दोनों नाटो निकायों के लिये परिषद के मार्गदर्शन को प्रभावी एवं समयबद्ध सलाह में बदलने में मदद मिलेगी।
- **नाटो का गैर-सैन्य आयाम:**
  - यह सुनिश्चित किया जाए कि जब सहयोगी देश नाटो को परिचालनात्मक रूप से संलग्न करने का निर्णय लें तो इसे राजनीतिक स्तर पर नागरिक विशेषज्ञता और ज़मीनी स्तर पर व्यवहार्य क्षमताओं का लाभ प्राप्त हो। साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और स्थानियों अभिकर्ताओं के साथ सहयोग भी आवश्यक है। इसके लिये नाटो के अंदर एक नागरिक सुरक्षा समिति या ऐसी किसी संरचना के निर्माण की आवश्यकता हो सकती है।

नोट :

- **संगठनात्मक सामंजस्य और आंतरिक तालमेल:**
  - न केवल नाटो मुख्यालय को बल्कि ब्रुसेल्स के अंदर एवं बाहर के नाटो निकायों की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला को बदलती रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप उन्मुख करना होगा ताकि गठबंधन में पारदर्शिता, दृश्यता और उद्देश्य की समानता को बढ़ावा दिया जा सके।
- **एक समावेशी और संयुक्त गठबंधन:**
  - संस्थागत व्यवस्थाओं को गठबंधन सुरक्षा की अविभाज्यता को प्रतिबिंबित करना चाहिये, जो गठबंधन की एकता एवं सामंजस्य को बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने पर लक्षित हो तथा उद्देश्य की एक साझा भावना को बढ़ावा देता हो।
    - इस प्रकार, नाटो संरचनाओं और प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से सभी सहयोगियों के हितों, चिंताओं, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सैन्य क्षमताओं को एकजुट करना चाहिये,ताकि सर्वसम्मति-निर्माण और सामूहिक कार्रवाइयों को सक्षम किया जा सके।
  - जहाँ भी संभव हो, संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं को सहयोगियों और गैर-नाटो देशों की बढ़ती संख्या के बीच राजनीतिक संवाद, परामर्श, संयुक्त योजना, प्रशिक्षण, अभ्यास एवं संचालन को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाना चाहिये।
- **नाटो का विशिष्ट चरित्र बनाये रखना:**
  - जबकि नाटो को व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से जटिल संकटों से निपटने के लिये अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय रूप से एकीकृत होना चाहिये, यह सूक्ष्म रणनीतियों के साथ मज़बूत सैन्य क्षमताओं को संयोजित करने की इसकी मूल शक्ति को कम नहीं करे।
- **गैर-पारंपरिक खतरों पर ध्यान देना:**
  - जबकि क्षेत्रीय रक्षा नाटो का एक प्रमुख कार्य बना रहे, कई लोगों का तर्क है कि नाटो को **आतंकवाद**, **साइबर हमलों**, दुष्प्रचार अभियानों और **आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा** को खतरों जैसे गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिये और अधिक अनुकूलित होना चाहिये।

निष्कर्ष:

जब वर्ष 2024 में नाटो अपनी 75वीं वर्षगाँठ मना रहा है, यह अपने उपलब्धिपूर्ण इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। नाटो ने एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा की रक्षा के अपने मुख्य मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हालाँकि, पिछले कुछ दशक तेज़ी से विकसित हो रहे वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के साक्षी बने हैं, जहाँ महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता, अंतर्राष्ट्रीय खतरों और जटिल आधुनिक चुनौतियों का पुनः उभार हुआ है।

नाटो को शांति एवं स्थिरता के एक प्रभावशाली रक्षक के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखने के लिये रक्षा क्षमताओं में वृहत निवेश करने, निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकीय श्रेष्ठता जैसे क्षेत्रों को दायरे में लेने के माध्यम से अपना सुधार करने तथा नए परिदृश्यों के प्रति अनुकूलित होने की आवश्यकता है।

RBI के 90 वर्ष

हाल ही में एक मील का पत्थर पार करते हुए **भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI)** ने अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे कर लिये हैं। भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में RBI ने अपने पूरे इतिहास में उपलब्धियों का एक उल्लेखनीय प्रक्षेपपथ प्रदर्शित करते हुए विभिन्न चुनौतियों और सफलताओं का अनुभव किया है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (central bank digital currency) के आगमन और नए जोखिमों के उद्भव के साथ अब उसे प्रभावी विनियमन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI):

- **परिचय:**
  - RBI भारत का केंद्रीय बैंक है।
  - इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।
  - इसे मूल रूप से वर्ष 1935 में एक निजी इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
- **उद्देश्य: RBI की प्रस्तावना में इसके बुनियादी कार्यों का वर्णन इस प्रकार किया गया है:**
  - भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने और आमतौर पर देश की मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को अपने लाभ के लिये संचालित करने की दृष्टि से बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करने और रिज़र्व बनाए रखना;
  - तेज़ी से जटिल होती जा रही अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करने के लिये एक आधुनिक **मौद्रिक नीति ढाँचा** तैयार करना; और
  - विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
- **RBI की संरचना:**
  - रिज़र्व बैंक के मामले एक केंद्रीय निदेशक मंडल (central board of directors) द्वारा शासित होते हैं।

नोट :

- बोर्ड की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- निदेशकों को चार वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त/नामांकित किया जाता है।

- **RBI द्वारा प्रशासित अधिनियम:**
  - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
  - सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944
  - सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006
  - सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007
  - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
  - वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अध्याय II)
  - क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005
  - भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
    - भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (वर्ष 2019 तक अद्यतन)
    - भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन, 2008 (वर्ष 2022 तक अद्यतन)
  - फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011

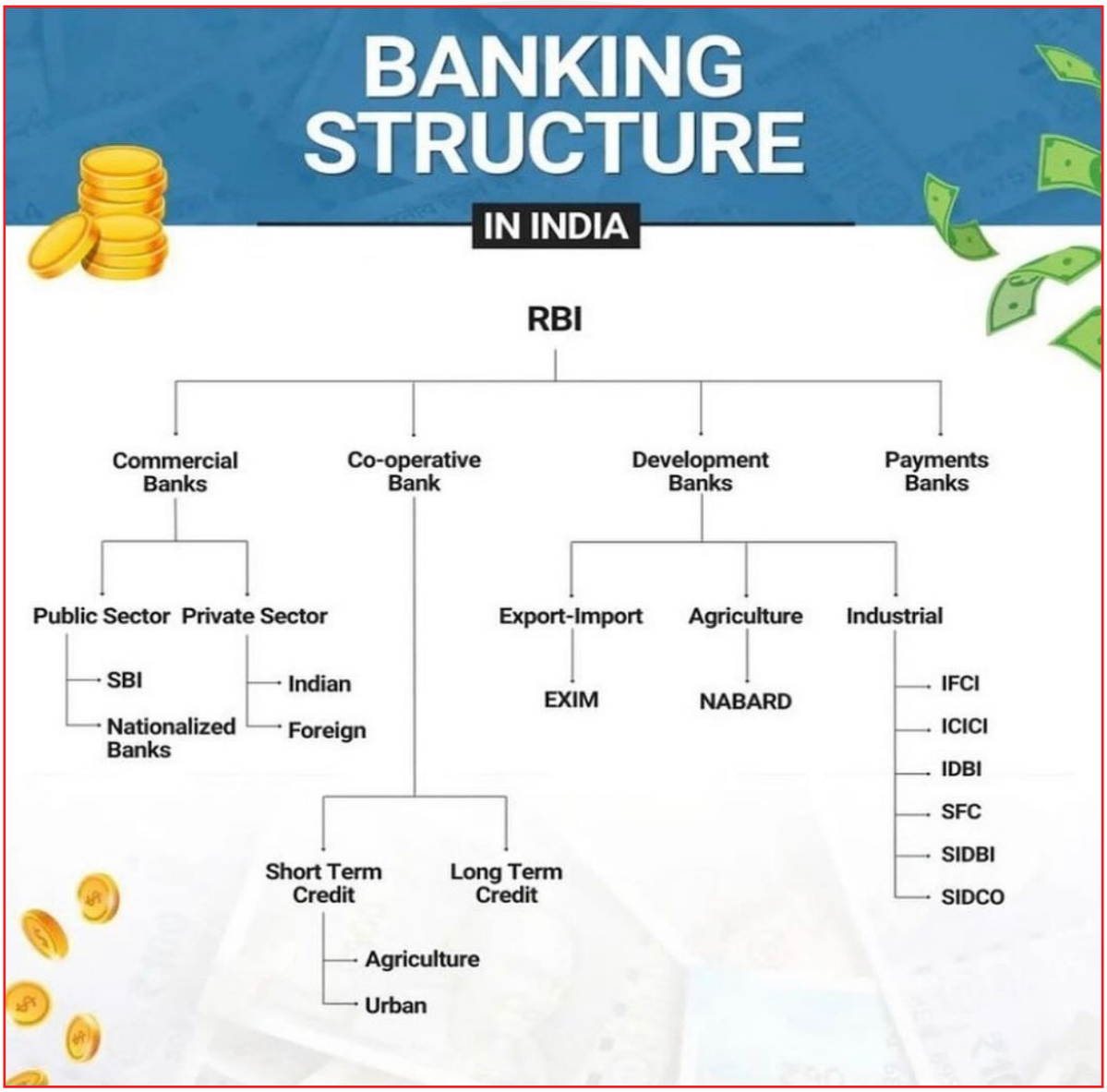

नोट :

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना:**
  - वर्ष 1934 का भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम RBI को आधुनिक मौद्रिक नीति ढाँचे को संचालित करने के लिये विधायी अधिदेश प्रदान करता है। इस प्रकार, RBI ने मौद्रिक नीति के ढाँचे के रूप में **लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (flexible inflation targeting- FIT)** को अपनाया है।
  - भारत सरकार RBI के परामर्श से प्रत्येक पाँच वर्ष पर **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI)** के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है।
- **वित्तीय क्षेत्र विनियमन:**
  - RBI ने बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने और वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के लिये विभिन्न उपाय लागू किये हैं।
  - यह वित्तीय संस्थानों की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिये बैंकिंग नियमों की नियमित रूप से समीक्षा करता है और उन्हें अद्यतन करता है।
    - उदाहरण के लिये, RBI ने बैंकों में **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs)** से निपटने और उनकी 'सॉल्वेंसी' को बनाए रखने के लिये **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)** ढाँचे की शुरुआत की।
- **सार्वजनिक ऋण का सफल प्रबंधन:**
  - रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक ऋण का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया है। इसने सरकार के लिये कम ब्याज दरों पर ऋण जारी किया है।
  - इससे अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के लिये धन जुटाने में मदद मिली है। इसने सरकार को अल्पकालिक अग्रिम भी प्रदान किया है।
- **वित्तीय समावेशन:**
  - RBI ने विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देने के लिये कई पहलें की हैं।
  - शाखा लाइसेंसिंग दिशानिर्देश, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंड और **भुगतान बैंकों एवं लघु वित्त बैंकों** की शुरूआत जैसे उपायों ने आबादी के पूर्व में वंचित रहे वर्गों तक औपचारिक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच का विस्तार किया है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन:**
  - RBI **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999** के तहत सभी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी करता है।
  - RBI विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को रोकने और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिये विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करता है। भारत का मज़बूत विदेशी मुद्रा भंडार इस संबंध में RBI के प्रभावी प्रबंधन का प्रमाण है।
- **भुगतान और निपटान प्रणाली:**
  - RBI कुशल एवं सुरक्षित लेनदेन की सुविधा के लिये भुगतान और निपटान प्रणालियों को आधुनिक बनाने में अग्रसक्रिय रहा है।
  - RBI ने भुगतान प्रणालियों के आधुनिकीकरण की निगरानी की है, जहाँ **रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** जैसी पहलें शुरू की गईं, जिससे द्रुत एवं निर्बाध लेनदेन की सुविधा प्राप्त होती है।
- **प्रौद्योगिकीय प्रगति:**
  - RBI ने वित्तीय क्षेत्र में दक्षता एवं समावेशिता को बढ़ाने के लिये डिजिटल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देते हुए बैंकिंग एवं वित्त में प्रौद्योगिकीय प्रगति को अपनाया है।
- **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) का विनियमन:**
  - भारतीय वित्तीय प्रणाली में **NBFCs** के बढ़ते महत्त्व के साथ, RBI ने उनकी प्रत्यास्थता बढ़ाने और प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिये विनियमनों को सुदृढ़ किया है।
  - इसने NBFCs क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये आस्ति-देयता प्रबंधन, पूंजी पर्याप्तता और कॉर्पोरेट प्रशासन हेतु दिशानिर्देश पेश किये।
- **आर्थिक विकास सहायता:**
  - RBI ने अपने मौद्रिक नीति उपायों और विकासात्मक पहलों के माध्यम से आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को बढ़ावा देने में योगदान दिया है।
  - इससे विकास बैंकिंग की सुदृढ़ संरचना स्थापित करने में मदद मिली है। इस क्रम में कई औद्योगिक, कृषि संबंधी, निर्यात संबंधी और अन्य विशिष्ट वित्तीय संस्थान स्थापित किये गए हैं।

नोट :

- **बैंकिंग क्षेत्र पर आम लोगों के भरोसे की वृद्धि:**
  - रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणालियों पर आम लोगों के भरोसे को बढ़ाने के लिये उचित कदम उठाये हैं। यह **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** के कार्यकरण की सख्ती से निगरानी करता है ताकि उनकी विफलताओं से बचा जा सके।
  - जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिये **जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी प्रणाली (Deposit Insurance and Credit Guarantee System)** भी शुरू की गई है। यह बैंकों पर जमाकर्ताओं के विश्वास को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ है।

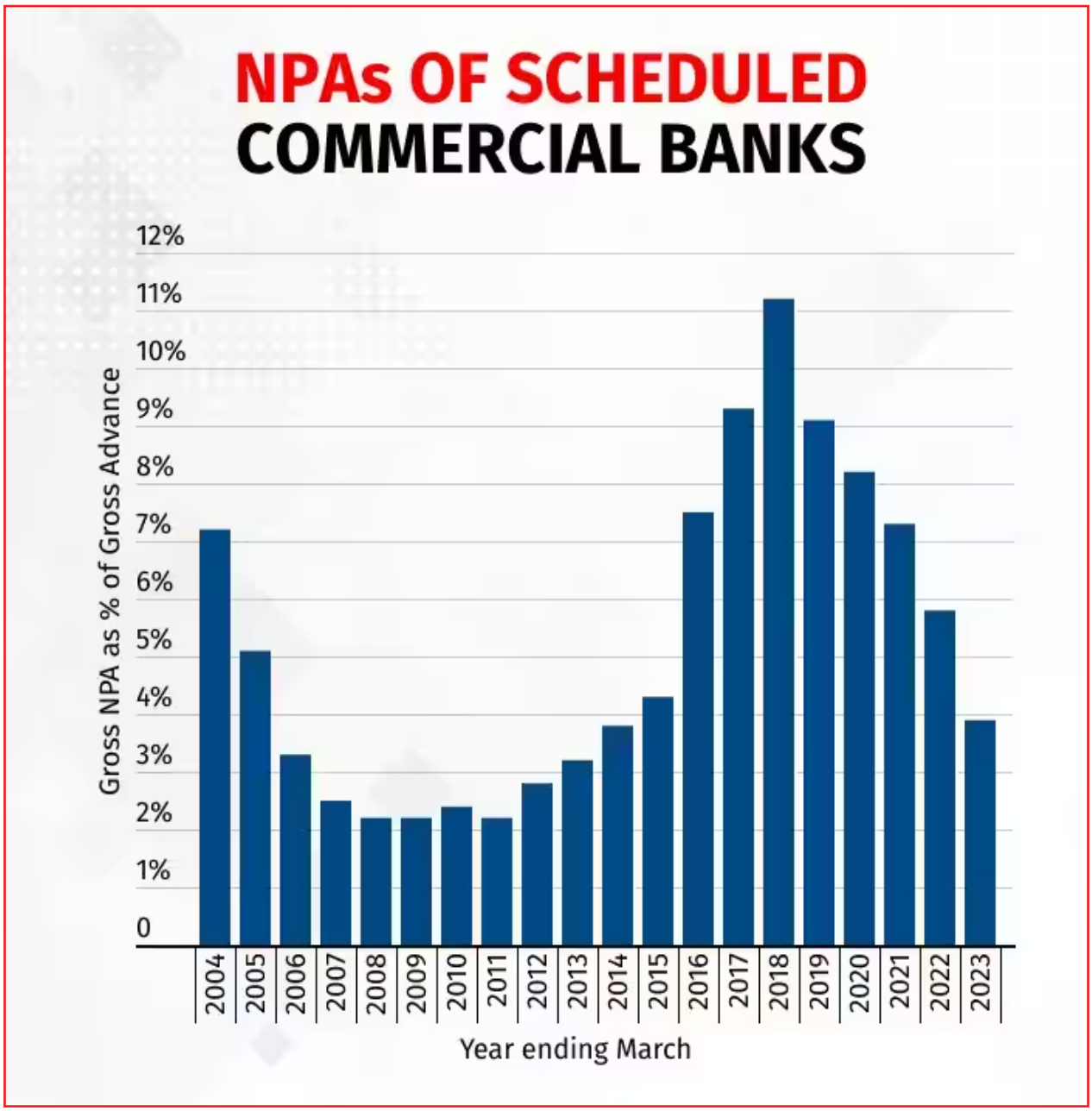

नोट :

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ:

- **RBI की स्वायत्तता:**
  - **RBI अधिनियम की धारा 7** के तहत, केंद्र सरकार समय-समय पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर से परामर्श के बाद RBI को ऐसे निर्देश दे सकती है, जो वह सार्वजनिक हित में आवश्यक समझे। इसके अलावा, RBI की स्वायत्तता को निर्दिष्ट करने वाला कोई अन्य कानूनी अधिनियम मौजूद नहीं है।
  - ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहाँ सरकार ने RBI की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर, विशेष रूप से मौद्रिक नीति, नियामक कार्यों और रिज़र्व के उपयोग से संबंधित मामलों में, प्रभाव डालने का प्रयास किया है।
- **मुद्रास्फीति प्रबंधन:**
  - लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचे को लागू करने के RBI के प्रयासों के बावजूद, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
    - **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, खाद्य टोकरी में मूल्य वृद्धि की दर, जो CPI का लगभग आधा भाग है, दिसंबर 2023 में बढ़कर 9.53% हो गई।
  - भारत की जटिल आर्थिक संरचना, आपूर्ति पक्ष की बाधाएँ और तेल की कीमतों जैसे बाहरी कारक प्राय: मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने में चुनौतियाँ पैदा करते हैं।
    - उदाहरण के लिये, वैश्विक कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव घरेलू मुद्रास्फीति की गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है, जिससे RBI के लिये मूल्य स्थिरता बनाए रखना कठिन हो जाता है।
- **पर्याप्त वसूली के बिना ऋण माफ़ करना:**
  - वृहत स्तर पर ऋण माफी ने बैंकों को **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPA)**—या उधारकर्ताओं द्वारा डिफ़ॉल्ट किये गए ऋण—को मार्च 2023 में 10 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर अग्रिमों के 3.9% तक लाने में सहायता की है।
  - हालाँकि, पर्याप्त वसूली प्रयासों के बिना ऋणों को बट्टे खाते में डालने से लघु-आवधिक बैलेंस शीट में तो सुधार हो सकता है, लेकिन यह NPAs का कारण बनने वाले अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित नहीं करता है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।
- **वित्तीय स्थिरता और प्रणालीगत जोखिम:**
  - वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और प्रणालीगत जोखिमों को कम करना RBI के लिये निरंतर बनी रही चुनौतियाँ हैं। तीव्र ऋण वृद्धि, वित्तीय संस्थानों के बीच परस्पर जुड़ाव और 'शैडो बैंकिंग' जैसे कुछ क्षेत्रों में निहित कमज़ोरियाँ वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिये जोखिम उत्पन्न करती हैं।
  - **यस बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** में वित्तीय संकट से जुड़े हालिया प्रकरण उन्नत निगरानी तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- **मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचरण:**
  - मौद्रिक नीति के अपूर्ण संचरण का तात्पर्य यह है कि RBI द्वारा नीतिगत दरों में संचयी ढील या सुगमता अभी तक बैंकों द्वारा उनकी उधार दरों को कम करने में परिलक्षित नहीं हुई है।
  - बैंकिंग प्रणाली में कठोरता, तरलता की स्थिति और जोखिम धारणा जैसे कारक मौद्रिक नीति संचरण की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं।
- **डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा:**
  - बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी प्रगति की तीव्र गति प्राय: नियामक ढाँचे की क्षमताओं से आगे निकल जाती है, जिससे विकसित साइबर सुरक्षा मानकों, डेटा सुरक्षा नियमों और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ पैदा होती हैं।
    - हाल के **Paytm संकट** ने न केवल बैंकिंग क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है, बल्कि **भारत में संपूर्ण स्टार्टअप पारितंत्र** को भी अस्थिर कर दिया है।
  - हैकिंग, फ़िशिंग और रैंसमवेयर हमलों सहित विभिन्न **साइबर खतरों** में वृद्धि वित्तीय अवसंरचना की अखंडता और प्रत्यास्थता के लिये जोखिम पैदा करती है।
- **वित्तीय समावेशन और ऋण तक पहुँच:**
  - जबकि RBI ने **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा देने के लिये उल्लेखनीय प्रयास किये हैं, ऋण तक पहुँच, विशेष रूप से छोटे और हाशिए पर स्थित उधारकर्ताओं के लिये, अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: पर्याप्त बैंक शाखाओं का अभाव होता है, जिससे निवासियों के लिये वित्तीय सेवाओं तक पहुँच चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को पूरी तरह से समर्थन देने के लिये आवश्यक हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी अभाव होता है।
    - **PhonePe और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप** की एक हालिया रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत का डिजिटल **भुगतान बाज़ार वर्ष 2026 तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से तीन गुना बढ़कर 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** का हो जाएगा, जिसमें से अधिकांश वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा प्रेरित होगी।

नोट :

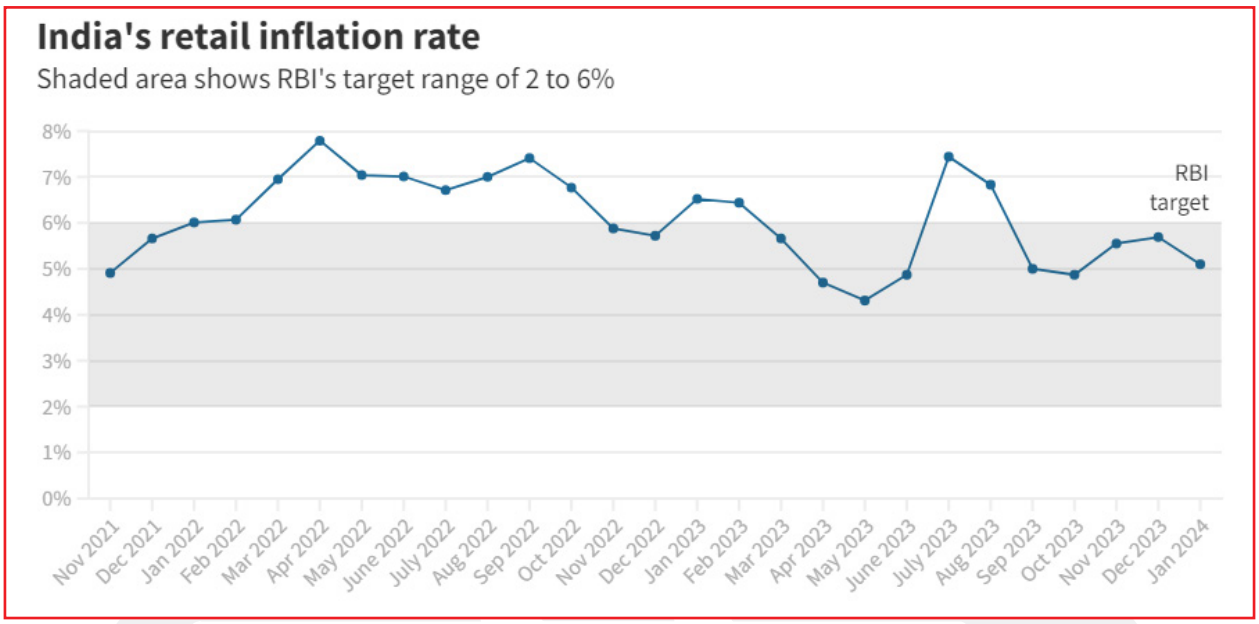

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की कार्यप्रणाली में सुधार के लिये आवश्यक रणनीतियाँ:

- **नियामक ढाँचे को सशक्त करना:**
  - बदलते बाज़ार की गतिशीलता और उभरते जोखिमों के अनुकूल बनने के लिये आवधिक समीक्षा एवं अपडेटिंग सहित बैंकों और वित्तीय संस्थानों का गंभीर पर्यवेक्षण एवं विनियमन सुनिश्चित करने हेतु नियामक ढाँचे को बेहतर बनाया जाए।
  - वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर **रघुराम राजन समिति (2008)** ने सबसे पहले नियामकों के बीच वित्तीय स्थिरता एवं समन्वय को सुदृढ़ करने के लिये **वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council- FSDC)** के निर्माण का प्रस्ताव रखा था।
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ाना:**
  - वृहत वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक उपायों को लागू किया जाए, जैसे बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और वंचित आबादी एवं क्षेत्रों तक अभिगम्यता बढ़ाने संबंधी पहलों का समर्थन करना।
  - लघु व्यवसायों और निम्न-आय परिवारों के लिये व्यापक वित्तीय सेवाओं पर **नचिकेत मोर समिति (2014)** ने नवोन्मेषी वितरण तंत्र के माध्यम से सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की दिशा में एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाने की अनुशंसा की।
- **मौद्रिक नीति संचरण में सुधार:**
  - यह सुनिश्चित करने के लिये मौद्रिक नीति संचरण तंत्र में निहित बाधाओं को दूर करें कि नीति दर परिवर्तन वित्तीय प्रणाली में उधार देने और उधार लेने की दरों (lending and borrowing rates) को प्रभावी ढंग से प्रभावित करें, जिससे अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलता है।
  - RBI ने बैंकों द्वारा उधार देने की दरों की ओर नीतिगत दर में बदलाव के संचरण में सुधार के लिये **सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (Marginal Cost of Funds based Lending Rate- MCLR)** जैसे उपाय पेश किये हैं।
- **जोखिम प्रबंधन अभ्यासों को बेहतर बनाना:**
  - क्रेडिट, तरलता, परिचालन और साइबर जोखिमों सहित विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं शमन के लिये बैंकों और वित्तीय संस्थानों के भीतर जोखिम प्रबंधन ढाँचे को सुदृढ़ किया जाए।
  - **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC)** ढाँचे जैसे प्रयासों ने 'बैड लोन' जैसी समस्याओं को हल करने में सहायता की है, जिससे स्वस्थ ऋण वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- **तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना:**
  - डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करते हुए फिनटेक समाधान, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं और **ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी** सहित वित्तीय क्षेत्र के भीतर तकनीकी नवाचार एवं अंगीकरण को प्रोत्साहित किया जाए।

नोट :

- अगस्त 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना स्वयं का **रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (Regulatory Sandbox- RS)** पारितंत्र स्थापित किया, जिससे भारत **फिनटेक पारितंत्र** के नियंत्रित एवं व्यवस्थित विस्तार को सक्षम करने के लिये ऐसी प्रणाली रखने वाले कुछ देशों में से एक बन गया है।

- **पारदर्शिता और संचार की वृद्धि:**
  - मौद्रिक नीति निर्णयों, नियामक परिवर्तनों और केंद्रीय बैंक के समग्र कार्यकरण की समझ में सुधार के लिये RBI, वित्तीय संस्थानों और आम लोगों के बीच पारदर्शिता एवं संचार चैनलों को बेहतर बनाया जाए।
  - उल्लेखनीय है कि RBI गवर्नर के द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य और प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतिगत निर्णयों एवं दृष्टिकोण पर स्पष्टता प्रदान करते हैं।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:**
  - वित्तीय विनियमन, पर्यवेक्षण, मौद्रिक नीति और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में कौशल, ज्ञान एवं विशेषज्ञता बढ़ाने के लिये RBI कर्मियों और हितधारकों के लिये क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश किया जाए।
  - बैंकों में **ग्राहक सेवा पर दामोदरन समिति (2011)** ने ग्राहक सेवा एवं संतुष्टि में सुधार के लिये बैंक कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम को उन्नत बनाने की अनुशंसा की थी।
- **शासन और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाना:**
  - प्रभावी निर्णय-निर्माण, पारदर्शिता एवं संचालन में अखंडता सुनिश्चित करने के लिये RBI के भीतर शासन संरचनाओं, जवाबदेही तंत्र और आंतरिक नियंत्रण को बेहतर बनाने के उपाय लागू किये जाएँ।
  - बैंकों में शासन पर **पी.जे. नायक समिति (2014)** ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता एवं जवाबदेही में सुधार के लिये उनकी स्वायत्तता एवं शासन को बेहतर बनाने की अनुशंसा की थी।
- **सहयोग एवं समन्वय:**
  - क्रॉस-कटिंग मुद्दों को संबोधित करने, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने और साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये अन्य नियामक प्राधिकरणों, सरकारी एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और हितधारकों के साथ सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा दिया जाए।
  - उल्लेखनीय है कि RBI सूचनाओं के आदान-प्रदान और नीतिगत प्रयासों के समन्वय के लिये **फाइनेंसियल स्टेबिलिटी बोर्ड (Financial Stability Board- FSB) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से भागीदारी करता है।

निष्कर्ष

RBI एक केंद्रीय बैंक के रूप में अपनी भूमिका से आगे बढ़कर उत्कृष्टता और नवाचार का प्रतीक बन गया है। यह उन्नत जोखिम प्रबंधन उपकरणों का लाभ उठाते हुए और विवेक एवं दूरदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए वैश्विक अनिश्चितताओं के सामने स्थिरता एवं प्रत्यास्थता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। समृद्धि और प्रगति की साझा दृष्टि से निर्देशित RBI **'विकसित भारत'** के निर्माण के लिये एक प्रेरक शक्ति के रूप में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है।

कॉलेज की स्वायत्तता को बढ़ावा

शैक्षणिक संस्थानों और महाविद्यालयों (कॉलेज) को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करने की मांग बढ़ रही है। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जहाँ कॉलेज स्वायत्त संस्थानों के रूप में विकसित होंगे, जिससे नवाचार, स्व-शासन और शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिये उनकी क्षमता में वृद्धि होगी। इस लक्ष्य को साकार करने के लिये **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** ने अप्रैल 2023 में एक नया विनियमन पेश किया था। तब से स्वायत्त स्थिति की इच्छा रखने वाले कॉलेजों की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व रही है।

उच्च महाविद्यालय/उच्चतर शिक्षा के लिये NEP की अनुशंसाएँ:

- **सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio- GER):**
  - उच्चतर शिक्षा में **GER** को वर्ष 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही, उच्चतर शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएँगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में उच्चतर शिक्षा में GER 27.1% रहा था।
- **पाठ्यक्रम-सह-पाठ्यचर्या सुधार (Couses-Cum-Curriculum Reforms):**
  - लचीले पाठ्यक्रम के साथ समग्र स्नातक शिक्षा 3 या 4 वर्षों की हो सकती है, जहाँ इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्प और उचित प्रमाणीकरण शामिल होंगे।
  - एम.फिल पाठ्यक्रम बंद कर दिये जाएँगे और स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के सभी पाठ्यक्रम अब अंत:विषयक (interdisciplinary) होंगे।
  - क्रेडिट के हस्तांतरण की सुविधा के लिये **एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credits)** की स्थापना की जाएगी।

नोट :

- **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (National Research Foundation- NRF):**
  - उच्चतर शिक्षा में एक सुदृढ़ अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिये एक शीर्ष निकाय के रूप में **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन** की स्थापना की जाएगी।
  - देश में बहु-विषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (Multi-disciplinary Education and Research Universities- MERUs) स्थापित किये जाएँगे जो IITs, IIMs स्तर के होंगे और उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करेंगे।
- **भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India- HECI):**
  - चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिये एकल छत्र निकाय के रूप में **HECI** की स्थापना की जाएगी। सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थान विनियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों के लिये एकसमान मानदंडों द्वारा शासित होंगे। इसके अलावा, HECI के चार स्वतंत्र कार्यक्षेत्र होंगे:
    - विनियमन के लिये राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (National Higher Education Regulatory Council- NHERC)
    - मानक निर्धारण के लिये सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council- GEC)
    - वित्तपोषण के लिये उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council- HEGC)
    - मान्यता के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council- NAC)
- **कॉलेजों को स्वायत्तता:**
  - कॉलेजों की संबद्धता को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है और कॉलेजों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करने के लिये एक चरण-वार तंत्र स्थापित किया जाना है।
  - समय के साथ, प्रत्येक कॉलेज से या तो एक स्वायत्त डिग्री-अनुदान देने वाले कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज के रूप में विकसित होने की उम्मीद की जाती है।

नोट :

नोट:

कॉलेज स्वायत्तता के लिये पात्रता मानदंड:

- **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)** द्वारा बताए गए **नियमों एवं विनियमों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कॉलेज स्वायत्तता** के पात्र होंगे:
  - किसी भी क्षेत्र/विषय का कोई HEI—सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त/आंशिक रूप से सहायता प्राप्त/स्व-वित्तपोषित—स्वायत्त स्थिति के लिये दावा कर सकता है यदि वह UGC अधिनियम की धारा 2 (f) के अंतर्गत आता है।
  - महाविद्यालयों ने कम से कम 10 वर्ष पूरे किये हों।
  - HEI को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) से मान्यता प्राप्त हुई हो।
  - राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) से संबद्ध कॉलेज भी पात्र होंगे यदि वे 675 के न्यूनतम स्कोर के साथ तीन कार्यक्रम संचालित करते हैं।
  - मौजूदा HEIs जिनका लक्ष्य अपनी स्वायत्तता का दर्जा बढ़ाना हो, उन्हें इन पात्रता नियमों एवं शर्तों को अधिकतम पाँच वर्षों तक प्रबंधित करने की आवश्यकता है।
  - NAAC/NBA/संबंधित प्रत्यायन में 3.0 और उससे अधिक स्कोर वाले HEIs को ऑन-साइट पीयर विजिट समिति के निर्णय के बाद स्वायत्तता देने पर विचार किया जाएगा।
  - NAAC/NBA/संबंधित प्रत्यायन में 3.6 एवं उससे अधिक स्कोर या एक चक्र में 3.5 का स्कोर और दूसरे चक्र में मान्यता प्राप्त करने वाले HEIs विशेषज्ञों द्वारा किसी भी ऑन-साइट दौरे के बिना इसके पात्र होंगे।
  - NAAC/NBA/संबंधित प्रत्यायन में 3.51 का पॉइंटर और 750 का स्कोर रखने वाले HEIs भी विशेषज्ञों द्वारा किसी ऑन-साइट दौरे के बिना इसके पात्र होंगे।
  - HEIs द्वारा कृत्य और भावना में इन UGC विनियमनों का पालन करना भी आवश्यक है, जैसे (a) कॉलेज में रैगिंग का कोई मामला नहीं (विनियमन 2012); (बी) HEI में समतामूलकता को बढ़ावा देना (विनियमन 2012); (c) उचित शिकायत निवारण (विनियमन 2012)।

कॉलेजों को स्वायत्तता देने का महत्त्व:

- **पाठ्यचर्या और शिक्षण पद्धतियाँ तैयार करना:**
  - नवाचार को प्रोत्साहित करने, शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने और संस्थागत उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिये कॉलेजों को स्वायत्तता देना आवश्यक है। स्वायत्त कॉलेज छात्रों और उद्योगों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करने में सक्षम होंगे।
  - वे नई शिक्षण पद्धतियों और अनुसंधान पहलों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा सकते हैं और सामाजिक विकास में योगदान दे सकते हैं।
- **संस्थागत दक्षता को बढ़ावा देना:**
  - स्वायत्तता कॉलेजों के बीच जवाबदेही और ज़िम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देती है, क्योंकि उन्हें अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक निर्णयों पर अधिक स्वामित्व प्राप्त होता है।
  - यह सशक्तीकरण संस्थागत दक्षता को बढ़ाता है और कॉलेजों के भीतर गर्व एवं अस्मिता की भावना पैदा करता है, जिससे संकाय और कर्मचारियों को उत्कृष्टता के लिये प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है।
- **NIRF रैंकिंग में सुधार:**
  - वर्ष 2023 का **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचा (National Institutional Ranking Framework- NIRF)** भारत में कॉलेजों के प्रदर्शन के संवर्द्धन में स्वायत्तता की प्रभावशीलता के लिये एक आकर्षक मामला प्रस्तुत करता है।
  - 'कॉलेज श्रेणी' में शीर्ष 100 कॉलेजों में से 55 के स्वायत्त संस्थान होने के साथ, NIRF रैंकिंग अकादमिक उत्कृष्टता और संस्थागत प्रभावशीलता पर स्वायत्तता के सकारात्मक परिणाम के संबंध में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
    - इसके अलावा, वर्ष 2023 की NIRF रैंकिंग की कॉलेज श्रेणी से शीर्ष 10 कॉलेजों में 5 स्वायत्त कॉलेज शामिल रहे।
    - शीर्ष स्थानों में से पाँच पर स्वायत्त महाविद्यालयों की उपस्थिति अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के सफल दृष्टिकोण के रूप में स्वायत्तता का पक्षसमर्थन करती है।

नोट :

- **कॉलेजों की स्वायत्तता बनाए रखने में राष्ट्रव्यापी रुचि:**
  - भारत में उच्चतर शिक्षा तेज़ी से स्वायत्तता को अपना रही है जहाँ 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्वायत्त कॉलेजों की संख्या 1,000 तक पहुँचने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य इस प्रवृत्ति में सबसे आगे हैं, जहाँ कुल स्वायत्त कॉलेजों में 80% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं।
  - स्वायत्तता में यह राष्ट्रव्यापी रुचि उन राज्यों में भी स्पष्ट है जहाँ स्वायत्त संस्थानों की संख्या कम है। यह उच्च शिक्षा पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव की बढ़ती मान्यता का संकेत देता है।

कॉलेजों के स्वायत्त कार्यकरण को लेकर विभिन्न चिंताएँ:

जबकि UGC कॉलेजों की स्वायत्तता का प्रस्ताव करता है, दुर्भाग्य से कुछ विश्वविद्यालय संदिग्ध कारणों से उन पर नियंत्रण छोड़ने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं। इस परिदृश्य में, UGC से स्वायत्तता प्राप्त करने के बाद भी कॉलेजों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है।

- **कॉलेजों पर सीमाएँ लगाना:**
  - कुछ विश्वविद्यालय कॉलेजों को दी गई स्वायत्तता की सीमा पर एक सीमितता आरोपित करते हैं। इनमें से एक सामान्य प्रतिबंध पाठ्यक्रम में बदलावों पर सीमा लगाना है, जहाँ प्राय: केवल एक अंश (आमतौर पर 25-35%) को बदलने की ही अनुमति दी जाती है। यह बाधा कॉलेजों को, विशेष रूप से पाठ्यक्रम विकास और अकादमिक नवाचार के संबंध में, अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करने से रोकती है।
- **स्वायत्तता की मान्यता में देरी:**
  - UGC द्वारा स्वायत्तता दिये जाने के बावजूद कॉलेजों के सामने एक प्रमुख समस्या यह उभरती है कि उन्हें प्राय: इस स्वायत्तता को मान्यता देने में विश्वविद्यालयों की ओर से होने वाली देरी का सामना करना पड़ता हैं। इस तरह की देरी न केवल कॉलेजों के संचालन की दक्षता में बाधा डालती है, बल्कि स्वायत्तता की भावना को भी कमज़ोर करती है, क्योंकि कॉलेज अभी भी विश्वविद्यालय की नौकरशाही प्रक्रियाओं से बंधे हुए महसूस कर सकते हैं।
- **मनमाना शुल्क लगाना:**
  - इसके अलावा, कॉलेजों को संबद्धता के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अधिरोपित मनमाने शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। यह दृष्टिकोण न केवल कॉलेजों की स्वायत्तता को कमज़ोर करता है बल्कि विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे अभ्यासों की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता पर भी सवाल उठाता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:**
  - कुलपति और प्राचार्य जैसे प्रमुख नेतृत्व पदों की नियुक्तियाँ प्राय: राजनीतिक पहलुओं से प्रभावित होती हैं। कॉलेजों के शासी निकाय और निर्णयकारी संरचनाओं पर कभी-कभी राजनीतिक रूप से संबद्ध सदस्यों का वर्चस्व होता है।
  - कॉलेजों को कुछ छात्रों को प्रवेश देने, विशिष्ट संकाय को नियुक्त करने या ऐसे निर्णय लेने के लिये अनुचित राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है जो उसकी संस्थागत प्राथमिकताओं के साथ संरेखित नहीं भी हो सकते हैं।

कॉलेजों को अधिक स्वायत्त बनाने के लिये उपाय:

- **राज्य परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना:**
  - उच्चतर शिक्षा के लिये राज्य परिषदों को स्वायत्तता पर UGC विनियमनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिये। विश्वविद्यालयों को उच्चतर शिक्षा सुधार के व्यापक ढाँचे के भीतर स्वायत्त कॉलेजों की चिंताओं को दूर करने के महत्त्व को चिह्नित करना चाहिये।
    - उन्हें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बीच निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिये, जहाँ यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह स्वायत्तता कॉलेजों के लिये सार्थक सशक्तीकरण में रूपांतरित हो।
- **विश्वास और सहयोग को अपनाना:**
  - विश्वविद्यालय विश्वास और सहयोग की संस्कृति को अपनाकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जहाँ स्वायत्त कॉलेज समर्थित एवं सशक्त महसूस करें। इसमें उन्हें अपने शिक्षण विधियों, अनुसंधान पहलों और प्रशासनिक अभ्यासों में नवाचार करने की स्वतंत्रता देना शामिल है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि वे उच्च शैक्षणिक मानकों को बनाए रखें।
    - इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण से पारस्परिक लाभ प्राप्त हो सकता है, जैसे कि शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, संस्थागत प्रभावशीलता में वृद्धि और समग्र रूप से एक सुदृढ़ उच्चतर शिक्षा प्रणाली का निर्माण।

नोट :

- **सहायक वातावरण का निर्माण करना:**
  - स्वायत्तता को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिये, विश्वविद्यालयों को एक सहायक वातावरण बनाना होगा जो उच्चतर शिक्षा में नवाचार, उत्कृष्टता एवं समावेशिता को प्रोत्साहित करे। इसका अर्थ है कॉलेजों को स्वतंत्र निर्णय लेने और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये जोखिम लेने हेतु सशक्त बनाना।
    - स्वायत्तता के उद्देश्यों की सफलता के लिये विश्वविद्यालय प्रशासकों, संकाय, छात्रों और सरकारी निकायों सहित सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करना चाहिये।
- **वित्तीय स्थिरता और स्वतंत्रता बनाए रखना:**
  - भारत में परंपरागत रूप से कई कॉलेज, विशेष रूप से सार्वजनिक/सरकारी वित्तपोषित कॉलेज, राज्य या केंद्र सरकार के बजटीय आवंटन पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं।
  - उनके लिये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वायत्त कॉलेजों को अपने वित्त का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से करना चाहिये, जो उचित योजना और संसाधनों के बिना चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
- **विकल्प-आधारित क्रेडिट प्रणाली (Choice-Based Credit System- CBCS) के साथ गहन शिक्षा:**
  - एक संस्था के रूप में, पारंपरिक शिक्षण प्रणाली के बजाय CBCS को शुरू करने की आवश्यकता है। यह छात्रों को अंत:विषयक शिक्षा प्राप्त करने और अपने पसंदीदा विषयों के अधिगम में सक्षम बनाता है। केवल पाठ्यक्रम-विशिष्ट विषयों को सीखने की कोई बाध्यता नहीं है। CBCS प्रणाली अंकों और प्रतिशत के माध्यम से छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बजाय क्रेडिट का उपयोग करती है।
- **एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सॉफ्टवेयर लागू करना:**
  - चूँकि संस्थानों हेतु स्वायत्तता प्राप्त करने के लिये NAAC/NBA मान्यता प्राप्त करना महत्त्वपूर्ण है, इसलिये मान्यता डेटा प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ कॉलेज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सॉफ्टवेयर को लागू करना उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
  - यह संपूर्ण अनुपालन रिपोर्ट तैयार करने के लिये आवश्यक सभी दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड सहित संस्थागत डेटा का संग्रहण, संकलन, प्रबंधन और भंडारण कर सकता है। इसमें डेटा गोपनीयता बनाए रखने के साथ-साथ डेटा को कालानुक्रमिक रूप से प्रबंधित करने का भी प्रावधान है।

निष्कर्ष:

नवाचार को प्रोत्साहित करने, शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने और संस्थागत उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिये कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान करना आवश्यक है। स्वायत्त कॉलेज छात्रों और उद्योगों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और सामाजिक विकास में योगदान देने के लिये अपने पाठ्यक्रम को रूपाकार प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वायत्तता कॉलेजों के बीच जवाबदेही और ज़िम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देती है, संस्थागत दक्षता को बढ़ाती है और गर्व एवं अस्मिता की भावना पैदा करती है।

वर्ष 2023 की NIRF रैंकिंग भारत में कॉलेजों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में स्वायत्तता की प्रभावशीलता की पुष्टि करती है। स्वायत्तता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये एक जीवंत एवं गतिशील उच्चतर शिक्षा पारितंत्र सुनिश्चित करने के लिये हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

भारत में समावेशी स्वास्थ्य देखभाल को नया आकार देना

प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day) हमें स्वास्थ्य समानता (health equity) के बारे में एकजुट करता है, जो वैश्विक स्वास्थ्य एवं न्याय के केंद्र में स्थित एक महत्त्वपूर्ण विषय है। **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने स्वास्थ्य को एक मूल मानव अधिकार घोषित किया है। इस वर्ष का मुख्य विषय या थीम है- "मेरा स्वास्थ्य, मेरा अधिकार"। स्वास्थ्य देखभाल पहुँच में एक चिंताजनक अंतराल मौजूद है, जो **कोविड-19 महामारी**, पर्यावरणीय संकटों और बढ़ते सामाजिक-आर्थिक अंतरों से उजागर हुआ है।

यद्यपि विश्व के 140 से अधिक देश स्वास्थ्य को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हैं, WCEH (WHO Council on the Economics of Health for All) की रिपोर्ट है कि दुनिया की आधी से अधिक आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पूर्ण पहुँच की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 के बहाने यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना लाखों लोगों के लिये आशा का स्रोत है जो सामाजिक न्याय और विधायी परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है, इससे परे जाता है।

नोट :

संयुक्त राष्ट्र समावेशी स्वास्थ्य सेवा को इस प्रकार परिभाषित करता है, "हर किसी को, हर जगह, वित्तीय कठिनाई के जोखिम के बिना उन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच होनी चाहिये जिनकी उन्हें आवश्यकता है।" **सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals- SDGs)** का लक्ष्य 3.8 (वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और सभी के लिये सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती आवश्यक दवाओं एवं टीकों तक पहुँच सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना) भी समावेशी स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित है।

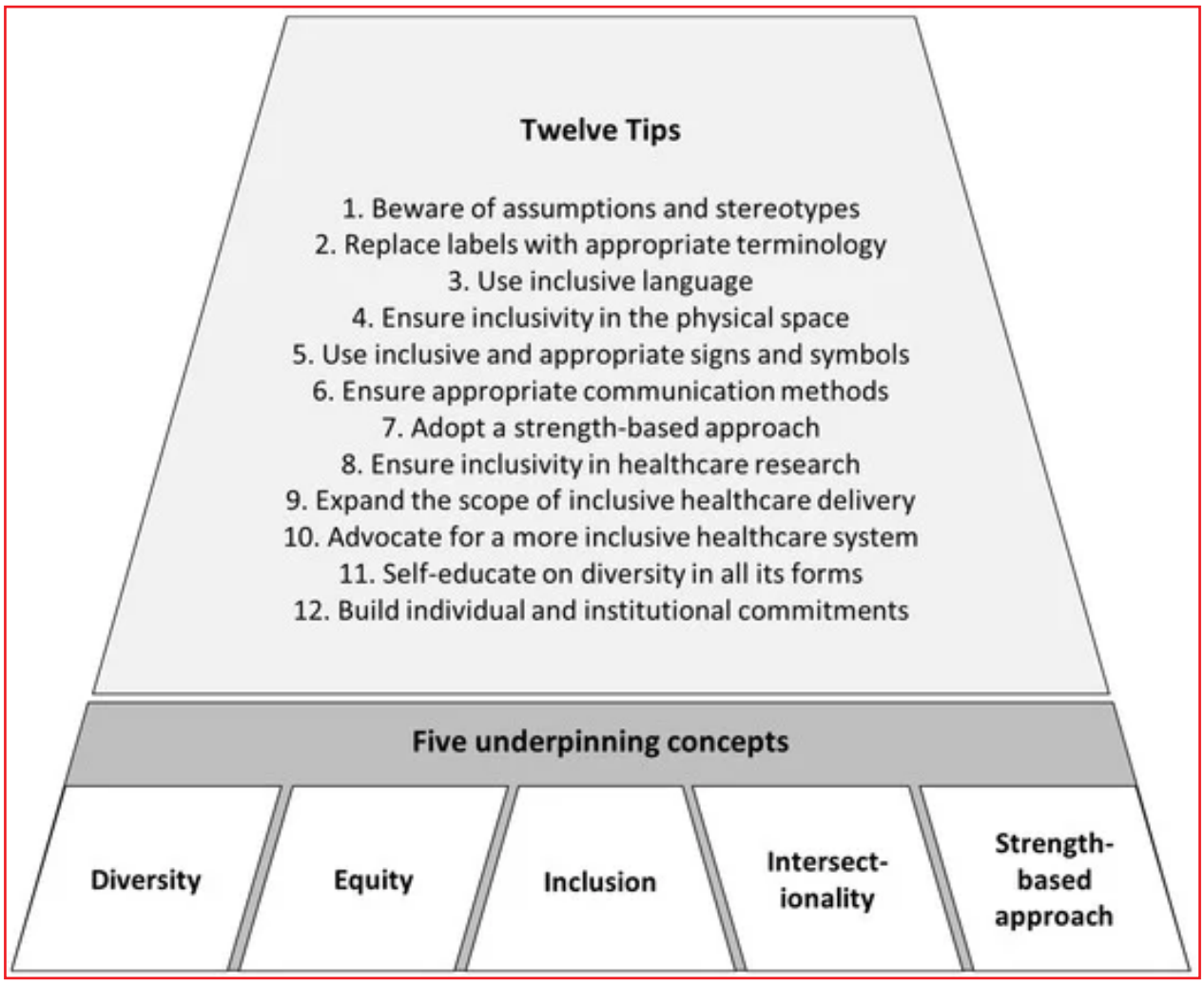

समावेशी स्वास्थ्य देखभाल (Inclusive Healthcare):

ऐसा कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो देखभाल को सभी के लिये पूरी तरह से समावेशी बना दे। समावेशी देखभाल का संवहनीय होना महत्त्वपूर्ण है। अर्थात्, इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकतानुसार पुनर्मूल्यांकन एवं अनुकूलन के लिये तैयार रहना होगा। समावेशी देखभाल के चार लक्षणों में शामिल हैं:

- **समावेशन की संस्कृति:**
  - समावेशी देखभाल को किसी संगठन की संस्कृति में शामिल किया जाना चाहिये। सभी कर्मियों को (केवल MDs/MSs योग्यता वाले ही नहीं बल्कि मरीजों से संवाद में शामिल प्रत्येक कर्मी) लोगों के समक्ष विद्यमान सामान्य बाधाओं के प्रकारों को समझना चाहिये।

नोट :

- यह सुनिश्चित करने के लिये कर्मियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि वे मरीजों के लिये स्वयं एक और चुनौती न बन जाएँ। समावेशी देखभाल की शुरूआत मरीज के साथ पहली बातचीत से ही हो जानी चाहिये। समावेशन की एक संवहनीय संस्कृति महज आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करने का एक तरीका है।

- **अनुकूल स्थान (Welcoming Spaces):**
  - समावेशी देखभाल में ऐसे भौतिक स्थान शामिल होते हैं जो सभी क्षमताओं के लोगों के लिये सुलभ होते हैं। इनमें मरीजों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में सामग्री (क्लिनिकल एवं लॉजिस्टिकल) देना शामिल हैं। समावेशी स्थानों में कार्य करने वाले कर्मियों को देखभाल चाहने वाले लोगों के एक ही प्रकार के विविध समूहों को प्रतिबिंबित करना चाहिये।

- **सुलभ सामग्री:**
  - समावेशी देखभाल रोगियों के लिये उपलब्ध भौतिक स्थान से लेकर उपलब्ध सामग्रियों तक विस्तृत है। समावेशी सामग्री में बड़े प्रिंट हो सकते हैं, वे कई भाषाओं में उपलब्ध हो सकते हैं, उनमें उपयुक्त भाषा का उपयोग किया जा सकता है (सभी लिंग और यौन उन्मुखताओं को शामिल करते हुए) और वे सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील रखे जा सकते हैं।

- **सभी मरीजों का महत्त्व:**
  - समावेशी देखभाल में रोगियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है और रोगियों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाता है। जब भी संभव हो, देखभाल प्रदानकर्ताओं को मरीजों के साथ उनके शैक्षिक या बौद्धिक स्तर पर और उनके साधनों एवं पहुँच को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिये।

स्वास्थ्य समानता का अर्थ:

- **प्रत्येक व्यक्ति के लिये समान अवसर:**
  - स्वास्थ्य समानता यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उच्चतम स्वास्थ्य क्षमता प्राप्त करने का समान अवसर मिले, चाहे उनकी परिस्थितियाँ कुछ भी हों। यह स्वीकार करते हुए कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारक स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करते हैं, यह विचार आनुवंशिकी तक सीमित नहीं है। WHO का मिशन विभिन्न सामाजिक और आर्थिक श्रेणियों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में विद्यमान अनुचित एवं निवारण योग्य असमानताओं को समाप्त करना है।

- **मूल कारणों को संबोधित करना:**
  - वास्तविक स्वास्थ्य समानता गरीबी, भेदभाव, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच, स्वस्थ आहार, स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा और आवास जैसी स्वास्थ्य असमानताओं के मूल कारणों को संबोधित करती है तथा स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुँच प्रदान करती है।
    - ये असमानताएँ महामारी, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक-राजनीतिक अशांति से और भी बदतर हो गई हैं। भारत विविधतपूर्ण देश है और यहाँ व्यापक सामाजिक-आर्थिक अंतराल पाए जाते हैं। इससे एक जटिल परिस्थिति उत्पन्न होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में व्यापक रूप से कम है। सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ इस असमानता को बढ़ाती हैं।

- **एक व्यापक रणनीति को अपनाना:**
  - यह गारंटी देने के लिये कि हर कोई स्वस्थ जीवन जी सके, स्वास्थ्य समानता प्राप्त करने के लिये एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है जो स्वास्थ्य के सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिये विधायी सुधार से आगे तक जाती हो। स्वास्थ्य के लिये प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता को साकार करने के लिये सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों द्वारा ठोस प्रयास की आवश्यकता है ताकि इन बाधाओं को दूर किया जा सके।

स्वास्थ्य समानता के लिये विभिन्न चुनौतियाँ:

भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देशों में विशेष रूप से स्वास्थ्य समानता की राह कठिनाइयों से भरी है, जिसमें गहराई तक व्याप्त सामाजिक अन्याय से लेकर वैश्विक प्रणालीगत स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ शामिल हैं। विविध आबादी को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच पाने के लिये सहायता की आवश्यकता है।

- **वैश्विक चुनौतियाँ:**
  - **महामारी से उत्पन्न जोखिम:**
    - स्वास्थ्य समानता की लड़ाई उन वैश्विक चुनौतियों का सामना करती है जो राष्ट्रीय सीमाओं से आगे तक विस्तृत हैं और सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग

करती हैं। कोविड-19 महामारी ने स्पष्ट रूप से खुलासा किया है कि संक्रामक रोग हाशिए पर स्थित और कमज़ोर समूहों को सबसे अधिक निशाना बनाते हैं, जिससे स्वास्थ्य समानता का अंतराल बढ़ जाता है।

- **जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताएँ:**
  - जलवायु परिवर्तन एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है क्योंकि यह निम्न-आय वाले और कमज़ोर लोगों पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान संघर्षों से गंभीर रूप से बाधित होता है, जो अवसंरचना को नष्ट कर देता है, समुदायों को विस्थापित करता है और महत्त्वपूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच को अवरुद्ध कर देता है।

- **भारत-विशिष्ट चुनौतियाँ:**
  - **विशाल और विविध जनसंख्या:**
    - एक विशाल और विविध आबादी के साथ, भारत को स्वास्थ्य समानता के लिये लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल परिणामों और पहुँच में उल्लेखनीय अंतर भी शामिल हैं। भले ही पिछले 20 वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच में सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण भारत में अभी भी बहुत कार्य किया जाना शेष है।
    - **वर्ष 2011 की जनगणना** के अनुसार, शहरी मलिन बस्तियाँ भारत के महानगरीय क्षेत्रों में 17% से अधिक भाग को दायरे में लेती हैं और गंभीर स्वास्थ्य असमानताओं को प्रदर्शित करती हैं। भीड़भाड़, बदतर साफ-सफाई की स्थिति और स्वच्छ जल तक सीमित पहुँच से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं।
      - **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)** के अनुसार, टीबी जैसी संक्रामक बीमारियाँ गैर-मलिन बस्तियों की तुलना में मलिन बस्तियों में 1.5 गुना अधिक आम हैं।
  - **जातिगत और लैंगिक असमानताएँ:**
    - विभिन्न जाति और लिंग के बीच गहरी असमानताएँ देखी जाती हैं। **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5** (2019-21) के आँकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में बाल मृत्यु दर अधिक है और टीकाकरण दर कम है।
    - इसके अतिरिक्त, निम्नतम आर्थिक स्तर की 59% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं, जो उच्चतम आर्थिक स्तर की महिलाओं में मौजूद दर से लगभग दोगुनी है। यह स्वास्थ्य परिणामों में जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के प्रतिच्छेदन को दर्शाता है।
  - **गैर-संचारी रोगों का बोझ:**
    - भारत में होने वाली सभी मौतों में से 60% से अधिक मौतें गैर-संचारी रोगों (Non-communicable diseases- NCDs) के कारण होती हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने समतामूलक उपचार पहुँच और निवारक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता बताई है, जहाँ कहा गया है कि NCDs का आर्थिक प्रभाव वर्ष 2030 तक 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर सकता है। यह परिदृश्य हितधारकों द्वारा तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता रखता है।
  - **चिकित्सकों की भारी कमी:**
    - चिकित्सकों की भारी कमी इन समस्याओं को बढ़ा देती है। WHO के आँकड़ों के अनुसार प्रति 1,000 लोगों पर केवल 0.8 चिकित्सक उपलब्ध हैं, जो अनुशंसित अनुपात से कम है। 75% से अधिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर महानगरीय क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जो आबादी के केवल 27% को दायरे में लेता है। चिकित्सकों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से गंभीर है।
  - **वित्तीय सुरक्षा का अभाव:**
    - **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** जैसी योजनाओं के अस्तित्व में होने के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में प्रति प्रसव औसत जेबी व्यय (out-of-pocket expenditure- OOPE) अभी भी, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, अधिक है।
    - भारत के विभिन्न राज्यों में OOPE और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में उल्लेखनीय असमानताएँ पाई जाती हैं। कई पूर्वोत्तर राज्यों और बड़े राज्यों में NFHS-4 और NFHS-5 के बीच OOPE में वृद्धि देखी गई है।
      - NFHS-5 की नवीनतम रिपोर्ट से पता चला है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में प्रति प्रसव औसत OOPE 2,916 रुपए है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये क्रमशः 3,385 रुपए और 2,770 रुपए है।

नोट :

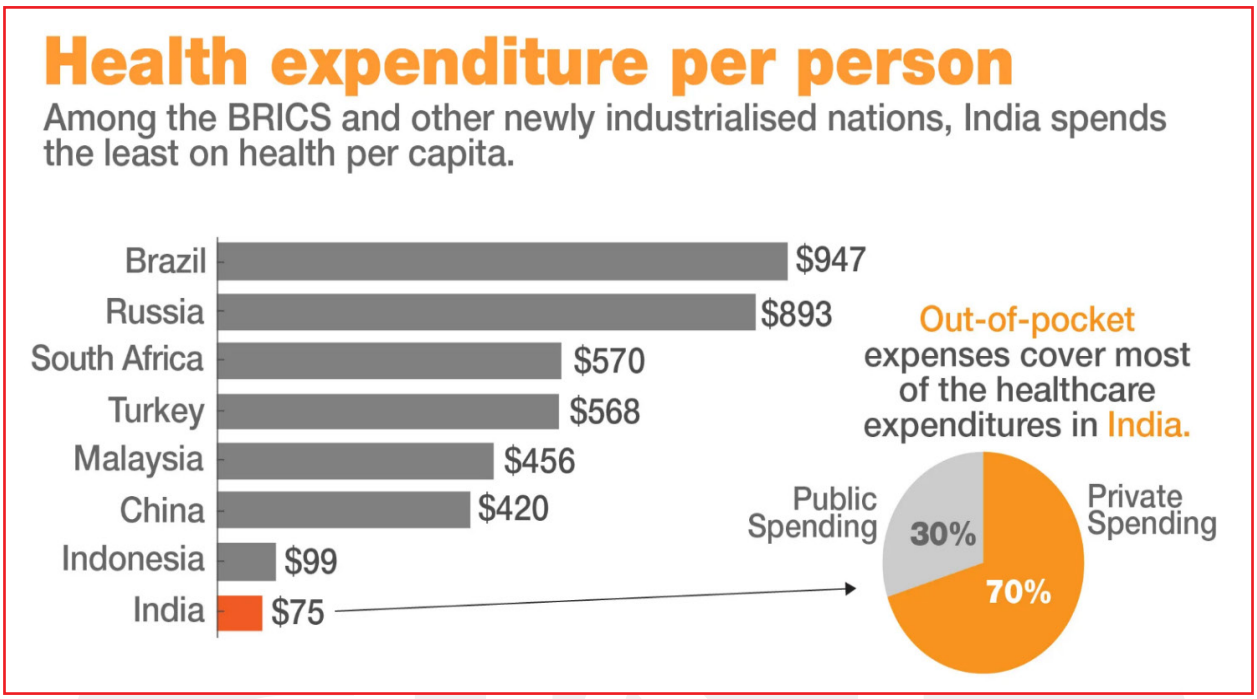

समतामूलक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये क्या किया जाना चाहिये?

- **स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से परे व्यापक दृष्टिकोण:**
  - भारत के स्वास्थ्य समानता के मुद्दों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार से परे एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य के अधिक व्यापक सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों को संबोधित किया जा सके। भारत को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और अधिक न्यायसंगत भविष्य की ओर ले जाने के लिये, सरकार, नागरिक समाज, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और समुदायों को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है।
    - स्वास्थ्य समानता प्राप्त करने के लिये स्वास्थ्य साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत को **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** में स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करते हुए स्वास्थ्य समानता को एक साझा, समुदाय-संचालित लक्ष्य में बदलना चाहिये ताकि लोगों को समान देखभाल प्राप्त करने और शिक्षित स्वास्थ्य निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।
- **सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता:**
  - सरकार और अधिकारी वित्तपोषण, रचनात्मक नीतियों और कानूनों के माध्यम से स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिये, **'आयुष्मान भारत' पहल** आर्थिक रूप से निचले 40% लोगों को नि:शुल्क स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है, जो स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को कम करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
    - NHM—जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) दोनों शामिल हैं, पहुँच के विस्तार, अवसंरचना को सुदृढ़ करने और कमज़ोर आबादी को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करके के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी भारत के बीच स्वास्थ्य देखभाल अंतर को कम करता है।
- **सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहकार्यता:**
  - सरकार के साथ, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र वंचित समुदायों को सेवाएँ प्रदान करते हैं, जहाँ निवारक शिक्षा, कार्यबल विकास और अवसंरचना संवर्द्धन पर बल देते हैं।

नोट :

- गैर-सरकारी संगठन और नागरिक समाज क्षेत्रीय स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने तथा उनका समाधान करने के लिये प्रत्यक्ष सामुदायिक आउटरीच में संलग्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय और सरकारी संगठनों के साथ उनका सहयोग उन्हें ऐसी स्वास्थ्य पहलों को तैयार करने की अनुमति देता है जो समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होती हैं।

- **अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर निर्भरता:**
  - अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विकासशील देशों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का समर्थन करने के लिये वित्तीय और तकनीकी संसाधन प्रदान कर सकते हैं। इससे अवसंरचना, प्रशिक्षण और आवश्यक दवाओं एवं प्रौद्योगिकियों तक पहुँच में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
    - WHO, **'एड्स, टीबी एवं मलेरिया हेतु वैश्विक निधि' (Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria) और गावी-ग्लोबल वैक्सीन एलायंस (Gavi-Global Vaccine Alliance)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सीमित संसाधनों वाले स्थानों में स्वास्थ्य पहल का समर्थन करते हैं और विशेष रूप से भारत जैसे देशों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिये सूचना एवं संसाधनों की साझेदारी को बढ़ावा देते हैं।

- **नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना:**
  - विशेष रूप से डिजिटल स्वास्थ्य में नवाचार और तकनीकी विकास के माध्यम से वाणिज्यिक क्षेत्र और धर्मार्थ संगठन पहुँच एवं प्रभावकारिता का विस्तार करते हुए अभिगम्यता एवं वहनीयता को आगे बढ़ाते हैं।
  - अनुसंधान संस्थान एवं शैक्षणिक संस्थान स्वास्थ्य असमानताओं और हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता में महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा समर्थित साक्ष्य-आधारित अभ्यासों और नीतियों के निर्माण में सहायता करते हैं।
  - तकनीकी प्रगति ने स्वास्थ्य देखभाल में नवाचार को बढ़ावा देना जारी रखा है, जिससे निदान, उपचार और रोगी देखभाल में सुधार हुआ है। कुछ उल्लेखनीय प्रगतियों में प्रिसिजन मेडिसिन एवं जीनोमिक्स, **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं मशीन लर्निंग (ML),** वियरेबल डिवाइस एवं **रिमोट मॉनिटरिंग और रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन** शामिल हैं।

- **सशक्त स्थानीय उपस्थिति रखने वाले संगठनों से सहयोग:**
  - स्वास्थ्य समानता के लिये सशक्त स्थानीय उपस्थिति रखने वाले संगठन आवश्यक हैं। वे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रासंगिकता एवं प्रभावशीलता की गारंटी के लिये, योजना बनाने से लेकर मूल्यांकन तक हर चरण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उन्हें अपने समुदाय की आवश्यकताओं की भी पूरी समझ होती है।

- **साझा दृष्टिकोण और खुले संचार को अपनाना:**
  - स्वास्थ्य समानता की प्राप्ति के लिये सफल सहकार्यता खुले संचार, एक दूसरे के प्रति सम्मान और साझा लक्ष्यों पर निर्भर करती है। वे बदलती स्वास्थ्य चिंताओं और सामुदायिक मांगों के अनुकूल ढलने के लिये तैयार होते हैं क्योंकि वे समुदायों को सशक्त बनाने, ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण पर बल देते हैं।
    - नीति-निर्माताओं से लेकर ज़मीनी स्तर के संगठनों तक विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रभावी संचार स्वास्थ्य समानता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकता है और ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जब उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच एक विशेषाधिकार के बजाय एक साझा वास्तविकता होगी।

- **सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आवंटन बढ़ाना:**
  - वित्तीय वर्ष 2020 के बजट अनुमान के अनुसार, भारत की जीडीपी का लगभग 1.35% सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय किया गया था। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि थी जब GDP का लगभग 1.29% स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय किया गया था।
    - वर्तमान में 20% आबादी के पास सामाजिक और निजी स्वास्थ्य बीमा है, जबकि शेष 30%, जिन्हें 'लापता मध्य' (missing middle) के रूप में जाना जाता है, के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है।
      - **15वें वित्त आयोग** की अनुशंसा है कि केंद्र और राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को एक साथ बढ़ाया जाना चाहिये ताकि वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद (विकास घरेलू उत्पाद) के 2.5% तक पहुँचा जा सके।

नोट :

Health a low priority

India's public health expenditure was just 1.29% of GDP in 2019-20. In 2018 too, the country lagged behind BRICs peers as well as developed nations.

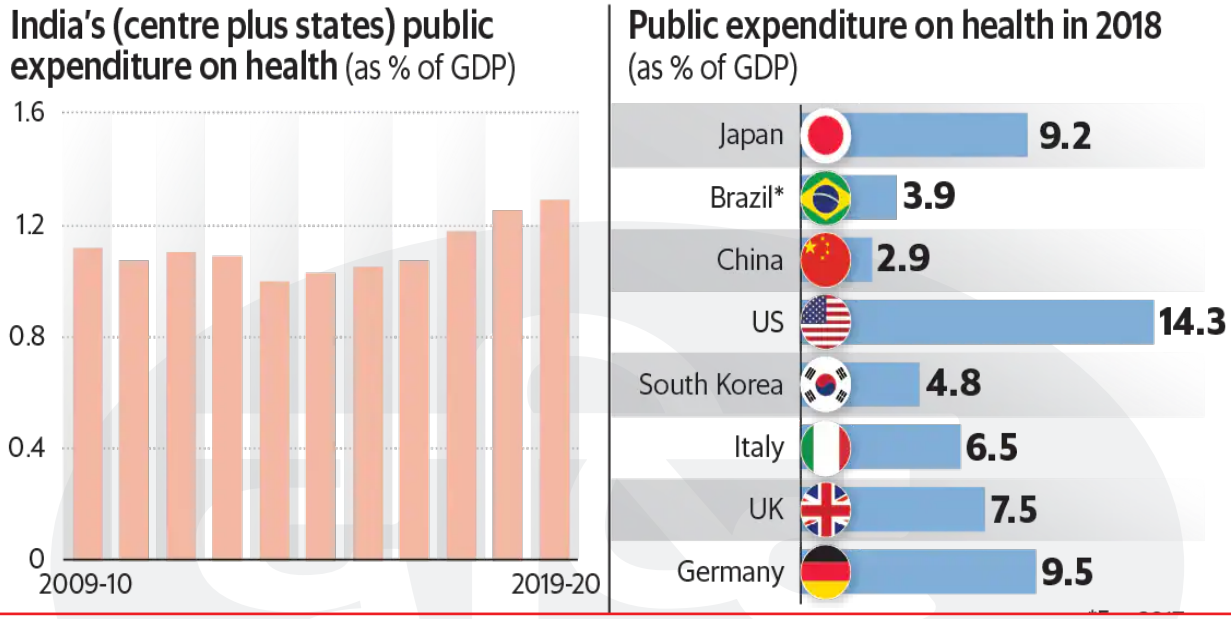

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की प्रमुख पहलें:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**
- आयुष्मान भारत
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
- पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)**
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)**

निष्कर्ष:

समावेशी स्वास्थ्य देखभाल (Inclusive healthcare) केवल चिकित्सा उपचार प्रदान करने तक सीमित नहीं है; यह एक ऐसी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के सृजन का लक्ष्य रखता है जो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करती है। इसके लिये सभी लोगों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है (जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो हाशिए पर हैं या कमज़ोर हैं) और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ, सस्ती और सांस्कृतिक रूप से सक्षम हों। समावेशी स्वास्थ्य देखभाल न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि सभी के लिये बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिये एक व्यावहारिक आवश्यकता भी है। स्वास्थ्य देखभाल में समावेशिता को अपनाकर, हम अधिक स्वस्थ, अधिक न्यायसंगत समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ हर किसी को स्वस्थ एवं पूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले।

नोट :

भारतीय सेना में तकनीकी

भारतीय सेना वर्ष 2024 को 'प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष' (Year of Technology Absorption) के रूप में मना रही है। सैन्य भाषा में अवशोषण (Absorption) का तात्पर्य मौजूदा संरचनाओं—जिन्हें विरासत प्रणाली (legacy systems) कहा जाता है, में प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण, अनुकूलन एवं एकीकरण (acquisition, adaptation and integration) से है। इस थीम का चयन स्वयं को रूपांतरित करने के लिये प्रौद्योगिकी के अवशोषण पर सेना के दृढ़ फोकस को रेखांकित करता है ताकि युद्ध के नए उभरते चरित्र के संदर्भ में शत्रुओं से बेहतर स्थिति में रहा जा सके। इस संबंध में साधन और साध्य की कल्पना आत्मनिर्भरता के दायरे में की जा रही है।

अनिश्चितता के इस युग में **'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया'** के लक्ष्य अत्यंत आवश्यक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान या हेरफेर के कारण होने वाले जोखिमों को कम करेंगे। ये उस तरह की चुनौतियाँ हैं जिन्होंने **यूक्रेन को रूस के साथ संघर्ष** में कमज़ोर रखा है।

प्रौद्योगिकी का यह अवशोषण मुख्य रूप से **विघटनकारी प्रौद्योगिकी (Disruptive Technology- DT)** के संदर्भ में होगा जिसमें **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)**, ड्रोन जैसी स्वायत्त हथियार प्रणालियाँ, सेंसर, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और **हाइपरसोनिक हथियार प्रणालियाँ** शामिल होंगी । अमेरिका और चीन सहित कई देशों ने DT के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। भविष्य में रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा और संलग्नताएँ अनिवार्य रूप से इस बात से तय होंगी कि किसी राष्ट्र के पास इन प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने की कितनी क्षमता है।

रक्षा क्षेत्र में विघटनकारी प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलू:

- **परिचय:**
  - विघटनकारी प्रौद्योगिकी उन नवाचारों को संदर्भित करती है जो उद्योगों या क्षेत्रों के मौजूदा परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से बदल देते हैं, प्राय: पिछली प्रौद्योगिकियों को अप्रचलित बना देते हैं और पारंपरिक अभ्यासों को नया आकार प्रदान करते हैं।
  - रक्षा क्षेत्र में, विघटनकारी प्रौद्योगिकियों में युद्ध को व्यापक रूप से बदल देने, सैन्य क्षमताओं को पुनर्परिभाषित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की गतिशीलता को रूपांतरित कर देने की क्षमता है।
- **विशेषताएँ:**
  - **'गेम-चेंजिंग' प्रभाव:** DT में युद्ध-क्षेत्र में शक्ति संतुलन को उल्लेखनीय रूप से बदल देने वाली नवीन क्षमताओं या दृष्टिकोणों के प्रवेश के माध्यम से युद्ध के तरीके को व्यापक रूप से रूपांतरित कर देने की क्षमता है।
  - **द्रुत प्रगति:** वे प्राय: AI, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, नैनो टेक्नोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्रुत प्रगति से उभरते हैं, जिससे सैन्य क्षमताओं में तेज़ी से सुधार होता है।
  - **लागत-दक्षता:** विघटनकारी प्रौद्योगिकियाँ पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में लागत-प्रभावी समाधान प्रदान कर सकती हैं, जो सेनाओं को कम संसाधनों के साथ अधिक प्रभावशीलता प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं।
- **विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के उदाहरण:**
  - **मानवरहित हवाई वाहन (Unmanned Aerial Vehicles- UAVs):** UAVs, जिन्हें आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है, ने सैन्य टोही, निगरानी और हमला क्षमताओं में क्रांति ला दी है। वे त्वरित रूप

नोट :

से खुफिया जानकारी एकत्र करने, सटीक लक्ष्यीकरण और परिचालन लचीलेपन में सक्षम बनाते हैं, जिससे सैन्य रणनीतियों एवं चालों का रूपांतरण हो रहा है।

- **साइबर युद्ध (Cyber Warfare):** साइबर युद्ध में शत्रुओं की प्रणालियों और आधारभूत संरचना को बाधित करने, अक्षम करने या उन्हें क्षति पहुँचाने के लिये कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करना शामिल है। साइबर हमले महत्त्वपूर्ण अवसंरचना, संचार नेटवर्क और कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम को लक्षित कर सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।
- **हाइपरसोनिक हथियार (Hypersonic Weapons):** हाइपरसोनिक हथियार मैक 5 (Mach 5) से अधिक गति से यात्रा करते हैं, जिससे उन्हें रोकना अत्यंत कठिन हो जाता है और वे दूरस्थ लक्ष्यों के विरुद्ध द्रुत गति से हमला करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इन हथियारों में प्रतिक्रिया समय को कम कर और परिचालन लचीलेपन को बढ़ाकर पारंपरिक युद्ध के समीकरण को बदल देने की क्षमता है।

- **सैन्य अभियानों पर प्रभाव:**
  - **उन्नत स्थितिजन्य जागरूकता:** उन्नत सेंसर, डेटा एनालिटिक्स और AI जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियाँ सेना की स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करती हैं, जिससे सैन्य कमांडरों को वास्तविक समय में सूचित निर्णय लेने और गतिशील युद्धक्षेत्र दशाओं के अनुकूल बनने की सक्षमता प्राप्त होती है।
  - **परिशुद्धता और घातकता:** विघटनकारी प्रौद्योगिकियाँ परिशुद्धता-निर्देशित युद्ध सामग्री (precision-guided munitions), स्वायत्त प्रणाली और उन्नत लक्ष्यीकरण क्षमता प्रदान करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप सैन्य संचालन में अधिक सटीकता एवं घातकता प्राप्त होती है जबकि संपार्श्विक क्षति कम हो जाती है।
  - **असममित युद्ध:** विघटनकारी प्रौद्योगिकियाँ छोटे लेकिन प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत सैन्य बलों को साइबर हमले, ड्रोन स्वार्म (drone swarms) और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सहित विभिन्न असममित युद्ध रणनीतियों के माध्यम से पारंपरिक सैन्य शक्तियों को चुनौती देने में सक्षम बनाती हैं।

रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में 'आत्मनिर्भर भारत' की प्रासंगिकता:

- **परिचय:**
  - भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, परमाणु पनडुब्बी, सफल **सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणाली, मुख्य युद्धक टैंक (MBT), एक ICBM** और एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का डिज़ाइन निर्माण एवं उत्पादन किया है।
    - ऐसी उच्च-स्तरीय क्षमताओं के प्रदर्शन के बावजूद रक्षा अधिग्रहण बजट का 50% से अधिक प्रत्यक्ष रूप से आयात की ओर जाता है।
  - अन्य 50% (जो भारतीय विक्रेताओं को जाता है) में से 60% हथियार प्रणाली में आयातित घटकों के उपयोग के कारण अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जाता है। मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP)- 2020 शुरू की गई थी।
    - यह यात्रा 'सेल्फ-सफिशियेंट' से 'सेल्फ-रिलायंट', फिर 'को-प्रोडक्शन' से 'प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन' से 'मेक इन इंडिया' की ओर आगे बढ़ती हुई अंतत: 'आत्मनिर्भर भारत' तक पहुँची है।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure- DAP)- 2020:**
  - **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया- 2020** ने खरीद अनुबंधों में 50% स्वदेशी सामग्री (indigenous content-IC) निर्धारित की है। भारत में रखरखाव और विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने के लिये विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) को प्रोत्साहित करने के लिये एक नई खरीद श्रेणी—Buy (Global-Manufacture in India) — शुरू की गई है।
  - इससे स्पेयर पार्ट्स का आरंभिक स्वदेशीकरण संभव हो सकेगा। रक्षा मंत्रालय (MoD) ने विभिन्न **'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ' (Positive Indigenisation Lists)** जारी की हैं जिनमें उन वस्तुओं का उल्लेख है जिन्हें केवल घरेलू स्रोतों से खरीदा जाना चाहिये।
    - रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों (DPSUs) द्वारा लगभग 5,000 वस्तुओं का आयात किया जाता है और तीनों सेनाएँ इस सूची में शामिल हैं।

नोट :

- **रक्षा क्षेत्र में मेक-इन-इंडिया:** 'मेक इन इंडिया' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और 'सैन्य क्षमता शून्यता' (Military Capability Voids) को पूरा करने के लिये पूंजी अधिग्रहण के स्रोत को मोटे तौर पर 'भारतीय' या 'गैर-भारतीय' में वर्गीकृत किया गया है।
  - **भारतीय:** किसी उत्पाद को 'भारतीय' के रूप में वर्गीकृत करने और 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिये विक्रेता और **उसकी हथियार प्रणाली को निम्नलिखित में से एक या सभी शर्त की पूर्ति** करनी होगी:
    - प्रोडक्शन लाइन भारत में स्थापित हो।
    - प्रौद्योगिकी का स्वामित्व एक भारतीय फर्म के पास हो।
    - भारतीयों के लिये रोज़गार सृजन किया जाता हो।
    - करों का भुगतान भारत सरकार को किया जाता हो।
    - आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन भारत में स्थापित किया गया हो।
    - बाज़ार में एक 'भारतीय ब्रांड' के रूप में आता हो।
    - 'भारतीय' वर्गीकरण से खरीद की प्राथमिकता इस तरह हो सकती है: -
      - प्राथमिकता- I: भारत में अभिकल्पित, विकसित और विनिर्मित; या
      - प्राथमिकता- II: भारत में विकसित और विनिर्मित; या
      - प्राथमिकता- III: भारत में अधिग्रहित और विनिर्मित; या
      - प्राथमिकता- IV: एक विदेशी विक्रेता के साथ साझेदारी, लेकिन भारत में विनिर्मित।
    - 'भारतीय' श्रेणी के अंतर्गत उपर्युक्त सभी 'मेक इन इंडिया' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को पूरा करेंगे और रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा इसका विश्लेषण एवं प्रमाणन किया जाना चाहिये।
  - **गैर-भारतीय:** जो उपकरण 'मेक इन इंडिया' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें 'गैर-भारतीय' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये, जहाँ न तो प्रौद्योगिकी भारत में आती है और न ही विनिर्माण लाइन भारत में स्थापित की जाती है:
    - क्षमता प्रदान करने के लिये भारत में एक अस्थायी विनिर्माण लाइन, या
    - एक विदेशी विक्रेता से प्रत्यक्ष आयात।

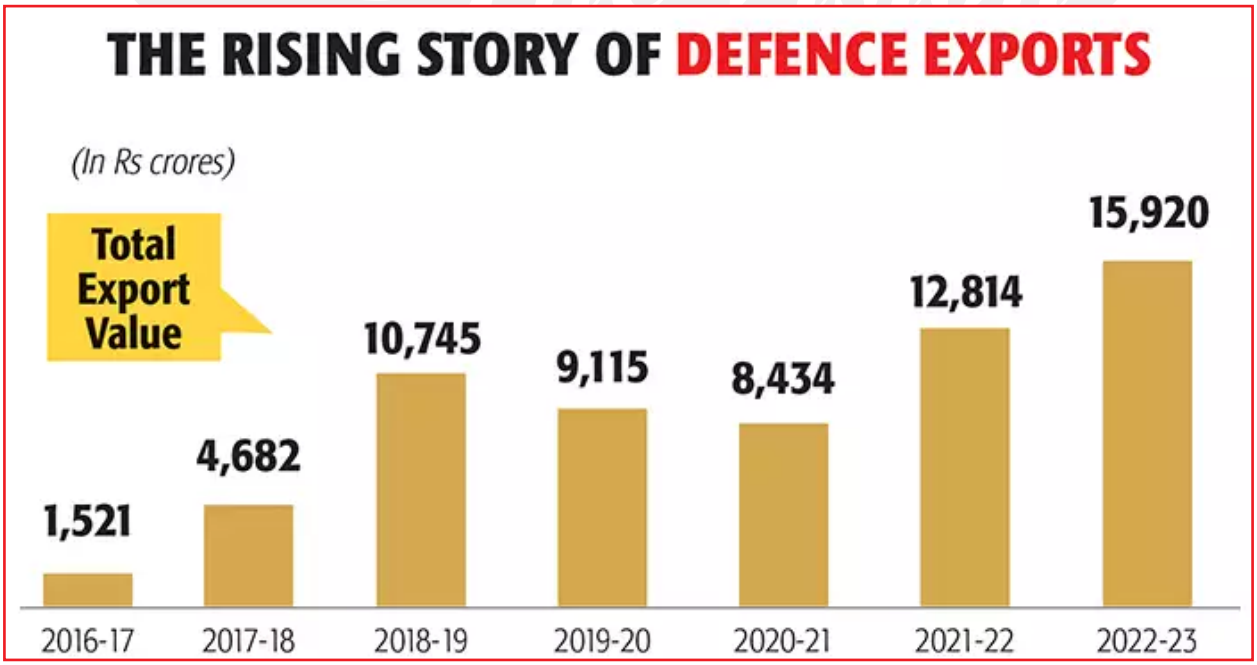

नोट :

रक्षा क्षेत्र में विभिन्न प्रौद्योगिकी:

- **सह-विकास और सह-उत्पादन:**
  - अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रेरण एवं अवशोषण में सह-विकास और सह-उत्पादन को एक अत्यंत प्रभावी तंत्र के रूप में देखा जाता है। संयुक्त विकास कार्यक्रमों में ऐसी प्रौद्योगिकी तक पहुँच अत्यंत कम लागत एवं समय में प्राप्त की जाती है जिसे व्यक्तिगत रूप से भागीदार कंपनियाँ या देश विकसित नहीं कर सकते थे।
- **उप-अनुबंधीकरण/अनुबंध विनिर्माण:**
  - उप-अनुबंधीकरण/अनुबंध विनिर्माण (Sub-Contracting/Contract Manufacturing) तब होता है जब एक विदेशी विक्रेता निर्यात के लिये उन देशों के उद्योगों से रक्षा-संबंधी घटकों, उप-प्रणालियों या उत्पादों की खरीद करता है जहाँ विक्रेता को ऑफसेट दायित्वों को पूरा करना होता है।
- **संयुक्त उपक्रम:**
  - संयुक्त उद्यमों (Joint Ventures- JVs) की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्रवाह प्रभावित हो सकता है। हालाँकि, संयुक्त उद्यम की सफलता को प्रभावित करने वाला निवेश स्तर एक महत्त्वपूर्ण कारक बना हुआ है।
  - 26% तक सीमित विदेशी इक्विटी भागीदारी वाले संयुक्त उद्यम में, मूल उपकरण निर्माता (OEMs) सहयोगी भागीदारों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी लाने से रोक सकते हैं क्योंकि वे अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करते हैं।
- **लाइसेंस प्राप्त उत्पादन:**
  - प्रौद्योगिकी के अवशोषण में सक्षम स्थानीय रक्षा उद्योग को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण (Transfer of Technology- ToT), जहाँ आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों सक्षम संगठन हैं, यदि सच्ची भावना से लागू हो तो स्थानीय उद्योग प्रौद्योगिकी को आगे और विकसित करने में सक्षम होगा तथा इसके परिणामस्वरूप मौजूदा प्रौद्योगिकी अंतराल को तेज़ी से दूर किया जा सकेगा।
- **रखरखाव ToT और प्रशिक्षण:**
  - दीर्घकालिक ग्राहक सहायता गतिविधियाँ अनिवार्य हो गई हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लागू स्तर के माध्यम से सिस्टम के रखरखाव में स्थानीय औद्योगिक भागीदारों और उपयोगकर्ता एजेंसियों का प्रशिक्षण प्रभावी एवं प्रतिबद्ध रखरखाव समर्थन सुनिश्चित करता है। साझेदारी के आधार पर MRO (Maintenance Repair and Overhaul) सुविधा की स्थापना इस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक विकल्प हो सकता है।

रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के दोहन से संबद्ध विभिन्न चुनौतियाँ:

- **अनुसंधान एवं विकास व्यय का निम्न स्तर:**
  - रक्षा अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर भारत के ध्यान की कमी और समग्र शोधकर्ता के निम्न घनत्व के परिणामस्वरूप भारत अब तक किसी भी महत्त्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकी या हथियार प्रणाली को विकसित करने में असमर्थ रहा है तथा विश्व में सैन्य उपकरणों के सबसे बड़े आयातक देशों में से एक बना हुआ है।
    - भारत समस्त अनुसंधान एवं विकास पर **सकल घरेलू उत्पाद** का महज 0.8% खर्च करता है और यहाँ प्रति मिलियन जनसंख्या पर 156 शोधकर्ता ही मौजूद हैं। इसकी तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका R&D पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% खर्च करता है और वहाँ प्रति मिलियन जनसंख्या पर 4231 शोधकर्ता मौजूद हैं। इसी प्रकार, चीन सकल घरेलू उत्पाद का 2.0% खर्च करता है और वहाँ प्रति मिलियन जनसंख्या पर 1113 शोधकर्ता पाए जाते हैं, जबकि इज़राइल R&D पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4.8% खर्च करता है और वहाँ प्रति मिलियन जनसंख्या पर 8255 शोधकर्ता मौजूद हैं।
- **अप्रभावी प्रासंगिकता और प्रौद्योगिकी की गहराई:**
  - विक्रेता (DAP-2020 के तहत) ऐसे प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की पेशकश कर सकता है जो खरीदे जाने वाले उत्पाद या प्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं। इसलिये, विदेशी विक्रेताओं के प्रस्तावों के सतर्क एवं गहन जाँच की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेश की जा रही प्रौद्योगिकी वर्तमान और भविष्य के रक्षा अनुप्रयोगों के लिये प्रासंगिक हो।

नोट :

- **लाइसेंसिंग संबंधी मुद्दे:**
  - प्राय: यह पाया जाता है कि प्रौद्योगिकी विशेष विदेशी सरकार की मंज़ूरी के अधीन होती है और इसलिये नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के कई क्षेत्रों में विदेशी आपूर्तिकर्ता पेटेंट, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs) आदि का हवाला देते हुए अपनी प्रौद्योगिकियाँ सौंपने को तैयार नहीं होते या इसके लिये भारी कीमतें तय कर सकते हैं।
  - यहाँ तक कि ऐसे मामलों में भी जहाँ आपूर्तिकर्ता एक कीमत पर प्रौद्योगिकी बेचने को तैयार होते हैं, उनकी संबंधित सरकारें अपने संबंधित निर्यात नियंत्रण शासन के तहत इसकी अनुमति नहीं देती हैं।
- **गुणक कारक के निर्धारण के संबंध में चिंताएँ:**
  - चूँकि प्रौद्योगिकी अवशोषण ऑफसेट समझौते का एक प्रमुख घटक बन जाता है, इसलिये आवश्यक प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने के इच्छुक विदेशी आपूर्तिकर्ता को बढ़ावा देने और प्रेरित करने के लिये, यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त गुणक कारकों पर कार्य करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
  - प्रौद्योगिकी पर सहमत मूल्य प्राय: R&D में विदेशी आपूर्तिकर्ता के पूर्व निवेश, प्रौद्योगिकी के बाज़ार मूल्य या भारत में प्रौद्योगिकी विकसित करने की लागत पर आधारित होता है, जो इसे असंगत रूप से महंगा बनाता है।
- **साइबर सुरक्षा की कमज़ोरियाँ:**
  - रक्षा क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और नेटवर्क सिस्टम पर बढ़ती निर्भरता इसे विभिन्न साइबर खतरों एवं हमलों के प्रति संवेदनशील बनाती है। सुदृढ़ साइबर सुरक्षा ढाँचे, घटना प्रतिक्रिया तंत्र और बढ़ते साइबर जोखिमों के शमन के लिये तैयारियों का अभाव चुनौतियाँ बढ़ा सकता है।
- **प्रौद्योगिकीय अप्रचलन (Technological Obsolescence):**
  - भारतीय सेना द्वारा उपयोग किये जाने वाले उपकरण और प्लेटफ़ॉर्म सुदीर्घ सेवा जीवन रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तेज़ी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य के साथ मेल नहीं खाते हैं। आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्यक्रमों में देरी के कारण सशस्त्र बल पुरानी या अप्रचलित होती जा रही प्रणालियों के साथ कार्य कर रहे हैं।
    - कमज़ोर उद्योग-अकादमिक संबंध और विदेशी सहयोग से प्राप्त सीमित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में बाधक है।
- **प्रौद्योगिकी— युद्ध का एकमात्र निर्धारक नहीं:**
  - नई प्रौद्योगिकियों के कारण सैन्य क्रांति का सुझाव देने वाले विश्लेषकों का तर्क है कि आधुनिक युद्धक्षेत्र अधिक घातक हैं। हालाँकि, रूस-यूक्रेन और आर्मेनिया-अज़रबैजान (नागोर्नो-काराबाख) जैसे हालिया संघर्षों से पता चलता है कि अनुभव की गई वास्तविक घातकता पहले के युद्धों से बहुत अलग नहीं है। यह इंगित करता है कि यद्यपि प्रौद्योगिकीय प्रगति महत्त्वपूर्ण है, लेकिन वे युद्ध में परिणाम निर्धारित करने वाले एकमात्र कारक नहीं हैं।

सुचारू प्रौद्योगिकी दोहन सुनिश्चित करने के लिये सुझाव:

- **प्रौद्योगिकीय, परिचालनात्मक और सामरिक अनुकूलन:**
  - युद्धों में तकनीकी प्रतिकारी उपाय किसी शत्रु द्वारा नियोजित नवीन प्रौद्योगिकी-सक्षम हथियारों के प्रदर्शन को तुरंत सीमित कर देते हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण अनुकूलन प्राय: तकनीकी नहीं, बल्कि परिचालनात्मक और सामरिक होते हैं, यानी, इस पर निर्भर करती है कि कोई सेना विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार मुक़ाबला करती है। इनमें सेनाओं द्वारा अपने पास मौजूद उपकरणों के इस्तेमाल के तरीके में बदलाव लाना शामिल है।
  - वर्तमान युद्ध स्थितियों में, टैंक जैसे हथियार प्लेटफॉर्मों को अधिक उत्तरजीवी बनने के लिये अनुकूलित होना चाहिये। इसके लिये रणनीति में बदलाव और विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के व्यापक एकीकरण की आवश्यकता होगी। युद्ध-क्षेत्र में भारी मात्रा में सेंसर के नियोजन के साथ इन टैंकों को छिपाना लगभग असंभव हो गया है।
- **पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय प्रगति का उपयोग:**
  - पूर्णत: डिजिटल समाधानों के पक्ष में पारंपरिक प्लेटफॉर्मों को त्यागने के बजाय प्रौद्योगिकी और इसकी विशेषताओं

नोट :

को भविष्य की योजनाओं के लिये योजना के केंद्र में रखने की आवश्यकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होगी जो भेद्यताओं और संवेदनशीलताओं तथा उनके बीच के अंतर को स्वीकार करने के साथ शुरू होगी।

- युद्ध के मैदान में यूक्रेन पर रूस का पलड़ा भारी होने के पीछे एक कारण यह माना जा रहा है कि रूसी सेना द्वारा युद्ध लड़ने के पारंपरिक तरीकों को अपनाया गया है। पारंपरिक रक्षा लाइनों को मज़बूत करने और प्रौद्योगिकीय प्रगति पर निर्भर एक सुदृढ़ सैन्य औद्योगिक आधार बनाए रखने जैसे पहलू अंततः अधिक मायने रखते हैं।

- **नवीनतम प्रौद्योगिकियों की क्षमता को समझना:**
  - नवीनतम प्रौद्योगिकियों, उनकी क्षमता और जिस संदर्भ में उनका उपयोग किया जा सकता है, की समझ होना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी अवशोषण को इकाई स्तरों पर स्पष्ट रूप से स्वयं को प्रतिबिंबित करना होगा, न कि केवल उच्च स्तरों पर उन्हें नियंत्रित करने तक सीमित रहें। अत्याधुनिक स्तरों पर प्रौद्योगिकी को नियोजित करने का यह लोकतंत्रीकरण सच्चे परिवर्तन की शुरूआत के लिये अनिवार्य है।
- **प्रौद्योगिकी अवशोषण में आवश्यक रूप से कई पहलू शामिल हैं:**
  - प्रौद्योगिकी अवशोषण में आवश्यक रूप से कई प्रासंगिक पहलू शामिल होंगे जैसे कि संगठनात्मक पुनर्गठन, मानव संसाधनों का प्रबंधन एवं विशेषज्ञों का संपोषण (न केवल उच्च स्तर पर बल्कि निष्पादन स्तरों पर विकेंद्रीकृत रूप में), असैन्य एवं सैन्य का संलयन, डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिये एक संरचना एवं नीतियों का होना और एक ऐसी खरीद नीति का होना जो विघटनकारी प्रौद्योगिकियों पर लागू हो।
- **iDEX और DISC की क्षमता का दोहन:**
  - सरकार द्वारा हाल ही में कुछ अत्यंत व्यावहारिक पहलें की गई हैं, जैसे कि **iDEX (innovation for Defence Excellence) और DISC (Defence India Start-up Challenge)**, जो नवाचार पारितंत्र को सुदृढ़ करेंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिये उत्पाद विकसित करने और देश के भीतर उपलब्ध प्रतिभा का दोहन करने के लिये वृहत भारतीय स्टार्ट-अप पारितंत्र में उपलब्ध क्षमताओं को लामबंद करना है।

निष्कर्ष:

रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के सफल अवशोषण के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो न केवल प्रौद्योगिकीय चुनौतियों को बल्कि संगठनात्मक, मानव संसाधन संबंधी और नीति संबंधी पहलुओं को भी संबोधित करे। संगठनात्मक पुनर्गठन, मानव संसाधन प्रबंधन, विशेषज्ञता के विकेंद्रीकरण, असैन्य एवं सैन्य का संलयन, डेटा अखंडता सुनिश्चित करने और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के लिये उपयुक्त खरीद नीतियों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्त्वपूर्ण है। रक्षा प्रतिष्ठान इन स्थूल स्तर के पहलुओं को संबोधित कर नई प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से अवशोषित एवं एकीकृत कर सकते हैं, जिससे उभरते सुरक्षा परिदृश्य में उनकी क्षमताओं एवं पूर्व-तैयारी/तत्परता में वृद्धि हो सकती है।

जलवायु संकट को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाना

जलवायु संकट उत्पन्न हो चुका है और इसका प्रभाव सभी पर एकसमान रूप से नहीं पड़ता है। महिलाओं एवं बालिकाओं को विशेष रूप से गरीबी की स्थितियों में और मौजूदा भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों एवं सांस्कृतिक मानदंडों के कारण विषम रूप से उच्च स्वास्थ्य जोखिमों का अनुभव होता है। **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** के अनुसार, किसी आपदा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं और बच्चों की मृत्यु की संभावना 14 गुना अधिक होती है। **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने अभी हाल के एक निर्णय में कहा है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है, जबकि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को पहले से ही जीवन के अधिकार के दायरे में एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।

विभिन्न आयामों में महिलाओं के साथ जलवायु परिवर्तन का संबंध:

- **स्वास्थ्य:**
  - प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में उनकी भूमिका और उनकी जैविक संवेदनशीलता के कारण महिलाएँ प्रायः जलवायु संबंधी स्वास्थ्य जोखिमों का अधिक सामना करती हैं। वे लू (ग्रीष्म लहर), चरम मौसमी घटनाओं और मलेरिया एवं डेंगू बुखार जैसी वेक्टर-जनित बीमारियों के संक्रमण से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना कर सकती हैं।

Climate + Women

The Nexus

As Mary Robinson, Ireland's former president and the former UN commissioner for human rights, said, "People who are marginalized or poor, women, and indigenous communities are being disproportionately affected by climate impacts."*

Women experience disproportionate impacts
due to underlying socioeconomic, political, and legal barriers that limit their choices in the face of climate change.

BARRIERS INCLUDE

- Discriminatory laws that limit female workforce participation.
- Lack of voice in decision-making at the household, local, national, and international levels.
- Limited access to financial resources and often lower pay.
- x2.5 — 2.5 times more unpaid work and care than men.
- Restrictions on land ownership.
- Lack of technology and capacity-building resources.

The Business Case

RISK

Climate impacts hit the poorest hardest and disproportionately affect women.

The gender barriers women face can also limit their adaptive capacity to climate impacts. This directly impacts a company's entire value chain, including through the workforce and local communities.

OPPORTUNITY

Climate resilience solutions with a specific focus on women can unlock multiple business benefits.

- **Drive productivity and innovation,** especially within sectors like agriculture and apparel.
- **Protect raw materials,** especially in agricultural supply chains.
- **Increase financial stability and returns** through solutions and investments that consider climate and gender equality.**
- **Strengthen the resilience of local communities** because women are well connected in their communities.
- **Deliver multiple other co-benefits** including stabilizing livelihoods, improving food security, and making progress toward closing the global gender gap.

नोट :

- गर्भवती महिलाएँ और नव माताएँ विशेष रूप से भेद्य या असुरक्षित हैं, जिन्हें कुपोषण, प्रसव अवधि की जटिलताओं और जलवायु आपदाओं के बाद के परिदृश्य में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच के जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- **आजीविका और आय:**
  - महिलाएँ, विशेष रूप से विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में, **अपनी आजीविका के लिये कृषि एवं वानिकी जैसे जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भर हैं।**
  - जलवायु परिवर्तन से प्रेरित कारक, जैसे अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, सूखा, बाढ़ एवं मृदा क्षरण कृषि उत्पादकता को बाधित कर सकते हैं, जिससे महिला किसानों के लिये आय की कमी और खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
    - इसके अतिरिक्त, महिलाओं को प्राय: ऐसी अनौपचारिक और निम्न वेतन वाली नौकरियों में नियोजित किया जाता है जो कम रोज़गार सुरक्षा प्रदान करती हैं और जलवायु-संबंधी व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं।
- **शिक्षा और साक्षरता:**
  - बाढ़ और तूफ़ान जैसी जलवायु संबंधी आपदाएँ आधारभूत संरचना को क्षति पहुँचाने और स्कूलों के बंद होने के रूप में बच्चों की शिक्षा को बाधित कर सकती हैं। कई समाजों में ऐसे संकटों के दौरान सुरक्षा चिंताओं या बढ़ती देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियों के कारण बालिकाओं को स्कूल से निकाले जाने की संभावना अधिक होती है।
- **जल और स्वच्छता व्यवस्था:**
  - महिलाएँ और बालिकाएँ, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राय: घरों में जल संग्रहण एवं प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार होती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जल की कमी एवं उनके प्रदूषण से जल लाने में लगने वाला समय एवं श्रम बढ़ सकता है, जिससे महिलाओं के लिये शिक्षा, आय सृजन और सामुदायिक भागीदारी के अवसर सीमित हो सकते हैं।
    - इसके अलावा, स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुँच महिलाओं के स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे जलजनित बीमारियों और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होती है।

जलवायु परिवर्तन का महिलाओं पर प्रभाव:

- **लिंग आधारित हिंसा से प्रत्यक्ष संबंध:**
  - ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट से उजागर हुआ है कि 75% भारतीय ज़िले बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी जल संबंधी आपदाओं की चपेट में हैं। **NFHS 5** के आँकड़े से संकेत मिलता है कि इन ज़िलों में आधे से अधिक महिलाएँ और बच्चे इन जोखिमों के संपर्क में हैं।
    - हाल के अध्ययनों से इन प्राकृतिक आपदाओं और महिलाओं के विरुद्ध लिंग आधारित हिंसा के बीच प्रत्यक्ष संबंध की लगातार पुष्टि होती है।
  - संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में, जहाँ चरम मौसमी घटनाओं का खतरा भी अधिक होता है, लिंग-आधारित हिंसा व्यापक रूप से मौजूद होती है।
    - उदाहरण के लिये, 'जिनेवा सेंटर फॉर सिक्यूरिटी सेक्टर गवर्नेंस' के एक सबमिशन में दर्ज किया गया है कि कोलंबिया, माली और यमन जैसे देशों में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण और संघर्ष के संयुक्त प्रभावों के कारण महिलाएँ एवं बालिकाएँ विशेष रूप से लिंग आधारित हिंसा के प्रति असुरक्षित हैं।
- **दीर्घकालिक ग्रीष्म लहरों का प्रभाव:**
  - पिछला दशक मानव इतिहास में अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है और भविष्य में भारत जैसे देशों को अभूतपूर्व ग्रीष्म लहरों (Heat Waves) का सामना करना पड़ सकता है। दीर्घावधिक ग्रीष्म लहरें गर्भवती महिलाओं के लिये विशेष रूप से खतरनाक होती हैं जो शिशुओं के समय-पूर्व जन्म और एक्लेम्पसिया (eclampsia) का खतरा बढ़ा देती हैं।
  - इसी तरह, हवा में मौजूद प्रदूषकों (घर में और बाहर) के संपर्क में आने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और उनमें श्वसन एवं हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। इससे अजन्मे बच्चे का शारीरिक एवं संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होता है।
  - भारत में समूह अध्ययनों से सामने आए आँकड़ों से पता चलता है कि PM2.5 में प्रत्येक 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि से फेफड़ों के कैंसर का खतरा 9% बढ़ जाता है, उसी दिन हृदय संबंधी मौतों का खतरा 3% और स्ट्रोक का खतरा 8% बढ़ जाता है। मनोभ्रंश (dementia) के लिये, वार्षिक PM2.5 में 2 माइक्रोग्राम की वृद्धि से जोखिम 4% बढ़ जाता है।
- **बाल विवाह की दरों में वृद्धि:**
  - विभिन्न देशों और भूभागों में विभिन्न समुदायों में आपदा की स्थिति से निपटने के एक साधन के रूप में बाल विवाह के मामलों में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिये बांग्लादेश, इथियोपिया और केन्या में इसे धन या संपत्ति सुरक्षित करने के एक साधन के रूप में देखा गया है।

नोट :

- ऐसे समुदायों में आमतौर पर संकट का सामना करने के एक तंत्र के रूप में बालिकाओं को स्कूल से बाहर निकालने का रास्ता भी अपनाया गया है ताकि वे घरेलू कार्यों में मदद कर सकें। संकट का सामना करने के ऐसे उपाय लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति को दशकों पीछे ले जाते हैं और समुदायों की दीर्घकालिक प्रत्यास्थता एवं अनुकूलन क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

- **असंगत बोझ का योग:**
  - देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसमी घटनाएँ महिलाओं एवं बालिकाओं और उनके रोज़मर्रा के कार्यों को करने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। यह भी एक कारण है जिससे बालिकाओं को स्कूल छोड़ने के लिये विवश होना पड़ता है।
  - कुछ देशों में जलावन लकड़ी और जल संग्रहण का कार्य (जो पारंपरिक रूप से महिलाओं एवं बालिकाओं को सौंपा जाता रहा है) जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। इससे महिलाओं एवं बालिकाओं को कार्य पूरा करने और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिये अपने घरों से दूर यात्रा करने के लिये विवश होना पड़ता है।

- **ग्राम से शहर प्रवासन का प्रभाव:**
  - यह भी देखा गया है कि चरम मौसमी घटनाओं के परिणामस्वरूप कुछ देशों में पुरुषों के बीच ग्राम से शहर प्रवासन (Rural to Urban Migration) की वृद्धि हुई है, जिससे महिलाओं पर भूमि संबंधी, घरेलू और ऐसे अन्य कार्यों का भी बोझ आ गया है जो पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा किये जाते हैं।
  - इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के लिये काम का बोझ बढ़ जाता है, जबकि उनकी आय में कमी आती है क्योंकि आय अर्जित करने के उनके अवसर लैंगिक मानदंडों (जो भूमि स्वामित्व तक उनकी पहुँच को प्रभावित करते हैं) के कारण सीमित होते हैं। इससे जलवायु प्रभावों के प्रति उनकी वर्तमान और भविष्य की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

- **अनुकूलन क्षमता में कमी:**
  - औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं के कम एकीकृत होने के कारण महिलाओं और पुरुषों की अनुकूलन क्षमता भिन्न होती है, जो फिर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिये, एंटीगुआ और बारबुडा में पुरुषों की तुलना में महिलाएँ अनौपचारिक पर्यटन-संबंधी गतिविधियों से आय उत्पन्न करने की अधिक संभावना रखती हैं, लेकिन तूफ़ान जैसी चरम मौसमी घटनाओं में उनकी अनुकूलन क्षमता कम हो जाती है।
    - अपने एक सबमिशन में ILO ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अनौपचारिक रोज़गार कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तंत्र तक पहुँच को प्रभावित करता है, जिससे जलवायु संबंधी आपदा की स्थिति में अनौपचारिक कामगारों के लिये जोखिम बढ़ जाता है।

- **विभिन्न विभेदक कारकों की 'इंटरसेक्शनालिटी':**
  - **LGBTQIA समुदाय** और आदिवासियों जैसे अधिकांश हाशिए पर स्थित समूहों के मामलों में, सामाजिक कारकों के बहुआयामी 'इंटरसेक्शन' के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता कम हो जाती है, जो उन्हें ऐसे प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। यह स्थिति तब है जबकि महिलाओं और आदिवासी लोगों को पारंपरिक एवं स्वदेशी ज्ञान के संरक्षक के रूप में चिह्नित किया जाता है।

- **कृषि क्षेत्र में महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:**
  - **खाद्य असुरक्षा की वृद्धि:**
    - महिलाएँ घरों और समुदायों में खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण एवं वितरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभाव (जैसे कि फसल की विफलता, जल की कमी और वर्षा के पैटर्न में बदलाव) महिलाओं की अपने परिवारों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता को प्रत्यक्षत: प्रभावित कर सकते हैं।
      - लघु और सीमांत भूमिधारक परिवारों में, जबकि पुरुषों को नहीं चुकाए गए ऋण के कारण सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है (जिसके कारण फिर प्रवासन, भावनात्मक संकट और कभी-कभी आत्महत्या की स्थिति बनती है), महिलाओं को घरेलू कार्य के अधिक बोझ, खराब स्वास्थ्य और अंतरंग साथी द्वारा वृहत हिंसा का सामना करना पड़ता है।
  - **चरम मौसमी घटनाओं से खेती कार्यों को बाधा:**
    - मौसम के बदलते पैटर्न और चरम घटनाओं का कृषि कार्य में महिलाओं की भूमिका पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवर्तनशील वर्षा और लंबे समय तक सूखे के कारण फसल की पैदावार कम हो जाती है, जिससे खेती पर निर्भर परिवारों के लिये खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।
    - महिलाएँ परंपरागत रूप से खेत में होने वाले कामकाज में अभिन्न भूमिका निभाती रही हैं और प्राय: फसलों की देखभाल एवं घरेलू खाद्य आपूर्ति के प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार होती हैं। इसके परिणामस्वरूप इन व्यवधानों का उन्हें अधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है।

नोट :

- **आर्थिक निहितार्थ:**
  - कृषि में संलग्न महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन के पर्याप्त आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं। बाढ़ एवं चरम मौसमी घटनाएँ फसलों और अवसंरचना को तबाह कर सकती हैं, जिससे महिलाओं को परिवार की देखभाल और वैकल्पिक आय सृजन को प्राथमिकता देने के लिये विवश होना पड़ता है। चरम मौसमी घटनाओं के कारण फसल की पैदावार में कमी से आय में कमी आती है, जिससे मौजूदा लैंगिक असमानताएँ और बढ़ जाती हैं।
- **संसाधनों की कमी के कारण भेद्यता/असुरक्षा की वृद्धि:**
  - सांस्कृतिक मानदंड और भेदभावपूर्ण प्रथाएँ महिलाओं की भूमि स्वामित्व (जो कृषि में एक महत्त्वपूर्ण संपत्ति है) तक पहुँच में बाधा डालती हैं। संपत्ति पर महिलाओं के नियंत्रण की कमी के कारण साख, ऋण और बीमा तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है, जिससे वे जलवायु-प्रेरित हानियों के प्रति भेद्य हो जाती हैं।
    - **UN FAO** के अनुसार, यदि महिलाओं को पुरुषों के समान उत्पादक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हो तो वे अपने खेतों में पैदावार को 20-30% तक बढ़ा सकती हैं।
  - चरम मौसमी घटनाओं और उसके बाद जल चक्र पैटर्न में बदलाव से सुरक्षित पेयजल तक पहुँच गंभीर रूप से प्रभावित होती है, जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये जल संग्रहण का श्रम बढ़ जाता है और उनके पास उत्पादक कार्य एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिये समय कम हो जाता है।

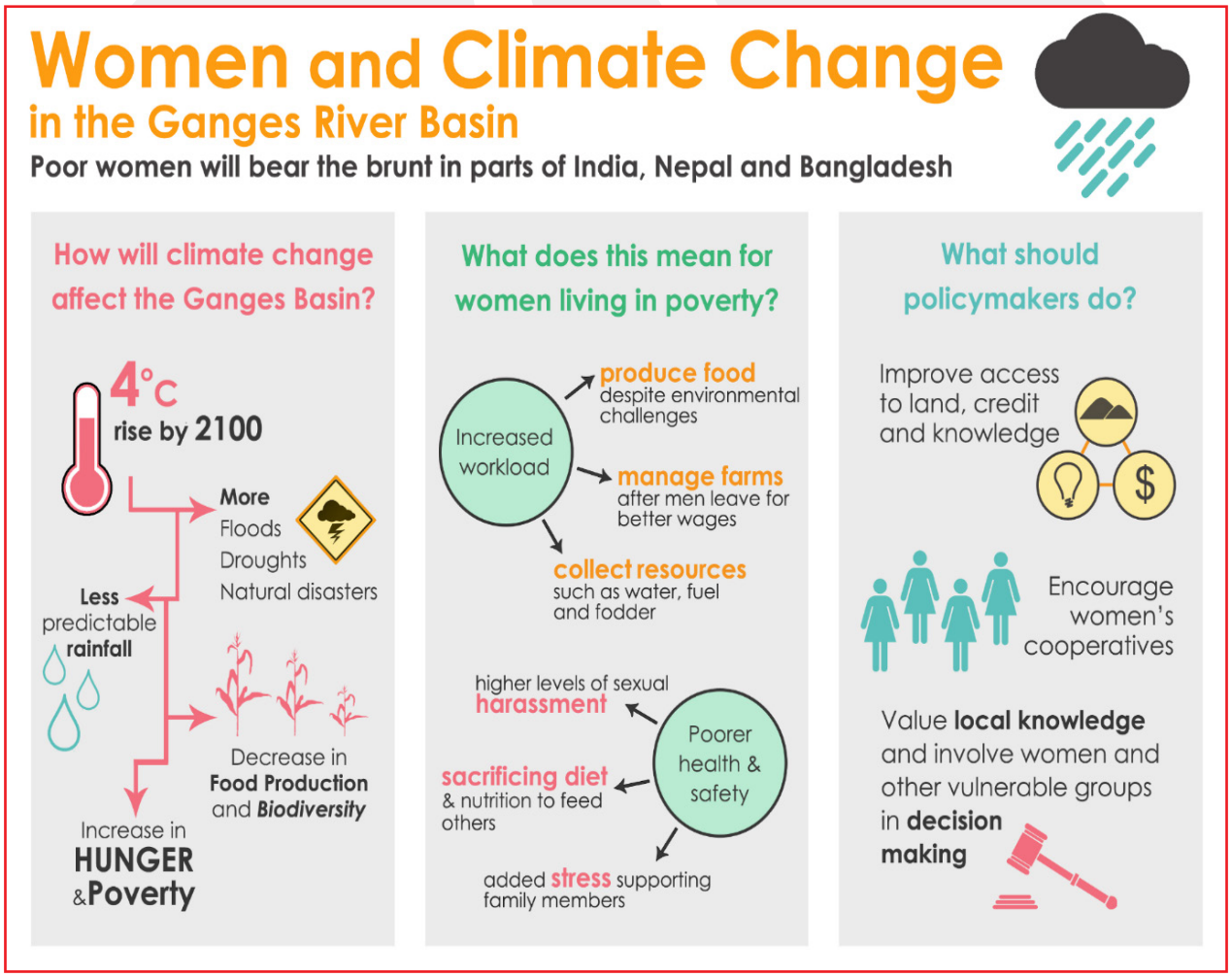

नोट :

जलवायु संकट को लिंग-तटस्थ बनाने के लिये कौन-से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?

- **महिलाओं के बहुआयामी सशक्तीकरण को बढ़ावा देना:**
  - यदि हम वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के **पेरिस समझौते** के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो जलवायु कार्रवाई के लिये शत प्रतिशत आबादी की संलग्नता की आवश्यकता है। इसके साथ ही, महिलाओं को सशक्त बनाने का अर्थ होगा बेहतर जलवायु समाधान जहाँ देखा गया है कि जब महिलाओं को पुरुषों के समान संसाधनों तक पहुँच प्रदान की गई तो उन्होंने अपनी कृषि उपज में 20% से 30% की वृद्धि दर्ज की।
- **स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय समाधानों को प्रोत्साहित करना:**
  - आदिवासी और ग्रामीण महिलाएँ विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण में सबसे आगे रही हैं। महिलाओं और महिला समूहों (**स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों**) को ज्ञान, उपकरण एवं संसाधनों तक पहुँच प्रदान करने से स्थानीय समाधानों का उभार प्रेरित होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनुकूलन के उपाय आवश्यक रूप से अलग-अलग होंगे क्योंकि गर्मी, वायु प्रदूषण और जल एवं खाद्य तक पहुँच संदर्भ के अनुसार अलग-अलग होगी।
- **लिंग-विभाजित डेटा एकत्र करना:**
  - परिवर्तन की एजेंट के रूप में महिलाओं की भूमिका को उनकी समस्त विविधता में बेहतर रूप से समझने के लिये अधिक व्यापक एवं आमतौर पर प्रयोज्य लिंग-विभाजित डेटा संग्रह करने की आवश्यकता है। वर्तमान में परिवर्तन के एजेंट के रूप में महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न भूमिकाओं के उदाहरण संदर्भ-विशिष्ट हैं।
  - इस प्रकार, इन आँकड़ों से आमतौर पर प्रयोज्य निष्कर्ष निकालने में महिलाओं के अनुभव और व्यवहार को समरूप बनाना शामिल होगा, जो कि महिलाओं की विविधता और परिवर्तन के एजेंटों के रूप में उनकी भूमिका को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट संदर्भों की अधिकता को देखते हुए समस्याजनक है।
- **दीर्घावधिक ग्रीष्म लहरों के प्रभाव को कम करना:**
  - आउटडोर कामगारों, गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु और वृद्ध जनों जैसे कमज़ोर समूहों पर दीर्घावधिक ग्रीष्म लहर के प्रभाव को कम करने के प्रयास किये जाने चाहिये। कई भारतीय शहरों के आँकड़े से संकेत मिलता है कि ग्रीष्म लहरों के दौरान मृत्यु के मामलों में वृद्धि हुई है, भले ही उन्हें आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं किया जाता हो। उल्लेखनीय है कि उत्पादकता में कमी का असर छोटे और बड़े व्यवसायों के साथ-साथ व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है।
  - ग्रीष्म लहर की चेतावनी जारी करना (स्थानीय तापमान एवं आर्द्रता के आधार पर), आउटडोर काम एवं स्कूल के समय को समायोजित करना, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में शीतलन कक्ष प्रदान करना, सार्वजनिक पेयजल सुविधाएँ सुनिश्चित करना और हीट स्ट्रोक से पीड़ित लोगों का तुरंत इलाज करना आदि मौतों को कम करने में मदद कर सकते हैं।
- **शहरी स्थानीय निकायों और नगरपालिकाओं को शामिल करना:**
  - संवेदनशील ज़िलों में **शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों** और ज़िला अधिकारियों को एक योजना का निर्माण करने और प्रमुख कार्यान्वयनकर्ताओं को प्रशिक्षण एवं संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, शहरों में वृक्ष आवरण बढ़ाना, कंक्रीट को कम करना, हरित-नील स्थानों को बढ़ाना और प्रतिकूल मौसमी प्रभावों को बेहतर ढंग से झेलने में सक्षम आवासों को डिज़ाइन करना शहरी योजना में शामिल दीर्घकालिक कार्य होंगे।
    - उदयपुर में महिला हाउसिंग ट्रस्ट ने दिखाया कि निम्न आय वाले घरों की छतों को परावर्तक सफेद रंग से रंगने से घर के अंदर का तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ।
- **प्रमुख जल संसाधनों का मानचित्रण:**
  - **जल की कमी हमारे अस्तित्व के लिये संभवतः** सबसे बड़ा खतरा है और इसके लिये ठोस सामाजिक कार्रवाई की ज़रूरत है। भारत में परंपरागत रूप से वर्षा जल संचयन एवं भंडारण के लिये तालाबों और नहरों की प्रणाली के रूप में सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक मौजूद थी।
  - तमिलनाडु के कुछ ज़िलों में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किये गए कार्य से परिलक्षित हुआ है कि पंचायतें **भौगोलिक सूचना प्रणालियों** का उपयोग कर प्रमुख जल स्रोतों का मानचित्रण कर सकती हैं, भेद्यताओं एवं जलवायु खतरों की पहचान कर सकती है और सरकारी योजनाओं एवं संसाधनों को निर्देशित कर जल तक पहुँच में सुधार के लिये एक स्थानीय योजना विकसित कर सकती हैं।

नोट :

- **स्थानीय स्तर पर क्षेत्रों और सेवाओं का अभिसरण:**
  - क्षेत्रों एवं सेवाओं का अभिसरण और कार्यों का प्राथमिकताकरण गाँव या पंचायत स्तर पर सबसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण और **पंचायत** एवं स्व सहायता समूह के सदस्यों की क्षमता निर्माण में निवेश करना भारत का यह प्रदर्शित करने का तरीका हो सकता है कि सामुदायिक नेतृत्व में और भागीदारीपूर्ण तरीके से प्रत्यास्थता का निर्माण कैसे किया जाए।
- **NAPCC और SAPCC के दायरे का विस्तार करना:**
  - जलवायु परिवर्तन पर सभी राज्य-कार्य योजनाओं में एक लैंगिक दृष्टिकोण लागू करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन पर **राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना (SAPCC)** महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करती है, लेकिन प्राय: उन्हें पीड़ितों के रूप में चित्रित करने की भूल करती है, जिसमें वृहत लैंगिक गतिशीलता की समझ का अभाव होता है।
  - SAPCC के जारी पुनरीक्षण के लिये अनुशंसाओं में रूढ़िवादिता से आगे बढ़ने, सभी लिंगों की भेद्यताओं को चिह्नित करने और लिंग-रूपांतरणकारी रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि जलवायु अनुकूलन के लिये एक व्यापक एवं समतामूलक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष:

महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुआयामी एवं असंगत है, जो मौजूदा लैंगिक असमानताओं और भेद्यताओं को बढ़ा रहा है। आजीविका से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और विस्थापन तक, महिलाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन एवं शमन में गंभीर बोझ उठाना पड़ता है। इन लैंगिक प्रभावों को संबोधित करने के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो महिला सशक्तीकरण, संसाधनों तक पहुँच और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सार्थक भागीदारी को प्राथमिकता दे। महिलाओं के समक्ष विद्यमान अनूठी चुनौतियों को चिह्नित कर और उनका समाधान कर, हम प्रत्यास्थता को बढ़ावा दे सकते हैं, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित कर हैं तथा सभी के लिये अधिक संवहनीय एवं समतामूलक भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: भविष्य हेतु भारत की तैयारी

भारत वर्तमान में **इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles- EVs)** को लेकर एक उत्साह अनुभव कर रहा है जो स्वच्छ परिवहन के संभावित भविष्य की ओर लेकर जाएगा। EVs की ओर यह संक्रमण हमारे शहरों में उत्सर्जन को कम कर महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने की आशा जगाता है।

हालाँकि, ई-मोबिलिटी की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिये कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इसमें भारत का ऊर्जा मिश्रण (energy mix), चार्जिंग अवसंरचना का विकास, घरेलू बैटरी विनिर्माण और उत्तरदायी बैटरी निपटान अभ्यास शामिल हैं। ये सभी भारत में एक सुदृढ़ एवं संवहनीय ई-मोबिलिटी पारितंत्र के निर्माण के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।

ई-मोबिलिटी:

- **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Electric mobility- e-mobility)** एक ऐसी विधि है जो विभिन्न प्रकार के वाहनों को ऊर्जा प्रदान करने के लिये **आंशिक या पूर्ण रूप से विद्युत प्रणोदन का उपयोग** करती है। इसके उदाहरणों में **कार, बस और साइकिल एवं स्कूटर जैसे व्यक्तिगत वाहन शामिल** हैं। ई-मोबिलिटी के दो मुख्य प्रकार हैं: **शुद्ध इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड।**
- **इलेक्ट्रिक वाहन:**
  - **इलेक्ट्रिक वाहन (EVs)** इलेक्ट्रिक मोटरों द्वारा संचालित होते हैं जो बैटरी में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। EVs में **आंतरिक दहन इंजन (ICE)** के बजाय एक इलेक्ट्रिक मोटर मौजूद होती है।
  - चूँकि EVs बिजली से चलते हैं, वाहन के **टेलपाइप से कोई उत्सर्जन नहीं** होता है; यानी इसमें शून्य टेलपाइप उत्सर्जन होता है और इसमें फ्यूल पंप, फ्यूल लाइन या फ्यूल टैंक जैसे घटक शामिल नहीं होते हैं।
  - EVs प्रत्यक्ष रूप से **सतत् विकास लक्ष्य 7 (SDG 7)** में योगदान करते हैं, जिसका **उद्देश्य सभी के लिये सस्ती, विश्वसनीय एवं संवहनीय ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना** है।
  - EVs जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करते हुए **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देते हैं और COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन** में भारत द्वारा व्यक्त 'पंचामृत' लक्ष्यों में योगदान करते हैं।

नोट :

- **भारत में ई-मोबिलिटी की वर्तमान स्थिति:**
  - **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency- BEE)** के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग अभी बहुत पीछे है और **कुल वाहन बिक्री में 1% से भी कम की हिस्सेदारी** रखता है।
  - वर्तमान में भारतीय सड़कों पर पारंपरिक वाहनों का प्रभुत्व है और **लगभग 0.4 मिलियन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और कुछ हज़ार इलेक्ट्रिक कारें** ही मौजूद हैं।
- **EVs के लिये लक्ष्य: नीति आयोग** की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार **वर्ष 2030 तक बसों के लिये 40 प्रतिशत, निजी कारों के लिये 30 प्रतिशत, वाणिज्यिक वाहनों के लिये 70 प्रतिशत और दोपहिया वाहनों के लिये 80 प्रतिशत तक EVs अपनाने का लक्ष्य** रखती है।

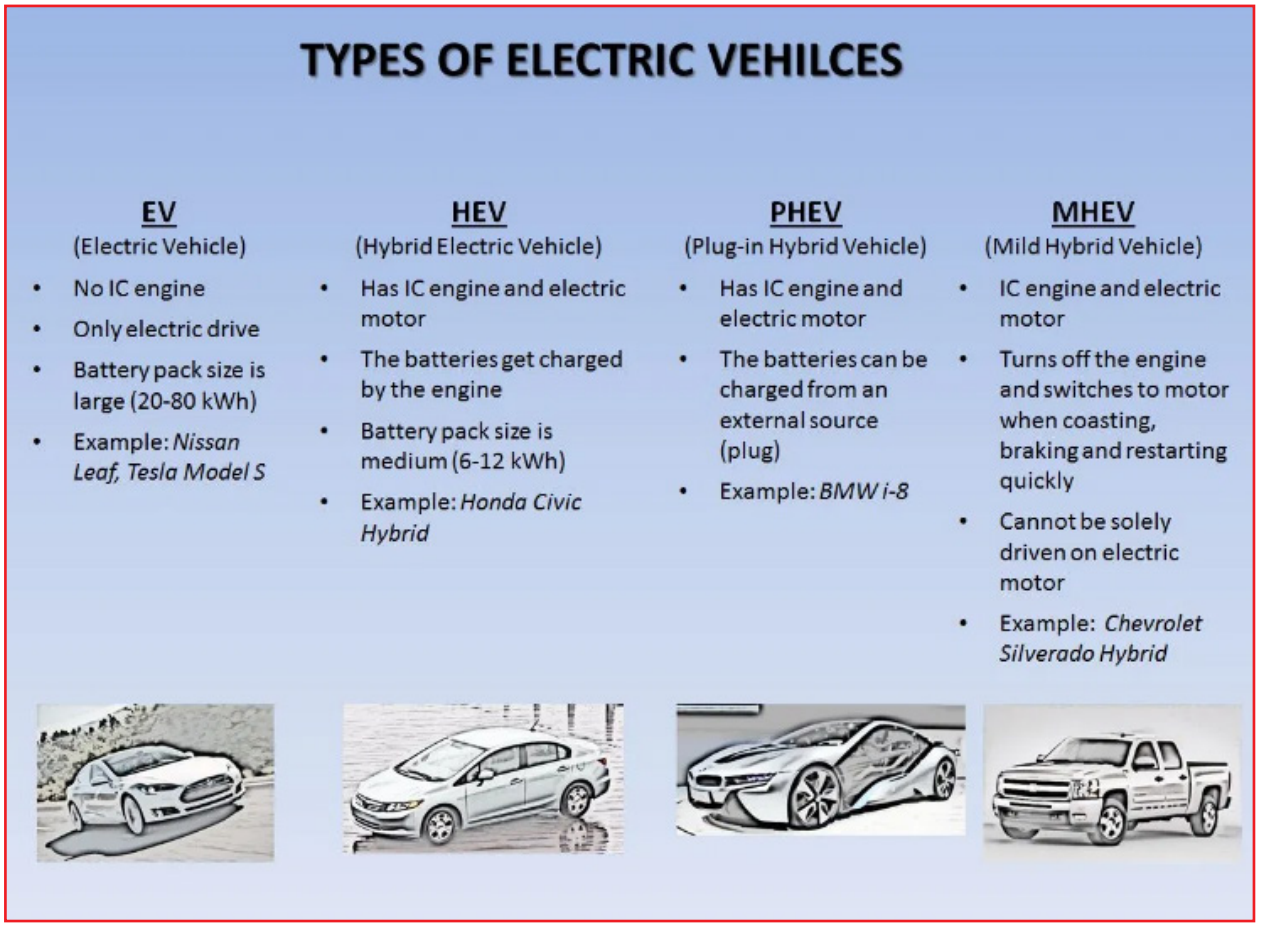

EVs क्यों महत्त्वपूर्ण हैं ?

- **पर्यावरणीय लाभ:** EVs में **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** को उल्लेखनीय रूप से कम करने और **जलवायु परिवर्तन** से निपटने की क्षमता है।
  - EVs **जीवाश्म ईंधन** इंजन से संचालित वाहनों के विपरीत शून्य टेलपाइप उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं।
  - EVs कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और अन्य प्रदूषकों को कम करने में मदद करते हैं जो वायु प्रदूषण, धुंध (smog) और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं।

नोट :

- EVs **नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), पार्टिकुलेट मैटर (PM) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (volatile organic compounds-VOCs)** जैसे हानिकारक प्रदूषकों को कम करने में मदद करते हैं।
  - इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्वच्छ हवा श्वसन और हृदय संबंधी रोगों के जोखिम को कम करती है।

- **ऊर्जा विविधता और सुरक्षा:** EVs तेल आयात पर निर्भरता को कम कर **ऊर्जा विविधता में योगदान** करते हैं।
  - बिजली ग्रिड को सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोत सहित ऊर्जा स्रोतों के मिश्रण से संचालित किया जा सकता है। इस प्रकार, EVs परिवहन को स्वच्छ एवं अधिक संवहनीय ऊर्जा विकल्पों की ओर स्थानांतरित करने का अवसर प्रदान करते हैं।

- **प्रौद्योगिकीय उन्नति और रोज़गार सृजन:** EVs के विकास एवं अंगीकरण से बैटरी प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन और चार्जिंग अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय उन्नति हुई है।
  - इन उन्नतियों से न केवल ऑटोमोटिव क्षेत्र को लाभ हुए हैं बल्कि इनके अन्य व्यापक अनुप्रयोग भी हैं, जैसे **नवीकरणीय ऊर्जा** स्रोतों के लिये ऊर्जा भंडारण और ग्रिड स्थिरता।
  - इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बैटरी निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और चार्जिंग अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में **रोज़गार एवं नवाचार उत्पन्न** कर रही है।

- **दीर्घकालिक लागत बचत:** इलेक्ट्रिक वाहनों की **परिचालन लागत कम** होती है, क्योंकि बिजली आमतौर पर गैसोलीन या डीजल की तुलना में सस्ती होती है।
  - इसके अलावा, EVs में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं और इन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप समय के साथ सर्विसिंग एवं मरम्मत में कम खर्च करना पड़ता है।

- **शहरों में भीड़भाड़ कम करना:** इलेक्ट्रिक वाहन **साझा मोबिलिटी (shared mobility)** और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन को बढ़ावा देकर शहरों में भीड़ कम करने में मदद कर सकते हैं।
  - **साझा मोबिलिटी** से तात्पर्य है वाहनों का उपयोग व्यक्तिगत संपत्ति के बजाय सेवा के रूप में करना। इससे सड़क पर वाहनों की संख्या और पार्किंग स्थल की आवश्यकता कम हो सकती है।
  - **कॉम्पैक्ट डिज़ाइन** से तात्पर्य है छोटे और हल्के वाहनों का उपयोग, जो शहरी स्थानों में अधिक आसानी से फिट हो सकते हैं। इससे भीड़भाड़ और उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।
  - लघु इंट्रा-सिटी दूरी, डे-ट्रिप्स और इसी तरह की अन्य यात्राओं के लिये **नवोन्मेषी एवं भविष्योन्मुखी स्मार्ट EVs** को बड़ी बैटरी की आवश्यकता नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि उन्हें रिचार्ज करने में कम समय लगेगा और कम लागत आएगी।

भारत में ई-मोबिलिटी से संबद्ध प्रमुख उभरती हुई चुनौतियाँ:

- **सीमित पर्यावरणीय लाभ:**
  - जीवाश्म ईंधन आधारित **बिजली उत्पादन पर भारत की वर्तमान निर्भरता इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े संभावित पर्यावरणीय लाभों** को काफी हद तक कम कर देती है।
    - इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार, यदि भारत अपने वर्तमान ऊर्जा मिश्रण (जीवाश्म ईंधन के 75 प्रतिशत प्रभुत्व के साथ) को जारी रखता है तो संभव है कि EVs की ओर संक्रमण से कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी नहीं आएगी।
- **रेंज संबंधी चिंता और अवसंरचनात्मक बाधाएँ:**
  - **रेंज संबंधी चिंता** से तात्पर्य गाड़ी चलाते समय बैटरी चार्ज खत्म होने के भय या चिंता से है। EVs अंगीकरण के लिये **सीमित ड्राइविंग रेंज एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।**
    - भारत के **विद्युत मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में राजमार्गों पर प्रत्येक 25 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन का होना निर्दिष्ट किया गया है।** हालाँकि, वर्ष 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लगभग 1,800 चार्जिंग स्टेशन ही उपलब्ध हैं, जिनमें से अधिकांश दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में केंद्रित हैं।
  - इसके अतिरिक्त, पारंपरिक वाहनों में ईंधन भरने में लगने वाले समय की तुलना में **चार्जिंग में अधिक लंबा समय लगता** है।

नोट :

- चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना **महंगा** है, जिसके लिये भूमि और प्रौद्योगिकी में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। EVs के व्यापक अंगीकरण से शीर्ष मांग घंटों के दौरान बिजली ग्रिड पर भी दबाव पड़ सकता है।

- **उच्च टायर उत्सर्जन (Higher Tyre Emissions):**
  - **EVs पारंपरिक वाहनों की तुलना में भारी** होते हैं जो संभावित रूप से टायरों से पार्टिकुलेट मैटर के अधिक उत्सर्जन की ओर ले जाते हैं। इससे EVs से प्राप्त **टेलपाइप उत्सर्जन** में कमी के कुछ लाभ घट जाते हैं।

- **बैटरी निर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दे:**
  - भारत घरेलू बैटरी विनिर्माण में पीछे है और आयात पर अत्यधिक निर्भर है। **ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2022 के अनुसार यह अपने कुल आयात का 77 प्रतिशत चीन से प्राप्त** करता है।
  - इससे भविष्य में बैटरी की कीमतों में वृद्धि के बारे में, विशेष रूप से कुछ कच्चे माल के सीमित भौगोलिक स्रोतों को देखते हुए, चिंताएँ पैदा होती हैं।
    - उल्लेखनीय है कि **भारत में जैव ईंधन (Biofuel) का विकास उस तरह से नहीं हो पाया है जैसा ब्राजील में हुआ** है। यह स्थिति मुख्य रूप से भारत में जैव ईंधन के फीडस्टॉक की कमी के कारण है।
  - इसके अतिरिक्त, **उत्तरदायी बैटरी निपटान के लिये एक सुदृढ़ प्रणाली अभी तक स्थापित नहीं की गई** है, जो संभावित पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न करती है।
  - **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM):** यूरोपीय संघ (EU) द्वारा CBAM के कार्यान्वयन से हमारे कई उद्योग प्रभावित होंगे। CBAM उन विकासशील देशों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है जो अमीर देशों को निर्यात करने पर निर्भर हैं।

EVs अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिये कुछ प्रमुख सरकारी पहलें:

- **नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024**
- **इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (FAME) योजना II**
- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP)**
- **परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन**
- **उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना**
- **'गो इलेक्ट्रिक' अभियान**
- भारत उन कुछ देशों में से एक है जो वैश्विक **EV30@30 अभियान** का समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक कम से कम 30% नए वाहनों की बिक्री इलेक्ट्रिक श्रेणी से करना है।

भारत में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के संभावित उपाय:

- **नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना:** EVs के पर्यावरणीय लाभों को अधिकतम करने के लिये **सौर और पवन ऊर्जा** जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण अत्यंत आवश्यक है।
  - **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA), पीएम-कुसुम** जैसी सरकारी पहलों का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत की क्षमता को बढ़ाना है। यह EVs की चार्जिंग के लिये स्वच्छ बिजली उत्पादन सुनिश्चित करेगा।
- **चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करना:** रेंज संबंधी चिंता को कम करने के लिये, विशेष रूप से राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क विकसित करना आवश्यक है। **बैटरी** स्वैपिंग स्टेशनों जैसे नवीन समाधानों की खोज से चार्जिंग समय को काफी कम किया जा सकता है। हालाँकि, इस उपाय के लिये बैटरी डिज़ाइन का मानकीकरण और हितधारकों के बीच सहयोग आवश्यक है।
  - **परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना** जैसी सरकारी पहलों का उद्देश्य EVs की चार्जिंग से संबंधित अवसंरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करना है।
- **घरेलू बैटरी विनिर्माण को प्रोत्साहित करना:** आयात निर्भरता को कम करने, बैटरी की लागत को नियंत्रित करने और नए रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये घरेलू बैटरी उत्पादन क्षमताओं में निवेश करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सरकार और उद्योग के बीच सहयोग एक सुदृढ़ घरेलू बैटरी आपूर्ति श्रृंखला के विकास को बढ़ावा दे सकता है।

नोट :

- **इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (FAME) योजना II** जैसी सरकारी पहलों से EVs के लिये घरेलू बैटरी विनिर्माण में सहायता मिलने की संभावना है।

- **बैटरी निपटान संबंधी चुनौतियों का समाधान करना:** प्रयुक्त EVs बैटरियों के निपटान के लिये एक सुपरिभाषित प्रणाली का होना पर्यावरणीय संवहनीयता के लिये महत्त्वपूर्ण है। उत्तरदायी बैटरी निपटान अभ्यासों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और कुशल पुनर्चक्रण सुविधाओं में निवेश करना आवश्यक कदम होंगे।
  - **नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 और वाहन स्क्रैपिंग नीति** जैसी सरकारी पहलों से बैटरी निपटान संबंधी चुनौतियों का समाधान होने की संभावना है।

निष्कर्ष:

एक सफल ई-मोबिलिटी पारितंत्र के निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति के लिये सरकार, उद्योग और विभिन्न हितधारकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकार को EVs अंगीकरण और घरेलू बैटरी विनिर्माण के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये। उद्योग को एक सुदृढ़ एवं कुशल ई-मोबिलिटी पारितंत्र का निर्माण करने के लिये अवसंरचना विकास, अनुसंधान और नवाचार में निवेश करने की आवश्यकता है जो सभी के लिये सस्ती/वहनीय स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच के **SDG-7 लक्ष्य** की पूर्ति कर सके।

बजट के माध्यम से राज्य के वित्तीयन का विश्लेषण

मौजूदा चुनावी मौसम ने **भारत के राजकोषीय स्वास्थ्य** की ओर तीव्र ध्यान आकर्षित किया है। जबकि भारत सरकार के राजकोषीय मीट्रिक्स का तो बारीकी से विश्लेषण किया जाता है और इसे अच्छी तरह से समझा जाता है, राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति की संवीक्षा कम की जाती है। हाल के वर्षों में राज्य सरकारों की बाज़ार उधारी में वृद्धि और प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों ने राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर बाज़ार सहभागियों के बीच रुचि फिर से जगा दी है।

राज्य के बजट राज्य सरकार के वित्त पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करते हैं। राज्यों के बीच विभिन्न घटकों का समूह उनके बजट का विश्लेषण करना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण दोनों बनाता है। इसके अतिरिक्त, **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** द्वारा मासिक राजकोषीय संकेतकों का प्रकाशन (हालाँकि मामूली अंतराल के साथ) राज्य के वित्त में उभरते रुझानों का आकलन करने में उपयोगी है।

वर्ष 2024-25 के बजट या **वोट ऑन अकाउंट (votes on account- VoA)** 26 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर) के लिये सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। उनमें मौजूद आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्यों को इस वर्ष अपनी संयुक्त **राजस्व प्राप्तियों में 9.2% की वृद्धि की उम्मीद** है। हालाँकि यह वृद्धि मध्यम प्रतीत होती है, यह अन्य कारकों के अलावा वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों में दर्शाए गए आधार राजस्वों की शुद्धता पर निर्भर करती है।

भारतीय राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति:

- **अपने स्वयं के राजस्व पर अत्यधिक निर्भरता:**
  - राज्यों के कुल राजस्व का लगभग आधा हिस्सा राज्यों के स्वयं के कर राजस्व (State Own Tax Revenue- SOTR) से प्राप्त होता है। इस प्रकार, स्वयं के करों की वास्तविक एवं संकेतित वृद्धि के बीच एक भौतिक विचलन राज्यों के कुल राजस्व में विस्तार को प्रभावित कर सकता है।
  - वित्त वर्ष 2025 के बजट अनुमान (BE) में सभी 26 राज्यों के लिये SOTR के पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 13.8% बढ़ने का आकलन किया गया है। यह पिछले वर्ष के संशोधित आँकड़ों में अनुमानित 15.4% की उच्चतर विकास दर का अनुसरण करता है। संक्षेप में, यह सुझाव देता है कि राज्य सरकारें अगले वित्तीय वर्ष में अपने कर राजस्व आधार में महत्त्वपूर्ण विस्तार की उम्मीद करती हैं, जो पिछले वर्ष में हुई मज़बूत वृद्धि पर आधारित है।
- **स्वयं के करों के विकास स्तर से पर्याप्त नीचे:**
  - हालाँकि, निराशाजनक रूप से, अप्रैल-फ़रवरी 2023-24 के लिये कई नमूना राज्यों के अनंतिम आँकड़े से संकेत मिलता है कि बिक्री कर, राज्य **जीएसटी** और उत्पाद शुल्क जैसे स्वयं के करों के प्रमुख घटकों की वृद्धि संशोधित अनुमानों में शामिल स्तरों से पर्याप्त नीचे थी।
    - इसका तात्पर्य यह है कि यदि पिछले वर्ष का वास्तविक राजस्व अनुमान से कम सिद्ध होता है तो वित्त वर्ष 2025 के बजट में व्यक्त लक्ष्य के पूर्ण स्तर को पूरा करने के लिये अधिक उच्चतर वृद्धि की आवश्यकता होगी।

नोट :

- **केंद्र से राज्यों को हस्तांतरण:**
  - राज्यों के राजस्व का लगभग 40-45% भाग केंद्र से हस्तांतरण (करों और अनुदान) के माध्यम से प्राप्त होता है। **अंतरिम केंद्रीय बजट** में सरकार द्वारा इंगित वृद्धि के अनुरूप, केंद्र द्वारा **राज्यों को हस्तांतरित करों में वर्ष 2024 में 10.4% की वृद्धि** होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-24 के दौरान लगातार तीन वर्षों तक बजट से अधिक कर हस्तांतरण के कारण राज्यों को अपने राजस्व में वृद्धि प्राप्त हुई।
- **बेहतर टैक्स बॉइअन्सी (Tax Buoyancy):**
  - वर्ष 2016-17 तक बिक्री कर/VAT स्वयं के कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक था। हालाँकि वर्ष 2017-18 से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) का उभार सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में हुआ है, जिसके बाद बिक्री कर/VAT, उत्पाद शुल्क, स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क और वाहनों पर अधिरोपित कर आते हैं।
  - हाल के समय में में राज्यों के **'टैक्स बॉइअन्सी'** में सुधार हुआ है। वर्ष 2021-22 से SGST संग्रह में वृद्धि हुई है जहाँ SGST राजस्व समग्र आर्थिक विकास दर की तुलना में अधिक तीव्र दर से बढ़ रहा है। यह आर्थिक गतिविधियों के पुनरुद्धार और कर प्रशासन में सुधार के कारण अनुपालन में वृद्धि (विशेष रूप से बड़े राज्यों में) से प्रेरित हुआ है।
- **राज्य सरकारों द्वारा किये गए सुधार:**
  - राज्यों ने अपनी कर क्षमता बढ़ाने के लिये कराधान सुधार शुरू किये हैं। कई राज्यों ने स्टांप शुल्क दरों में परिवर्तन किया है, लैंड पार्सल के उचित मूल्य को संशोधित किया है और विभिन्न गैर-पंजीकरण योग्य दस्तावेजों की ई-स्टांपिंग/डिजिटल स्टांपिंग शुरू की है।
  - कुछ राज्यों ने शराब पर उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है, लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की है, शराब के उपभोग पर सामाजिक सुरक्षा उपकर अधिरोपित किया है और संग्रह को बढ़ावा देने के लिये शराब की दुकानों पर भुगतान के डिजिटल तरीकों की सुविधा प्रदान की है।
    - मोटर वाहन कराधान में सबसे आम सुधारों में वाहनों पर लाइफ टैक्स में संशोधन करना, हरित कर/हरित उपकर की शुरूआत करना और वाहन कर के डिफ़ॉल्टर्स पर भारी जुर्माने के साथ दंडित करने के रूप में कठोर प्रवर्तन अभ्यासों का कार्यान्वयन करना शामिल हैं।

Individual share of states in the taxes devolved by the centre (out of 100)

State	14th FC 2015-20	15th FC 2020-21	15th FC 2021-26
Andhra Pradesh	4.305	4.111	4.047
Arunachal Pradesh	1.370	1.760	1.757
Assam	3.311	3.131	3.128
Bihar	9.665	10.061	10.058
Chhattisgarh	3.080	3.418	3.407
Goa	0.378	0.386	0.386
Gujarat	3.084	3.398	3.478
Haryana	1.084	1.082	1.093
Himachal Pradesh	0.713	0.799	0.830
Jammu & Kashmir	1.854	-	-
Jharkhand	3.139	3.313	3.307
Karnataka	4.713	3.646	3.647
Kerala	2.500	1.943	1.925
Madhya Pradesh	7.548	7.886	7.850
Maharashtra	5.521	6.135	6.317
Manipur	0.617	0.718	0.716
Meghalaya	0.642	0.765	0.767
Mizoram	0.460	0.506	0.500
Nagaland	0.498	0.573	0.569
Odisha	4.642	4.629	4.528
Punjab	1.577	1.788	1.807
Rajasthan	5.495	5.979	6.026
Sikkim	0.367	0.388	0.388
Tamil Nadu	4.023	4.189	4.079
Telangana	2.437	2.133	2.102
Tripura	0.642	0.709	0.708
Uttar Pradesh	17.959	17.931	17.939
Uttarakhand	1.052	1.104	1.118
West Bengal	7.324	7.519	7.523
Total	**100**	**100**	**100**

राज्य वित्त के प्रबंधन से संबद्ध विभिन्न चिंताएँ:

- **संशोधित/बजट अनुमान के अनुसार अनुदान में महत्त्वपूर्ण बदलाव:**
  - केंद्र से राज्यों को प्राप्त वास्तविक अनुदान में, विशेष रूप से **केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS)** के मामले में, राज्यों के संशोधित/बजट अनुमान से लगातार उल्लेखनीय अंतर प्रकट हुआ है। केंद्र से प्राप्त वास्तविक राशि राज्य द्वारा CSS के तहत अपना हिस्सा खर्च करने और उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने सहित केंद्र के विभिन्न दिशानिर्देशों का पालन करने आदि पर निर्भर करती है।

नोट :

- **विभिन्न राज्यों को अनुदान के हस्तांतरण में भिन्नता:**
  - निम्न राजस्व घाटा अनुदान और **GST मुआवजे** की चरणबद्ध समाप्ति जैसे कारकों के कारण नमूना राज्यों के एक बड़े उपसमूह के संयुक्त अनुदान में 22% की बड़ी गिरावट आई। इसके बावजूद, 26 राज्यों ने अपने संशोधित अनुमानों में अनुदान में 18% की उच्च वृद्धि का संकेत दिया है, जिसके बाद फिर 2024 में उनके संयुक्त अनुदान में 7% का संकुचन होगा।

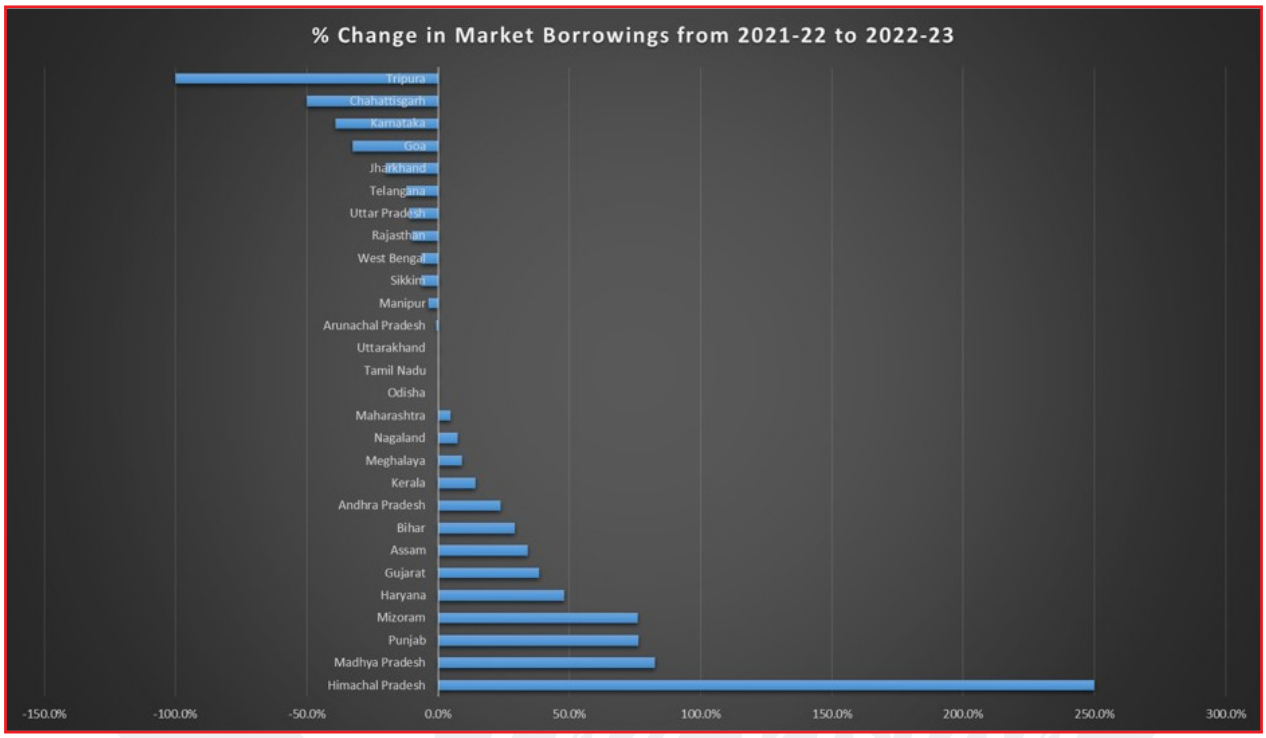

- **उच्च ऋण निर्गमन (High Debt Issuance):**
  - मार्च 2024 के दौरान वास्तविक ऋण निर्गमन आश्चर्यजनक रूप से 1.9 ट्रिलियन रुपए था, जो 1.3 ट्रिलियन रुपये की संकेतित राशि से 51% अधिक थी। कई कारकों, जैसे **आदर्श आचार संहिता (MCC)** की अवधि में बड़ी नकदी रखने की प्राथमिकता, ने कुछ राज्यों को अपनी उधारी बढ़ाने के लिये प्रेरित किया होगा।
    - यह भी संभव है कि कुछ राज्यों ने वर्ष समाप्त होने से पहले वर्ष 2023-24 के लिये अपनी उधार सीमा का एक बड़ा हिस्सा उपयोग कर लेने का विकल्प चुना है। चालू वर्ष में सकल उधारी बढ़कर 10.5-11 ट्रिलियन रुपए हो जाने का अनुमान है।
- **राज्यों द्वारा कम पूंजीगत व्यय:**
  - अनुमान किया गया कि आसन्न संसदीय चुनाव को देखते हुए वर्ष 2024 के आरंभिक सप्ताहों में पूंजीगत व्यय धीमी बनी रहेगी और चुनाव के बाद नई सरकार द्वारा केंद्रीय बजट पेश किये जाने के बाद ही इसमें गति आएगी। दुर्भाग्य से मानसून के माहों के दौरान यह सुस्ती और भी बढ़ सकती है।
    - कुल मिलाकर, इस वर्ष राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय मुख्यत: वर्ष के उत्तरार्द्ध में होने की संभावना है, जो गुज़रते वर्ष के दौरान राज्यों की बाज़ार उधारी के उपयुक्त समय को प्रभावित कर सकता है।
- **तकनीकी अक्षमता का उच्च स्तर:**
  - भारत में विभिन्न राज्य करों (जैसे स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, बिक्री कर/VAT, शराब पर उत्पाद शुल्क और मोटर वाहन कर) का संग्रहण उच्च स्तर की तकनीकी अक्षमता से ग्रस्त है।

नोट :

- यह मुख्यत: दर संरचना से संबंधित है, जैसे कि राज्यों में स्टांप शुल्क की दरें 5-8% के बीच हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय औसत 5% से कम है। उच्च कर दरों से उच्च लेनदेन लागत, कर चोरी और शहरी भूमि बाज़ारों में अस्थिरता की स्थिति बनती है।

- **मोटर वाहन कर संरचना में एकरूपता का अभाव:**
  - GST की वर्तमान दर संरचना—जिसमें 5%, 12%, 18% एवं 28% के चार टैक्स स्लैब शामिल हैं, भी जटिलता को बढ़ाती है। भारत में मोटर वाहन कर संरचना में गणना के लिये अलग-अलग आधार और अलग-अलग दरों के कारण एकरूपता का अभाव है, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में प्रति वाहन कर की दरें अलग-अलग पाई जाती हैं।
  - वाहन श्रेणियों में 'जीवनकाल' एवं वार्षिक कर दरों के लागू होने, विशिष्ट एवं यथामूल्य दरों का उपयोग और दरों की बहुलता से अंतर-राज्यीय भिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं। राजस्व में बकाया का एक बड़ा हिस्सा अदालतों और अन्य अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित बना रहता है, जिससे राज्य संभावित राजस्व से वंचित हो जाते हैं।

- **गैर-कर राजस्व उपायों का सहारा लेना:**
  - सार्वजनिक व्यय की बढ़ती मांग, कर क्षमता के विस्तार की सीमाएँ और GST शासन के तहत सामान्य सामंजस्यपूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से विचलन की सीमित गुंजाइश ने राज्यों को गैर-कर स्रोतों से राजस्व जुटाने के अवसरों की तलाश करने के लिये प्रेरित किया है।
  - गैर-कर स्रोतों से राजस्व बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों द्वारा किये गए उपायों में अन्य बातों के अलावा खनन पट्टों की ई-नीलामी, खनन खनिजों के विभिन्न क्षेत्रों में रॉयल्टी संशोधन, गुप्त खनन पर अंकुश लगाने के लिये दंड दरों में संशोधन करना आदि शामिल हैं।

- **राज्य और केंद्र सरकारों के बीच अंतर:**
  - भारत में केंद्र सरकार के पास आयकर, निगम कर और उत्पाद शुल्क जैसे प्रमुख कर लगाने की शक्ति है, जबकि राज्य स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, पेट्रोलियम उत्पादों पर VAT/बिक्री कर और शराब पर उत्पाद शुल्क जैसे कर लगा सकते हैं। केंद्र के विपरीत राज्यों के पास प्रमुख व्यय ज़िम्मेदारियाँ भी हैं (जो कई संघीय देशों में एक सामान्य विशेषता है), विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि-व्यवस्था जैसी आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं के कारण, जिससे ऊर्ध्वाधर राजकोषीय अंतर उत्पन्न होता है।
    - भारत में ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन ब्राजील और कनाडा जैसे देशों की तुलना में अधिक है। भारतीय राज्य सामान्य सरकारी करों का 37% संग्रह करते हैं जबकि कुल परिव्यय का 64% व्यय करते हैं।

- **उपकर और अधिभार से संबंधित चिंताएँ:**
  - जबकि **उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge)** मौलिक रूप से अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत उपकर और अधिभार दोनों से एकत्र राजस्व केंद्र सरकार के विशेष निपटान के अंतर्गत है, यानी इन करों को राज्य सरकारों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा उपकर से एकत्र किया गया राजस्व वर्ष 2011-12 में उसके सकल कर राजस्व के 6.4% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 17.7% हो गया।

राज्य के वित्त में सुधार के लिये विभिन्न सुझाव:

- **कर और गैर-कर राजस्व के बीच संतुलन बनाए रखना:**
  - **GSDP** के स्वयं के कर (Own Tax) और गैर-कर राजस्व अनुपात (Non-Tax Revenue Ratios) में निरंतर वृद्धि होनी चाहिये, लेकिन इस हद तक कि वे लोगों पर अनुचित बोझ न डालें और वित्तीय पुनर्गठन के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए उनकी पहल एवं उद्यम को नष्ट न करें।
  - इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार जुटाए गए वित्तीय संसाधन ऐसे चैनलों में प्रवाहित हों जो राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि परिव्यय के ठोस परिणाम प्राप्त हों।

- **कम विकसित राज्यों में निजी निवेश के प्रवाह को प्राथमिकता देना:**
  - आर्थिक सुधारों के बाद से निजी निवेश के संबंध में उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि अधिकांश निवेश उन राज्यों में आ रहा है जो अधिक विकसित हैं और जिनके पास बेहतर अवसंरचना एवं कुशल प्रशासन है।
  - द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से आधिकारिक सहायता प्रवाह भी विकसित राज्यों के पक्ष में यही प्रवृत्ति दिखाते हैं। ये छत्तीसगढ़ जैसे कम विकसित राज्यों के लिये स्पष्ट संकेत हैं जो समृद्ध संसाधनों से संपन्न हैं और उनमें विकास की प्रबल संभावनाएँ भी हैं, लेकिन उच्च विकास प्राप्त करने के लिये पर्याप्त संसाधनों की कमी है। इन राज्यों पर पर्याप्त केंद्रित ध्यान दिया जाना चाहिये।

- **12वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशें:**
  - **12वें वित्त आयोग** ने सरकारी वित्त के बहु-आयामी पुनर्गठन की सिफ़ारिश की है जो सरकारी वित्त के प्रबंधन के गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों पहलुओं पर लक्षित हो। प्रस्तावित पुनर्गठन में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:-

नोट :

- **कराधान सुधार** कराधान की गैर-विकृत एवं राजस्व लोचदार प्रणाली के निर्माण पर लक्षित हो जहाँ कर दरें कम हों, दर श्रेणियों की संख्या में सीमित हों और स्थिर हों।
- अल्पावधि में **गैर-कर राजस्व** सृजन का फोकस उपयोगकर्ता शुल्क (जैसे विशिष्ट सेवाओं के लिये शुल्क या भुगतान) पर है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये शुल्क उन सेवाओं को प्रदान करने से जुड़ी मौजूदा लागतों को कवर करते हैं। दीर्घावधि में इसका उद्देश्य धीरे-धीरे इन शुल्कों को उस बिंदु तक बढ़ाना है जहाँ वे सेवाएँ प्रदान करने की पूरी लागत को कवर करते हैं; इस प्रकार करों जैसे राजस्व के अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम हो जाती है।
- **सरकारी व्ययों** को उनके समग्र आकार एवं उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित करने के तरीके—दोनों के संदर्भ में पुनर्गठन की आवश्यकता है। इसका लक्ष्य धन के गलत आवंटन के परिणामस्वरूप होने वाली अक्षमताओं को दूर करना है। इसमें योजनाओं को फिर से डिज़ाइन एवं लागू करना और साथ ही सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधनों का प्रभावी ढंग से और कुशलता से उपयोग किया जा सके।
- **सब्सिडी की कुल मात्रा को कम कर उन्हें युक्तियुक्त बनाना**, उन्हें स्पष्ट कर उनकी पारदर्शिता को बढ़ाना और उनके लक्ष्यीकरण में सुधार करना।
- **राजकोषीय हस्तांतरण प्रणाली** जहाँ समतामूलक हस्तांतरण को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है और स्थानीय निकायों तक इसका विस्तार किया जाता है।
- स्थानीय सार्वजनिक कल्याण की आपूर्ति में अधिक प्रभावी साधन बनने के लिये **स्थानीय निकायों की भूमिका को सुदृढ़ करना**।
- **ऋण और घाटे की सीमा** और राज्य स्तरीय राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के माध्यम से उनकी निगरानी के लिये तंत्र निर्माण सहित संस्थागत ढाँचे का सुझाव देना।

- **15वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशें:**
  - CSS के लिये वार्षिक आवंटन हेतु एक सीमा तय की जानी चाहिये जिसके नीचे CSS के लिये वित्तपोषण रोक दिया जाना चाहिये (CSS को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये जिसकी उपयोगिता अब समाप्त हो गई है या जिसका परिव्यय नगण्य है)। सभी CSS का थर्ड-पार्टी मूल्यांकन एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिये। वित्तपोषण पैटर्न को पारदर्शी तरीके से पहले से तय किया जाना चाहिये और स्थिर रखा जाना चाहिये।
  - राज्यों को अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान में संशोधन करना चाहिये ताकि केंद्र के विधान (विशेष रूप से ऋण की परिभाषा के संदर्भ में) के साथ संगतता सुनिश्चित की जा सके। राज्यों के पास **भारतीय रिज़र्व बैंक** से प्राप्त WMA (Ways and Means Advances) और ओवरड्राफ्ट सुविधा (overdraft facility) के अलावा भी अल्पकालिक उधार के अधिक उपाय होने चाहिये। राज्य अपने उधार कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिये एक स्वतंत्र 'ऋण प्रबंधन सेल' का सृजन कर सकते हैं।
- **राजस्व घाटे को युक्तियुक्त बनाना:**
  - यह माना जाता है कि किसी भी स्थिति में राज्य को राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये उधार का सहारा नहीं लेना चाहिये। किसी भी स्थिति में पूंजीगत प्राप्तियों को राज्य सरकार के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये उपयोग नहीं किया जाना चाहिये। यह सार्वजनिक वित्त का एक ठोस और समय की कसौटी पर खरा उतरा सिद्धांत है। लेकिन राज्य में निवेश बढ़ाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **राजकोषीय घाटा** बढ़ सकता है।
- **खनिजों पर रॉयल्टी दरों का लाभ उठाना:**
  - राज्य सरकार के पास खनिजों पर रॉयल्टी की दरें बढ़ाने की शक्ति नहीं है। यह शक्ति केंद्र सरकार के पास है, लेकिन वह आवश्यकतानुसार दरों में संशोधन नहीं कर रही है। यह अनुशंसा की गई है कि चूँकि खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी खनिज-समृद्ध राज्य के राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन सकती है, इसलिये रॉयल्टी की दरों को नियमित अंतराल पर संशोधित किया जाना चाहिये और **यथामूल्य आधार (ad valorem basis)** पर अधिरोपित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

राज्य सरकारों के वित्त में सुधार के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें अधिक राजस्व जुटाना, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों का कुशल उपयोग शामिल हो। राज्य सरकारों को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, गैर-आवश्यक व्यय को कम करने और नवीन वित्तपोषण तंत्र की खोज करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय नीतियों की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय भी महत्त्वपूर्ण है। इन रणनीतियों को अपनाकर राज्य सरकारें अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकती हैं और अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकती हैं।

नोट :

भारत की खाद्य प्रणालियों का उन्नयन

भारत विश्व की सबसे तेज़ी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश की लगभग आधी आबादी का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है। पिछले कुछ दशकों में **विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों** ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि में तेज़ी से योगदान दिया है, जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान कम हुआ है। भारत में अभूतपूर्व कृषि संकट लगभग एक दशक से देश भर के किसानों को प्रभावित कर रहा है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में केंद्रीय स्थिति रखते हैं। इसे देखते हुए और एक संवहनीय भविष्य को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान प्राकृतिक, पुनर्योजी एवं जैविक प्रणालियों सहित प्रौद्योगिकी-सक्षम संवहनीय खेती को बढ़ावा देने का उपयुक्त दृष्टिकोण प्रकट किया। सरकार कम उत्पादकता, उच्च इनपुट लागत, बाज़ार में उतार-चढ़ाव, जलवायु परिवर्तन, ऋणग्रस्तता और संस्थागत समर्थन की कमी जैसी किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिये कई उपाय कर रही है।

इस गति को बनाये रखने के लिये निवर्तमान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से योजनाएँ तैयार करने के लिये कहा है जिनकी घोषणा वह अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में करना चाहती है। मंत्रालयों द्वारा विभिन्न विशेषज्ञों से संपर्क किया जा रहा है ताकि उन्हें ऐसा उपयुक्त नीति ढाँचा तैयार करने में मदद मिल सके जो 'विकसित भारत@2047' के दृष्टिकोण के अनुरूप हो।

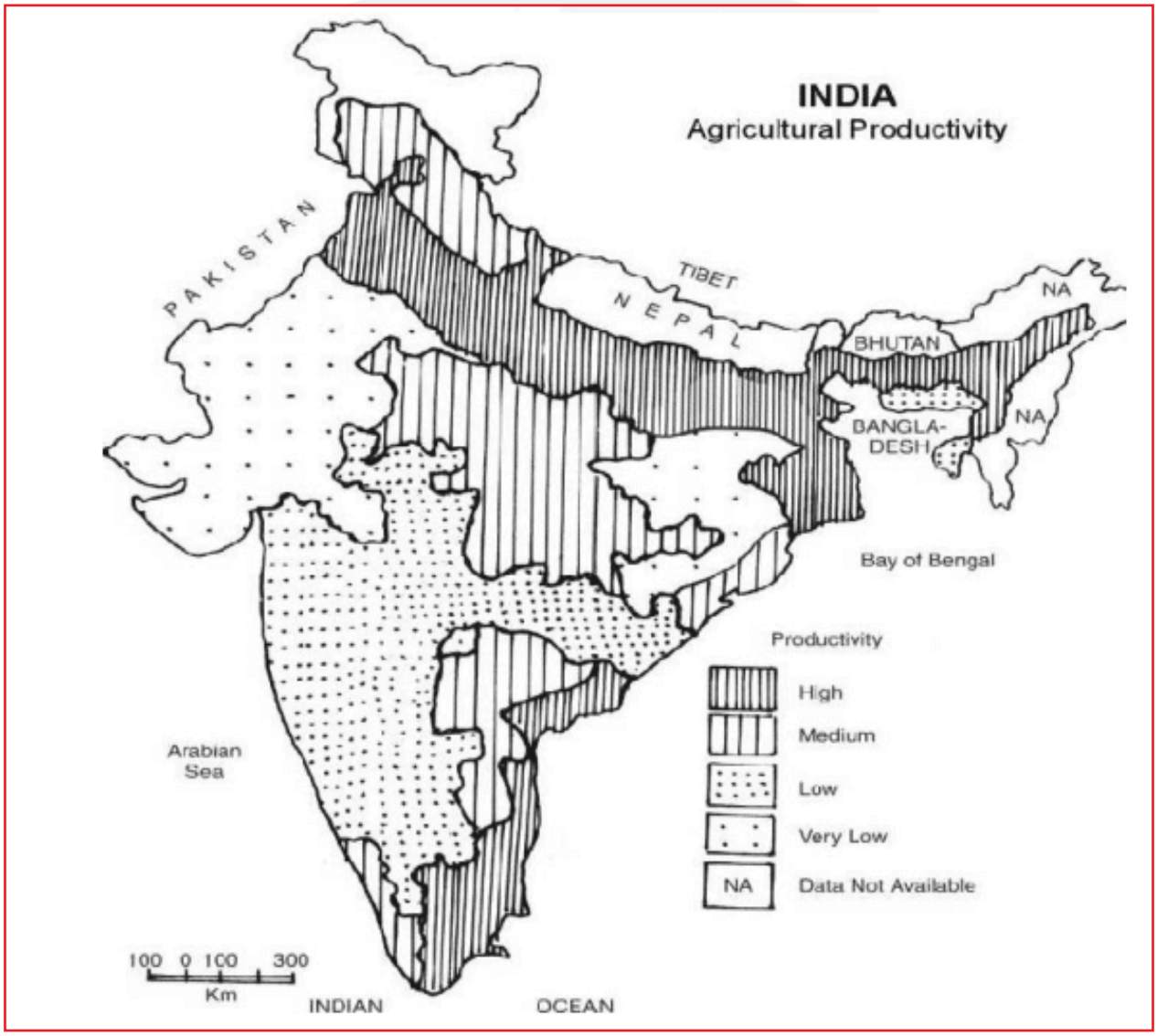

नोट :

भारत में उपयुक्त कृषि-खाद्य प्रणाली सुनिश्चित करने की राह से संबंधित विभिन्न चुनौतियाँ:

- **जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन:**
  - जल के उपयोग की सीमांत लागत लगभग शून्य होने के कारण किसानों ने कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल-गहन फसलों की खेती शुरू कर दी है और जल-आधारित अभ्यासों तथा बे-मौसमी खेती को अपना लिया है। हालाँकि कृषि क्षेत्र का आधा भाग वर्षा-सिंचित है तथा सिंचाई साधनों तक पहुँच नहीं रखता और कृषि क्षेत्र देश में उपयोग किये जाने वाले कुल जल में लगभग 90% की हिस्सेदारी रखता है।
    - पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के पारंपरिक रूप से मूंगफली एवं कपास उत्पादक क्षेत्रों में **धान की एकल कृषि या 'मोनोकल्चर'** का उभार, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में गन्ने का विस्तार, राजस्थान में चरम ग्रीष्मकाल में मूंगफली की खेती और ऐसे कई मामले इसकी पुष्टि करते हैं।
      - इस प्रकार, देश में विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों की कृषि-जलवायु उपयुक्तता का पूर्ण उल्लंघन करते हुए फसलों का एक नया भूगोल ही उभर गया है।
- **प्रकृति की उपेक्षा और फसल विविधता की हानि:**
  - वास्तविक फसल पैटर्न और विभिन्न फसलों के लिये आवंटित रकबा कृषि-जलवायु दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। यह विचलन मुख्य रूप से नीतिगत समर्थन और विभिन्न फसलों के लिये प्रौद्योगिकी की प्रगति में असमानताओं के कारण उत्पन्न हुआ है।
  - **हरित क्रांति** प्रौद्योगिकी और कुछ फसलों के पक्ष में प्रौद्योगिकीय एवं नीतिगत पूर्वाग्रह ने न केवल फसल पैटर्न में विकृतियाँ पैदा की हैं, बल्कि इसके परिणामस्वरूप कुछ फसलों के तहत कृषि क्षेत्र की एकाग्रता में वृद्धि हुई है और फसल विविधता में भारी गिरावट आई है।
    - 1970 के दशक की शुरुआत में पंजाब में शुद्ध बुआई क्षेत्र के 10.8% और हरियाणा में 8% पर धान की खेती की जा रही थी। वर्ष 2020 तक पंजाब में यह हिस्सेदारी बढ़कर 73.3% और हरियाणा में 39.5% हो गई है। इसी प्रकार, हरित क्रांति की शुरुआत के बाद गन्ने की खेती का क्षेत्र महाराष्ट्र में चार गुना और उत्तर प्रदेश में दोगुना हो गया।
- **कम दक्षता और मूल्य प्रेरित विकास:**
  - कृषि क्षेत्र में भारत की वृद्धि हालाँकि अधिकांश उत्पादों और राज्यों में प्रभावशाली रही है, लेकिन यह अभी भी क्षमता से कम बनी हुई है।
    - हमारा उत्पादकता स्तर प्रमुख कृषि देशों की तुलना में कम है। इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण भी धीमी गति से हो रहा है।
  - प्रौद्योगिकी, उत्पादन के तरीके और फसल कटाई के बाद के मूल्य संवर्द्धन में अपेक्षित बदलाव बड़े पैमाने पर परिलक्षित नहीं हो रहे हैं।
    - खेतों में उर्वरक का एकसमान वितरण (broadcasting of fertilizer) और बाढ़ सिंचाई (flood irrigation) जैसे इनपुट के व्यापक रूप से उपयोग को शामिल करने वाली कृषि पद्धतियों में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं दिख रहा है।
- **असंतुलन और क्षेत्रीय असमानताएँ:**
  - गुज़रते समय के साथ मांग और घरेलू उत्पादन के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा है। भारत चावल, गेहूँ एवं चीनी का बड़ा अधिशेष जमा कर रहा है जो सरकारी खजाने के लिये भारी लागत उत्पन्न करता है।
  - इसका अंतर्निहित कारण केंद्र द्वारा उत्पादन मूल्य में वृद्धि करना एवं चावल के लिये बोनस का भुगतान करना और कुछ राज्यों द्वारा **कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)** की सिफ़ारिशों और इस क्रम में मांग एवं आपूर्ति या बाज़ार की स्थिति की उपेक्षा कर गन्ने के लिये **उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP)** में वृद्धि करना है।
    - दूसरी ओर, भारत में खाद्य तेल का घाटा वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। देश वनस्पति तेलों की अपनी घरेलू आवश्यकता का 55% आयात से पूरा करता है।
    - इस प्रकार, घरेलू बाजार में घरेलू तिलहन उत्पादन में 127% वृद्धि को अवशोषित करने की गुंजाइश है।
- **व्यर्थ निवेश:**
  - प्रमुख, मध्यम और सूक्ष्म सिंचाई में निवेश कृषि में सार्वजनिक निवेश का एक बड़ा हिस्सा है। इन निवेशों का उद्देश्य सतही जल सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना था।
    - देश ने वर्ष 2007-08 के बाद से प्रत्येक वर्ष **पूंजीगत व्यय** के रूप में 30,000 करोड़ रुपए और नहरों के

नोट :

संचालन एवं रखरखाव के रूप में भी एक बड़ी राशि खर्च की, लेकिन नहर सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र में या तो कोई विस्तार नहीं हो रहा या इनमें गिरावट ही आ रही है।

- व्यय के एक बड़े हिस्से का उपयोग करने के बाद भी कई प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ छोटी-छोटी बाधाओं, जैसे छोटे खंडों में वन मंज़ूरी, जलग्रहण क्षेत्र विकास, वितरिकाओं एवं फील्ड चैनलों के निर्माण आदि के कारण अवरुद्ध बनी हुई हैं। कुछ प्रमुख सिंचाई कार्यों के पूरा होने में देरी का एक अन्य कारण अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय विवाद भी है।

- **प्रौद्योगिकी सृजन और प्रसार:**
  - कृषि संबंधी समस्याएँ अधिक जटिल होती जा रही हैं और संबंधित अनुसंधान अधिक पूंजी गहन होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस उत्सर्जन में कृषि की हिस्सेदारी और संवहनीयता संबंधी चिंताएँ अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रणाली द्वारा संबोधित की जाने वाली चुनौतियों को और बढ़ाती हैं।
  - विकसित विश्व में अनुसंधान के प्रसार की गुंजाइश कम हो रही है और **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)** के मुद्दे जटिल होते जा रहे हैं। ये बाह्य दुनिया और निजी क्षेत्र से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को महंगा बना रहे हैं।
  - यद्यपि कृषि अनुसंधान और उच्च शिक्षा काफी हद तक राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) की ज़िम्मेदारी है, **ICAR** द्वारा कृषि क्षेत्र से संबंधित किसी भी चुनौती एवं मुद्दे को संबोधित किया जाना आवश्यक है। जनमत द्वारा व्यापक रूप से कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रतिकूल विकास के लिये ICAR को ज़िम्मेदार माना जाता है। परिणामस्वरूप, समय के साथ ICAR का पोर्टफोलियो SAUs से अधिक बड़ा होता जा रहा है।
- **छोटे भूमि धारकों की व्यवहार्यता:**
  - भारत और अधिकांश एशियाई देशों में कृषि पर छोटी जोत का प्रभुत्व है। वर्ष 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार, 68% कृषि जोतें 1 हेक्टेयर से कम भूमि क्षेत्र पर संचालित होती हैं। इसके अलावा, 85% कृषक परिवार 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करते हैं।
  - भूमि जोत का यह छोटा आकार सामान्य कृषि पद्धतियों और उत्पादों से पर्याप्त आय उत्पन्न नहीं करता है। छोटे धारकों को भी इनपुट और आउटपुट बाज़ारों में (जहाँ विभिन्न प्रकार की संस्थागत मदद की आवश्यकता होती है) आकारिक मितव्ययिता या 'स्केल इकोनॉमी' की समस्या का भी सामना करना पड़ता है।
- **पोषण, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य:**
  - भारत के पोषण संकेतक और बाल स्वास्थ्य संकेतक निम्न हैं। **संयुक्त राष्ट्र** के **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** के अनुसार, भूखे या अल्पपोषित लोगों की सबसे बड़ी संख्या भारत में पाई जाती है।
  - **वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index)** में भारत की स्थिति वर्ष दर वर्ष निम्न बनी हुई है, जबकि वह सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया है जो अपने उत्पादन के लगभग 15% की विश्व बाज़ार में बिक्री करता है। भारत 'प्रचुर उत्पादन के बीच भुखमरी' (hunger in the midst of plenty) की विरोधाभासी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।
- **आउटपुट और कार्यबल में संरचनात्मक परिवर्तनों के बीच असंगति:**
  - जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, राष्ट्रीय **सकल मूल्य वर्द्धित (GVA)**—जो राष्ट्रीय आय और रोज़गार की एक माप है—में कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट का अनुभव होगा। अर्थव्यवस्था की वृद्धि जितनी अधिक होगी, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन भी उतनी ही तेज़ी से होगा।
  - भारत में वर्ष 1950-51 और 1970-71 के बीच, वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में कृषि की हिस्सेदारी 61.7% से घटकर 49.6% रह गई, जबकि रोज़गार में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 69% से अधिक पर अटकी रही। इसके अगले दो दशकों में रोज़गार में क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर 59% और आय में हिस्सेदारी घटकर 35.1% रह गई।
  - वर्ष 1990-91 के बाद अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेज़ी आई जिसके परिणामस्वरूप कृषि की हिस्सेदारी में भी तेज़ी से गिरावट आई। हालाँकि, कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट राष्ट्रीय आय में क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट के अनुरूप नहीं रही। वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय आय और रोज़गार में कृषि की हिस्सेदारी क्रमशः 18.3% और 54.6% थी।

नोट :

- **किसानों की निम्न आय:**
  - राष्ट्रीय आय और रोज़गार में कृषि की विषम हिस्सेदारी कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में प्रति श्रमिक आय में असमानता को दर्शाती है। मैक्रो स्तर पर, गैर-कृषि क्षेत्र में प्रति श्रमिक आय एक औसत कृषि श्रमिक (जिसमें खेतिहर मज़दूर और कृषक शामिल हैं) की आय का 3.75 गुना है।
    - देश में प्रति किसान निम्न आय के प्रमुख कारणों में भूमि का छोटा एवं सिकुड़ता आकार, अतिरिक्त कार्यबल, निम्न उत्पादकता और बदतर कार्यशील बाज़ार शामिल हैं।

कृषि उत्पादकता में सुधार के लिये आवश्यक कदम:

कृषि-खाद्य क्षेत्र के लिये कुछ सुझाव दिये गए हैं। ये सुझाव जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में खाद्य सुरक्षा पर **एशियाई विकास बैंक (ADB)** द्वारा आयोजित चार दिवसीय फोरम के दौरान विशेषज्ञों के साथ संपन्न संवाद पर आधारित हैं ।

- **कुल कारक उत्पादकता बढ़ाना:**
  - कृषि को न केवल खाद्य, फाइबर और यहाँ तक कि **जैव ईंधन** का उत्पादन करना होगा, बल्कि इसे कम संसाधनों के साथ ऐसा करना होगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2047 तक भारत की जनसंख्या लगभग 1.6 बिलियन हो जाएगी।
    - इस परिदृश्य में देश पर अधिक पेट भरने का बोझ होगा। आय में धीरे-धीरे वृद्धि के साथ लोगों द्वारा अधिक और बेहतर खाद्य की माँग बढ़ेगी।
  - भूमि, जल, श्रम और उर्वरक एवं कृषि मशीनरी जैसे इनपुट के उपयोग में दक्षता महत्त्वपूर्ण होने जा रही है। दूसरे शब्दों में, हमें अपनी कुल कारक उत्पादकता (total factor productivity) बढ़ाने का लक्ष्य रखना होगा।
    - कृषि संबंधी अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और विस्तार में अधिक संसाधनों के निवेश से यह किया जा सकता है।
- **जलवायु अनुकूल कृषि का सृजन:**
  - **ग्लोबल वार्मिंग** से प्रेरित चरम मौसमी घटनाओं से उत्पादन प्रणाली के लिये खतरा उत्पन्न हो रहा है। वास्तविक समाधान जलवायु-प्रत्यास्थी या स्मार्ट कृषि के सृजन के लिये संसाधनों का निवेश करने में निहित है।
    - इसका अभिप्राय है कि उन बीजों में अधिक निवेश करना होगा जो गर्मी और बाढ़ प्रतिरोधी हैं। जल संसाधनों में भी अधिक निवेश करना होगा, न केवल उनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिये बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिये भी कि जल का अधिक विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जा रहा है।
    - **'प्रति बूँद अधिक फसल'** को महज नारा नहीं बल्कि वास्तविकता में साकार करना होगा। परिशुद्ध कृषि के अंग के रूप में ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई और संरक्षित खेती को आज की तुलना में कहीं अधिक बड़े पैमाने पर अपनाना होगा।
- **कुशल मूल्य शृंखलाओं का निर्माण:**
  - वर्ष 2047 तक **भारत की दो-तिहाई से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में वास कर रही होगी,** जो वर्तमान के लगभग 36% से अधिक होगी। उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिस्की अनदेखी नहीं की जा सकती और न ही किया जाना चाहिये।
    - इसका तात्पर्य यह है कि अधिकांश खाद्य को भीतरी इलाकों से शहरी क्षेत्रों की ओर ले जाना होगा।
    - इसके लिये परिवहन से लेकर भंडारण और प्रसंस्करण से लेकर संगठित खुदरा बिक्री तक बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक क्रांति की आवश्यकता होगी।
    - इससे मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश के अवसर खुलेंगे। नई सरकार को 'भारत@2047' के लिये उपयुक्त कानूनों में बदलाव कर इस रूपांतरण को सुविधाजनक बनाना होगा।
- **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) या सहकारी समितियों को बढ़ावा देना:**
  - खाद्य प्रणाली के इस रूपांतरण में, जबकि बीज उद्योग से लेकर कृषि मशीनरी तक और प्रसंस्करण से लेकर खुदरा बिक्री तक सभी खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, खेती अभी भी छोटी से छोटी जोतों में बँटती जा रही है।
  - चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि इन छोटे भूमि धारकों को **किसान उत्पादक संगठनों** या **सहकारी समितियों** के माध्यम से एक साथ लाया जाए (जैसा कि अमूल द्वारा दूध क्षेत्र में किया गया था), ताकि उस वृहत पैमाने का सृजन किया जा सके जिसकी मांग प्रसंस्करणकर्ताओं, संगठित खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों द्वारा की जा रही है।
    - समावेशी भारत के लिए यह संस्थागत नवाचार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

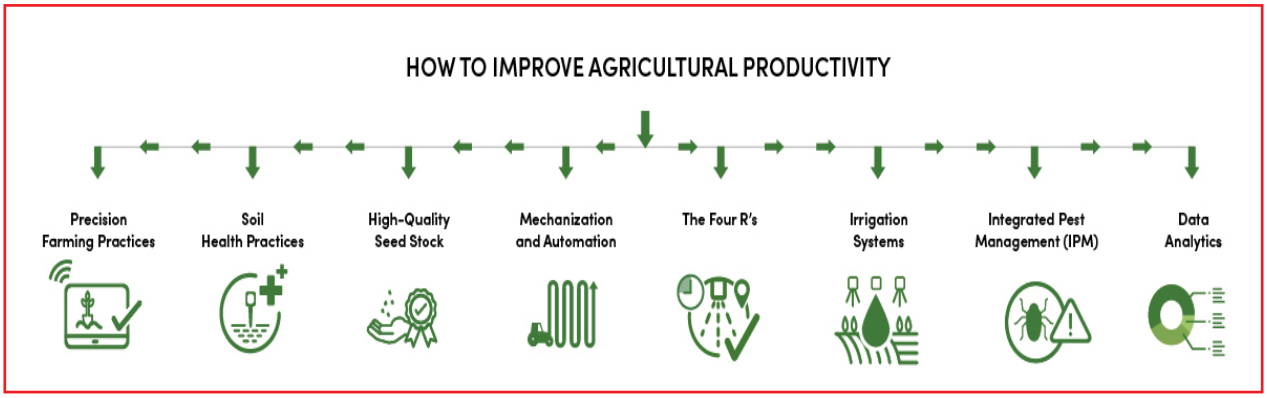

- **साधारण खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर आगे बढ़ना:**
  - उपभोग के मामले में, साधारण खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़ते हुए पोषण सुरक्षा की ओर जाने की ज़रूरत है। कुपोषण की स्थिति, विशेष रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये, चिंताजनक है और वर्तमान में 35% बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं।
    - स्थिति में सुधार के लिये, स्वच्छता, महिला शिक्षा और टीकाकरण के अलावा हमारे आहार को सूक्ष्म पोषक तत्वों से संपन्न या 'फोर्टिफाई' करने की भी आवश्यकता है।
  - सरकार ने जिंक युक्त चावल और गेहूँ के साथ शुरुआत की है, लेकिन **बीटा कैरोटीन (विटामिन A से भरपूर)** से संपन्न गोल्डन चावल से अभी कतरा रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा एवं अमेरिका ने इसे सुरक्षित घोषित किया है और यहाँ तक कि बांग्लादेश और फिलीपींस ने भी इसके परीक्षण की अनुमति दे दी है।
    - चावल हमारा प्रमुख फसल है और आज जो बच्चे कुपोषित हैं उनमें से अधिकांश चावल का भरपूर सेवन करते हैं। इसलिये इसे उच्च पोषक तत्वों के साथ संपन्न करने की ज़रूरत है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी की आवश्यकता:**
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership) आगे बढ़ने का उपयुक्त रास्ता है। निजी क्षेत्र कुशल मूल्य शृंखलाओं का निर्माण कर सकता है और ऐसे बीज पैदा कर सकता है जो जलवायु-प्रत्यास्थी एवं अधिक पौष्टिक हों।
  - सरकार को एक अनुकूल नीतिगत ढाँचा प्रदान करना होगा। जब सरकार उद्योग के लिये **PLI जैसी योजनाएँ** तैयार कर सकती है तो ऐसा भविष्य की खाद्य प्रणालियों के रूपांतरण के लिये भी किया जाना चाहिये।
- **विकास से कुशल-विकास की ओर आगे बढ़ना:**
  - इसके लिये कृषि प्रौद्योगिकी के उन्नयन, कृषि पद्धतियों में आधुनिक कौशल के अनुप्रयोग, खेती में नए नवाचार और उर्वरक, जल एवं अन्य इनपुट के उपयोग में बर्बादी को कम करने की आवश्यकता है।
    - जल एवं उर्वरक जैसे इनपुट के प्रचुर एवं अंधाधुंध उपयोग को हतोत्साहित करने और उनके इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिये इनपुट मूल्य निर्धारण नीति में भी बदलाव की आवश्यकता होगी।
  - डिजिटल प्रौद्योगिकी किसानों तक प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान के आसान प्रसार के माध्यम से दक्षता में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **अधिशेष प्रबंधन:**
  - खाद्य का घरेलू उपयोग घरेलू उत्पादन की तुलना में निम्न दर से बढ़ा है। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1 किलोग्राम से कुछ अधिक खाद्य का उत्पादन एवं उपभोग करता था। हाल के वर्षों में उत्पादन धीरे-धीरे बढ़कर 1.73 किलोग्राम हो गया है, जबकि घरेलू उपभोग बढ़कर 1.59 किलोग्राम हो गया है। इससे पता चलता है कि पिछले 35 वर्षों से खाद्य अधिशेष लगातार बढ़ रहा है।
  - इस परिदृश्य में खाद्य नीति में कमी प्रबंधन से अधिशेष प्रबंधन की ओर पूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। इससे यह भी पता चलता है कि भारत में अधिकांश अल्पपोषण खाद्य

नोट :

की अनुपलब्धता के कारण नहीं है, बल्कि यह खाद्य के कम ग्रहण के कारण है। भारत को अधिशेष खाद्य उपज के निपटान के लिये विदेशी बाज़ार की तलाश करनी होगी।

खाद्य प्रणालियों और कृषि उत्पादकता में सुधार में प्रौद्योगिकी का योगदान:

- **उत्पादकता बढ़ाना:**
  - **परिशुद्ध खेती:** रोपण, सिंचाई और उर्वरक डालने की प्रक्रियाओं को इष्टतम करने के लिये **जीपीएस**, सेंसर एवं ड्रोन का उपयोग, जिससे अधिक पैदावार होती है और संसाधन की बर्बादी कम होती है।
  - **मशीनीकरण:** ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और प्लांटर्स जैसी मशीनरी का उपयोग, जो शारीरिक श्रम को कम करता है और कृषि कार्यों में दक्षता को बढ़ाता है।
  - **जैव प्रौद्योगिकी:** कीटों, बीमारियों और पर्यावरणीय तनावों के प्रति बेहतर प्रतिरोध रखने वाले **आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों** का विकास, जो पैदावार एवं गुणवत्ता में सुधार लाता है।
- **संसाधन प्रबंधन में सुधार:**
  - **जल प्रबंधन: ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई** जैसी कुशल सिंचाई प्रणालियों के लिये प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो जल का संरक्षण करता है और फसल पैदावार में सुधार लाता है।
  - **मृदा स्वास्थ्य की निगरानी:** मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के स्तर का आकलन करने के लिये सेंसर एवं इमेजिंग तकनीक का उपयोग करना, जो लक्षित उर्वरकीकरण और मृदा संरक्षण अभ्यासों को सक्षम करता है।
  - **मौसम का पूर्वानुमान:** कृषि गतिविधियों की बेहतर योजना और प्रबंधन के लिये रियल-टाइम मौसम डेटा तक पहुँच, जो मौसम संबंधी आपदाओं के जोखिम को कम करता है।
- **बाज़ार पहुँच को सुगम बनाना:**
  - **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म:** किसानों द्वारा बाज़ारों तक पहुँचने, कीमतों पर सौदेबाज़ी करने और सीधे उपभोक्ताओं को उपज बेचने के लिये ऑनलाइन मार्केटप्लेस एवं मोबाइल एप्लीकेशन (जैसे **e-NAM portal**) का उपयोग करना, जहाँ बिचौलियों की समाप्ति के साथ मुनाफे की वृद्धि होती है।
  - **आपूर्ति शृंखला प्रबंधन:** खेत से बाज़ार तक उपज की ट्रैकिंग एवं निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित होता है और फसल की बर्बादी को कम किया जा सकता है।
- **संवहनीयता को बढ़ावा देना:**
  - **छोटे किसानों को सशक्त बनाना:** प्रौद्योगिकी में सूचना, बाज़ार और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के रूप में छोटे किसानों को सशक्त बनाने की क्षमता है।
    - मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म मूल्यवान कृषि संबंधी सलाह, बाज़ार मूल्य और मौसम पूर्वानुमान प्रदान करते हैं, जिससे किसानों को सूचित निर्णय लेने और उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद मिलती है।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा:** खेतों को बिजली देने के लिये सौर पैनलों और जैव-ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है और कार्बन उत्सर्जन का शमन करता है।
  - **डेटा-आधारित निर्णय लेना:** फसल प्रबंधन पर सूचित निर्णय लेने के लिये सेंसर, उपग्रहों एवं ड्रोन से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करना, जिससे अधिक **संवहनीय कृषि पद्धतियों** को बढ़ावा मिलता है।
    - उदाहरण के लिये, पूर्वानुमानकारी विश्लेषण किसानों को कीटों के प्रकोप का अनुमान लगाने या इष्टतम रोपण समय की पहचान करने में मदद कर सकता है, सक्रिय प्रबंधन रणनीतियों को सक्षम कर सकता है और जोखिमों को कम कर सकता है।

निष्कर्ष:

किसानों की आय में उल्लेखनीय एवं स्थिर वृद्धि के लिये और कृषि के रूपांतरण के लिये कृषि क्षेत्र के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण में आमूल-चूल बदलाव की आवश्यकता है। आधुनिक एवं जीवंत कृषि के लिये एक सक्षम वातावरण के निर्माण के लिये पुराने विनियमनों में परिवर्तन और इस क्षेत्र का उदारीकरण आवश्यक है। विज्ञान प्रेरित प्रौद्योगिकी में प्रगति, कटाई से पहले और बाद के चरणों में निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भूमिका, उदारीकृत उत्पादन बाज़ार, सक्रिय भूमि पट्टा बाज़ार और दक्षता पर बल कृषि को 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने तथा नए भारत के लक्ष्य में योगदान करने में सक्षम बनाएगा।

भारत का आर्कटिक अभियान

दिसंबर 2023 में जब चार भारतीय जलवायु वैज्ञानिक **आर्कटिक** में भारत के पहले शीतकालीन अभियान के लिये पारिस्थिति-अनुकूलन (acclimatisation) शुरू करने के उद्देश्य से ओस्लो (नॉर्वे) पहुँचे तो उन्हें इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। नॉर्वे के स्वालबार्ड में अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक रिसर्च बेस में अवस्थित भारत का अनुसंधान स्टेशन 'हिमाद्री' अब तक केवल ग्रीष्मकालीन मिशन की ही मेजबानी करता था। इस शीतकालीन

नोट :

अभियान में कठोर पारिस्थिति-अनुकूलन की अवधि के बाद तीव्र ठंड (-15 डिग्री सेल्सियस से कम) में अनुसंधान स्टेशन पर रहना और कार्य करना शामिल है। भारतीय शोधकर्ताओं के लिये अधिक चिंताजनक यह था कि वे ध्रुवीय रातों की चुनौतीपूर्ण संभावना का सामना कैसे करेंगे। आर्कटिक क्षेत्र की क्षमता का संवहनीय दोहन करने के लिये इन चुनौतियों से निपटना अब भारत के लिये आवश्यक हो गया है।

आर्कटिक क्षेत्र (Arctic Region):

- **अवस्थिति और भूगोल:**
  - आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, जो उत्तरी ध्रुव के आसपास केंद्रित है।
  - इसमें आर्कटिक महासागर और कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे एवं ग्रीनलैंड सहित कई देशों के हिस्से शामिल हैं।
  - इस क्षेत्र में अत्यधिक ठंडे तापमान का अनुभव होता है, विशेषकर शीतकाल में अधिकांश क्षेत्र हिम से ढका रहता है।
- **जलवायु और पर्यावरण:**
  - आर्कटिक की विशेषता इसकी ठंडी जलवायु है, जहाँ तापमान प्रायः शून्य से नीचे चला जाता है।
  - यह क्षेत्र हिम से आच्छादित है, जिसमें समुद्री हिम और हिमच्छद (ice caps) शामिल हैं, जो सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करके पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - आर्कटिक में एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है, जहाँ ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ वास करती हैं।

नोट :

आर्कटिक क्षेत्र का महत्त्व:

- **आर्थिक महत्त्व:**
  - आर्कटिक क्षेत्र में कोयला, जिप्सम और हीरे के समृद्ध भंडार मौजूद हैं, जबकि जस्ता, सीसा, प्लसर सोना और क्वार्ट्ज के भी पर्याप्त भंडार हैं।
    - अकेले **ग्रीनलैंड** के ही पास दुनिया के दुर्लभ मृदा तत्व भंडार का लगभग एक चौथाई भाग मौजूद है।
    - आर्कटिक में अभी तक अनन्वेषित हाइड्रोकार्बन संसाधनों का भी बड़ा भंडार मौजूद है, जो विश्व के गैर-आविष्कृत प्राकृतिक गैस का 30% है।
  - भारत विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत** करने वाला देश और तीसरा सबसे बड़ा **तेल आयातक** है। हिम के पिघलन में वृद्धि इन संसाधनों को निष्कर्षण के लिये अधिक सुलभ एवं व्यवहार्य बनाती है।
    - इस प्रकार, आर्कटिक संभावित रूप से **भारत की ऊर्जा सुरक्षा** आवश्यकताओं और रणनीतिक एवं दुर्लभ मृदा खनिजों की कमी को संबोधित कर सकता है।
- **भौगोलिक महत्त्व:**
  - आर्कटिक विश्व की **महासागरीय धाराओं** के परिसंचरण और ठंडे एवं गर्म जल को दुनिया भर में ले जाने में मदद करता है।
    - इसके अलावा, आर्कटिक समुद्री हिम ग्रह के शीर्ष पर एक विशाल श्वेत परावर्तक के रूप में कार्य करता है, जो सूर्य की कुछ किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेज देता है, जिससे पृथ्वी को एक समान तापमान पर रखने में मदद मिलती है।
- **भू-राजनीतिक महत्त्व:**
  - आर्कटिक के हिम के पिघलने से भू-राजनीतिक तापमान भी उस स्तर तक बढ़ रहा है जो शीत युद्ध के बाद से नहीं देखा गया। चीन ने ट्रांस-आर्कटिक शिपिंग मार्गों को 'पोलर सिल्क रोड' के रूप में संदर्भित किया है, जहाँ इसे **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के लिये तीसरे परिवहन गलियारे के रूप में चिह्नित किया है और रूस के अलावा वह एकमात्र देश है जो 'न्यूक्लियर आइस-ब्रेकर' का निर्माण कर रहा है।
    - इस परिदृश्य में, आर्कटिक में चीन की सॉफ्ट पावर चालों का मुक़ाबला करना अत्यंत आवश्यक है और इसी क्रम में भारत भी अपनी **आर्कटिक नीति** के माध्यम से आर्कटिक राज्यों में गहरी दिलचस्पी ले रहा है।
- **पर्यावरणीय महत्त्व:**
  - आर्कटिक और **हिमालय** हालाँकि भौगोलिक रूप से दूर स्थित हैं, लेकिन आपस में संबद्ध हैं और सदृश चिंताएँ साझा करते हैं। आर्कटिक का पिघलन वैज्ञानिक समुदाय को हिमालय में हिमनदों के पिघलन को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है। उल्लेखनीय है कि हिमालय को प्राय: 'तीसरा ध्रुव' (third pole) कहा जाता है और यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के बाद मीठे जल का का सबसे बड़ा भंडार रखता है।
    - इसलिये आर्कटिक का अध्ययन भारतीय वैज्ञानिकों के लिये महत्त्वपूर्ण है। इसी क्रम में भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया और स्वालबार्ड द्वीपसमूह (नॉर्वे) में **'हिमाद्रि' अनुसंधान केंद्र** स्थापित किया। तब से भारत सक्रिय रूप से वहाँ अनुसंधान कार्यों में संलग्न है।

आर्कटिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती रुचि के पीछे कारण:

- **आर्कटिक सागर क्षेत्र के समान जलवायु घटनाएँ:**
  - एक दशक से भी अधिक समय से भारत के **राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (National Centre for Polar and Ocean Research)** को आर्कटिक में शीतकालीन मिशन का कोई कारण नज़र नहीं आया था। भारतीय नीति में बदलाव तब आया जब वैज्ञानिक डेटा से प्रकट हुआ है कि आर्कटिक पहले की तुलना में अधिक तेज़ी से गर्म हो रहा है। जब भारत में विनाशकारी जलवायु घटनाओं को आर्कटिक सागर के हिम पिघलन से संबद्ध करने वाले तथ्य सामने आए तब निर्णय निर्माताओं को इस दिशा में कार्रवाई के लिये विवश होना पड़ा।

नोट :

- **संभावनाशील व्यापार मार्ग:**
  - भारत आर्कटिक समुद्री मार्ग, विशेष रूप से **उत्तरी समुद्री मार्ग (Northern Sea Route)** के खुलने से उत्साहित है और इस क्षेत्र के माध्यम से भारतीय व्यापार के संचालन की इच्छा रख सकता है। इससे भारत को माल भेजने में समय, ईंधन और सुरक्षा लागत के साथ-साथ शिपिंग कंपनियों के लिये लागत कम करने में मदद मिल सकती है।
- **उभरते भू-राजनीतिक खतरे:**
  - आर्कटिक में चीन के बढ़ते निवेश ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। चीन को उत्तरी समुद्री मार्ग तक विस्तारित पहुँच प्रदान करने के रूस के निर्णय ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है।
  - आर्कटिक पर भारत का ध्यान ऐसे समय में बढ़ रहा है जब इस क्षेत्र में तनाव की वृद्धि हुई है, जो **रूस-यूक्रेन संघर्ष** के कारण प्रेरित हुई है और विभिन्न क्षेत्रीय सहकारी मंचों के निलंबन के कारण और बढ़ गई है।
    - इन तनावों के संभावित परिणामों को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से कोला प्रायद्वीप में तैनात अपने परमाणु निवारक पर रूस की बढ़ती निर्भरता को देखते हुए। भारत के लिये, जिसका लक्ष्य पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखना है, ये घटनाक्रम महत्त्वपूर्ण रणनीतिक निहितार्थ रखते हैं।
- **हिमालय और भारतीय मानसून के लिये परिणाम:**
  - भारत आर्कटिक में कोई नव आगंतुक नहीं है। इस क्षेत्र में इसकी भागीदारी पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ वर्ष 1920 से चली आ रही है। वर्ष 2007 में भारत ने आर्कटिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और भूविज्ञान के अन्वेषण के लिये अपना पहला अनुसंधान मिशन शुरू किया था।
  - एक वर्ष बाद ही भारत चीन के अलावा आर्कटिक अनुसंधान आधार स्थापित करने वाला एकमात्र विकासशील देश बन गया था। वर्ष 2013 में आर्कटिक काउंसिल द्वारा 'पर्यवेक्षक' का दर्जा दिये जाने के बाद, भारत ने 2014 में स्वालबार्ड में एक मल्टी-सेंसर मूर्ड वेधशाला (multi-sensor moored observatory) और 2016 में एक वायुमंडलीय प्रयोगशाला की स्थापना की।
    - इन स्टेशनों पर जारी कार्य आर्कटिक हिम प्रणालियों एवं ग्लेशियरों और हिमालय एवं भारतीय मानसून पर आर्कटिक पिघलन के परिणामों की जाँच पर केंद्रित है।

आर्कटिक क्षेत्र के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियाँ:

- **भारत में नीति विभाजन:**
  - आर्कटिक में भारतीय भागीदारी का मुद्दा देश के शैक्षणिक और नीति समुदायों को विभेदित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर आर्कटिक में बदलती जलवायु के संभावित प्रभावों पर मत विभाजित हैं। चिंता मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के लिये क्षेत्र में खनन से संबंधित है, जो एक ऐसा क्षेत्र हैं जहाँ भारत ने अभी तक एक स्पष्ट आर्थिक रणनीति तैयार नहीं की है।
    - आर्कटिक में आर्थिक दोहन के समर्थक इस क्षेत्र में विशेष रूप से तेल और गैस की खोज एवं खनन के संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जबकि संशयवादी संभावित पर्यावरणीय परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं।
- **आर्कटिक प्रवर्धन (Arctic Amplification):**
  - हाल के दशकों में आर्कटिक में तापन या 'वार्मिंग' दुनिया के शेष भागों की तुलना में बहुत तेज़ रही है। आर्कटिक में स्थायी **तुषार भूमि (permafrost)** पिघल रही है और इस क्रम में कार्बन एवं मीथेन का उत्सर्जन कर रही है जो **ग्लोबल वार्मिंग** के लिये ज़िम्मेदार प्रमुख **ग्रीनहाउस गैसों** में शामिल हैं। इससे हिम का पिघलना और बढ़ रहा है, जिससे आर्कटिक प्रवर्धन में वृद्धि हो रही है।
- **समुद्र स्तर के बढ़ने से संबद्ध चिंता:**
  - आर्कटिक के हिम के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप **तटीय क्षरण** की वृद्धि हो रही है और तूफान की आवृति बढ़ रही है क्योंकि गर्म हवा और समुद्र का तापमान बारंबार एवं तीव्र तटीय तूफान का कारण बनता है। यह भारत को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है जो 7,516.6 किमी लंबी तटरेखा रखता है और जहाँ कई महत्त्वपूर्ण बंदरगाह शहर अवस्थित हैं।

नोट :

- **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation)** 'वैश्विक जलवायु स्थिति, 2021' शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय तट पर समुद्र का स्तर वैश्विक औसत दर की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है।

- **उभरती प्रतिस्पर्द्धा:**
  - आर्कटिक में शिपिंग मार्गों और संभावनाओं के द्वार खुलने से संसाधन निष्कर्षण की दौड़ को बढ़ावा मिल रहा है, जो भू-राजनीतिक ध्रुवों—अमेरिका, चीन और रूस की ओर ले जा रहा है, जहाँ वे इस क्षेत्र में स्थिति एवं प्रभाव के लिये प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।
- **जैव विविधता को खतरा:**
  - पूरे वर्ष हिम की अनुपस्थिति और उच्च तापमान आर्कटिक क्षेत्र के जंतुओं, पादपों और पक्षियों के अस्तित्व को कठिन बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि **ध्रुवीय भालू** को सील का शिकार करने के साथ-साथ बड़े घरेलू क्षेत्रों में घूमने के लिये समुद्री हिम की आवश्यकता होती है।
  - हिम के घटते आवरण के कारण ध्रुवीय भालू सहित अन्य आर्कटिक प्रजातियों का जीवन खतरे में है। इसके अलावा, गर्म होते समुद्रों ने **खाद्य जाल (food web)** में हेरफेर करते हुए मछली प्रजातियों को ध्रुव की ओर धकेलना शुरू कर दिया है।
    - टुंड्रा पुनः दलदली स्थिति में लौट रहा है क्योंकि अचानक आने वाले तूफान तटीय इलाकों को (विशेष रूप से कनाडा और रूस के आंतरिक भाग) तबाह कर रहे हैं और **वनाग्नि** टुंड्रा क्षेत्रों में स्थायी तुषार भूमि को क्षति पहुँचा रही है।

आर्कटिक क्षेत्र के संबंध में उठाए जाने वाले आवश्यक कदम:

- **नॉर्वे के साथ सहयोग:**
  - आर्कटिक परिषद (Arctic Council) के वर्तमान अध्यक्ष नॉर्वे के भारत के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध से दोनों देशों ने आर्कटिक और अंटार्कटिक में बदलती परिस्थितियों के साथ-साथ दक्षिण एशिया पर उनके प्रभाव की जाँच के लिये सहयोग स्थापित किया है।
  - चूँकि जलवायु परिवर्तन आर्कटिक और दक्षिण एशियाई मानसून को अधिक गहराई से प्रभावित कर रहा है, इसलिये हिमालयी और आर्कटिक क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिये समय के साथ इन प्रयासों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है।
- **आर्कटिक देशों के साथ संरेखण:**
  - भारत की वर्तमान नीति यह है कि अपने 'उत्तरदायी हितधारक' की साख को मज़बूत करने के एक तरीके के रूप में **हरित ऊर्जा** और हरित एवं स्वच्छ उद्योगों में आर्कटिक देशों के साथ सहयोग किया जाए। उदाहरण के लिये, भारत ने डेनमार्क और फिनलैंड के साथ **अपशिष्ट प्रबंधन**, प्रदूषण नियंत्रण, **नवीकरणीय ऊर्जा** एवं हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग निर्माण किया है।
- **संसाधन निष्कर्षण के संवहनीय तरीके का पालन करना:**
  - जबकि भारत सरकार आर्कटिक में **समुद्र-तल खनन** और संसाधन दोहन से लाभ उठाने की इच्छा रखती है, उसे स्पष्ट रूप से निष्कर्षण के एक संवहनीय तरीके का समर्थन करना चाहिये।
    - ऐसा माना जाता है कि नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिये परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती है क्योंकि यह 'ब्लू इकॉनोमी', कनेक्टिविटी, समुद्री परिवहन, निवेश एवं अवसंरचना और ज़िम्मेदार संसाधन विकास जैसे मुद्दों से निपटने के लिये आर्कटिक परिषद के कार्य समूहों में अधिक भारतीय भागीदारी को सक्षम बनाएगी।
- **भारत की आर्कटिक नीति को आर्कटिक परिषद के उद्देश्यों के साथ संरेखित करना:**
  - नॉर्डिक देशों के साथ साझेदारी वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु एवं पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित होने की संभावना है। ये उन छह स्तंभों में से दो हैं जिनसे भारत की आर्कटिक नीति तैयार होती है (अन्य चार हैं: आर्थिक एवं मानव विकास; परिवहन एवं कनेक्टिविटी; शासन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग; और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण)।
    - भारत आर्कटिक में आर्थिक अवसरों की तलाश की इच्छा रखता है। इस संदर्भ में आर्कटिक परिषद भारत को ऐसी संवहनीय नीति तैयार करने में मदद कर सकती है जो वैज्ञानिक समुदाय एवं उद्योग दोनों की आवश्यकता को पूरा करे।
- **एक नोडल निकाय का गठन करना:**
  - वर्तमान में **राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (National Centre for Polar and Ocean Research- NCPOR)** ध्रुवीय और

नोट :

दक्षिणी महासागर क्षेत्रों (जिसमें आर्कटिक भी शामिल है) के मामलों का प्रबंधन करता है, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय आर्कटिक परिषद को बाहरी इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

- आर्कटिक अनुसंधान एवं विकास से स्पष्ट रूप से संबद्ध होने और आर्कटिक से संबंधित भारत सरकार की सभी गतिविधियों का समन्वय करने के लिये एक एकल नोडल निकाय का निर्माण करने की आवश्यकता है।

- **वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परे आगे बढ़ना:**
  - भारत को आर्कटिक में विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहते हुए इसके परे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वैश्विक मामलों में भारत के बढ़ते कद और परिणामी प्रभाव को देखते हुए, इसे आर्कटिक जनसांख्यिकी एवं शासन की गतिशीलता को समझने और आर्कटिक जनजातियों की आवाज़ बनने तथा वैश्विक मंचों पर उनके मुद्दों को उठाने के लिये सुदृढ़ स्थिति में होना चाहिये।
- **वैश्विक महासागर संधि को अपनाना:**
  - वैश्विक महासागर प्रशासन को संवीक्षा के दायरे में रखना और ध्रुवीय क्षेत्रों एवं संबद्ध समुद्र स्तर वृद्धि संबंधी चुनौतियों पर विशेष ध्यान देने के साथ एक सहयोगी **वैश्विक महासागर संधि (Global Ocean Treaty)** की दिशा में आगे बढ़ना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

आर्कटिक क्षेत्र एक अनूठा और भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन के कारण इसे अभूतपूर्व पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हिम का तीव्र गति से पिघलना और तापमान का बढ़ना शामिल है। इन परिवर्तनों का क्षेत्र के वन्य जीवन, स्वदेशी समुदायों और वैश्विक जलवायु पैटर्न पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

आर्कटिक के भंगुर/संवेदनशील पर्यावरण को संरक्षित करने और इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संवहनीय अभ्यास आवश्यक हैं।

दिव्यांग उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण

प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को **विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day)** के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं ज़िम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हालाँकि, उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े उत्सवों और चर्चाओं के बीच प्राय: उपभोक्ताओं का एक ऐसा भी समूह है, यानी दिव्यांगजन, जिसकी उपेक्षा कर दी जाती है। उपभोक्ता जनसांख्यिकीय के भीतर उनकी महत्त्वपूर्ण उपस्थिति के बावजूद, दिव्यांग उपभोक्ता प्राय: उपभोक्ता अधिकारों की पहल के विमर्श और व्यावहारिक कार्यान्वयन दोनों में स्वयं को हाशिये पर पाते हैं। यह अदृश्यता या अनदेखी बाज़ार में **दिव्यांग** उपभोक्ताओं के समक्ष विद्यमान विशिष्ट चुनौतियों एवं बाधाओं को दूर करने की दिशा में अधिक ध्यान एवं समावेशिता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

दिव्यांगजनों को बेहद बुनियादी मानवीय गतिविधियों के लिये भी मदद मांगने के संघर्ष का सामना करना पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप वे गरिमा, स्वतंत्रता एवं **निजता** की हानि का शिकार होते हैं। उपभोक्ता के रूप में वे जिस व्यापक दुर्गमता का सामना करते हैं, वह न केवल स्वतंत्र जीवन जीने के उनके अधिकार को कमज़ोर करती है, बल्कि उन्हें दूसरों के समान समाज में भागीदारी से भी अवरुद्ध करती है।

दिव्यांग उपभोक्ताओं (Consumers With Disabilities- CwDs) से संबंधित विभिन्न पहलू:

जनसांख्यिकीय और सांख्यिकीय अवलोकन:

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, 1 बिलियन से अधिक लोग (वैश्विक आबादी का 15%) किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ जी रहे हैं। भारत में, वर्ष 2011 की जनगणना में दिव्यांगजनों की संख्या 26.8 मिलियन दर्ज की गई, जो कुल जनसंख्या का 2.21% है।

दिव्यांग उपभोक्ताओं के अधिकार:

- **समान व्यवहार:**
  - दिव्यांग उपभोक्ताओं को बाज़ार में समान व्यवहार पाने का अधिकार है। इसमें उनकी दिव्यांगता के आधार पर किसी भेदभाव किये बिना दूसरों के साथ समान आधार पर वस्तुओं, सेवाओं और सुविधाओं तक पहुँच पाना शामिल है।
- **गैर-भेदभाव:**
  - व्यवसायों को वस्तुओं, सेवाओं और रोज़गार के अवसरों के प्रावधान में दिव्यांग उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसमें दिव्यांगता के आधार पर सेवा से इनकार करने, घटिया सेवा प्रदान करने या अधिक मूल्य वसूलने पर रोक शामिल है।

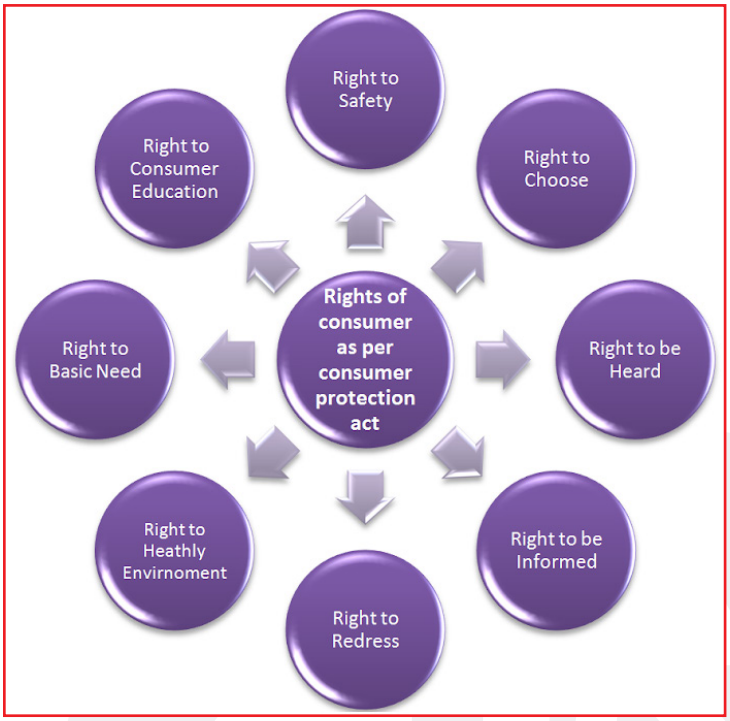

- **अभिगम्यता:**
  - दिव्यांग उपभोक्ताओं को उत्पादों, सेवाओं और सार्वजनिक स्थानों की अभिगम्यता का अधिकार प्राप्त है। इसमें भौतिक अभिगम्यता (जैसे रैंप और लिफ्ट), संचार अभिगम्यता (जैसे सांकेतिक भाषा दुभाषिये की उपस्थिति या अभिगम्य वेबसाइटें) और सूचना अभिगम्यता (जैसे दस्तावेजों के अभिगम्य प्रारूप) शामिल हैं।
- **सहायक परिवेश (Accommodation):**
  - व्यवसायों को यह सुनिश्चित करने के लिये सहायक परिवेश के निर्माण की आवश्यकता है कि दिव्यांग उपभोक्ता उनकी वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच बना सकें। इसमें दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिये नीतियों, अभ्यासों या प्रक्रियाओं को संशोधित करना शामिल हो सकता है।
- **निजता:**
  - दिव्यांग उपभोक्ताओं को व्यवसायों के साथ अंत:क्रिया में निजता एवं गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है। उनकी दिव्यांगता से संबंधित व्यक्तिगत सूचना के प्रति संवेदनशील व्यवहार किया जाना चाहिये और इसे अनधिकृत प्रकटीकरण से संरक्षित किया जाना चाहिये।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचे:**
  - **दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD):**
    - वर्ष 2006 में अंगीकृत UNCRPD एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं गरिमा को बढ़ावा देती है। यह दिव्यांगजनों द्वारा सभी मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रता का पूर्ण एवं समान उपभोग कर सकना सुनिश्चित करती है।
  - **दिव्यांगजनों के लिये अवसरों की समानता पर मानक नियम:**
    - **वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** द्वारा अंगीकृत ये नियम दिव्यांगजनों के अधिकारों और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिये विश्व के देशों को एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। ये नियम अभिगम्यता, शिक्षा, रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं।
- **भारत में मौजूद राष्ट्रीय कानूनी ढाँचे:**
  - **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016:**
    - यह भारत में प्राथमिक कानून है जो दिव्यांगजनों के अधिकारों और हक़दारी (entitlements) की रक्षा करता है। यह 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को परिभाषित करता है और निर्मित वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार के लिये अभिगम्यता मानकों को निर्दिष्ट करता है। यह अधिनियम उच्च शिक्षा और सरकारी रोज़गार में आरक्षण के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान करता है।
  - **दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995:**
    - यह भारत में मौजूद प्रमुख दिव्यांगता संबंधी कानून था, जिसे बाद में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसने 7 प्रकार की दिव्यांगताओं की पहचान की थी और निवारण, पुनर्वास एवं बाधा-मुक्त वातावरण के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया था।

नोट :

- **अन्य प्रासंगिक कानून:**
  - **भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992** – यह पुनर्वास संबंधी पेशेवरों के प्रशिक्षण को विनियमित करता है और इसकी निगरानी करता है।
  - **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017** – यह मानसिक बीमारी रखने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करता है।
  - **ऑटिज़्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999** – यह निर्दिष्ट दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिये प्रावधान प्रदान करता है।
- **नीतियाँ और योजनाएँ:**
  - **सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)** – इसका उद्देश्य निर्मित वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार में सुगम्यता या अभिगम्यता को बढ़ाना है।
  - विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (Unique Disability ID- UDID) परियोजना – यह सरकारी लाभों और सेवाओं की बेहतर डिलीवरी को सक्षम करने हेतु दिव्यांगजनों के लिये एक राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करता है।

दिव्यांग उपभोक्ताओं (CwDs) के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियाँ:

- **भौतिक एवं अभिगम्यता संबंधी बाधाएँ:**
  - दुर्गम्य निर्मित वातावरण (जैसे रैंप, लिफ्ट और चौड़े डोरवे की कमी), जो उनकी गतिशीलता और भौतिक स्थानों तक स्वतंत्र पहुँच को अवरुद्ध करता है।
  - अपर्याप्त सुगम्य परिवहन विकल्प, जो आवागमन और वस्तुओं एवं सेवाओं तक पहुँच की उनकी क्षमता को बाधित करते हैं। उनके दैनिक जीवन और उपभोक्ता गतिविधियों में सहायता के लिये सहायक प्रौद्योगिकियों (assistive technologies) और अनुकूली उपकरणों (adaptive devices) का अभाव है।
    - सहायक प्रौद्योगिकियों का वैश्विक बाज़ार वर्ष 2024 तक 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो इस उपभोक्ता खंड की उल्लेखनीय आर्थिक क्षमता को परिलक्षित करता है।
- **सूचना और संचार संबंधी बाधाएँ:**
  - दृश्य, श्रवण या संज्ञानात्मक नि:शक्तता वाले दिव्यांगजनों के लिये वैकल्पिक प्रारूपों (जैसे ब्रेल, ऑडियो, सांकेतिक भाषा) में सूचना की अनुपलब्धता की स्थिति पाई जाती है। ऐसी वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो वेब एक्सेसिबिलिटी मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उनके नेविगेशन और उपयोग को कठिन बनाते हैं।
    - व्यवसायों की ओर से स्पष्ट और सरल संचार का अभाव, जिससे दिव्यांगजनों के लिये उत्पाद सूचना को समझना और सूचित विकल्प चुनना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वेब एक्सेसिबिलिटी एनुअल रिपोर्ट (2020) के अनुसार, अमेरिका में अवस्थित 98% वेबपेज विधिक दृष्टिकोण से दिव्यांग समुदाय के लिये अभिगम्य नहीं हैं।
- **व्यवहार संबंधी और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:**
  - सामाजिक कलंक, भेदभाव और दिव्यांगजनों की विविध आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता की कमी की स्थिति पाई जाती है। मुख्यधारा के उपभोक्ता अनुभवों से अपवर्जन और उत्पाद एवं सेवा डिज़ाइन में दिव्यांगजनों की प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं पर सीमित विचार करने की स्थिति भी देखी जाती है। दिव्यांगजनों की क्रय शक्ति और बाज़ार क्षमता के बारे में गलत धारणाएँ मौजूद हैं, जिससे वे वंचना के शिकार होते हैं।
    - NCPEDP (National Centre for Promotion of Employment for Disabled People) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 73% दिव्यांगजनों को सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं तक पहुँच में बाधाओं का सामना करना पड़ा।
- **आर्थिक और वित्तीय बाधाएँ:**
  - विशेष सहायक उपकरणों, स्वास्थ्य देखभाल और व्यक्तिगत सहायता सेवाओं की आवश्यकता के कारण दिव्यांगजनों के लिये जीवनयापन की उच्च लागत पाई जाती है। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों, रोज़गार के अवसरों और सामाजिक सुरक्षा उपायों तक सीमित पहुँच उनकी उपभोक्ता क्रय शक्ति को बाधित करती है।
    - श्रवण दिव्यांग उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग के कारण श्रवण यंत्रों का वैश्विक बाज़ार वर्ष 2020 में 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2027 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

नोट :

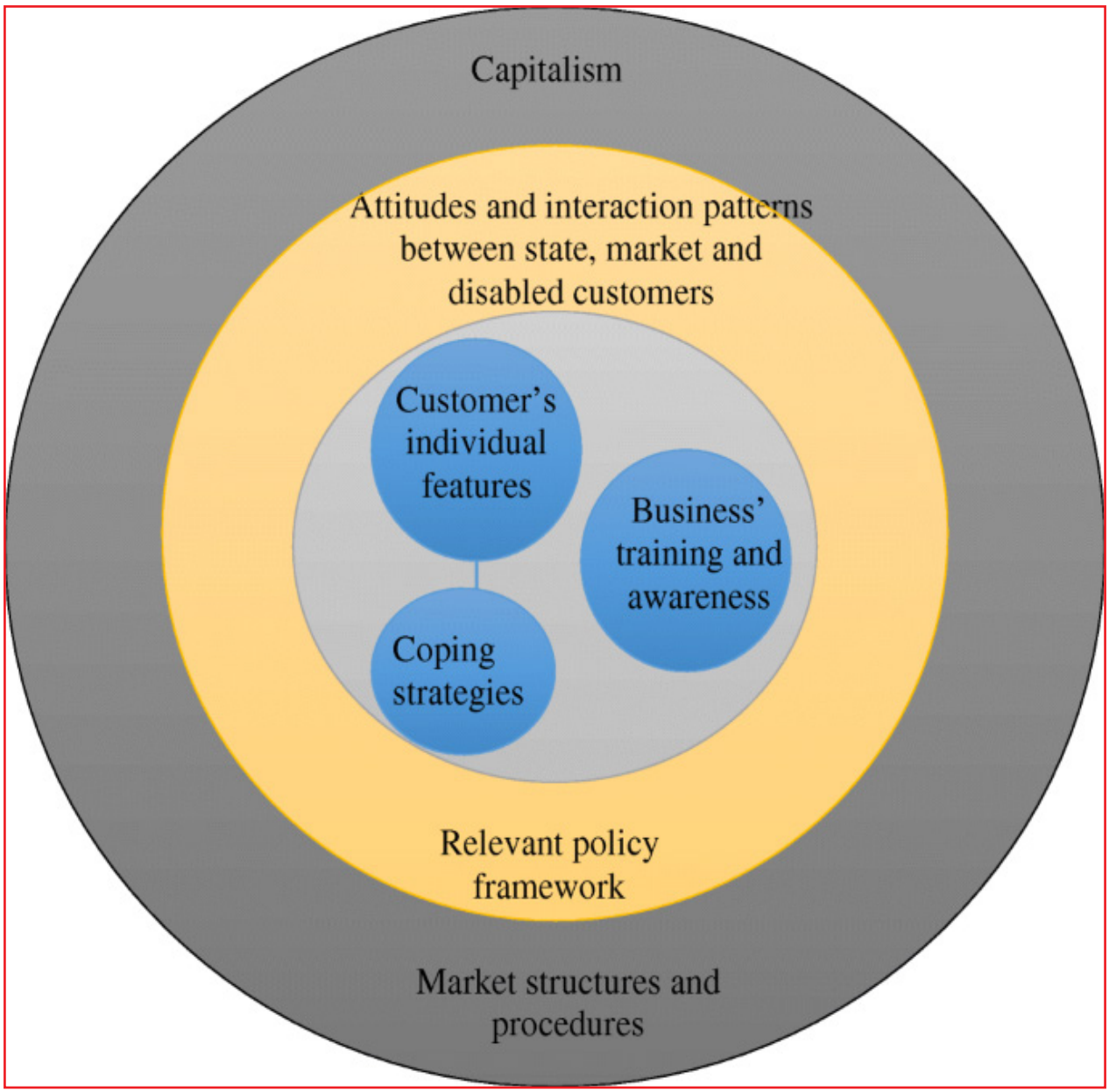

- **नीतिगत और नियामक बाधाएँ:**
  - उपभोक्ताओं के रूप में दिव्यांगजनों के लिये अभिगम्यता मानकों और भेदभाव-विरोधी कानूनों के अप्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन की स्थिति पाई जाती है। समावेशी डिज़ाइन और अभिगम्यता सुविधाओं में निवेश हेतु व्यवसायों के लिये अपर्याप्त प्रोत्साहन एवं समर्थन तंत्र मौजूद है। दिव्यांगजनों के समक्ष विद्यमान बहुमुखी चुनौतियों से निपटने के लिये विभिन्न सरकारी एजेंसियों और हितधारकों के बीच खंडित एवं असंगठित प्रयास ही देखे गए हैं।
    - विकासशील देशों में कार्यशील आयु के 80% से 90% दिव्यांगजन बेरोज़गार हैं, जबकि औद्योगिक देशों में यह आँकड़ा 50% से 70% के बीच है।

नोट :

दिव्यांगजनों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर वास्तविक जीवन का एक उदाहरण:

- **कल्पना कीजिए कि आप एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं जो एक टोस्टर खरीदने के लिये सुपरमार्केट जा रहे हैं:**
  - आप एक मोबाइल ऐप के माध्यम से कैब की बुकिंग करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि ऐप दिव्यांगजन हेतु सुगम्य नहीं है, इसलिये आप बुकिंग के लिये बाहरी मदद पर निर्भर होते हैं।
  - सुपरमार्केट में, चूँकि इमारत में स्पर्शनीय फुटपाथ (tactile pavements) मौजूद नहीं हैं, इसलिये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अनुभाग तक पहुँचने और टोस्टर खरीदने के लिये फिर आपको बाहरी मदद की आवश्यकता पड़ती है।
  - आप घर लौटते हैं और पाते हैं कि टोस्टर काम नहीं कर रहा है और आप टोस्टर कंपनी के ग्राहक सहायता से संपर्क करना चाहते हैं।
    - लेकिन चूँकि उनका संपर्क विवरण बाहरी पैक पर मुद्रित होता है, इसलिये उन्हें पढ़ने के लिये आपको फिर बाहरी मदद की आवश्यकता पड़ती है।
  - यह पता चलने पर कि कंपनी केवल डाक के माध्यम से लिखित शिकायतें स्वीकार करती है, एक बार फिर आपको कंपनी को शिकायत भेजने के लिये बाहरी मदद की ज़रूरत पड़ती है।

CwD की चुनौतियों को कम करने के विभिन्न उपाय:

- **व्यवसाय क्षेत्र से शुरुआत करना:**
  - व्यवसाय एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। व्यवसाय आम तौर पर दिव्यांगजनों को अपने लक्षित उपभोक्ता के रूप में नहीं देखते हैं। इसकी पुष्टि उनकी दुर्गम्य पेशकशों से होती है, जो आम तौर पर 'मुख्यधारा' के उपभोक्ताओं के लिये डिज़ाइन की गई हैं। **विश्व बैंक** की वर्ष 2009 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में दिव्यांगजनों की संख्या कुल आबादी की 5-8% है। इसलिये, यदि उदारता के कारण नहीं तो कम से कम ग्राहकों तक पहुँच बढ़ाने के लिये व्यवसायों को अपनी पेशकशों को सुगम्य बनाने पर विचार करना चाहिये।
- **व्यवसायों के बीच संवेदनशीलता के अंतराल को दूर करना:**
  - प्रभावी नीतिगत उपायों के माध्यम से व्यवसायों के बीच संवेदनशीलता के अंतराल को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, **FSSAI** ने अक्टूबर 2023 में सभी खाद्य उत्पादों पर उत्पाद सूचना वाले **QR कोड** को शामिल करने के लिये सभी खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के लिये एक एडवाइज़री जारी किया। यह सरल लेकिन प्रभावी कदम दृष्टिबाधित लोगों को अपने दम पर महत्त्वपूर्ण उत्पाद सूचना तक पहुँच की अनुमति देगा।
- **सरकार की ओर से सक्रिय सहयोग:**
  - सरकार एक अन्य इकाई है जो बदलाव ला सकती है। सरकार सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये व्यापक पहुँच दिशानिर्देश लाने पर विचार कर सकती है। भारत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों द्वारा की गई पहलों से प्रेरणा लेते हुए अपनी नीतियों में सदृश रणनीतियों को एकीकृत कर सकता है।
- **दिव्यांगता आयोगों का सशक्तीकरण:**
  - दिव्यांगजनों को ऐसे कानूनों द्वारा भी सशक्त बनाया जा सकता है जो उपभोक्ताओं के रूप में उनके अधिकारों एवं हितों की रक्षा करते हैं। इस संबंध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPWDA), 2016 एक प्रमुख अधिनियम है।
  - इस अधिनियम में विशेष रूप से सार्वभौमिक रूप से डिज़ाइन की गई उपभोक्ता वस्तुओं एवं सुगम्य सेवाओं (धारा 43 और 46) के प्रावधान शामिल हैं। RPWDA के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार सभी **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT)** वस्तुओं और सेवाओं का **BIS मानकों** के अनुसार सुगम्य होना आवश्यक है।
  - इन अधिकारों के उल्लंघन के मामले में दिव्यांगजन उपभोक्ता अधिनियम के तहत स्थापित दिव्यांगता आयोगों के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हालाँकि दिव्यांगता आयोग केवल अनुशंसात्मक निर्देश जारी करते हैं, इसलिये वे प्राय: पर्याप्त उपचार प्रदान नहीं कर पाते। इसलिये, दंडात्मक उपायों को लागू करने के लिये आयोग को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को RPWDA के साथ संरेखित करना:**
  - एक अन्य साधन **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019** है जो न केवल विभिन्न उपभोक्ता अधिकारों का विवरण प्रदान करता है बल्कि उपभोक्ता आयोगों को उपभोक्ता शिकायतों के मामले में जुर्माना लगाने

नोट :

और मुआवजा दिलाने का अधिकार भी देता है। उपभोक्ता आयोगों के समक्ष लाए गए कई मामलों में दिव्यांग उपभोक्ताओं ने सफलतापूर्वक ऐसे उपचार प्राप्त किये हैं।

- उदाहरण के लिये, **एस. सुरेश बनाम मैनेजर आई/सी गोकुलम सिनेमा मामले** में चलन दिव्यांगता (locomotor disability) रखने वाले एक व्यक्ति को सिनेमा हॉल में दुर्गम्यता का सामना करने के लिये 1 लाख रुपए का मुआवजा प्राप्त हुआ।

- RPWDA के विपरीत CPA के पास सुदृढ़ प्रवर्तन एवं अनुपालन तंत्र मौजूद है। हालाँकि, इसमें दिव्यांग उपभोक्ताओं के लिये किसी भी समर्पित अधिकार का अभाव है, जो उन्हें उपभोक्ता आयोगों में शिकायत दर्ज करने से अवरुद्ध कर सकता है। इसलिये, CPA को RPWDA के साथ संरेखित करना अनिवार्य हो जाता है।

- **दिव्यांग उपभोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जागरूकता बढ़ाना:**
  - दो मुख्य विधानों के तहत दिव्यांग उपभोक्ताओं के लिये उपलब्ध मौजूदा अधिकारों और संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। जबकि उपभोक्ता जागरूकता पर राज्य का फोकस रहा है (विशेष रूप से 'जागो ग्राहक जागो' जैसे प्रमुख अभियान के साथ), दिव्यांग उपभोक्ताओं पर कभी ध्यान नहीं दिया गया।

उपभोक्ता संरक्षण के लिये प्रमुख पहलें

- **उपभोक्ता कल्याण कोष**
- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद**
- **उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021**
- **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020**
- **राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस**

निष्कर्ष:

दिव्यांग उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना न केवल एक कानूनी दायित्व है बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता भी है। समाज अभिगम्यता, गैर-भेदभाव और समान व्यवहार को बढ़ावा देकर सभी के लिये अधिक समावेशी एवं समतामूलक बाज़ार का निर्माण कर सकते हैं। व्यवसायों और सरकारों के लिये यह आवश्यक है कि वे दिव्यांग उपभोक्ताओं के समक्ष विद्यमान विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिये मिलकर कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वे अर्थव्यवस्था और समाज में पूरी तरह से भागीदारी कर सकें। केवल ठोस प्रयासों और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहाँ प्रत्येक उपभोक्ता के साथ, उनकी क्षमताओं की परवाह किये बिना, गरिमा एवं सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण

भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** ने हाल के एक निर्णय में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के **मूल अधिकार** के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की। इस निर्णय ने पर्यावरणविदों का उल्लेखनीय रूप से ध्यान आकर्षित किया है, जहाँ उन्होंने मुख्यत: **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard)** के संरक्षण पर इसके प्रभावों के दृष्टिकोण से विचार किया है। समावेशी जलवायु कार्रवाई के दृष्टिकोण से इस निर्णय का विश्लेषण करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

उनका तर्क है कि सर्वप्रथम, केवल अधिकार को मान्यता देने तक सीमित रहकर न्यायालय ने अधिकार के विषय-वस्तु पर उत्पादक चर्चा के लिये समय एवं अवसर की अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, यह भविष्य में अधिकार की अधिक सूचना-संपन्न अभिव्यक्ति को सक्षम बना सकता है। दूसरा, इस मामले में विद्यमान मुख्य मुद्दे की प्रकृति को देखते हुए, 'जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क' (Just Transition Framework) का उपयोग करना आगे बढ़ने का एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण है। यह अधिक चिंतनशील और समावेशी अधिकार की अभिव्यक्ति सहित समतामूलक जलवायु कार्रवाई को सुगम बना सकता है।

'जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क' (Just Transition Framework)

- **परिचय:**
  - **परिभाषा:** 'जस्ट ट्रांजिशन' या न्यायपूर्ण संक्रमण का ढाँचा एक व्यापक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक संवहनीय एवं निम्न-कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण सभी हितधारकों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन और अन्य पर्यावरणीय रूप से हानिकारक उद्योगों से दूर होने से प्रभावित होने वाले श्रमिकों और समुदायों, के लिये न्यायपूर्ण एवं समतामूलक हो।
  - **समावेशी संक्रमण (Inclusive Transition):** यह ढाँचा एक सुचारु और समावेशी संक्रमण की प्राप्ति के लिये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को एक साथ संबोधित करने की आवश्यकता को पहचानता है।

सामाजिक समता (Social Equity):

- **श्रमिक अधिकार:** श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिसमें नौकरी की सुरक्षा, उचित वेतन और संवहनीय क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसरों के लिये प्रशिक्षण एवं पुन: कौशल कार्यक्रमों तक पहुँच शामिल है।
- **सामुदायिक विकास:** आर्थिक पुनर्गठन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिये स्थानीय अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं में निवेश के माध्यम से जीवाश्म ईंधन उद्योगों पर निर्भर समुदायों का समर्थन करना।

आर्थिक न्याय (Economic Justice):

- **रोज़गार सृजन:** पारंपरिक उद्योगों में खोए रोज़गार अवसरों को प्रतिस्थापित करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत कृषि और अन्य पर्यावरण-अनुकूल क्षेत्रों में हरित रोज़गार अवसरों के सृजन को बढ़ावा देना।
- **आय सहायता:** संक्रमण अवधि के दौरान प्रभावित श्रमिकों को उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय सहायता, बेरोज़गारी लाभ और अन्य प्रकार की आय सहायता प्रदान करना।

पर्यावरणीय संवहनीयता (Environmental Sustainability):

- **स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण:** जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण को सुगम बनाना, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और जलवायु परिवर्तन का शमन होगा।
- **पर्यावरणीय सुधार:** निष्कर्षण उद्योगों द्वारा पीछे छोड़े गए प्रदूषण एवं पर्यावरणीय क्षरण की विरासत को संबोधित करने के लिये पर्यावरणीय सुधार एवं पुनर्बहाली के प्रयासों में निवेश करना।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard- GIB):

- **परिचय:**
  - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Ardeotis nigriceps) राजस्थान का राज्य पक्षी है जिसे भारत की सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति माना जाता है।
  - इसे घासभूमि की प्रमुख पक्षी प्रजाति माना जाता है, जो घासभूमि पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य को परिलक्षित करती है। इसकी अधिकांश आबादी मुख्यत: राजस्थान और गुजरात राज्य तक सीमित है। इनकी छोटी आबादी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में भी पाई जाती है।
- **सुरक्षा की स्थिति:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered- CE)
  - **वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES):** परिशिष्ट 1
  - **प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS):** परिशिष्ट 1
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची 1
- **भेद्यता/संवेदनशीलता:**
  - बिजली पारेषण लाइनों के साथ टकराव एवं विद्युत आघात, शिकार (पाकिस्तान में अभी भी प्रचलित), व्यापक कृषि विस्तार के परिणामस्वरूप पर्यावास हानि एवं परिवर्तन आदि के कारण यह पक्षी प्रजाति लगातार खतरे का सामना कर रही है।
  - उल्लेखनीय है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड **धीमी गति से आबादी बढ़ाने वाली प्रजाति है** जहाँ वे एक समय में कुछ ही अंडे उत्पन्न करते हैं और लगभग एक वर्ष तक माता-पिता द्वारा चूजों की देखभाल की जाती है। चूजों को परिपक्वता प्राप्त करने में लगभग 3-4 वर्षों का समय लगता है।
- **भारत की चिंताएँ:**
  - चोलिस्तान मरुस्थल (पाकिस्तान) में स्थित घासभूमि पर्यावास, जहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति का वृहत रूप से शिकार किया गया, राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क (DNP) पर्यावास के ही समान है जहाँ इस प्रजाति की अंतिम शेष बची जंगली आबादी पाई जाती है।
  - DNP जैसलमेर एवं बाड़मेर शहरों के पास अवस्थित है, जो विशाल थार मरुस्थल का एक भाग है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास की रक्षा के लिये इसे वर्ष 1981 में **राष्ट्रीय उद्यान** घोषित किया गया था।
  - चूँकि राजस्थान पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये पक्षी वहाँ के शिकारियों के लिये आसान शिकार बन सकते हैं।
  - इस दुर्लभ पक्षी प्रजाति के शिकार से न केवल भारत की GIB आबादी में भारी कमी आएगी, बल्कि मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इसका असर पड़ेगा।

नोट :

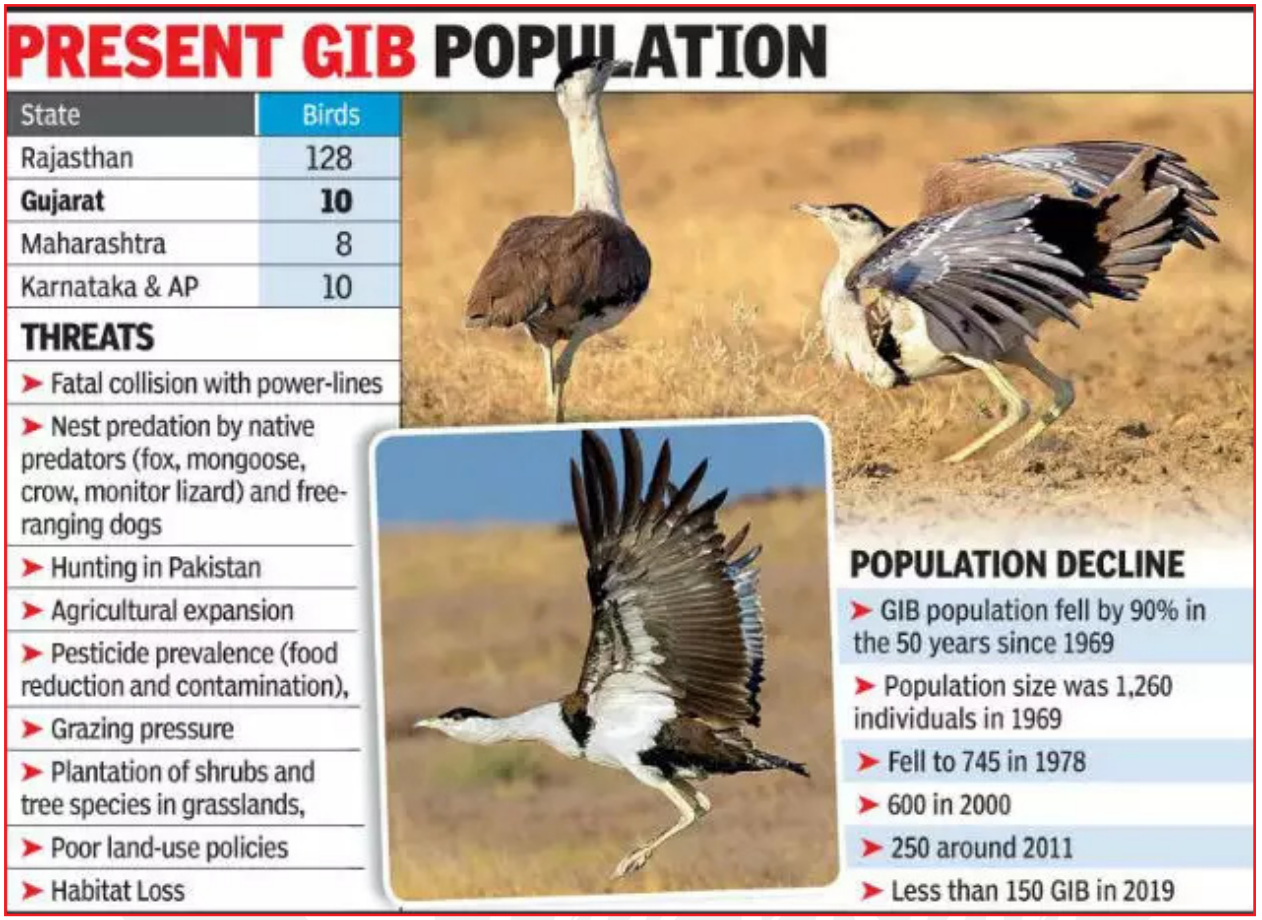

वन्यजीव संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A** में उपबंध किया गया है कि राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 51A के खंड (g)** में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव शामिल हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दया-भाव रखे।
- संविधान का **अनुच्छेद 21** यद्यपि व्यक्तियों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्राण या जीवन शब्द की विस्तारित परिभाषा देते हुए मानव जीवन के लिये आवश्यक सभी जीवन रूपों (जिसमें जंतु जीवन भी शामिल है) को अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल माना है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में अद्यतन स्थिति

- **वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL):**
  - राजस्थान और गुजरात राज्य गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के घर हैं। लेकिन साथ ही ये दोनों राज्य सौर एवं पवन ऊर्जा के विकास की उल्लेखनीय संभावनाएँ रखते हैं। वर्ष 2019 में कुछ लोक उत्साही व्यक्तियों (याचिकाकर्ताओं) द्वारा बस्टर्ड के संरक्षण की मांग करते हुए एक **जनहित याचिका** दायर की गई।
  - अंतरिम में, उन्होंने **सौर एवं पवन ऊर्जा अवसंरचना** के आगे के निर्माण और इनसे संबद्ध ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि ये बिजली लाइनें खतरनाक हैं जिनसे बार-बार टकराने के कारण बस्टर्ड पक्षियों की मौत हो रही है।

नोट :

- **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रतिबंध:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में 99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ओवरहेड बिजली लाइनें बिछाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया; जिसमें बस्टर्ड संरक्षण के लिये प्राथमिकता क्षेत्र और संभावित क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किये गए क्षेत्र शामिल थे। न्यायालय ने मौजूदा उच्च और निम्न वोल्टेज दोनों तरह के बिजली लाइनों को भूमिगत करने का आदेश भी पारित किया।
- **भारत सरकार की आपत्ति:**
  - **गैर-जीवाश्म ईंधन** की ओर आगे बढ़ने और **कार्बन उत्सर्जन** को कम करने पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी। सरकार ने तर्क दिया कि पूर्ण प्रतिबंध उस वास्तविक क्षेत्र से कहीं अधिक बड़े क्षेत्र के लिये जारी किया गया है जहाँ बस्टर्ड पक्षियों का निवास है।
    - सरकार ने कहा कि यह क्षेत्र देश की पवन एवं सौर ऊर्जा क्षमता में एक बड़ी हिस्सेदारी रखता है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि बिजली लाइनों को भूमिगत करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। सरकार ने बस्टर्ड की आबादी में गिरावट के लिये अवैध शिकार, पर्यावास विनाश और इन पक्षियों द्वारा शिकार करने के अवसर जैसे अन्य कारकों को ज़िम्मेदार ठहराया।
- **SC द्वारा आदेश वापस लेना:**
  - एम.के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ मामले में 21 मार्च 2024 को अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए ट्रांसमिशन लाइनों पर पूर्ण प्रतिबंध को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने आदेश पर पुनर्विचार के मुद्दे को वैज्ञानिक विशेषज्ञों पर छोड़ दिया।
    - इस क्रम में भूमिगत पावर लाइनों की व्यवहार्यता का आकलन करने और बस्टर्ड संरक्षण के उपायों की पहचान करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई। इस समिति द्वारा जुलाई 2024 तक अपनी रिपोर्ट सौंपी जानी है, जिसके बाद न्यायालय अपना अंतिम निर्णय सुनाएगा।

एम.के. रणजीत सिंह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विभिन्न निहितार्थ:

- **पर्यावरणीय न्यायशास्त्र की रूपरेखा का विस्तार:**
  - SC ने पर्यावरणीय न्यायशास्त्र की रूपरेखा का विस्तार किया है। इसका विस्तार बार-बार दोहराए जाने वाले प्रदूषक भुगतान सिद्धांत- निवारक सिद्धांत-सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत (polluter pay principle–precautionary principle–public trust doctrine) से जलवायु न्याय, पर्यावरणीय असमानता और लैंगिक न्याय के वृहत क्षेत्र तक किया गया है।
- **पर्यावरणीय न्याय सुरक्षित करना:**
  - लंबे समय से पर्यावरणीय विवादों को 'पर्यावरण बनाम विकास' के बहस के संकीर्ण चश्मे से देखा जाता रहा है। इस निर्णय में न्यायालय ने इस द्विआधार से आगे बढ़ते हुए संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी परिप्रेक्ष्य एवं सिद्धांतों के दृष्टिकोण से कुछ विवादास्पद मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की है।
  - हालाँकि निर्णय में नवीकरणीय ऊर्जा के लाभों पर अत्यधिक बल देने के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गई हैं, कई मायनों में यह एक दृष्टांत या मिसाल का भी निर्माण करता है (राष्ट्रीय के साथ ही वैश्विक स्तर पर) और तेज़ी से गर्म एवं शुष्क होते जा रहे विश्व में पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिये एक प्रभावी साधन सिद्ध हो सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार:**
  - पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यायालय ने इस अवसर का उपयोग जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार के अस्तित्व को चिह्नित करने के लिये किया है। न्यायालय ने माना है कि इस अधिकार को भारत के संविधान के तहत **समता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21)** से मान्यता प्राप्त होती है।
  - न्यायालय ने जीवन के अधिकार के आनंद पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से उत्पन्न खतरे की व्याख्या करते हुए इसकी शुरुआत की। इसके बाद, इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन प्रभावों के प्रति असंगत संवेदनशीलता प्रभावित व्यक्तियों के समता के अधिकार को खतरे में डालती है।
    - चर्चा के अंत में न्यायालय ने माना कि इस अधिकार का स्रोत अनुच्छेद 21 और 14 पर न्यायिक न्यायशास्त्र के संयुक्त पाठ में, भारत की जलवायु परिवर्तन कार्रवाई एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों पर वैज्ञानिक सहमति में है।

नोट :

- **कोयला आधारित बिजली संयंत्र से दूर जाने की आवश्यकता:**
  - न्यायालय ने केंद्र सरकार की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोयले से सौर ऊर्जा की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता के मुख्य कारण पर प्रकाश डाला:
    - अगले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी 25% होने की संभावना है, जिससे पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए बेहतर ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिये सौर ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाना आवश्यक हो गया है। ऐसा करने में विफलता से कोयले और तेल पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक और पर्यावरणीय लागत की वृद्धि हो सकती है।
- **जलवायु विधान और जलवायु संबंधी वाद:**
  - निर्णय में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये विशिष्ट घरेलू कानून की कमी पर ध्यान दिया गया। वर्तमान मामले में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को घरेलू कानून में अधिनियमित नहीं किया गया है।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैश्विक स्तर पर विभिन्न वादों (litigations) का भी संज्ञान लिया। इस क्रम में विशेष रूप से स्टेट ऑफ नीदरलैंड बनाम अर्जेंडा फाउंडेशन मामले में डच सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ध्यान दिया गया, जिसने चिह्नित किया कि जलवायु परिवर्तन न केवल जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है, बल्कि निजी एवं पारिवारिक जीवन के अधिकार को भी प्रभावित करता है।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने 'कमिटी ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड' के निर्णय (Sacchi, et al. v. Argentina, et al) पर भी ध्यान दिया, जहाँ कमिटी ने पाया कि "जबकि जलवायु परिवर्तन के लिये वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, व्यक्तिगत राज्य जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों में अपने योगदान के संबंध में अपनी सक्रियताओं या निष्क्रियताओं के लिये जवाबदेही धारण करते हैं।"
- **पूर्व आदेश को रद्द करने की स्थिति में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिये चिंताएँ:**
  - **निर्णय में नवीकरणीय ऊर्जा के लाभों पर अत्यधिक बल:**
    - मुख्य चिंता इस बात की है कि नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर आक्रामक प्रचार से उत्पन्न होने वाली सामाजिक एवं पर्यावरणीय चिंताओं पर विचार किये बिना नवीकरणीय ऊर्जा के लाभों पर निर्णय में अत्यधिक बल दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरणीय एवं सामाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न करती है जैसा कि GIBs को खतरों के मामले में देखा जा सकता है।
      - बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के लिये भूमि का अधिग्रहण, भूमि तक पारंपरिक समुदाय की पहुँच को प्रतिबंधित किया जाना और जल की खपत बढ़ना शामिल है। पूर्ण जीवन चक्र विश्लेषण से पुष्टि होगी कि लिथियम के निष्कर्षण के साथ-साथ सौर पैनलों के निपटान से गंभीर मुद्दे जुड़े हुए हैं।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये खंडित दृष्टिकोण:**
    - सैकड़ों एकड़ भूमि में विस्तृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को अभी भी किसी पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है और ये आम तौर पर पर्यावरण कानूनों के दायरे से बाहर हैं। हालाँकि कुछ राज्यों को **वायु अधिनियम, 1981 और जल अधिनियम, 1974** के तहत सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन यह अपर्याप्त, तदर्थ एवं खंडित बना रहा है।
      - इससे नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमित और अप्रतिबंधित वृद्धि के विरुद्ध आम लोगों का विरोध शुरू हो गया है। इसलिये यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हरित ऊर्जा से हर चीज़ हरी नहीं हो जाती। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिये सौर ऊर्जा पारेषण लाइनों द्वारा उत्पन्न खतरों के मामले में यह स्पष्ट रूप से देखा गया था।
  - **'संतुलन' की पहेली को सुलझाना:**
    - प्राथमिकता क्षेत्र, संभावित क्षेत्र और अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में नए ओवरहेड ट्रांसमिशन पर सामान्य निषेध को हटाने के संबंध में न्यायालय की राय थी कि लगभग 99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सौर ऊर्जा के वितरण के लिये ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के संबंध में सामान्य निषेध का कोई आधार नहीं है।

नोट :

- हालाँकि, सामान्य निषेध न होने के कारणों से सहमत होते हुए भी **सर्वोच्च न्यायालय को पहली बार सामान्य 'पर्यावरण बनाम विकास' की बहस से हटकर 'पर्यावरण बनाम संरक्षण' की पहेली से संबोधित होना पड़ा।**
  - दो समान रूप से महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों (एक ओर GIBs का संरक्षण तो दूसरी ओर समग्र रूप से पर्यावरण का संरक्षण) को संतुलित करते समय एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है जहाँ एक की कीमत पर दूसरे लक्ष्य का बलिदान नहीं करना पड़े। दोनों लक्ष्यों के बीच का नाजुक संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिये।

विशेषज्ञ समिति को शक्तियाँ हस्तांतरित करना:

- विशेषज्ञ समिति को प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में चिह्नित क्षेत्र में ओवरहेड और भूमिगत विद्युत लाइनों के दायरे, व्यवहार्यता एवं सीमा का निर्धारण करना होगा। **इसके अलावा, इसे GIBs की सुरक्षा बढ़ाने के लिये आवश्यक किसी भी अन्य उपाय की सिफ़ारिश करने की स्वतंत्रता दी गई है।** इसमें प्रजातियों के संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण समझे जाने पर निर्दिष्ट प्राथमिकता क्षेत्रों से परे उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें जोड़ना शामिल हो सकता है।

अधिकार की अभिव्यक्ति का अभाव:

- उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने अधिकार के अस्तित्व को तो चिह्नित किया लेकिन इसे आगे स्पष्ट नहीं किया। इसके अतिरिक्त, इसने अभिव्यक्ति की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। हालाँकि इसने उस कार्य को अपने हाथ में लेने से इनकार कर दिया। तर्कसंगत रूप से, न्यायालय द्वारा अधिकार को स्पष्ट न करने और केवल इसे चिह्नित करने का सचेत विकल्प चुनना पर्यावरणीय मामलों में न्यायालय के सामान्य अभ्यास से विचलन को दर्शाता है।
  - अधिकांश भारतीय पर्यावरण कानून जनहित के मामलों में न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुए हैं। कई मामलों में इसने पर्यावरणीय अधिकारों और कानूनी सिद्धांतों को प्रत्यारोपित, चिह्नित एवं स्पष्ट किया है।

नवीन निर्णय को अधिक सक्रिय और समावेशी बनाने के लिये किन विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया जाना चाहिये?

- **जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई का समन्वयन:**
  - मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि बस्टर्ड प्रजाति पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों को किस प्रकार सीमित किया जाए। जैसा कि संरक्षणवादियों ने उल्लेख किया है, यह निर्णय दो प्रतिस्पर्द्धी विकल्पों—यानी या तो जैव विविधता की रक्षा करना या शमनकारी जलवायु कार्रवाई की अनुमति देना, को प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय मुद्दे पर विचार करता है। दूसरे शब्दों में, यह जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई को प्रतिकूल विकल्पों के रूप में पेश करता है।
    - इसके अलावा, इस दृष्टिकोण में अधिकार की मान्यता को भी प्रासंगिक बनाया गया है जो जैव विविधता संरक्षण और शमनकारी जलवायु कार्रवाई के साथ मेल खाता है। तदनुसार, इस प्रकार मान्यता प्राप्त अधिकार केवल जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध मनुष्यों के हितों की रक्षा से संबंधित है, जिस जलवायु परिवर्तन को जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई को समन्वित कर कम किया जा सकता है।
- **'जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क' को पूर्णरूपेण अपनाना:**
  - आगे बढ़ते हुए, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के अंगीकरण से इस पहेली को सुलझाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण होगा 'जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क' या न्यायपूर्ण संक्रमण ढाँचे का उपयोग करना। वर्तमान में दुनिया भर में जलवायु मामलों में उपयोग किये जा रहे इस दृष्टिकोण का उद्देश्य निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को अधिक समतामूलक एवं समावेशी बनाना है। यह विशेष रूप से ऐसे संक्रमणों से सबसे अधिक प्रभावित लोगों के हितों की पूर्ति करता है।
    - इसमें अन्य हितधारकों के साथ-साथ श्रमिक, संवेदनशील समुदाय और छोटे एवं मध्यम आकार के उद्यम शामिल हैं। जहाँ मुख्य मुद्दा वर्तमान मामले के समान है, वहाँ न्यायसंगत संक्रमण ढाँचे का उपयोग करना एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण है।
    - यह धीमी कार्बन संक्रमण परियोजनाओं (इस मामले में सौर ऊर्जा) से खतरे में पड़ने वाले निम्न प्रतिनिधित्व रखने वाले हितधारकों (इस मामले में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) की रक्षा करने की अनुमति देता है।

नोट :

- **समावेशी और समतामूलक जलवायु कार्रवाई को सुगम बनाना:**
  - यह देखते हुए कि न्यायालय का अंतिम निर्णय अभी भी लंबित है, यह न्यायपालिका के लिये 'जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क' का उपयोग करने और समावेशी एवं समतामूलक जलवायु कार्रवाई को सुगम बनाने का एक उत्कृष्ट अवसर है। निर्णय में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक अधिकार को मान्यता दी गई है और इसे अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है।
  - यह इस अधिकार के संघटकों पर चर्चा शुरू करने के लिये एक उत्पादक अवसर प्रदान करता है—यानी इसे समावेशी और प्रभावी बनाने का एक अवसर। हालाँकि यह बोझ साझा प्रकृति भी रखता है।
  - यह न केवल राज्य पर बल्कि कार्यकर्ताओं, वादियों और शिक्षाविदों पर भी (जो अधिकारों की मान्यता, अभिव्यक्ति और प्रवर्तन की प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर अधिकारों को संघटक तत्व प्रदान करते हैं) एक दायित्व लागू करता है।
- **बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना:**
  - **विभिन्न अधिकारों और हितों के लिये जीवंत जलवायु कार्रवाई:**
    - सर्वप्रथम, जलवायु कार्रवाई और जैव विविधता की सुरक्षा को 'साइलो' में या पृथक-पृथक स्तर पर देखे जाने से रोकने की आवश्यकता है। इसके बजाय यह समायोजनकारी जलवायु कार्रवाई के लिये एक मामले का निर्माण कर सकता है, यानी विभिन्न अधिकारों और हितों के लिये जीवंत जलवायु कार्रवाई।
  - **अधिक प्रतिवर्ती जलवायु अधिकारों की अभिव्यक्ति को सक्षम करना:**
    - दूसरा, भारत को अधिक प्रतिक्रियाशील या प्रतिवर्ती जलवायु अधिकारों की अभिव्यक्ति को सक्षम करने का प्रयास करना चाहिये। जलवायु संबंधी वादों में इसका उपयोग यह सुनिश्चित कर सकता है कि जलवायु अधिकारों की अभिव्यक्ति और कार्यान्वयन गैर-मानवीय प्रकृति के हितों के प्रति भी संवेदनशील है तथा पारिस्थितिक न्याय को आगे बढ़ाता है।
  - **गैर-मानवीय हितों को समायोजित करना:**
    - तीसरा, यदि न्यायालय के अंतिम निर्णय में 'जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क' का उपयोग किया जाता है तो यह मामला गैर-मानवीय हित पर विचार करने वाले पहले न्यायसंगत संक्रमण मुकदमों में से एक होगा।
    - वैश्विक स्तर पर मौजूदा न्यायसंगत संक्रमण मुकदमों में से केवल एक अन्य मामला गैर-मानवीय पर्यावरण के हितों की रक्षा से संबंधित है। इस प्रकार, वर्तमान मामला ऐसे मुकदमे या वादों में अग्रणी मामला सिद्ध होगा। सैद्धांतिक रूप से, यह मानवीय हितों से अधिक पर विचार करने के लिये एक न्यायसंगत संक्रमण की अवधारणा का विस्तार करने में योगदान देगा।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिये कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं?

- **प्रजाति पुनर्प्राप्ति/रिकवरी कार्यक्रम:**
  - GIBs को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के **वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास (Integrated Development of Wildlife Habitats)** के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Species Recovery Programme) में शामिल किया गया है।
  - केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में GIBs प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत WII और राजस्थान वन विभाग ने संयुक्त रूप से प्रजनन केंद्र स्थापित किये जहाँ वन्य परिवेश के प्राप्त बस्टर्ड के अंडों को कृत्रिम रूप से निषेचित किया गया।
- **फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर:**
  - **फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर (Firefly Bird Diverters)** बिजली लाइनों पर स्थापित फ्लैप होते हैं। वे GIBs जैसी पक्षी प्रजातियों के लिये बिजली के तारों पर लटकी परावर्तक संरचनाओं के रूप में कार्य करते हैं। पक्षी इन्हें लगभग 50 मीटर की दूरी से देख सकते हैं और बिजली लाइनों से टकराव से बचने के लिये अपनी उड़ान का रास्ता बदल सकते हैं।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान और गुजरात के मुख्य सचिवों को प्राथमिकता क्षेत्रों में बर्ड डायवर्टर लगाने का आदेश दिया है। इसने उनसे दोनों राज्यों में भूमिगत की जा सकने वाली ट्रांसमिशन लाइनों की कुल लंबाई का आकलन करने के लिये भी कहा है।

नोट :

SAVING THE GIB

WHAT IS CONSERVATION BREEDING: Conservation breeding means artificial breeding where birds from the wild are caught and mating takes place in a natural habitat. The second generation of these birds are released into the wild. In the case of GIB, second generation birds will be given to participating states like Gujarat. The states will then take up their own breeding programmes.

FOOD AVAILABILITY: Food availability was significantly higher at foraging sites compared to random locations. Availability of plant food material was higher compared to animal food matter. Ziziphus nummularia fruits were the most abundant food available followed by grasshoppers and Capparis decidua fruits during winter. Termites were found only in one location and in high numbers.

STATE HASN'T MADE ANY EFFORT, SAY WII EXPERTS: WII experts say that for the last 10 years, the state has been asked to put high-tension lines underground but the state has failed to take any concrete measures. The expert said, "Even if birds are released into the wild they will collide with high-tension lines and die. If Gujarat seeks a male, we will first ask them to give an undertaking with a time-frame for putting the lines underground." An expert said that Devesh Gadhvi, a member of the IUCN expert group on bustards and a member of the state wildlife board, has raised the issue at various meetings and the government also directed the chief wildlife warden to take up the matter with the power companies, but nothing has been achieved.

ISSUES IN GUJARAT

- **High tension lines passing through** the Naliya area have resulted in the deaths of birds. Two birds that were tagged by the WII died after collisions with power lines.

- **Increase in the number** of wind turbines and power lines
- **Increase in encroachment** on revenue land from core breeding areas but due to the lack of inter-departmental coordination and delays in legal action against encroachments are increasing.

- **The GIB habitat in Kutch** is changing drastically due to agriculture and invasion of Prosopis juliflora (gando baval)
- **Traditional hunting** has been reported by a specific community in the area

- **आर्टिफीसियल हैचिंग:**
  - वर्ष 2019 में शुरू किये गए संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के तहत वन्य परिवेश से अंडे एकत्र करने और कृत्रिम रूप से उन्हें सेने (हैचिंग) का कार्य आरंभ हुआ। 21 जून 2019 को पहला चूजा बाहर निकला, जिसका नाम 'यूनो' (Uno) रखा गया। उस वर्ष आठ और चूज़े पैदा हुए जिनका पालन-पोषण किया गया तथा उनकी निगरानी की गई। राजस्थान के दो प्रजनन केंद्रों में कुल 29 GIBs रखे गए हैं।

नोट :

- **राष्ट्रीय बस्टर्ड रिकवरी योजनाएँ:**
  - भारत सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिये एक व्यापक संरक्षण योजना विकसित की है ताकि विभिन्न राज्यों में संरक्षण प्रयासों का समन्वयन एवं मार्गदर्शन किया जा सके।
- **संरक्षण प्रजनन सुविधा:**
  - MoEF&CC , राजस्थान सरकार और **भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)** ने जून 2019 में जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में एक संरक्षण प्रजनन सुविधा भी स्थापित की है।
- **प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:**
  - इसे राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रजाति के लिये प्रजनन बाड़ों का निर्माण करने और इसके पर्यावासों पर मानव दबाव को कम करने के लिये अवसंरचना विकास करने के लिये शुरू किया गया है।

निष्कर्ष

अपनी प्रमुख कृति 'द आइडिया ऑफ जस्टिस' (2009) में अमर्त्य सेन का तर्क है कि न्याय के सिद्धांत में 'अन्याय को कम करने और न्याय को आगे बढ़ाने' के उपाय शामिल होने चाहिये। ताज़ा निर्णय में भारत के **मुख्य न्यायाधीश** ने एक तरह से इन दोनों विचारों को समन्वित कर दिया है और चिह्नित किया है कि नागरिक तब तक स्वतंत्र नहीं होंगे जब तक वे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त नहीं होते। इस क्रम में जलवायु विशिष्ट कानून, जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित वाद/मुकदमे और कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण न केवल पर्यावरण के दृष्टिकोण से, बल्कि मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और असमानता को कम करने के लिये भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

उम्मीद की जा सकती है कि ताज़ा निर्णय कानून, नीति और कार्रवाई को इस तरह से आकार देने में मदद करेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि न केवल नागरिक जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त हों, बल्कि अंतिम शेष बचे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बिजली लाइनों में उलझे बिना स्वतंत्र रूप से उड़ सकें।

क्षेत्रीय सुरक्षा एवं वैश्विक समुद्री व्यवस्था के लिये दक्षिण चीन सागर का महत्त्व

मार्च 2024 में भारत के विदेश मंत्री ने मनीला की अपनी यात्रा के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य में फिलीपींस द्वारा अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के प्रति भारत का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। उनका यह वक्तव्य फिलीपींस और चीन के बीच जारी **दक्षिण चीन** या पश्चिम फिलीपीन सागर के विवाद के बीच आया। उल्लेखनीय है कि इस विवाद ने वर्ष 2023 में समुद्री क्षेत्र में निरंतर तनाव एवं राजनयिक मतभेदों के साथ अपने अस्थिर समय का सामना किया।

वर्ष 2023 में भी भारत और फिलीपींस के एक संयुक्त वक्तव्य में चीन से नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का पालन करने और फिलीपींस के पक्ष में आए वर्ष 2016 के **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** के निर्णय को स्वीकार करने का आह्वान किया गया था। ये दोनों वक्तव्य एक विकसित हो रहे दृष्टिकोण का अंग हैं, जो दक्षिण चीन सागर के मामले में पूर्व में भारत की अधिक सतर्क एवं तटस्थ स्थिति से प्रस्थान या विचलन का संकेत देते हैं।

हालिया वर्षों में दक्षिण चीन सागर पर भारत का रुख व्यापक रूप से बदल गया है। यह दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, संप्रभुता एवं संप्रभु अधिकारों के प्रावधानों का समर्थन करते हुए अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त रुख के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की व्यापक रणनीतिक एवं आर्थिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है।

दक्षिण चीन सागर (South China Sea- SCS):

- **परिचय:**
  - **दक्षिण चीन सागर** दक्षिण-पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है।
  - यह चीन के दक्षिण में, वियतनाम के पूर्व एवं दक्षिण में, फिलीपींस के पश्चिम में और बोर्नियो द्वीप के उत्तर में अवस्थित है।
  - सीमावर्ती राज्य और क्षेत्र (उत्तर से दक्षिण की ओर): पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना (ताइवान), फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम।
  - यह ताइवान जलडमरूमध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से और लूज़ॉन जलडमरूमध्य द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है।
  - यहाँ असंख्य शोल, **रीफ, एटोल और द्वीप** मौजूद हैं। इनमें पारासेल द्वीप समूह, स्प्रैटली द्वीप समूह और स्कारबोरो शोल सबसे अधिक महत्त्व रखते हैं।
- **महत्त्व:**
  - दक्षिण चीन सागर अपनी अवस्थिति के कारण रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से **हिंद महासागर** और **प्रशांत महासागर** के बीच संपर्क लिंक का निर्माण करता है।
  - **व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन** (United Nations Conference on Trade And Development-UNCTAD) के अनुसार वैश्विक नौवहन का एक-तिहाई भाग इससे होकर गुज़रता है जिसमें भारी मात्रा में व्यापार संपन्न होता है। यह इसे एक महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक जल निकाय बनाता है।

नोट :

- फिलीपींस के पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन विभाग के अनुसार दक्षिण चीन सागर में दुनिया की संपूर्ण समुद्री जैव विविधता का एक तिहाई भाग मौजूद है और यह एक आकर्षक मत्स्यग्रहण क्षेत्र है जो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है।
- ऐसा भी माना जाता है कि दक्षिण चीन सागर की समुद्र तल के नीचे तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं।
- यह विश्व के सबसे अधिक यातायात वाले जलमार्गों में से एक है। प्रति वर्ष अनुमानित 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नौवहन वाणिज्य इस समुद्री मार्ग से होकर गुज़रता है, जिसमें अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के लिये ऊर्जा आपूर्ति नौवहन भी शामिल है।

नोट :

दक्षिण चीन सागर में चल रहे विभिन्न विवाद कौन-से हैं?

- **संप्रभुता पर विवाद:**
  - दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में चीन, ताइवान और वियतनाम पारासेल द्वीप समूह की संप्रभुता पर विवाद रखते हैं जिन पर चीन ने वर्ष 1974 से कब्जा कर रखा है। **प्रतास द्वीप** पर चीन और ताइवान दोनों दावा करते हैं, जिस पर अभी ताइवान का नियंत्रण है।
  - सागर के दक्षिणी भाग में चीन, ताइवान और वियतनाम लगभग 200 स्प्रैटली द्वीपों में से प्रत्येक पर दावा करते हैं, जबकि ब्रुनेई, मलेशिया और फिलीपींस उनमें से कुछ पर दावा रखते हैं। वियतनाम इस द्वीप शृंखला में सबसे अधिक स्थलाकृतियों (land features) पर कब्जा रखता है, जबकि ताइवान का कब्जा इसके सबसे बड़े द्वीप पर है।
  - सागर के पूर्वी भाग में चीन, ताइवान और फिलीपींस स्कारबोरो शोल पर दावा करते हैं, जिसपर चीन ने वर्ष 2012 से नियंत्रण कर रखा है।
    - चीन की **'नाइन-डैश लाइन'** और ताइवान की **'इलेवन-डैश लाइन'** 200 समुद्री मील के सैद्धांतिक **विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZs)** के साथ ओवरलैप होती है, जिन पर पाँच दक्षिण-पूर्व एशियाई देश—ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम वर्ष 1994 के **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय** (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) के तहत अपने मुख्य भूमि तटों से निकट होने के आधार पर दावा कर सकते हैं।
- **समुद्र की स्वतंत्रता पर विवाद:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश अन्य देश UNCLOS की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि यह तटवर्ती राज्यों को उनके EEZs के भीतर आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार तो देता है, लेकिन सैन्य जहाज़ों एवं विमानों सहित EEZs के माध्यम से नेविगेशन एवं ओवरफ्लाइट को विनियमित करने का अधिकार नहीं देता है।
    - चीन यह अल्पमत राय रखता है कि UNCLOS उसे अपने EEZs के माध्यम से आर्थिक गतिविधि और विदेशी सेनाओं के नेविगेशन एवं ओवरफ्लाइट दोनों को विनियमित करने की अनुमति देता है।
  - UNCLOS राज्य पक्षकारों को उनके समुद्र तट के आसपास 12 समुद्री मील प्रादेशिक समुद्र और 200 समुद्री मील EEZs तथा मानव आवास को संपोषण प्रदान कर सकने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित स्थलाकृतियों पर दावा करने की अनुमति देता है।
    - प्राकृतिक रूप से निर्मित ऐसी स्थलाकृतियाँ जो उच्च ज्वार के समय जल के ऊपर रहती हैं, लेकिन वास योग्य नहीं हैं, 12 समुद्री मील प्रादेशिक समुद्र का अधिकार रखती हैं, लेकिन वे 200 समुद्री मील EEZs का अधिकार नहीं रखती हैं।
- **समुद्र में खतरनाक मुठभेड़:**
  - अमेरिका और अन्य देशों ने चीन के सैन्य और असैन्य जहाज़ों एवं विमानों पर दक्षिण चीन सागर में और उसके ऊपर असुरक्षित युद्धाभ्यास करने का आरोप लगाया है, जिससे अन्य क्षेत्रीय अभिकर्ताओं को खतरा पहुँचता है।
  - अमेरिकी रक्षा विभाग (DOD) ने वर्ष 2021-2022 में चीन के सैन्य जहाज़ों एवं विमानों द्वारा 'असुरक्षित एवं गैर-पेशेवर व्यवहार में तेज़ वृद्धि' की रिपोर्टिंग की। अमेरिकी अधिकारियों का तर्क है कि इनमें से कुछ व्यवहार हवाई और समुद्री सुरक्षा के संबंध में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों (जिसमें चीन भी एक पक्षकार है) के साथ 'असंगत' थे।
- **चीन और अन्य दावेदारों के बीच तनाव:**
  - पिछले एक दशक में चीन और फिलीपींस के बीच सबसे अधिक तनाव रहा है। चीन और फिलीपींस के जहाज़ों के बीच संघर्ष के साथ चीन द्वारा स्कारबोरो शोल पर वास्तविक नियंत्रण हासिल कर लेने के एक वर्ष बाद 2013 में फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयों पर UNCLOS के तहत मध्यस्थता की मांग की।
  - वर्ष 2016 में UNCLOS के एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के अलावा यह निर्णय दिया कि चीन के **नाइन-डैश लाइन** दावे का 'कोई कानूनी आधार नहीं' है और चीन ने फिलीपींस के जहाज़ों के साथ हस्तक्षेप कर, समुद्री पर्यावरण को क्षति पहुँचाकर और फिलीपींस के EEZs में एक स्थलाकृति पर पुनर्ग्रहण कार्य में संलग्न होकर फिलीपींस के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन किया है।

नोट :

- **चीन द्वारा कृत्रिम द्वीपों का निर्माण:**
  - वर्ष 2013 और 2015 के बीच चीन ने दक्षिण चीन सागर की स्प्रैटली द्वीप शृंखला में व्यापक भूमि पुनर्ग्रहण (द्वीप-निर्माण कार्य) कार्य किया। चीन द्वारा नियंत्रित सात विवादित स्थलों पर इस पुनर्ग्रहण के तहत लगभग पाँच वर्ग मील कृत्रिम भूभाग का निर्माण किया गया।
    - चीन ने सैन्य अवसंरचना का भी निर्माण किया और स्थापित सैन्य चौकियों पर उन्नत एंटी-शिप एवं एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली तथा अन्य सैन्य उपकरण तैनात किये। हालाँकि अन्य दावेदारों ने भी अपने नियंत्रण के क्षेत्रों में पुनर्ग्रहण एवं निर्माण कार्य किये हैं, चीन के पुनर्ग्रहण कार्य एवं सैन्यीकरण का पैमाना अन्य दावेदारों की तुलना में अत्यंत वृहत है।
- **विघटित क्षेत्रीय सहयोग:**
  - चीन और 10-सदस्यीय **दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)** वर्ष 2002 से दक्षिण चीन सागर में पक्षकारों के लिये एक आचार संहिता पर वार्तारत हैं। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि किसी बाध्यकारी संहिता के निर्माण की संभावना नहीं दिखती और आरोप लगाया है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई के उद्देश्य से जानबूझकर इस वार्ता को इतना लंबा खींच दिया है।

नोट :

दक्षिण चीन सागर के संबंध में भारत का क्या रुख है?

- **भारत के रुख में परिवर्तन:**
  - जुलाई 2016 में दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यवहार एवं दावों के संबंध में फिलीपींस द्वारा लाए गए एक मामले में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय पर भारत ने केवल इतना कहा कि उसने निर्णय पर ध्यान दिया है। ऐसा संभवत: इधर-उधर का पक्ष लेने से बचने के लिये किया गया था, क्योंकि चीन इस निर्णय को 'अवैध' बताकर खारिज करता रहा है और मामले में न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को मानने से इनकार कर दिया है।
    - हालाँकि, भारत ने वर्ष 2020 में अपना रुख बदल दिया और फिलीपींस के साथ खड़े होकर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन की आवश्यकता पर बल दिया। यह पहला अवसर था कि भारत ने न्यायाधिकरण के निर्णय का पालन करने का प्रस्ताव किया, जो दक्षिण चीन सागर विवादों पर भारत के 'तटस्थ' या निरपेक्ष रुख में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है।
- **संयुक्त अभ्यास का संचालन:**
  - मई 2019 में भारतीय नौसेना ने पहली बार दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, जापान और फिलीपींस की नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया था। इसके एक वर्ष बाद भारतीय नौसेना ने अगस्त 2021 में वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास किया। मई 2023 में भारत ने पहली बार दक्षिण चीन सागर में सात आसियान देशों की नौसेनाओं के साथ दो दिवसीय संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिये अपने युद्धपोत भेजे।
- **सैन्य बिक्री और सहायता में वृद्धि:**
  - भारत ने फिलीपींस और वियतनाम को अपनी सैन्य बिक्री और सहायता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। जनवरी 2022 में भारत ने 100 **ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलों** के निर्यात के लिये फिलीपींस के साथ एक समझौता संपन्न किया। जून 2023 में वियतनाम पहला देश बना जिसने भारत से पूर्ण परिचालनात्मक लाइट मिसाइल फ्रिगेट प्राप्त किया।
- **भारत के साथ चीन के जटिल संबंधों के परिणाम:**
  - दक्षिण चीन सागर पर भारत के रुख में परिवर्तन को चीन के साथ उसके जटिल संबंधों से अलग कर नहीं देखा जा सकता। दोनों देशों के बीच सीमा विवादों का एक सुदीर्घ इतिहास रहा है, जो वर्ष 2020 की गलवान घाटी की घटना के बाद से और तेज़ हो गया है। चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में समय-समय पर घुसपैठ की घटना सामने आती रही है और अभी हाल ही में उसने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय ग्रामों के नाम बदलने के रूप में भी भारत को उकसाया है।
- **रुख में इस बदलाव के प्रमुख कारण:**
  - **हिंद महासागर के प्रवेश द्वार के रूप में दक्षिण-पूर्व एशिया:**
    - सामरिक हित, **नौवहन की स्वतंत्रता** और तेल एवं गैस संसाधन दक्षिण चीन सागर में भारत की विस्तारित भागीदारी को निर्धारित करने वाले तीन कारक हैं। भौगोलिक दृष्टि से, दक्षिण-पूर्व एशिया भारत के लिये पीछे के आँगन और हिंद महासागर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
    - दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत को चिंता है कि यह तनाव युद्ध में बदल सकता है जिससे हिंद महासागर में उसके प्रभुत्व को खतरा पहुँच सकता है। परिणामस्वरूप, भारत ने दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया है।
  - **'एक्ट-ईस्ट' नीति को आगे बढ़ाना:**
    - **'लुक ईस्ट'** से **'एक्ट ईस्ट'** की ओर भारत के नीति अभिविन्यास में परिवर्तन ने **हिंद-प्रशांत क्षेत्र** के साथ अधिक रणनीतिक एवं सक्रिय संलग्नता की ओर बदलाव को चिह्नित किया है।
    - यह नीति विकास बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के प्रति भारत की स्वीकार्यता और 'एक्ट ईस्ट' नीति के साथ अधिक सक्रिय एवं बहुआयामी विदेश नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता को परिलक्षित करता है, जिसमें न केवल आर्थिक एकीकरण बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी और विस्तारित सुरक्षा सहयोग पर भी बल दिया गया है।
  - **व्यापार सुरक्षा:**
    - चूँकि भारत का लगभग आधा विदेशी व्यापार मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से संपन्न होता है, दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र एवं सुरक्षित नौवहन भारत की व्यापार सुरक्षा की कुंजी है। यह एक और कारण है कि भारत ने दक्षिण चीन सागर के मुद्दे में हस्तक्षेप किया है, जबकि इसका चीन या आसियान देशों के साथ कोई समुद्री विवाद नहीं है।
  - **ऊर्जा संसाधनों में विविधता लाना:**
    - वियतनाम के EEZs और ऐसे अन्य उपक्रमों में राज्य स्वामित्व वाले भारतीय उद्यमों (जैसे **ONGC विदेश**) की भागीदारी न केवल इस क्षेत्र में भारत की आर्थिक हित को दर्शाती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून (विशेष रूप से UNCLOS) की सीमा के भीतर

नोट :

समुद्री संसाधनों की खोज एवं दोहन की स्वतंत्रता के सिद्धांत के प्रति इसके समर्थन को भी परिलक्षित करती है।

- **'पुल फैक्टर' के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका एक 'पुल फैक्टर' है जो भारत को दक्षिण चीन सागर विवादों में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करता है। दोनों देशों के कई साझा हित हैं। दोनों **क्वाड** (Quad) के स्तंभ हैं, जिसका उद्देश्य नियम-आधारित विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना है। दोनों दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभुत्व को लेकर चिंतित हैं और दक्षिण चीन सागर विवादों पर दोनों एकसमान रुख रखते हैं।
- **हिंद-प्रशांत में ज़िम्मेदार हितधारक:**
  - भारत अब हिंद-प्रशांत में एक ज़िम्मेदार हितधारक के रूप में गंभीर महत्त्व के मामलों पर स्पष्ट रुख अपनाने से कतरा नहीं सकता। हिंद-प्रशांत थिएटर में इसकी केंद्रीयता का अर्थ यह है कि इसकी परिधि अब केवल हिंद महासागर नहीं है, बल्कि वह व्यापक समुद्री क्षेत्र भी है जहाँ चीन का उदय यथास्थिति को उन तरीकों से चुनौती दे रहा है जिनका पहले कभी अनुमान नहीं किया गया था।
    - भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति में आसियान की केंद्रीयता भी भारत के लिये अनिवार्य बनाती है कि वह आसियान की स्थिति को सुदृढ़ करे। हालाँकि इस क्षेत्रीय समूह के अंदर मौजूद मतभेद ऐसे प्रयासों के लिये चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।

दक्षिण चीन सागर में भविष्य में भारत की संलग्नता किस रूप में आगे बढ़ सकती है?

निकट भविष्य में, दक्षिण चीन सागर में भारत की उपस्थिति तीन तरीकों से और विस्तारित होगी:

- **क्षेत्र में भारत के बढ़ते हित:**
  - आसियान देशों के साथ तेज़ी से बढ़ते व्यापार एवं निवेश संबंधों और रक्षा सहयोग के कारण, भारत को दक्षिण चीन सागर के मुद्दे के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिये एक सबल प्रेरणा प्राप्त होगी। इससे दक्षिण चीन सागर का विवाद जटिल बनेगा और इसका 'अंतर्राष्ट्रीयकरण' हो जाएगा।
- **भारत-चीन सीमा पर चीन के लाभ की भरपाई:**
  - भारत दक्षिण चीन सागर मुद्दे में संलग्नता के साथ चीन-भारत सीमा पर चीन के लाभ की स्थिति की भरपाई करना जारी रखेगा। वस्तुत: मई 2020 में **गलवान घाटी** में चीन के साथ हुई झड़प के बाद से ही भारत ने दक्षिण चीन सागर में अपनी भागीदारी तेज़ी से आगे बढ़ाई है। सीमा पर संवेदनशील शांति और मधुर द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए, भारत सीमा पर चीन की शक्ति पर लगाम लगाने के लिये दक्षिण चीन सागर के मुद्दे का उपयोग कर सकता है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता:**
  - भारत को दक्षिण चीन सागर विवाद में हस्तक्षेप करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका से मदद प्राप्त होगी। चूँकि अगले कुछ वर्षों में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच टकराव के साथ-साथ चीन और भारत के बीच संबंधों के गतिहीन बने रहने की संभावना है, भारत वाशिंगटन से लाभ प्राप्त करने के इस अवसर को भुनाने में संकोच नहीं करेगा और इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर अमेरिका के साथ सहयोग के माध्यम से चीन के उदय को संतुलित करने का प्रयास करेगा।

दक्षिण चीन सागर में संकट को कम करने के विभिन्न उपाय क्या हैं?

- **आर्थिक विकल्पों का लाभ उठाना:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका और विभिन्न दावेदार देश दक्षिण चीन सागर में अवैध गतिविधियों, उत्पीड़न और मनमाने व्यवहार में शामिल चीनी कंपनियों एवं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि किसी भी चीनी सैन्य कदम पर अमेरिका की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी, जिनमें कुछ शमन विकल्प भी शामिल होंगे।
- **अन्य देशों को चीन के विरुद्ध एकजुट होने के लिये प्रोत्साहित करना:**
  - विवाद में संलग्न देश चीन की कार्रवाइयों के लिये इसकी निंदा करने के अनौपचारिक रूप से परस्पर सहयोग कर सकते हैं अथवा आसियान या **संयुक्त राष्ट्र** जैसी संस्थाओं में चीन के विरुद्ध औपचारिक घोषणाएँ और प्रस्ताव जारी कर सकते हैं। वे संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित कर सकते हैं जहाँ कुछ समय के लिये दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों की घेराबंदी की जा सकती है।
- **दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता लागू करना:**
  - विवाद में शामिल देश समान विचारधारा वाले अन्य देशों के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में एक आचार संहिता का क्रियान्वयन कर सकते हैं। यह आचार संहिता चीनी जहाज़ों के उत्तेजक या धमकीपूर्ण व्यवहार पर प्रतिक्रिया की रूपरेखा तैयार करेगी। इन प्रतिक्रियाओं में रैमिंग और बज़िंग या चीनी जहाज़ों पर चढ़ने और उन्हें जब्त करने जैसी पारंपरिक गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं।

नोट :

- **दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिये सुरक्षा सहयोग और सहायता बढ़ाना:**
  - दक्षिण चीन सागर के अन्य दावेदारों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें एक नेटवर्क संपन्न बहुराष्ट्रीय समुद्री जागरूकता केंद्र की स्थापना करना भी शामिल हो सकता है जो दक्षिण चीन सागर में गतिविधियों की निगरानी करने और संलग्नता के सहमत नियमों का उल्लंघन करने वाले देशों को दंडित करने के लिये दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के खुफिया सूचना संग्रहण एवं विश्लेषण प्रयासों को संबद्ध करेगा।
    - वर्ष 2023 में नए द्विपक्षीय रक्षा दिशानिर्देशों ने अमेरिका-फिलीपींस पारस्परिक रक्षा संधि के तहत अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ किया, जिसमें कहा गया कि दक्षिण चीन सागर में 'कहीं भी' फिलीपींस के तटरक्षक बल, विमान या सार्वजनिक जहाज़ों सहित इसके सशस्त्र बलों के विरुद्ध कोई भी सशस्त्र थर्ड-पार्टी हमला इस संधि के तहत अमेरिका के परस्पर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को क्रियाशील करेगा।
- **शस्त्र नियंत्रण और परस्पर कटौती के बारे में चर्चा का प्रस्ताव:**
  - उदाहरण के लिये, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के देश चीन के द्वीपीय सैन्य चौकियों से दूर अपने संचालन के लिये सहमत हो सकते हैं यदि इन द्वीपों का पूर्ण विसैन्यीकरण किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं मानदंडों का पालन करने के लिये चीन पर निजी तौर पर दबाव डालते हुए क्षेत्रीय संस्थानों के भीतर मिलकर कार्य कर सकता है।
- **संवाद को बढ़ावा देना:**
  - इस बात को समझा गया है कि दक्षिण चीन सागर समस्या के लिये एक राजनीतिक ढाँचे की आवश्यकता है, जिसे केवल संवाद के माध्यम से ही सृजित किया जा सकता है। आसियान के नेताओं को 'शांत कूटनीति' के माध्यम से एक राजनीतिक समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिये, क्योंकि कानूनी तरीकों के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने की संभावना बहुत कम है।
  - एक 'राजनीतिक ढाँचे' का निर्माण और कानूनी रूप से बाध्यकारी 'आचार संहिता' की दिशा में प्रगति करने की ज़िम्मेदारी आसियान नेताओं के कंधों पर अधिक है। यदि आसियान देश चीन को एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संदेश देना चाहते है, तो उनके बीच आपस में गहरी समझ होनी चाहिये।
- **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था के लिये भारत की पैरोकारी:**
  - नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था के लिये भारत की पैरोकारी या पक्षसमर्थन, विशेष रूप से UNCLOS पर उसका बल, क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के विरुद्ध उसके रुख को परिलक्षित करता है। यह रुख, जबकि भारत की सैद्धांतिक विदेश नीति दृष्टिकोण में निहित है, यह अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तृत क्षेत्रीय दावों एवं गतिविधियों को भी चुनौती देता है और क्षेत्रीय स्थिरता एवं सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध एक ज़िम्मेदार हितधारक के रूप में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करता है।
- **FONOPs जारी रखना, लेकिन विवादित स्थलाकृतियों के 12 समुद्री मील से कम दूरी पर नहीं:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य दावेदार देशों के साथ यह संकेत दे सकता है कि विवादित स्थलाकृतियों के पास नौवहन संचालन की स्वतंत्रता (Freedom Of Navigation Operations- FONOPs) के संबंध में प्रादेशिक समुद्र के समान अधिकार नहीं हैं, लेकिन इस क्रम में चीन को शर्मिंदा करने या उसे उकसाने से बचने के लिये जितना संभव हो उतनी दूरी बनाई रखी जाए। यह चीन पर समुद्र में अनियोजित मुठभेड़ों के लिये अपने तट रक्षकों पर संहिता को लागू करने के लिये दबाव डालना जारी रख सकता है।
- **समुद्री टोही और निगरानी क्षमताओं में सुधार लाना:**
  - यह कदम दावेदारों की चेतावनी के समय और यथास्थिति को बदलने के चीन के प्रयासों पर समन्वित प्रतिक्रिया देने की क्षमता में सुधार कर चीन को रोकने में मदद करेगा। ऐसे उपाय अनिवार्य रूप से रक्षात्मक हैं और आक्रामक उपायों की तुलना में बीजिंग के लिये कम उत्तेजक होंगे। वे मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा मिशनों के लिये भी वांछनीय हैं।
    - अमेरिकी सरकार दक्षिण चीन सागर में सहयोगियों और साझेदारों की समुद्री क्षेत्र जागरूकता को बढ़ाना चाहती है। वर्ष 2022 में आयोजित क्वाड्रीलेटरल सुरक्षा संवाद ने दक्षिण चीन सागर सहित पूरे हिंद-प्रशांत में **समुद्री क्षेत्र जागरुकता** में सुधार का प्रयास करने की घोषणा की थी।

निष्कर्ष

भारत द्वारा विभिन्न साधनों से दक्षिण चीन सागर में अपनी भागीदारी बढ़ाने की संभावना है, जिससे चीन में कुछ चिंता उत्पन्न होगी। हालाँकि, इन विवादों में भारत के प्रभाव की अपनी सीमाएँ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, भारत के पास दक्षिण चीन सागर में मज़बूत गठबंधन और सैन्य उपस्थिति का अभाव है, जो आवश्यक रूप से इसकी प्रत्यक्ष भागीदारी को सीमित करेगा। इसके अलावा, भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता दक्षिण चीन सागर में चीन को प्रतिस्थापित करने के बजाय हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना है।

नोट :

अंत में, भले ही भारत दक्षिण चीन सागर के विवादों में फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तेज़ी से खड़ा हुआ है, लेकिन इसने अभी तक चीन को उकसाने से काफी हद तक परहेज किया है। दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर अमेरिका के साथ भारत का व्यापक सहयोग नई दिल्ली के पारंपरिक गुटनिरपेक्ष रुख और उच्च रणनीतिक स्वायत्तता द्वारा नियंत्रित रहेगा।

ईरान-इज़राइल संघर्ष: मध्य पूर्व में अस्थिरता

ईरान ने 170 ड्रोन, क्रूज़ मिसाइलों और 120 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों सहित 300 से अधिक प्रोजेक्टाइल के साथ इज़राइल पर एक गंभीर हमला किया। ईरान की इस कार्रवाई को व्यापक रूप से सीरिया के दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर इज़राइल के घातक हमले के प्रतिशोध के रूप में देखा गया।

यह हमला **इज़राइल और हमास** से संबद्ध पिछली झड़पों से आगे बढ़ते हुए इज़राइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देता है। यह घटना **मध्य-पूर्व** के दो प्रबल विरोधियों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करती है और क्षेत्र में आगे संघर्ष बढ़ने की संभावना को रेखांकित करती है।

ईरान और इज़राइल के बीच संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **वर्ष 1979 से पूर्व के ईरान-इज़राइल संबंध:**
  - वर्ष 1948 में इज़राइल के गठन के बाद ईरान इस क्षेत्र के उन पहले देशों में से एक था जिसने इज़राइल को मान्यता दी थी।
  - वर्ष 1948 में ही अरब राज्यों द्वारा इज़राइल के विरोध के कारण पहला अरब-इज़राइल युद्ध छिड़ गया। ईरान उस संघर्ष का भागीदार नहीं बना था और इज़राइल की जीत के बाद उसने नवगठित यहूदी राज्य के साथ अपने संबंध स्थापित किये।
  - **ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट** (Brookings Institute) के एक विश्लेषण के अनुसार, इज़राइल ने अपने पहले **प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन** (David Ben Gurion) के नेतृत्व में मध्य-पूर्व में गैर-अरब (मुख्य रूप से मुस्लिम देशों) के साथ गठबंधन का निर्माण कर अरब शत्रुता का मुक़ाबला करने के लिये **'परिधि सिद्धांत' (periphery doctrine)** को अपनाया। यह रणनीति तुर्की और ईरान (क्रांति से पूर्व का ईरान) जैसे देशों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित थी, जो पश्चिम-समर्थक रुझान साझा करते थे और इस क्षेत्र में अलग-थलग महसूस करते थे।
  - **मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी**, जिसने वर्ष 1941 से 1979 तक ईरान पर शासन किया था, ने **पश्चिम समर्थक विदेश नीति (pro-Western foreign policy)** अपनाई। अरब देशों से आर्थिक बहिष्कार का सामना करने के बावजूद ईरान ने इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे और इस अवधि के दौरान इज़राइल को तेल की बिक्री करना भी जारी रखा।
- **वर्ष 1979 की क्रांति:**
  - **वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति** में शाह की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद ईरान में एक धार्मिक राज्य की स्थापना हुई। इसके साथ ही इज़राइल के प्रति शासन का दृष्टिकोण बदल गया और इसे **फ़िलिस्तीनी भूमि पर कब्ज़ा** करने वाले आक्रामक देश के रूप में देखा जाने लगा।
  - ईरान के **सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी (Ayatollah Khomeini)** ने इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले पक्षों के रूप में चिह्नित करते हुए इन्हें क्रमशः **'छोटा शैतान'** और **'बड़ा शैतान'** कहा।
  - ईरान ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का भी प्रयास किया जहाँ क्षेत्र की दो प्रमुख शक्तियों सऊदी अरब और इज़राइल (जहाँ दोनों अमेरिकी सहयोगी थे) को चुनौती दी।
- **वर्ष 1979 के बाद एक 'छाया युद्ध' (Shadow War):**
  - इसके परिणामस्वरूप देशों के संबंध और बिगड़ गए। उल्लेखनीय है कि इज़राइल और ईरान कभी भी प्रत्यक्ष सैन्य टकराव में संलग्न नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों ने छद्म आभिकर्ताओं (proxies) और सीमित रणनीतिक हमलों के माध्यम से एक दूसरे को क्षति पहुँचाने का प्रयास किया है।
  - वर्ष 2010 के दशक की शुरुआत में इज़राइल ने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिये उसके कई प्रतिष्ठानों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया।
  - माना जाता है कि वर्ष 2010 में अमेरिका और इज़राइल द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर वायरस **'स्टक्सनेट' (Stuxnet)** विकसित किया था। इसका उद्देश्य ईरान के नैटान्ज़ (Natanz) परमाणु स्थल पर अवस्थित यूरेनियम संवर्द्धन प्रतिष्ठान पर हमला करना था। इसे **किसी औद्योगिक मशीनरी पर पहले सार्वजनिक रूप से ज्ञात साइबर हमले के रूप में** देखा गया।
  - दूसरी ओर, ईरान को इस क्षेत्र में कई आतंकवादी समूहों—जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और **गाज़ा** पट्टी में **हमास**, के वित्तपोषण और समर्थन के लिये ज़िम्मेदार माना जाता है जो इज़राइल और अमेरिका विरोधी समूह हैं।
  - इस समर्थन के कारण ही पिछले कुछ माहों से एक व्यापक संघर्ष या टकराव की चिंताएँ व्यक्त की जा रही थीं।

नोट :

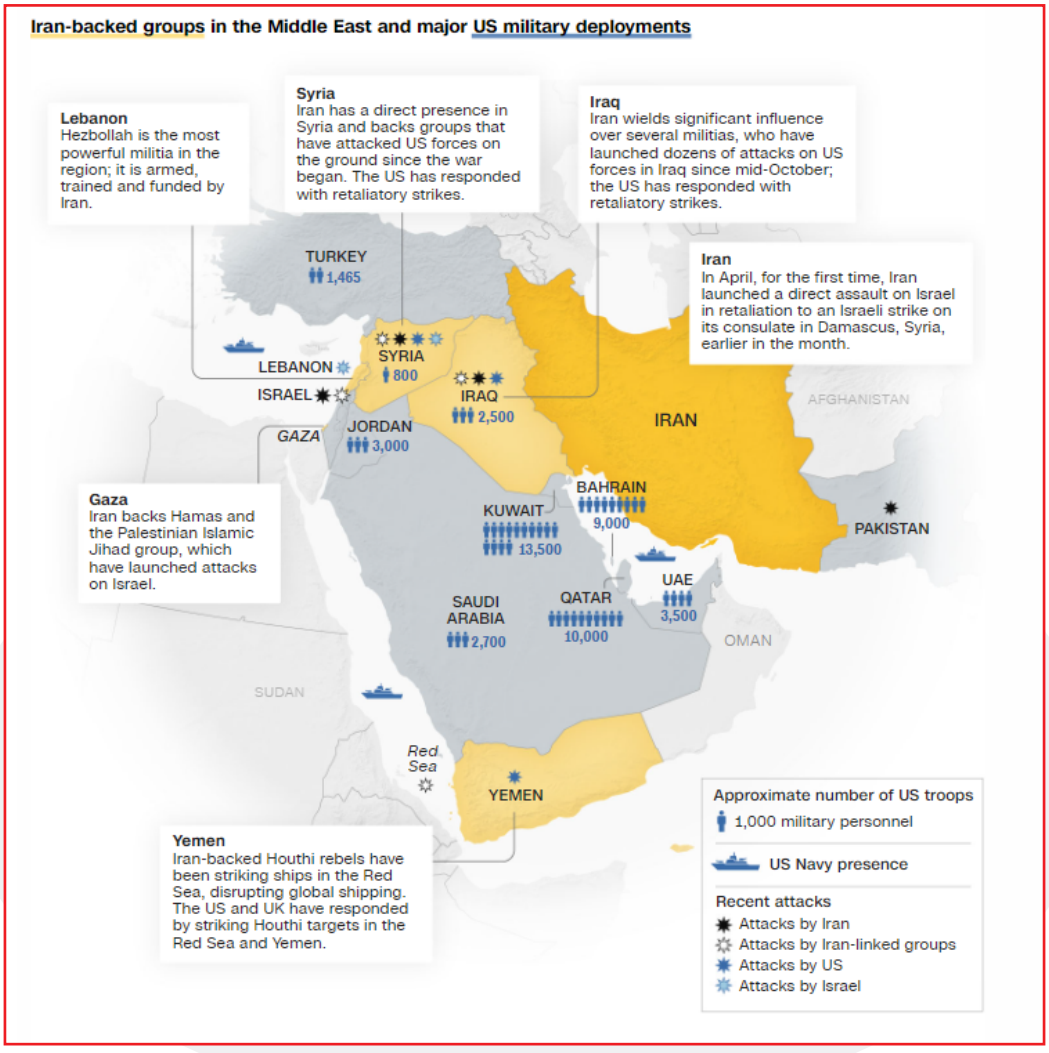

ईरान द्वारा इज़राइल पर हमले के पीछे के प्रमुख घटनाक्रम

- **ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिका का पीछे हटना:** इज़राइल एवं अन्य विश्व शक्तियों द्वारा **ईरान के परमाणु समझौते** से अमेरिका के बाहर निकलने के लिये कई वर्षों से पैरोकारी की जा रही थी और वर्ष 2018 में अंतत: अमेरिका के पीछे हटने के डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय की 'एक ऐतिहासिक कदम' के रूप में सराहना की गई।
- **ईरान के सैन्य जनरल की हत्या:** वर्ष 2020 में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की विदेशी शाखा के **कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले द्वारा हत्या** का इज़राइल ने स्वागत किया। तब ईरान ने अमेरिकी सैन्य उपस्थिति वाले इराकी ठिकानों पर मिसाइल हमले कर जवाबी प्रतिक्रिया दी थी।
- **हमास द्वारा मिसाइल हमला:** अक्टूबर 2023 में ईरान समर्थित फ़िलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने इज़राइल पर मिसाइल हमला किया। इसके जवाब में इज़राइल ने गाज़ा पर हवाई हमले किये।
- **इज़राइल द्वारा फ़िलिस्तीन के चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर छापे और हमले:** नवंबर 2023 में इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर छापे मारने और हमले करने शुरू कर दिये क्योंकि हमास कथित रूप से इन अस्पताल भवनों का इस्तेमाल करते हुए युद्ध को आगे बढ़ा रहा था।

नोट :

- **'लाल सागर संकट':** नवंबर 2023 में यमन के ईरान समर्थित हूती (Houthi) समूह ने गैलेक्सी लीडर मालवाहक जहाज़ पर तब अपना हेलीकॉप्टर उतारा जब वह लाल सागर से गुज़र रहा था। इसने **'लाल सागर संकट' ('Red Sea Crisis')** की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने अंततः आपूर्ति शृंखला के मुद्दों को जन्म दिया।
- **इज़राइल की ज़मीनी कार्रवाइयों में वृद्धि:** दिसंबर 2023 में गाज़ा पट्टी में इज़राइल की ज़मीनी कार्रवाइयों (छापे और हमले) में तेज़ वृद्धि हुई। इससे हताहतों और शरणार्थियों की संख्या बढ़ी। भारत ने दोनों युद्धरत पक्षों के बीच 'शीघ्र एवं स्थायी समाधान' का आह्वान किया।
- **ईरानी दूतावास पर हवाई हमला:** दमिश्क (सीरिया) में ईरानी दूतावास परिसर में एक संदिग्ध हवाई हमले में **इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड** के दो वरिष्ठ कमांडरों सहित सात अधिकारी मारे गए। इज़राइल ने इस हमले की न तो ज़िम्मेदारी ली, न ही इसमें संलिप्तता से इनकार किया।
- **ईरान द्वारा इज़राइल पर मिसाइल हमला:** अप्रैल 2024 में ईरान ने इज़राइल पर मिसाइल हमला किया। यह हमला कथित रूप से सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर संदिग्ध इज़राइली हमले की प्रतिक्रिया में किया गया। यह ईरान द्वारा अपने घरेलू क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से इज़राइल को निशाना बनाने का पहला उदाहरण है।
- **इज़राइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा:** इज़राइल रक्षा बल (IDF) ने दावा किया कि **इज़राइली वायु रक्षा प्रणाली** ने ईरान से आने वाले 99% प्रोजेक्टाइल को 'इंटरसेप्ट' या अवरुद्ध कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस और अन्य मध्य-पूर्वी सहयोगियों ने भी इज़राइल की रक्षा में मदद की।

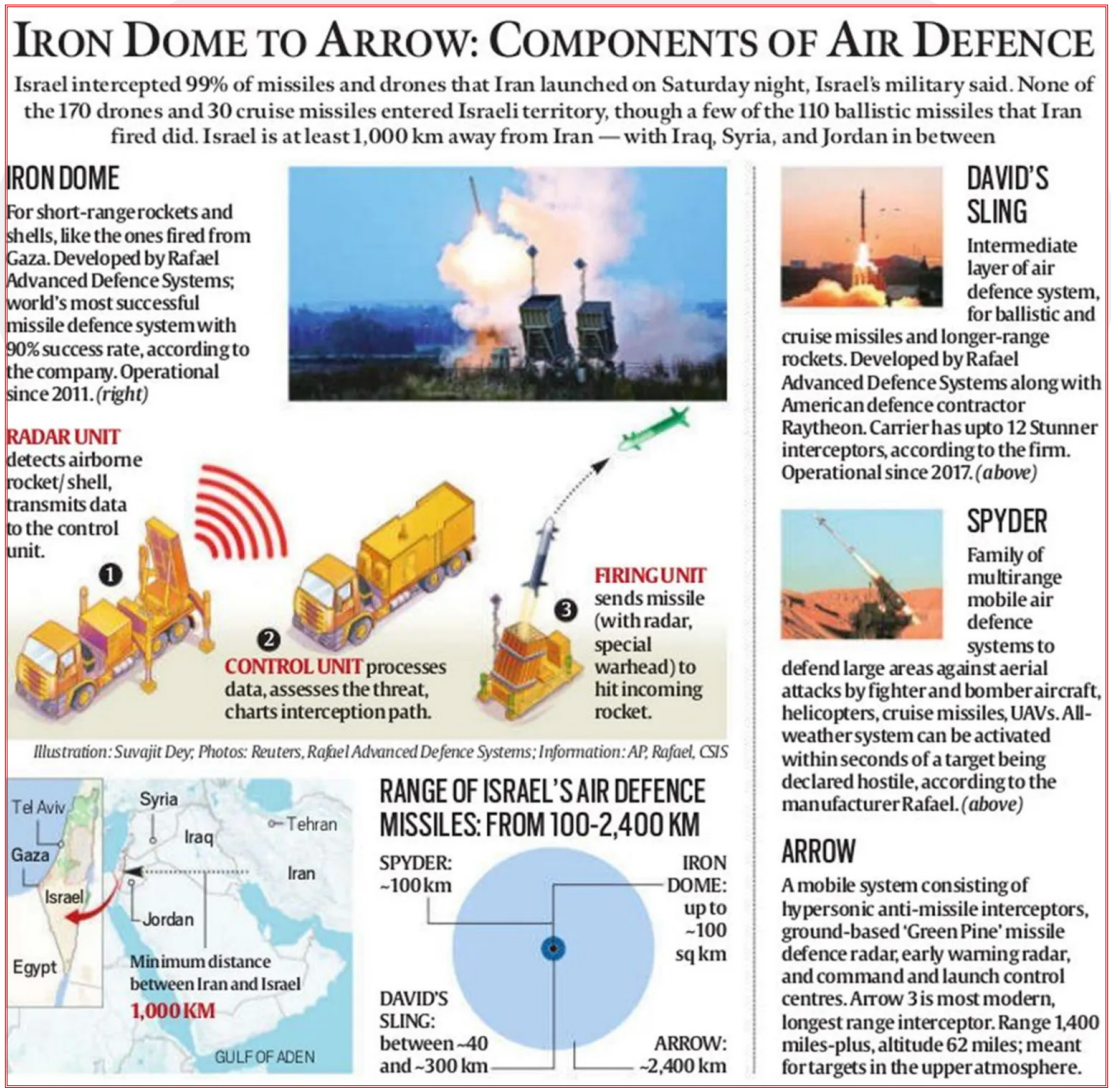

नोट :

ईरान-इज़राइल युद्ध का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

- **संभावित इज़रायली प्रतिक्रिया से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है:**
  - इज़राइल की व्यापक रूप से मौजूद इस धारणा को देखते हुए कि परमाणु-सशस्त्र ईरान इज़राइल के अस्तित्व के लिये एक संभावित खतरा है, उसके द्वारा प्रतिशोध की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता।
  - तनाव कम करने या शांतिपूर्ण समाधान के लिये संवाद के कूटनीतिक प्रयासों की विफलता के बाद फिर सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प बचेगा, जिससे क्षेत्रीय तनाव वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी।
- **तेल आपूर्ति बाधित होने की संभावना:**
  - **पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन 'ओपेक'** (Organization of the Petroleum Exporting Countries- OPEC) के भीतर ईरान कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर ईरान और इज़राइल के बीच तनाव और बढ़ा तो कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो जाएगी।
  - इससे भारतीय शेयर बाज़ार प्रभावित होगा क्योंकि भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं आयातक देश है, जो अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का 80% से अधिक आयात से पूरा करता है।
- **मुद्रास्फीति और पूंजी बहिर्प्रवाह में वृद्धि:**
  - यदि भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो आपूर्ति में व्यवधान के कारण कमोडिटी की कीमतें बढ़ जाएँगी। वैश्विक स्तर पर, भू-राजनीतिक तनाव के कारण मुद्रास्फीति उच्च बनी रहेगी क्योंकि इससे कच्चे तेल की कीमतें और तांबा, जस्ता, एल्युमीनियम, निकेल आदि अन्य वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होंगी।
  - इन चिंताओं के परिणामस्वरूप निवेशक अधिक सतर्क हो जाएँगे और वे अपना पैसा भारतीय शेयरों जैसी जोखिमपूर्ण आस्तियों से निकालकर **स्वर्ण (बुलियन)** जैसे सुरक्षित विकल्पों में लगाने के लिये प्रेरित हो सकते हैं।
  - कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिये लाभप्रदता की कमी और अनिश्चितता की वृद्धि से बॉण्ड की कीमतें गिर सकती हैं, कंपनियों के लिये ऋण की लागत बढ़ सकती है और शेयर बाज़ार लुढ़क सकते हैं।
- **व्यापार और यात्रा व्यवधान:**
  - तेल कीमतों के प्रभावित होने के अलावा, इज़राइल-ईरान युद्ध की संभावना से व्यापार और यात्रा क्षेत्र भी प्रभावित हो सकते हैं। विमानन और शिपिंग क्षेत्र में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
  - वस्तुत: ईरान, जॉर्डन, इराक़, लेबनान और इज़राइल सहित क्षेत्र के कई देशों ने अस्थायी रूप से अपने हवाई क्षेत्र बंद भी कर दिए थे, जिन्हें बाद में नियंत्रणों के साथ पुन: खोला गया।
  - विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान-इज़राइल के बीच नवीन तनाव के मद्देनजर यूरोप में भारत का निर्यात बाधित होगा।
- **भारत की रणनीतिक दुविधा:**
  - ईरान और इज़राइल दोनों के साथ भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध नीति और परिचालन दोनों मोर्चों पर इसके लिये चुनौतियाँ पेश करते हैं।
  - भारत इज़राइल के साथ अपनी रणनीतिक भागीदारी को महत्त्व देता है, जिसमें रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और खुफिया सूचना की साझेदारी शामिल है। इसके साथ ही भारत ईरान के साथ ऐतिहासिक एवं आर्थिक संबंध रखता है, जिसमें ऊर्जा आयात और आधारभूत संरचना परियोजनाएँ भी शामिल हैं।
  - भारत ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों के कल्याण सहित अपने विभिन्न हितों की रक्षा के लिये मध्य-पूर्व में स्थिरता की इच्छा रखता है।

RISING ENERGY DEMAND

FINANCIAL YEAR	OIL IMPORT DEPENDENCY*
2023-24	87.7
2022-23	87.4
2021-22	85.5
2020-21	84.4
2019-20	85
2018-19	83.8

ईरान-इज़राइल संघर्ष को कम करने के संभावित समाधान क्या हो सकते हैं?

- **संवहनीय युद्धविराम और दो-राज्य समाधान:**
  - इज़राइल को जल्द से जल्द गाज़ा में एक संवहनीय युद्धविराम को स्वीकार करना चाहिये, गाज़ा के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता हेतु इसकी सीमाएँ खोलनी

नोट :

चाहिये और **टू-स्टेट समाधान** (Two-State Solution) को साकार करने के रूप में 70 वर्ष पुराने संकट को समाप्त करने के लिये **संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों** का सम्मान करना चाहिये।

- क्षेत्र में दीर्घकालिक सुरक्षा, शांति एवं स्थिरता के लिये दो-राज्य समाधान ही एकमात्र संभव विकल्प है। यह कोई आसान लक्ष्य नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष इससे संबद्ध चुनौतियों और अवसरों से परिचित हैं।

- **संवाद और कूटनीति:**
  - इज़राइल और ईरान के बीच एक संवहनीय युद्धविराम के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल को मध्यस्थता करनी चाहिये। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की सहायता से दोनों देशों को प्रत्यक्ष संवाद में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करने से विश्वास और सहमति निर्माण में मदद मिल सकती है।
  - **यूरोपीय संघ (EU)** या **संयुक्त राष्ट्र (UN)** जैसे तटस्थ तीसरे पक्ष की सहायता से ईरान और इज़राइल प्रत्यक्ष वार्ता में शामिल हो सकते हैं।
- **परमाणु प्रसार संबंधी चिंताओं को संबोधित करना:**
  - ईरान, **संयुक्त व्यापक कार्य योजना** (Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) की शर्तों का पालन करने और समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु प्रतिष्ठानों के अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति देने के रूप में आगे कदम बढ़ा सकता है।
  - बदले में, इज़राइल ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अधिकार को मान्यता प्रदान कर सकता है और ईरानी परमाणु सुविधाओं के विरुद्ध सैन्य हमलों से बचने की प्रतिबद्धता जता सकता है।
- **क्षेत्रीय सहयोग:**
  - अरब लीग और **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** जैसे क्षेत्रीय संगठनों के ढाँचे के भीतर ईरान और इज़राइल के बीच सहयोग को बढ़ावा देने से साझा सुरक्षा चिंताओं को दूर करने तथा मध्य-पूर्व में स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
  - मध्य-पूर्व में सभी हितधारकों की चिंताओं को संबोधित करने वाले एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना के विकास से स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा तथा ईरान और इज़राइल के बीच संघर्ष की संभावना को कम किया जा सकेगा।
- **मध्य-पूर्व के लिये दीर्घकालिक दृष्टिकोण:**
  - क्षेत्रीय शक्तियाँ मध्य-पूर्व के लिये एक व्यापक सुरक्षा संरचना स्थापित करने के लिये मिलकर कार्य कर सकती हैं, जिसमें विश्वास-निर्माणकारी उपाय, हथियार नियंत्रण समझौते और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिये तंत्र शामिल होंगे।
  - ऐतिहासिक शिकायतों, क्षेत्रीय विवादों और धार्मिक अतिवाद जैसे अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने से शांति एवं सुलह के लिये अनुकूल माहौल का निर्माण करने में मदद मिल सकती है।
- **संबंधों का सामान्यीकरण:**
  - **इज़राइल और कुछ अरब राज्यों (जैसे संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन) के बीच संपन्न हुए शांति समझौतों** की तर्ज पर ईरान और इज़राइल भी राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में—जैसे कि राजदूतों का आदान-प्रदान, दूतावासों को फिर से खोलना और लोगों के परस्पर संपर्क को सुगम बनाना, कदम उठा सकते हैं।

निष्कर्ष

मध्य-पूर्व में जारी अस्थिरता का असर **'वैश्विक दक्षिण'** (Global South) और वैश्विक शासन (Global Governance) तक विस्तृत है। इसलिये, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिये यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि वह सभी पक्षों से हिंसा से दूर रहने और समाधान के लिये राजनयिक वार्ता को प्राथमिकता देने का आग्रह करे। दीर्घकालिक अस्थिरता को रोकने और क्षेत्र के संकट को कम करने के लिये उत्तरदायी और संतुलित नीतियों को अपनाना आवश्यक है।

पृथ्वी दिवस 2024

चूँकि **भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** ने वर्ष 2024 में अधिक गर्म ग्रीष्मकाल और सुदीर्घ ग्रीष्म लहर या 'लू' का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, भारत को जल तनाव (water stress) के लिये तैयार रहना चाहिये। चुनौती यह है कि नागरिक गर्मी, जल या चरम मौसम के तीव्र तनाव को अस्थायी मानने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिनसे प्रायः आपदा राहत के रूप में निपटा जाता है। हमें आपदा के आ जाने पर घबराहट भरी प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़ते हुए हमारे समक्ष विद्यमान जोखिमों की दीर्घकालिक प्रकृति को समझने और फिर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जलवायु कार्रवाई को कुछ क्षेत्रों या व्यवसायों पर नहीं छोड़ा जा सकता है, न ही पर्यावरणीय संवहनीयता के उपायों को कुछ दिनों के लिये आयोजित पौधारोपण अभियान की खानापूरी तक सीमित किया जा सकता है।

नोट :

इसमें **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** जैसे आदिवासी सघन क्षेत्रों का संरक्षण करना भी शामिल है। सहस्राब्दियों से, ऐतिहासिक रूप से अलग-थलग रहे ये मूलनिवासी जीविका के लिये संसाधन भंडार के रूप में इन द्वीपों पर निर्भर रहे हैं और इनकी रक्षा की है। इस वर्ष का **पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल)** हमारे लिये एक 'वेक-अप कॉल' बने। जलवायु ही अब अर्थव्यवस्था है और आर्थिक उत्पादन सीमा का विस्तार या संकुचन इस पर निर्भर करेगा कि हम भूमि, खाद्य, ऊर्जा और जल के बीच के अंतर्संबंधों को किस प्रकार समझते हैं।

हालाँकि भारत का लक्ष्य **वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य GHG उत्सर्जन** हासिल करना है (जो मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वृहत संक्रमण से प्राप्त किया जाना है), लेकिन विकासात्मक या संवहनीयता परिणामों पर इस तरह के संक्रमण के निहितार्थ स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट नहीं हैं।

पृथ्वी दिवस (Earth Day) क्या है ?

- **पृष्ठभूमि:**
  - पृथ्वी दिवस पहली बार वर्ष 1970 में मनाया गया था जब अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन (Gaylord Nelson) के आह्वान पर लगभग 20 मिलियन लोग पर्यावरणीय क्षरण का विरोध करने के लिये सड़कों पर उतरे थे।
  - यह घटना वर्ष 1969 के सांता बारबरा तेल रिसाव के साथ-साथ धुंध (smog) और प्रदूषित नदियों जैसे अन्य मुद्दों से उत्प्रेरित हुई थी।
  - वर्ष 2009 में **संयुक्त राष्ट्र (UN)** ने 22 अप्रैल को 'अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस' (International Mother Earth Day) के रूप में निर्दिष्ट किया।
- **परिचय:**
  - पृथ्वी दिवस को वर्तमान में वैश्विक स्तर पर EARTHDAY.ORG द्वारा समन्वित किया जाता है, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है। इसे पहले 'अर्थ डे नेटवर्क' (Earth Day Network) के नाम से जाना जाता था।
  - इसका उद्देश्य "लोगों और पृथ्वी के लिये रूपांतरणकारी परिवर्तन लाने के लिये विश्व के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन का निर्माण करना" है।
  - ऐतिहासिक **पेरिस समझौता**—जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये एक साझा लक्ष्य निर्धारित करने में लगभग 200 देशों को एक साथ लाता है, भी पृथ्वी दिवस के अवसर पर ही (वर्ष 2016 में) पर संपन्न हुआ था।
- **महत्त्व:**
  - यह सामूहिक उत्तरदायित्व को चिह्नित करता है—जिसका आह्वान वर्ष **1992 की रियो घोषणा (पृथ्वी शिखर सम्मेलन)** में किया गया था, ताकि मानव जाति की वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच सम्यक संतुलन प्राप्त करने के लिये प्रकृति और पृथ्वी के साथ सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सके।

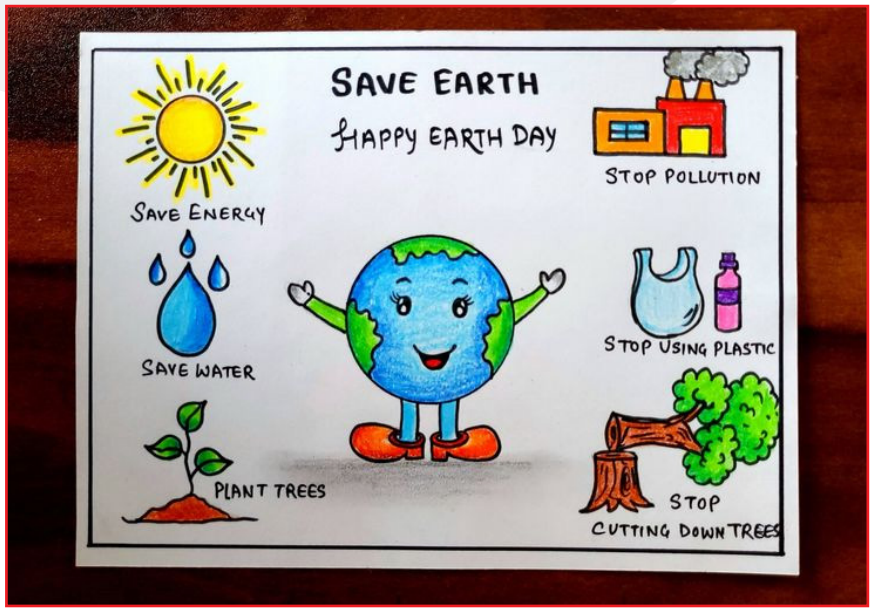

नोट :

नोट:

- **अन्य महत्त्वपूर्ण दिवस:**
  - 22 मार्च: **विश्व जल दिवस**
  - 22 मई: **विश्व जैवविविधता दिवस**
  - 5 जून: **विश्व पर्यावरण दिवस**
  - 2 अगस्त, 2023: **अर्थ ओवरशूट डे** (Earth Overshoot Day) - यह दिवस हर वर्ष अलग तिथि को आता है।
- **अर्थ ऑवर (Earth Hour):**
  - **अर्थ ऑवर** पृथ्वी के लिये **विश्व वन्यजीव कोष** (World Wildlife Fund for Nature-WWF) की वार्षिक पहल है जो वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। यह हर वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को आयोजित किया जाता है।
  - यह 180 से अधिक देशों के लोगों को अपने स्थानीय समय के अनुसार रात 8.30 बजे से 9.30 बजे तक लाइट बंद रखने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  - इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

भारत में जल संकट के विभिन्न पहलू कौन-से हैं?

- **अर्थव्यवस्था में जल का महत्त्व:**
  - वर्षा मृदा की नमी और वनस्पति में संग्रहीत जल (green water) तथा नदियों एवं जलभृतों में उपलब्ध जल (blue water) का प्राथमिक स्रोत है। नीला और हरा जल दोनों हमारे द्वारा उगाए जाने वाले खाद्य को प्रभावित करते हैं। फसलों की सिंचाई, फसल देखभाल एवं पैदावार और अर्थव्यवस्था के लिये ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
  - भारत रोज़गार रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि कृषि अभी भी लगभग 45% आबादी को रोज़गार प्रदान करती है और देश की अधिकांश श्रम शक्ति को अवशोषित करती है। इसी अवधि में ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में मानसून वर्षा का स्वरूप/पैटर्न बदल रहा है, जहाँ देश के 55% तहसील या उप-ज़िलों में दक्षिण पश्चिम मानसून में पिछले तीन दशकों की तुलना में पिछले दशक में वर्षा की मात्रा में 10% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
    - लेकिन वर्षा की यह वृद्धि प्राय: लघु अवधि में भारी वर्षा के रूप में प्राप्त हुई है, जिससे फसल की बुआई, सिंचाई और कटाई प्रभावित होती है। कृषि क्षेत्र को जलवायु और जल तनाव के प्रति अधिक प्रत्यास्थी बनाना रोज़गार, विकास एवं संवहनीयता के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **जलवायु संकट और जल-मौसम संबंधी आपदाओं पर इसका प्रभाव:**
  - संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार, पिछले दो दशकों में आई प्राकृतिक आपदाओं में से लगभग 75% जल से संबंधित आपदाएँ थीं। CEEW के विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 1970 से 2019 के बीच भारत में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं (जैसे भूस्खलन, तूफान और बादल का फटना) की संख्या 20 गुना तक बढ़ गई। मीठा जल—जो नौ ग्रहीय सीमाओं (planetary boundaries) में से एक है, का उल्लंघन किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्रहीय सीमा का सिद्धांत उन पर्यावरणीय सीमाओं का एक समूह निर्दिष्ट करता है, जिसके आगे मानव जाति सुरक्षित रूप से क्रियान्वयन नहीं कर सकती।
- **जल संकट के बहुआयामी अर्थ:**
  - जल संकट को भौतिक या आर्थिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण, असंवहनीय कृषि पद्धतियों, जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित वर्षा पैटर्न, जल की अत्यधिक खपत सहित विभिन्न कारकों से उत्पन्न होता है।
  - इनके अलावा, अकुशल जल प्रबंधन, प्रदूषण, अपर्याप्त अवसंरचना, हितधारकों की भागीदारी की कमी और भारी वर्षा के कारण अपवाह, मृदा का कटाव और तलछट का निर्माण भी जल संकट में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **जल तनाव के मुद्दे:**
  - विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute) के अनुसार, 17 देश जल तनाव के 'अत्यंत उच्च' स्तर का सामना कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लोगों के बीच संघर्ष, असंतोष और शांति का खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत भी इन समस्याओं से अछूता नहीं है।
  - भारत में जल की उपलब्धता पहले से ही इतनी कम है कि इसे जल तनावग्रस्त देश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता

नोट :

है। इसमें वर्ष 2025 तक 1341m3 तथा वर्ष 2050 तक 1140m3 तक और कमी आने का अनुमान है। इसके अलावा, समस्त जल निकासी का 72% कृषि में, 16% नगर निकायों द्वारा घरों एवं सेवाओं के लिये और 12% उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है।

- **भूजल स्तर में गिरावट:**
  - भारत के लगभग प्रत्येक राज्य और मुख्य शहरों में भूजल स्तर में कमी आ रही है। बेंगलुरु इसका एक प्रमुख उदाहरण है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में भूजल खपत एवं उपलब्धता का अनुपात क्रमशः 172%, 137%, 137% और 133% है, जो खतरे की स्थिति को इंगित करता है।
    - इसके विपरीत, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह क्रमशः 77%, 74%, 67%, 57% और 53% है। अधिकांश बारहमासी नदियाँ/धाराएँ अब रुक-रुक कर बह रही हैं या सूख गई हैं। अप्रैल-मई के बाद अधिकांश क्षेत्रों में पेय और अन्य उपयोग के लिये जल की उपलब्धता कम हो जाती है।
- **घरेलू और कृषि क्षेत्रों में सुव्यवस्थित दृष्टिकोण का अभाव:**
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड प्रबंधन, मिशन अमृत सरोवर और जल शक्ति अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 'प्रति बूँद अधिक फसल', 'गाँव का जल गाँव में', 'खेत का जल खेत में', 'हर मेड़ पर पेड़' आदि पर सरकार का बल घरेलू और कृषि उपयोगों के संबंध में एक 'साइलो' या गैर-समन्वित दृष्टिकोण अपनाता है।
    - इस परिदृश्य में, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसे व्यापक एवं समकालिक स्थानीय हस्तक्षेप को अपनाना अनिवार्य है जो जल के उपयोग एवं संरक्षण के सभी पहलुओं पर समान बल देता हो।
- **जलग्रहण क्षेत्रों पर निरंतर अतिक्रमण:**
  - झील, तालाब और नदियों जैसे लघु जल निकाय (Small Water Bodies- SWBs) उनके जलग्रहण क्षेत्रों पर अतिक्रमण के कारण लगातार खतरे का सामना कर रहे हैं। शहरीकरण के विस्तार के साथ लोग इन जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्रों में और उसके आसपास घर, वाणिज्यिक भवन तथा अन्य अवसंरचना का निर्माण कर रहे हैं।
    - 1990 के दशक से देखे गए शहरी संकुलन ने लघु जल निकायों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और उनमें से कई को कूड़ा-क्षेत्र या 'डंपिंग ग्राउंड' में बदल दिया है। जल संसाधन पर स्थायी समिति (2012-13) ने अपनी 16वीं रिपोर्ट में रेखांकित किया था कि देश के अधिकांश जल निकायों पर स्वयं राज्य एजेंसियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था।

जल संकट को कम करने के लिये आवश्यक कदम

- **प्रभावी जल प्रशासन:**
  - प्रभावी जल प्रशासन के लिये ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो खाद्य एवं ऊर्जा प्रणालियों के साथ इसकी अंतःक्रिया की पहचान करें। हालाँकि, CEEW और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (IWMI) के विश्लेषण से पता चलता है कि भले ही भारत ने विभिन्न नीतियाँ अपनाई हैं, लेकिन इनमे से अधिकांश योजना निर्माण के समय या कार्यान्वयन चरण में इस गठजोड़ को चिह्नित करने में विफल रही हैं।
    - उदाहरण के लिये, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाना वांछनीय है, जल की उपलब्धता के साथ इसके संबंध पर हमेशा विचार नहीं किया जाता है। इसी तरह, भूजल स्तर पर सौर सिंचाई पंपों को बढ़ाने के प्रभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिये ताकि उस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए जहाँ सौर संसाधन और उच्च भूजल स्तर का इष्टतम मिश्रण प्राप्त हो। नीतियों में स्थानीय साक्ष्य और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से खाद्य-भूमि-जल संबंध को शामिल किया जाना चाहिये।
- **ब्लू और ग्रीन वाटर का संवहनीय उपयोग:**
  - भारत को जल लेखांकन और कुशल पुनः उपयोग के माध्यम से 'ब्लू वाटर' एवं 'ग्रीन वाटर' के विवेकपूर्ण उपयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जल मिशन का लक्ष्य वर्ष 2025 तक जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना है। इसी तरह, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (अमृत – AMRUT) 2.0 गैर-राजस्व जल को (जो अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुँचने से पहले ही खो जाता है) शहरी स्थानीय निकायों में 20% से कम करने का आह्वान करता है।

नोट :

- **जलवायु अनुकूलन के लिये वित्तीय साधनों का लाभ उठाना:**
  - जल क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन के लिये धन जुटाने हेतु वित्तीय साधनों का लाभ उठाया जाए। वैश्विक रुझानों का अनुसरण करते हुए, भारत की जलवायु कार्रवाई मुख्य रूप से औद्योगिक, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में शमन पर केंद्रित रही है।
  - जल और कृषि क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिये वित्तीय प्रतिबद्धताएँ अभी भी अपेक्षाकृत छोटी हैं। वर्ष 2019-20 में (जिसके लिये कुल अनुमान उपलब्ध हैं) जलवायु परिवर्तन शमन पर प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय लगभग 2,200 रुपये था, जबकि अनुकूलन के लिये यह मात्र 260 रुपए था।
- **पारंपरिक और नई प्रौद्योगिकियों के विवेकपूर्ण मिश्रण को अपनाना:**
  - भारत के खाद्यान्न की एक बड़ी मात्रा वर्षा-सिंचित क्षेत्र से प्राप्त होती है। सरकार 'मृदा के स्वास्थ्य में सुधार और जल संरक्षण के लिये पारंपरिक स्वदेशी एवं नई प्रौद्योगिकियों के विवेकपूर्ण मिश्रण' पर बल देती है तथा जल की हर बूँद के कुशल उपयोग का आग्रह रखती है। इसलिये इन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है।
  - मात्रा और गुणवत्ता तथा ब्लू और ग्रीन वाटर के संबंध में जल की उपलब्धता बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि जल महज बुनियादी मानव अधिकार तक सीमित विष**गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर बल देना:**
  - य नहीं है। जल शांति-निर्माण का भी एक साधन है और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है। संवहनीय कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरणीय अखंडता बनाए रखना तेज़ी से महत्त्वपूर्ण मुद्दे बनते जा रहे हैं।
- **विभिन्न संसाधन संरक्षण उपायों को अपनाना:**
  - सामान्य रूप से विभिन्न संसाधन संरक्षण उपायों को अपनाकर और वर्षा जल संचयन (स्व-स्थाने और बाह्य-स्थाने) तथा विशेष रूप से छत के ऊपर वर्षा जल संचयन सुनिश्चित कर जल संकट का शमन संभव किया जा सकता है।
  - वर्षा जल संचयन (Rain Water Harvesting-RWH) पुनर्भरण को बढ़ाकर और सिंचाई में सहायता कर जल की कमी तथा सूखे के विरुद्ध प्रत्यास्थता को सक्षम करता है। बड़े पैमाने के RWH संरचनाओं द्वारा सतही जल का इष्टतम उपयोग, भूजल के साथ संयुक्त उपयोग और अपशिष्ट जल का सुरक्षित पुन: उपयोग खाद्यान्न उत्पादन के वर्तमान स्तर को बढ़ावा देने तथा इसे बनाए रखने के लिये एकमात्र व्यवहार्य समाधान हैं।
- **जल निकायों के पुनरुद्धार के लिये एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता:**
  - जल निकायों के पुनरुद्धार के लिये एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। समस्याओं से निपटने के लिये प्रत्येक जलाशय की स्थिति, उसकी जल उपलब्धता, जल की गुणवत्ता और उसके द्वारा समर्थित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की स्थिति का अध्ययन करने की प्रबल आवश्यकता है। प्रत्येक जल निकाय के जलग्रहण-भंडारण-कमांड क्षेत्र पर ध्यान देकर प्रत्येक गाँव में अधिक जल निकाय का निर्माण करने और उनका पुनरुद्धार करने की भी आवश्यकता है।

पृथ्वी दिवस, 2024 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANI) में जनजातीय आबादी के लिये क्या अर्थ रखता है?

- **चिंताएँ:**
  - **मूलनिवासी भूमि स्वामित्व और प्रबंधन प्रणालियों की उपेक्षा:**
    - मई 2022 में मूलनिवासी भूमि स्वामित्व और प्रबंधन प्रणालियों की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए अंडमान और निकोबार प्रशासन ने तीन सार्वजनिक अधिसूचनाएँ जारी की, जहाँ तीन वन्यजीव अभयारण्यों के निर्माण की मंशा की घोषणा की गई: मेरो द्वीप पर एक मूंगा अभयारण्य, मेनचल द्वीप में एक मेगापोड अभयारण्य और लिटिल निकोबार द्वीप पर एक लेदरबैक टर्टल अभयारण्य।
  - **परामर्श एवं समन्वय का अभाव:**
    - लगभग 1,200 दक्षिणी निकोबारी आदिवासी पटाई ताकारू (Patai Takaru, Great Nicobar Island) और पटाई त्-भी (Patai t-bhi, Little Nicobar Island) में निवास करते हैं जहाँ वे बसावट वाले तथा कथित तौर पर 'निर्जन' द्वीप, दोनों पर पारंपरिक अधिकार रखते

नोट :

हैं। लेकिन अंडमान और निकोबार प्रशासन ने अपनी योजनाओं के बारे में दक्षिणी निकोबारी लोगों से न तो परामर्श किया और न ही उन्हें सूचित किया।

- **जनजातीय अधिकारों का हनन:**
  - जुलाई 2022 के मध्य में अंडमान और निकोबार प्रशासन ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि उसे तीन प्रस्तावित अभयारण्यों के भीतर भूमि एवं समुद्री क्षेत्रों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई और प्रस्तावित अभयारण्यों की सीमाओं के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि "राष्ट्रीय हित में... पड़ोसी क्षेत्र के लोगों के इन द्वीपों में प्रवेश पर प्रतिबंध होगा।"
- **गैलाथिया खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना रद्द करना:**
  - इन नए वन्यजीव अभयारण्यों की घोषणा ऐसे समय की गई है जब ग्रेट निकोबार द्वीप (एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिज़र्व) पर 72,000 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना के लिये गैलाथिया खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना को रद्द करने के लिये विशेषज्ञों द्वारा सरकार की आलोचना की जा रही है।
  - एक ऐसे क्षेत्र में अपवर्जनकारी संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना करना, जो पहले से ही जैवविविधता के लिये स्वर्ग है, इस तथ्य से प्रेरित है कि मेगा परियोजना की वकालत करने वाले इस परियोजना से होने वाले व्यापक पर्यावरणीय एवं सामाजिक क्षति से अवगत हैं।
  - यह परियोजना 8-10 सदाबहार वृक्षों को तबाह करेगी, गैलाथिया खाड़ी के किनारे पाए जाने वाले सैकड़ों प्रवाल भित्तियों को नष्ट कर देगी, वैश्विक स्तर पर लुप्तप्राय लेदरबैक समुद्री कछुआ प्रजातियों के नेस्टिंग स्थल को क्षति पहुँचाएगी, निकोबार मेगापोड्स के सैकड़ों नेस्टिंग टीलों को नष्ट कर देगी और बड़ी संख्या में मगरमच्छों की मौत का कारण बनेगी।

सुझाव:

- **संतुलित विकास:** अंडमान-निकोबार का सैन्यीकरण और वहाँ अवसंरचनात्मक एवं विकासात्मक परियोजनाओं से निस्संदेह भारत की रणनीतिक एवं समुद्री क्षमताओं को मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा विकास इस जैवविविधता हॉटस्पॉट के निर्मम दोहन की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिये।
- **अंडमान-निकोबार का संवहनीय विकास:** इसकी आर्थिक, पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय बाधाओं और मूलनिवासी जनजातियों की रक्षा के लिये मौजूद कानूनों को देखते हुए, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को संवहनीय रूप रूप से विकसित करना होगा ताकि इसकी आर्थिक एवं सैन्य क्षमता को अधिकतम किया जा सके।
  - **एक संवहनीय द्वीप विकास ढाँचा न केवल अंडमान-निकोबार के लिये महत्त्वपूर्ण है, बल्कि हिंद महासागर के अन्य द्वीप देशों के लिये भी प्रवर्तनीय एवं रुचि का विषय होगा।**
- **'सिस्टर आइलैंड्स':** उपर्युक्त चार द्वीप क्षेत्रों में से रीयूनियन द्वीप (फ्राँस) सबसे विकसित द्वीप क्षेत्र है, जिसकी रूपरेखा द्वीप की आर्थिक आवश्यकताओं के साथ-साथ हिंद महासागर में फ्राँस की सैन्य प्राथमिकताओं, दोनों का समर्थन करती है।
  - 'सिस्टर सिटीज़' के विचार से प्रेरणा लेते हुए 'सिस्टर आइलैंड्स' की रूपरेखा तैयार की जा सकती है।
  - भारत और फ्राँस को अंडमान और रीयूनियन के अपने द्वीप क्षेत्रों का उपयोग कर सिस्टर आइलैंड्स या सहयोगी द्वीपों की अवधारणा विकसित करने के प्रयास का नेतृत्व करना चाहिये, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में द्वीप विकास के लिये एक स्थायी मॉडल की नींव तैयार करना हो।
  - सिस्टर सिटीज़ के समान सिस्टर आइलैंड्स की अवधारणा भारत और फ्राँस को द्वीप विकास के लिये एक संवहनीय ढाँचा विकसित करने की अनुमति देगी।
- **हिंद-प्रशांत में भारत की विकास योजनाएँ:** यदि भारत को हिंद महासागर में क्षमता निर्माण पहल और समुद्री परियोजनाओं में निवेश करना है तो विकास के लिये अनुसंधान करने तथा एक आइलैंड मॉडल का निर्माण करने की आवश्यकता है। इस तरह का दृष्टिकोण हिंद-प्रशांत में भारतीय नेतृत्व वाली पहल के लिये एक नए अवसर के द्वार भी खोलेगा।
  - चूँकि भारत और उसके भागीदार देश साझा हितों की प्राप्ति के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पहुँच एवं प्रभाव के लिये प्रतिस्पर्द्धा रखते हैं, इसलिये रणनीतिक रूप से स्थित द्वीप देशों की क्षेत्रीय चिंताओं एवं चुनौतियों से जुड़ने तथा उनका समाधान करने की आवश्यकता है।

नोट :

- **IOC की भूमिका:** हिंद महासागर आयोग (Indian Ocean Commission- IOC) हिंद महासागर में एकमात्र द्वीप संचालित संगठन है। यह पश्चिमी हिंद महासागर में अवस्थिति द्वीपों की चिंताओं और चुनौतियों को आवाज़ देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - फ्राँस ने हाल ही में IOC के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। भारत वर्ष 2020 में औपचारिक रूप से एक पर्यवेक्षक के रूप में इस समूह में शामिल किया गया था।
  - यह दोनों देशों को द्वीप-केंद्रित विकास मॉडल का नेतृत्व करने का एक अवसर प्रदान करता है।
  - भारत हिंद महासागर के साथ-साथ प्रशांत क्षेत्र में भी फ्राँस के द्वीपीय अनुभवों से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:

इतिहास:

- अंडमान और निकोबार द्वीप के साथ भारत का संबंध वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात् से है, जब अंग्रेज़ों ने भारतीय क्रांतिकारियों के लिये वहाँ एक दंड कॉलोनी (penal colony) की स्थापना की थी।
- इन द्वीपों पर वर्ष 1942 में जापानियों ने कब्ज़ा कर लिया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोर्ट ब्लेयर के दौरे के बाद वर्ष 1943 में ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला यह भारत का पहल भूभाग बना।
- वर्ष 1945 में जापानियों के आत्मसमर्पण के बाद अंग्रेज़ों ने इन द्वीपों पर पुनः कब्ज़ा कर लिया, जो भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या भारत को सौंप दिये गए।
- वर्ष1962 में एक चीनी पनडुब्बी को लेकर उभरी चिंता के कारण वहाँ एक नौसैनिक दुर्ग की स्थापना की गई। वर्ष 2001 में कारगिल युद्ध के बाद देश की सुरक्षा समीक्षा करते हुए पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार कमांड (ANC) की स्थापना की गई, जो भारत की पहली संयुक्त एवं एकीकृत परिचालन कमान थी।
- वर्ष 2001 में स्थापित ANC, भारत की पहली संयुक्त या एकीकृत परिचालन कमान है, जो तीनों सैन्य सेवाओं के साथ ही तटरक्षक बल को एक ही कमांडर-इन-चीफ के अधीन रखती है।

प्रमुख तथ्य:

- 10 डिग्री चैनल एक संकीर्ण जलडमरूमध्य है जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यह लगभग 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है।
- इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को चिह्नित करता है।
- अंडमान-निकोबार 5 विशेष रूप से संवेदनशील/भेद्य जनजातीय समूहों का आवास है जिसमें ग्रेट अंडमानीज़, जारवा, ओंगेस, शोम्पेन और उत्तरी सेंटिनलीज़ शामिल हैं।

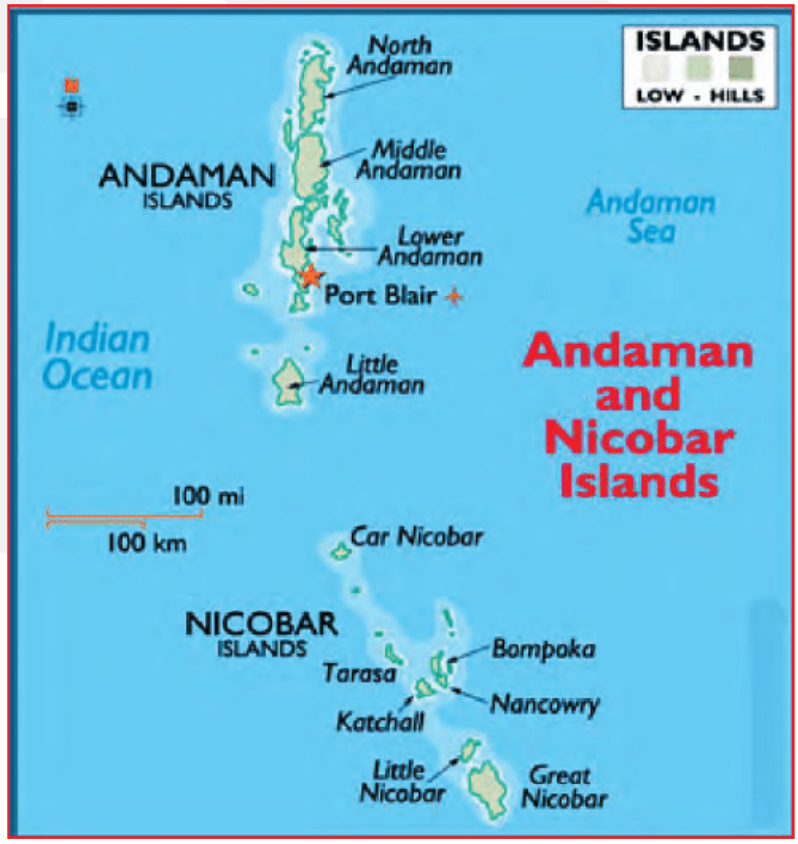

पृथ्वी दिवस, 2024 सर्वोपरि समाधान के रूप में एक नीतिगत ढाँचे के विकास को क्यों निर्दिष्ट करता है?

- **लिंग, जलवायु और पोषण के इंटरसेक्शन पर नीतिगत ढाँचा:**
  - सतत/संवहनीय विकास और सामाजिक समता से संबंधित जटिल मुद्दों के समाधान के लिये लिंग, जलवायु, पोषण और खाद्य मूल्य शृंखलाओं के इंटरसेक्शन पर एक

नोट :

नीतिगत ढाँचा विकसित करना आवश्यक है। यह ढाँचा इन कारकों के अंतर्संबंध को पहचानता है और इसका लक्ष्य उन नीतियों एवं कार्यक्रमों में लिंग परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करना है जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करते हैं, पोषण को बढ़ावा देते हैं और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

- **खाद्य प्रणालियों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समाधान करना:**
  - पोषण पर रोम घोषणापत्र (Rome Declaration on Nutrition) सभी के लिये पर्याप्त, सुरक्षित, विविध और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य उपलब्ध कराने में मौजूदा खाद्य प्रणालियों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को रेखांकित करता है। दुनिया भर में लगभग 800 मिलियन लोगों के पास खाद्य तक विश्वसनीय पहुँच नहीं है।
    - दोबिलियन लोग आयरन और जिंक की कमी से पीड़ित हैं। वर्तमान में खाद्य प्रणालियाँ विश्व के एक तिहाई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिये भी ज़िम्मेदार हैं। इस घोषणापत्र में सतत विकास लक्ष्यों के अनुपालन के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया गया है।
- **संवहनीय आहार को बढ़ावा देना:**
  - भारत स्वयं कई प्रकार के कुपोषण से पीड़ित है: पाँच वर्ष से कम आयु के 32% बच्चे कम वजन रखते हैं और 74% आबादी स्वस्थ आहार का वहन नहीं कर पाती है। अस्वास्थ्यकर आहार के कारण गैर-संचारी रोगों की व्यापकता में वृद्धि हो रही है।
    - हालाँकि, यह भी तथ्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आहार की संवहनीयता एवं पोषक तत्वों को समझने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
    - भारत के लिये अब यह विचार करना महत्त्वपूर्ण है कि क्या स्वस्थ आहार जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी मदद कर सकता है। एक संवहनीय आहार के लिये स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मांगों की पूर्ति करना, सांस्कृतिक अपेक्षाओं को पूरा करना, आर्थिक आवश्यकताओं को संबोधित करना और न्यायपूर्ण होना आवश्यक है।
- **लैंगिक रूप से न्यायपूर्ण खाद्य मूल्य प्रणालियाँ विकसित करना:**
  - खाद्य-प्रणाली की महत्त्वपूर्ण हितधारक होने के बावजूद महिलाएँ जलवायु परिवर्तन और खराब पोषण से विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ समुदायों में लैंगिक रूप से अधिक न्यायपूर्ण खाद्य प्रणालियाँ मौजूद हैं। ये ऐसी प्रणालियाँ हैं जो महिलाओं को उत्पादक एवं प्रजनक दोनों अर्थव्यवस्थाओं में समान अधिकार एवं पात्रता, कम परिश्रम, अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकियों तक पहुँच की क्षमता और ज़िम्मेदारियों के समान वितरण के साथ बराबर की योगदानकर्ताओं के रूप में मान्यता देती हैं।
    - छत्तीसगढ़ में लैंगिक रूप से अधिक न्यायपूर्ण खाद्य प्रणाली वाले समुदायों को सूखे जैसे आघातों के प्रति अधिक प्रत्यास्थी देखा गया। जब महिलाओं का समूह अपनी आजीविका के बारे में निर्णय लेने में शामिल होता है तो उन्हें वित्तीय संपत्तियों, प्राकृतिक संसाधनों और ज्ञान तक बेहतर पहुँच प्राप्त होती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे फिर अधिक उत्पादक सिद्ध होती हैं और बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी परिणाम रखती हैं।
- **स्वदेशी प्रणालियों को अपनाना:**
  - भारत भर में स्वदेशी खाद्य प्रणालियों ने हज़ारों पीढ़ियों से समुदायों का पालन किया है। वे मुख्य रूप से न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ आसपास के प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग जंगलों में रहते हैं और खाने योग्य शाक, गूदेदार फल, जड़-मूल सब्जियाँ, मशरूम, अनाज, विभिन्न वन उपज और जंगली मांस का सेवन करते हैं।
    - स्थानीय समुदायों के साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य के आधार पर उनके आहार पर कार्य करने से उनकी पोषण स्थिति में सुधार हुआ है तथा पर्यावरण को न्यूनतम हानि पहुँची है।
- **उत्सर्जन में कमी:**
  - अधिक पशु-आधारित खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक पादप-आधारित खाद्य पदार्थों वाला आहार पर्यावरण की दृष्टि से अधिक संवहनीय होता है। पशु-आधारित खाद्य पदार्थों को पादप-आधारित खाद्य पदार्थ और डेयरी विकल्पों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ऐसे पादपों को अपनाने

नोट :

की भी आवश्यकता है जो कम ऊर्जा, भूमि और जल का उपभोग करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम उत्सर्जन होता है।

- शोधकर्ताओं ने पाया है कि ऐसे वातावरण में उगाई जाने वाली फसलों में प्रोटीन, लौह और जस्ता की सांद्रता 3-17% कम हो सकती है जहाँ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की सांद्रता 550 ppm है (उस स्थिति की तुलना में जब CO_2 की सांद्रता 440 ppm हो)।
  - इस चेतावनी को देखते हुए, हमें समुदायों को प्राप्त होने लाभों को बेहतर बनाने के लिये एक मूल्य-शृंखला दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जैसे कि उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ घरेलू स्तर से उनके आहार विकल्पों/आवश्यकताओं को अनुकूलित करना।

- **खाद्य उत्पादन प्रणालियों का स्तर विस्तार और विकेंद्रीकरण:**
  - विविध खाद्य उत्पादन प्रणालियों का स्तर बढ़ाने (साथ ही विकेंद्रीकरण करने), कम उपयोग वाले स्वदेशी खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने और लिंग, जलवायु, पोषण एवं खाद्य मूल्य शृंखलाओं के इंटरसेक्शन पर एक विश्लेषणात्मक ढाँचा विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है।
    - केवल पौष्टिक खाद्य पर ध्यान केंद्रित करने से पर्यावरण पर खाद्य प्रणालियों के प्रभाव को कम करने में मदद नहीं मिलेगी। खाद्य के उत्पादन और वितरण से जुड़े उत्सर्जन की निरंतर एवं व्यापक निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि संबंधित मूल्यांकन साधन स्थानीय समुदायों के लिये भी अधिक सुलभ हों।

निष्कर्ष

यह अपेक्षा करना कि व्यवस्थागत परिवर्तन रातोरात हो जाएगा, अवास्तविक है। लेकिन जल, ऊर्जा एवं जलवायु नीतियों में अधिक सामंजस्य स्थापित करने, जल बचत बढ़ाने के लिये डेटा-संचालित आधार रेखाओं का सृजन करने और अनुकूलन निवेश के लिये नए वित्तीय साधनों एवं बाज़ारों को सक्षम करने के रूप में एक शुरुआत करना संभव है। जल-सुरक्षित अर्थव्यवस्था जलवायु-प्रत्यास्थी अर्थव्यवस्था की दिशा में पहला कदम है।

इसी प्रकार, मूलनिवासी/स्वदेशी लोग हमारी पृथ्वी के मूल संरक्षक हैं। दुनिया को उनकी बुद्धिमत्ता से सीखना चाहिये। तर्क और न्याय यह निर्देशित करते हैं कि दक्षिणी निकोबार में द्वीपवासियों को उनकी भूमि, संसाधनों, जीवनशैली और विश्व के प्रति दृष्टिकोण से वंचित करने के बजाय, उनके पैतृक क्षेत्रों पर उन्हें बनाये रखने के लिये उनके समर्थन एवं सशक्तीकरण की आवश्यकता है।

इस बात के प्रबल साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि विविध खाद्य उपभोग का पोषण और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। केवल पौष्टिक आहार पर ध्यान केंद्रित करने से पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन करने और उसे कम करने में मदद नहीं मिलेगी; आहार को उत्सर्जन से जोड़कर भी इसका समर्थन किया जाना चाहिये। यह बदले में उत्पादन प्रणालियों को अधिक विविध, पोषण-संवेदनशील और उत्सर्जन-संवेदनशील बनने के लिये प्रेरित कर सकता है।

भारत-मॉरीशस कर संधि का अवलोकन

कर संधियाँ (Tax treaties) सीमा पार निवेश संबंधों की अभिन्न अंग हैं क्योंकि वे किसी देश में किसी दूसरे देश के निवासी द्वारा अर्जित आय के प्रति उस देश के व्यवहार को परिभाषित करती हैं। उनकी अभिकल्पना (डिज़ाइन) अंतर्निहित शक्ति समीकरण की प्रतिबिंब भी होती है। विकासशील देश प्राय: ऐसी संधियों पर वार्तारत होते हैं जहाँ उच्च निवेश की उम्मीद में वृहत कराधान अधिकारों का त्याग किया जाता है। भारत-मॉरीशस कर संधि (India-Mauritius Tax Treaty) और हाल ही में उसमें किये गए संशोधन इन पहलुओं को संक्षेप में रेखांकित एवं सन्निहित करते हैं और दीर्घावधि में भारत के लिये इस संधि के महत्त्व को रेखांकित करते हैं।

इस पर व्यापक रूप से चर्चा होती रही है कि तीसरे देशों के लिये अधिमान्य क्षेत्राधिकार (preferential jurisdiction) के माध्यम से निवेश कर इस तरह के लाभ प्राप्त करना वैध है या नहीं। भारत संघ बनाम आज़ादी बचाओ मामले में न्यायालय का मत था कि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये **'ट्रीटी शॉपिंग' (treaty shopping)** एक आवश्यक बुराई है। दो दशकों के बाद मानदंड और कानूनी ढाँचे में नाटकीय रूप से बदलाव आया है।

आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (Base Erosion and Profit Shifting- BEPS) कार्यक्रम का उद्देश्य कर अपवंचन (tax avoidance) के लिये निम्न-कर क्षेत्राधिकार के उपयोग को समाप्त करना था। तब से **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic**

Co-operation and Development-OECD)—जिसे इस तरह के सुधार को आगे बढ़ाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय कर कानूनों को नया स्वरूप प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था—द्वारा 15 कार्य बिंदुओं के तहत सर्वोत्तम अभ्यासों की एक शृंखला विकसित की गई है। इनमें से एक बहुपक्षीय उपकरण (Multi-Lateral Instrument MLI) था जो देशों को कर संधियों और उनमें निहित उन प्रावधानों के चयन का विकल्प देता था जिन्हें उपयुक्त और द्रुत गति से संशोधित किया जा सकता था। इस उपकरण/साधन को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।

OECD के प्रमुख 15 कार्य बिंदुओं में से एक 'ट्रीटी शॉपिंग' से निवेशकों को रोकना:

- कर संधियाँ, जिन्हें दोहरे कराधान अपवंचन समझौतों (Double Taxation Avoidance Agreements- DTAAs) या कर अभिसमयों के रूप में भी जाना जाता है, दो देशों के बीच ऐसे समझौते हैं जिनका उद्देश्य करदाताओं को एक ही आय पर दोनों देशों द्वारा कर लगाने से बचाना है।
  - ये संधियाँ दोहरे कराधान को समाप्त करने या कम करने, सीमा पार व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने और कर मामलों में देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद करती हैं।
- OECD द्वारा शुरू किये गए प्रमुख सुधारों में से एक न्यूनतम मानक के रूप में संधि के दुरुपयोग की रोकथाम के प्रावधान को शामिल करना और संधियों की प्रस्तावना में संशोधन करना था।
  - इसका उद्देश्य गैर-कराधान या कर चोरी के माध्यम से कम कराधान (इनमें ट्रीटी शॉपिंग व्यवस्थाएँ शामिल हैं जो अन्य क्षेत्राधिकारों के निवासियों को लाभ प्रदान करती हैं) पर रोक लगाना था। इसके अलावा, दुरुपयोग-विरोधी नियम भी पेश किये गए जो कर प्रशासन को कुछ परिस्थितियों में संधि के लाभों से इनकार कर सकने में सक्षम बनाएँगे।
    - विश्व के देशों द्वारा हस्ताक्षरित 1,100 से अधिक संधियों में एक व्यापक **अपवंचन विरोधी नियम (anti-avoidance rule)** या प्रमुख उद्देश्य परीक्षण (principal purpose test-PPT) का विकल्प चुना गया है। भारत MLI के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है और इसकी स्थिति के अनुरूप, भारत-मॉरीशस संधि में हालिया संशोधन प्रमुख ज्ञात खामियों को दूर करने की उत्सुकता का संकेत देता है।

दोहरा कराधान अपवंचन समझौते (DTAAs):

- **परिचय:**
  - यह एक समझौता है जिस पर भारत और अन्य देशों के बीच हस्ताक्षर किये गए हैं। समझौते के अनुसार, किसी देश में किसी दूसरे देश का निवासी रहते हुए आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को एक ही आय पर दो बार कर नहीं चुकाना होगा।
- **उद्देश्य:**
  - प्रत्येक देश के कर नियमों के दो मुख्य घटक होते हैं -
    - विदेशी आय पर कर
    - अनिवासियों पर कर
  - विदेशी आय पर कर तब लगता है जब किसी देश का निवासी या कंपनी दूसरे देश में आय अर्जित करती है। उदाहरण के लिये, यदि कोई भारतीय व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में आय अर्जित करता है तो इसे विदेशी आय कहा जाता है। चूँकि यह विदेशी आय भारत के निवासी की आय है, इसलिये इस पर भारत में कर लगाया जाना चाहिये।
  - गैर-निवासियों पर कर तब लगता है जब किसी दूसरे देश का निवासी घरेलू स्तर पर आय अर्जित करता है। इसलिये, उपर्युक्त उदाहरण में, यदि कोई अमेरिकी नागरिक भारत में कुछ आय अर्जित करता है तो भारत में अर्जित आय पर दोनों देशों में कर लगाया जाएगा।
- **कार्य सिद्धांत - DTAA दो सिद्धांतों पर कार्य करता है:**
  - **स्रोत नियम (source rule)** की स्थिति तब होती है जब अर्जित आय पर मूल देश में कर लगाया जाता है, चाहे आप उस देश के निवासी हों या नहीं।
  - **निवास नियम (resident rule)** निर्दिष्ट करता है कि आय पर उस देश में कर लगाया जाएगा जहाँ आप निवास कर रहे हैं, भले ही आय का स्रोत कुछ भी हो।
    - भारत में निवास नियम का पालन किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी की अंतर्राष्ट्रीय आय पर उस देश में कर लगाया जाएगा जहाँ वह निवास कर रहा है। यदि कोई भारतीय निवासी है तो अंतर्राष्ट्रीय आय पर भारत में कर लगाया जाएगा। दूसरी ओर, यदि कोई अनिवासी भारतीय है तो भारतीय आय पर निवास देश के साथ-साथ भारत में भी कर लगाया जाएगा। हालाँकि, वह DTAA के प्रावधानों के अनुसार लाभ का दावा कर सकता है।

नोट :

- **छूट:**
  - भारतीय संदर्भ में, NRIs को संबंधित देशों के साथ DTAA के प्रावधानों के आधार पर भारत में अर्जित आय के निम्नलिखित स्रोतों पर दोहरा कर नहीं देना होगा:
    - प्राप्त वेतन
    - भारत में प्रदान की गई सेवाओं के लिये भुगतान
    - भारत में सावधि जमा पर ब्याज
    - भारत में स्थित गृह संपत्ति से प्राप्त आय
    - भारत में रखे गए बचत बैंक खाते पर अर्जित ब्याज
    - भारत में पूंजीगत संपत्ति हस्तांतरित होने पर अर्जित पूंजीगत लाभ

भारत-मॉरीशस कर संधि:

- **परिचय:**
  - भारत-मॉरीशस कर संधि दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान और आयकर की राजकोषीय चोरी को रोकने के लिये वर्ष 1982 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता है। इस संधि का उद्देश्य निवेशकों को कर निश्चितता प्रदान करने और भारत एवं मॉरीशस दोनों द्वारा एक ही आय पर दो बार कर से बचाने के रूप में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है।
- **पूंजीगत लाभ कर से छूट:**
  - भारत-मॉरीशस कर संधि के प्रमुख प्रावधानों में से एक मॉरीशस निवासियों द्वारा प्रतिभूतियों (जैसे शेयर) की बिक्री पर भारत में पूंजीगत लाभ कर की छूट थी।
    - इस प्रावधान ने मॉरीशस को विदेशी निवेशकों के लिये, विशेष रूप से भारतीय शेयर बाज़ार में निवेश के लिये एक पसंदीदा मार्ग बना दिया, क्योंकि वे कर छूट का लाभ उठाने के लिये मॉरीशस के माध्यम से अपना निवेश कर सकते थे।

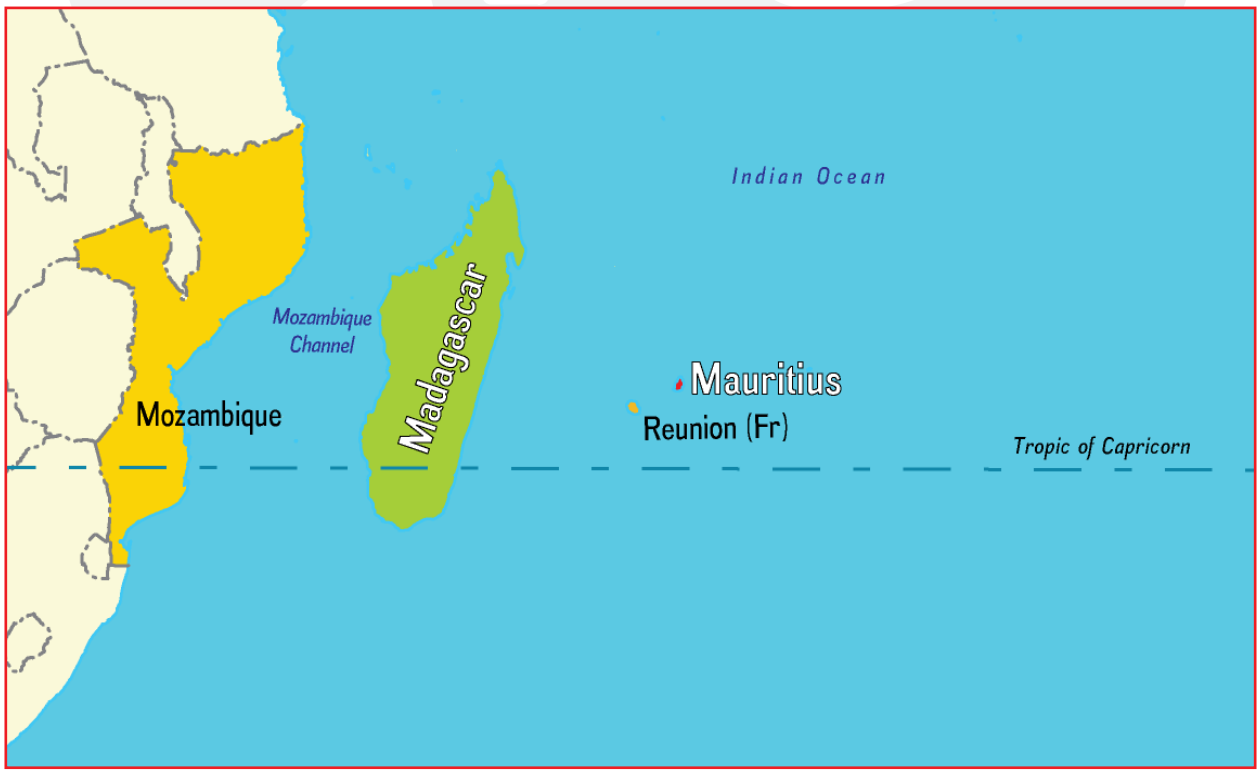

नोट :

- **वर्ष 2016 में संशोधन:**
  - वर्ष 2016 में भारत और मॉरीशस ने एक संशोधित कर समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसने भारत को मॉरीशस के माध्यम से शेयरों में लेनदेन पर भारत में प्राप्त पूंजीगत लाभ पर कर लगाने का अधिकार दिया (1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी)। हालाँकि, अप्रैल 2017 से पूर्व किये गए निवेश को नए विनियमन से छूट प्रदान की गई।
- **महत्त्व:**
  - भारत-मॉरीशस कर संधि ने दोनों देशों के बीच निवेश को, विशेष रूप से भारत में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** के रूप में, सुगम बनाया। कर चोरी से संबंधित चिंताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह अंतर्राष्ट्रीय कर मानदंडों एवं मानकों के अनुरूप हो, संधि में संशोधन किये गए।
- **भारत-मॉरीशस कर संधि में निहित चिंताएँ:**
  - भारत-मॉरीशस कर संधि 30 वर्ष पूर्व हस्ताक्षरित होने के बाद से ही विवाद एवं बहस का विषय रही है। वर्ष 2017 से पहले, कर संधि के अनुच्छेद 13(4) में मॉरीशस के निवासियों के माध्यम से किसी भारतीय कंपनी में शेयरों की बिक्री से होने वाले **पूंजीगत लाभ** पर छूट प्रदान की गई थी।
    - समय के साथ, कर चोरी और धन की राउंड-ट्रिपिंग के लिये संधि के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ प्रकट की गईं, जहाँ भारतीय निवासी भारत में करों से बचने के लिये मॉरीशस के माध्यम से अपना निवेश कर रहे थे। इन चिंताओं के समाधान के लिये वर्ष 2016 में संधि में संशोधन किया गया।
  - हालाँकि, कर संधि में धन की राउंड ट्रिपिंग या ट्रीटी शॉपिंग व्यवस्था से निपटने के लिये एक सामान्य दुरुपयोग-विरोधी खंड शामिल नहीं था।
    - जबकि मॉरीशस के साथ भारत की कर संधि में कर सूचना के आदान-प्रदान के प्रावधान शामिल हैं, शर्त यह है कि अनुरोधित कोई भी सूचना कर संधि या आयकर अधिनियम, 1961 को प्रभावी करने के लिये 'पूर्वानुमानित रूप से प्रासंगिक' (foreseeably relevant) होनी चाहिये।
    - एक व्यापक एवं विश्वव्यापी सूचना-साझाकरण नेटवर्क के अभाव में, धन आमतौर पर भारत में वापस नहीं भेजा जाता (जहाँ उसे भेजा जाना चाहिये), बल्कि नए, गैर-सहयोगी गोपनीय क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

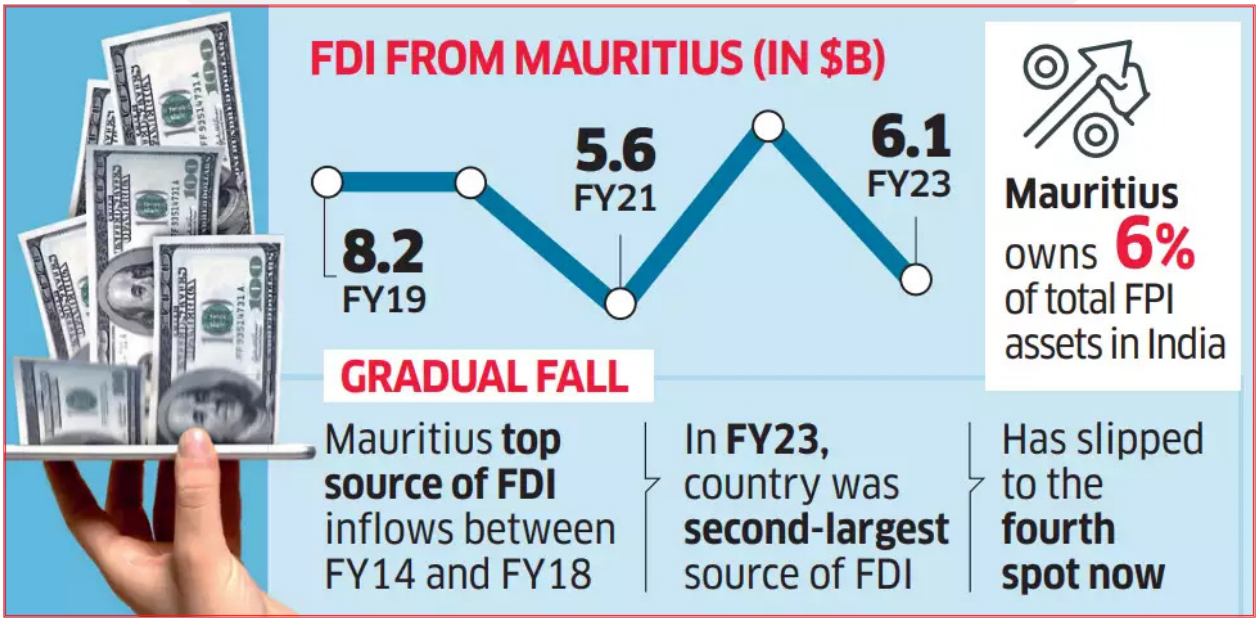

नोट :

भारत-मॉरीशस वाणिज्यिक संबंध:

- भारत वर्ष 2005 से मॉरीशस के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक रहा है।
- वित्त वर्ष 2022-2023 के लिये मॉरीशस को भारतीय निर्यात 462.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा था, जबकि भारत को मॉरीशस का निर्यात 91.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जहाँ कुल व्यापार राशि 554.19 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
- पिछले 17 वर्षों में भारत और मॉरीशस के बीच व्यापार में 132% की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2019 के मध्य तक पेट्रोलियम उत्पाद भारत द्वारा मॉरीशस के लिये सबसे बड़ा निर्यात मद था। मॉरीशस को अन्य भारतीय निर्यातों में फार्मास्यूटिकल्स, अनाज, कपास, श्रिम्प, प्रॉन और गोजातीय मांस शामिल हैं।
- भारत में मॉरीशस के मुख्य निर्यात में वनिला, चिकित्सा उपकरण, सुई, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, स्क्रैप पेपर, परिष्कृत तांबा और पुरुषों की सूती कमीज शामिल हैं।
- वर्ष 2000-2022 के बीच मॉरीशस से भारत में 161 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी FDI आया, जो मुख्य रूप से DTAA के कारण संभव हुआ।
- मॉरीशस और भारत ने वर्ष 2021 में **व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement- CECPA)** पर हस्ताक्षर किये।
- CECPA भारत द्वारा किसी अफ्रीकी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है।
- वर्ष 2024 में मॉरीशस में **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) और RuPay कार्ड सेवाएँ** भी लॉन्च की गईं।
- RuPay और UPI को अपनाने से मॉरीशस और भारत में उपयोगकर्ताओं को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेनदेन करने में सुविधा प्राप्त होगी।

भारत मॉरीशस कर संधि में हाल में किये गए संशोधन:

- **मुख्य उद्देश्य परीक्षण (PPT):**
  - भारत ने कर चोरी या अपवंचन के लिये संधि के दुरुपयोग को रोकने के लिये मॉरीशस के साथ दोहरे कराधान अपवंचन समझौते (DTAA) में संशोधन करने वाले एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये हैं। संशोधित समझौते में मुख्य उद्देश्य परीक्षण (PPT) शामिल किया गया है, जो अनिवार्य रूप से यह शर्त रखता है कि संधि के तहत कर लाभ लागू नहीं होंगे यदि यह स्थापित हो जाता है कि शुल्क लाभ प्राप्त करना किसी भी लेनदेन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था।
- **अनुच्छेद 27B:**
  - संशोधित प्रोटोकॉल में, संधि में अनुच्छेद 27B पेश किया गया है जो 'लाभ की पात्रता' को परिभाषित करता है। PPT ऐसे मामलों में संधि लाभों (जैसे कि ब्याज रॉयल्टी और लाभांश पर **विदहोल्डिंग टैक्स** में कमी) से इनकार कर देगा, जहाँ यह स्थापित हो जाता है कि संधि लाभ प्राप्त करना लेनदेन में शामिल पक्षकारों के लिये प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।
- **संधि की प्रस्तावना में संशोधन:**
  - दोनों देशों ने **कर अपवंचन और कर चोरी** से निपटने को प्राथमिकता देने के लिये संधि की प्रस्तावना को अद्यतन किया है। उन्होंने 'परस्पर व्यापार और निवेश' को बढ़ावा देने के पिछले उद्देश्य को 'दोहरे कराधान को समाप्त करने' की प्रतिबद्धता से बदल दिया है। इस परिवर्तन का उद्देश्य उन स्थितियों को रोकना है जहाँ ट्रीटी शॉपिंग सहित कर चोरी या अपवंचन, तीसरे क्षेत्राधिकार के निवासियों को संधि के तहत प्रदान की गई राहत से अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाने की अनुमति देता है।
- **प्राधिकारों को निवास प्रमाणपत्र तक सीमित नहीं रहने की अनुमति देना:**
  - यह उम्मीद की जाती है कि संधि में संशोधन प्राधिकारों को निवास प्रमाणपत्र तक सीमित नहीं रहते हुए किसी व्यवस्था या लेनदेन के मुख्य उद्देश्य का आकलन करने की अनुमति देगा। यह देखते हुए कि वर्ष 2021-22 में FDI प्रवाह का 16% मॉरीशस से प्राप्त हुआ, यह सुधार प्रवाह की संरचना को प्रभावित करेगा, जैसा कि वर्ष 2017 में संशोधन के बाद देखा गया था जब पूंजीगत लाभ भारत में स्रोत पर कर-योग्य नहीं रह गया था।
- **वैश्विक प्रयासों के साथ संरेखण:**
  - हालिया संशोधन BEPS ढाँचे के तहत संधि के दुरुपयोग के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के साथ संरेखित होने की भारत की मंशा को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि BEPS एक अंतर्राष्ट्रीय ढाँचा है जो बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा आधार क्षरण

नोट :

एवं लाभ स्थानांतरण उपकरणों के उपयोग के माध्यम से कर अपवंचन करने (यानी लाभ को उच्च कर क्षेत्राधिकार से निम्न कर क्षेत्राधिकार की ओर स्थानांतरित करने) से मुक़ाबला करने का उद्देश्य रखता है।

- यद्यपि भारत ने अभी तक अपने घरेलू कर कानूनों में 'पिलर टू' (Pillar Two) संशोधनों (आय पर न्यूनतम 15% कॉर्पोरेट टैक्स) के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है, यह अनुमान किया जाता है कि आम चुनाव के बाद जुलाई 2024 के **बजट** में इसकी घोषणा की जा सकती है।

हालिया संधि संशोधनों से उत्पन्न चिंताएँ:

- इससे वाद या मुदमेबाजी में वृद्धि हो सकती है क्योंकि मॉरीशस के निवेशकों को अब अपने लेनदेन के पीछे वाणिज्यिक तर्क को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी, जहाँ यह प्रदर्शित करना होगा कि उनका प्राथमिक उद्देश्य संधि लाभ प्राप्त करना नहीं था।
  - यह देखना अभी शेष है कि यह संशोधन पुराने निवेशों तक विस्तारित होगा या नहीं। उल्लेखनीय है कि भारत में निवेश के संबंध में लाभकारी स्वामित्व एवं सामग्री से संबंधित जारी मुकदमेबाजी पहले से ही आम रूप से प्रचलित रही है।
- कर विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश को निवेश और कर नियोजन रणनीतियों पर इन परिवर्तनों के पूर्ण प्रभाव को समझने की आवश्यकता होगी। पुराने निवेशों के लिये पप्तिवांस का अनुप्रयोग अस्पष्ट बना हुआ है, जो **CBDT** की ओर से स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता को उजागर करता है।
- निवेशक आशंकित हैं कि इससे पूंजीगत लाभ कर लेवी और छूट की वृहत संवीक्षा की स्थिति बनेगी, क्योंकि PPT उन पिछले निवेशों पर भी लागू होगा जहाँ निवेशकों ने अभी तक 'एग्जिट' नहीं किया है।

भारत के लिये संशोधित संधि का महत्त्व:

- **BEPS MLI के प्रभाव पर विचार करना:**
  - संशोधनों के बाद, मॉरीशस के माध्यम से किये गए निवेश की किसी भी भारतीय इनबाउंड या आउटबाउंड सीमा-पार व्यवस्था को BEPS MLI—जो आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण को रोकने के लिये कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने के लिये एक बहुपक्षीय अभिसमय है—प्रभाव में शामिल किया जाना चाहिये, विशेष रूप से यदि व्यवस्था में कर संधि लाभों का (भारत या मॉरीशस में) प्राप्त होना शामिल है। इसके साथ ही, यह संशोधन सभी आय, जैसे पूंजीगत लाभ, लाभांश, तकनीकी सेवाओं के लिये शुल्क आदि पर लागू होता है।
- **कर अपवंचन को न्यूनतम करना:**
  - संशोधनों का उद्देश्य संधि में PPT को एकीकृत करने के रूप में कर संधि के दुरुपयोग को रोकना और कर अपवंचन या शमन के अवसर को कम करना है। इसके अलावा, संधि की प्रस्तावना से 'पारस्परिक व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये' वाक्यांश को हटाना यह सूचित करता है कि द्विपक्षीय निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के बजाय कर चोरी को रोकने की दिशा में अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **OECD के उद्देश्यों को पूरा करना:**
  - अक्टूबर 2021 में, 135 से अधिक क्षेत्राधिकारों ने 'पिलर टू' के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये न्यूनतम कर व्यवस्था लागू करने पर सहमति जताई। इसके बाद, दिसंबर 2021 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने पिलर टू मॉडल नियम—यानि ग्लोबल एंटी-बेस इरोज़न (GloBE) नियम जारी किये, जो 15% पर निर्धारित वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर पेश करेंगे। संशोधित कर संधि GloBE नियमों के कार्यान्वयन की दिशा में पहला कदम है।
    - 750 मिलियन यूरो से अधिक राजस्व वाले MNEs पर न्यूनतम कर लागू करने का प्रस्ताव है और जिससे अतिरिक्त वैश्विक कर राजस्व में सालाना लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सृजन होने का अनुमान है।
    - पिलर टू उस परिदृश्य में किसी क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले मुनाफे पर टॉप-अप कर के कराधान की एक समन्वित प्रणाली भी प्रदान करता है, जब प्रभावी कर दर (क्षेत्राधिकार के आधार पर) 15% की न्यूनतम दर से कम होती है।
- **संधि की अधिसूचना के बाद सभी लेनदेन पर लागू:**
  - संधि में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल के टेक्स्ट में कहा गया है कि "प्रोटोकॉल के प्रावधान प्रोटोकॉल के लागू होने की

नोट :

तिथि से प्रभावी होंगे, उस तिथि की परवाह किये बिना जिस पर कर लगाये जाते हैं या कर-योग्य वर्ष जिससे कर संबंधित हैं।" इससे पता चलता है कि संधि के अधिसूचित होने के बाद PPT सभी लेनदेन पर लागू होगा, भले ही निवेश की तिथि कुछ भी हो और इसमें देश के लिये कर राजस्व को बढ़ावा देने की क्षमता है।

- बड़ी संख्या में FPIs और विदेशी संस्थाओं द्वारा मॉरीशस के माध्यम से भारत में अपना निवेश करने का एक प्रमुख कारण DTAA था, क्योंकि शेयरों की बिक्री/हस्तांतरण पर कोई पूंजीगत लाभ कर देय नहीं था।
- मार्च 2017 की समयसीमा इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है कि संधि में पिछली बार मई 2016 में संशोधन किया गया था, जिसमें मॉरीशस के कर निवासी द्वारा अर्जित भारतीय कंपनी के शेयरों की बिक्री या हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ पर कर लगाने का अधिकार दिया गया था।
- हालाँकि, उस समय सरकार ने 31 मार्च, 2017 तक किये गए निवेशों को ऐसे कराधान से छूट प्रदान कर दी थी।

- **कर अधिकारियों को अंतर्निहित मंशा के आधार पर जाँच कर सकने की शक्तियाँ सौंपना:**
  - भारत-मॉरीशस संधि में संशोधनकारी प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित कर सकता है कि संधि लाभ, जिसमें निम्न विदहोल्डिंग दरें शामिल हैं, उस मामले में प्रदान नहीं किया जाएगा जहाँ युक्तियुक्त रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हो कि लाभ प्राप्त करना लेनदेन या व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।
    - इसकी भाषा यह सुनिश्चित करती है कि कर प्रशासन लेनदेन या व्यवस्था में अंतर्निहित मंशा के आधार पर जाँच कर सकता है। मॉरीशस से वित्तीय प्रवाह के संबंध में यह एक विशेष रूप से जटिल मुद्दा रहा है। ऐसा माना जाता रहा है कि अन्य क्षेत्राधिकारों के निवेशक मॉरीशस के माध्यम से भारत में निवश करते रहे हैं।

निष्कर्ष:

गंभीर राजस्व निहितार्थ रखने वाली संधियों में सुधार के साथ अंतर्राष्ट्रीय कर कानून नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैश्विक न्यूनतम कर के लिये भी समर्थन बढ़ रहा है जिसमें 'सब्जेक्ट टू टैक्स रूल' (STTR) के विषय पर भी एक प्रस्ताव शामिल है। STTR एक संधि-आधारित नियम है जो निम्न कर के दायरे में रहे इंट्रा-ग्रुप लेनदेन पर टॉप-अप टैक्स सुनिश्चित करता है जो न्यूनतम 9% से नीचे कॉर्पोरेट कर दरों के अधीन हैं। यह उम्मीद की जाती है कि ये परिवर्तन लाभ प्राप्त करने के लिये संधियों का उपयोग करने के वर्तमान अभ्यासों को आगे और प्रभावित करेंगे। चूँकि भारत अपनी कर संधियों में बदलाव कर रहा है, यह संशोधन इस बात का प्रमाण है कि BEPS कार्यक्रम ने वास्तव में नीति की दिशा बदल दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेश निर्णय केवल कर के मामले तक ही सीमित नहीं हों।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन पर अंकुश लगाना

कई अन्य देशों की तरह भारत भी एक बड़े 'पोषण संक्रमण' (nutrition transition) के दौर से गुज़र रहा है। तेज़ी से बदलते आहार पैटर्न की विशेषता वाले इस संक्रमण में पारंपरिक आहार (जो उच्च फाइबर स्तर रखते थे और जिनमें प्राय: गैर-प्रसंस्करित या 'होल फूड' शामिल थे) से हटकर पश्चिमी शैली के आहार (जो प्रसंस्करित होते हैं और उच्च कैलोरी रखते हैं) को अधिक अपनाने के रूप में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है। यह परिवर्तन तीव्र आर्थिक प्रगति और शहरीकरण के साथ-साथ पैकेज्ड एवं प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों—जिसे लोकप्रिय रूप से 'जंक फूड' (junk foods) कहा जाता है, के उपभोग में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

जंक फ़ूड ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कैलोरी, शर्करा, अस्वास्थ्यकर वसा और नमक की तो उच्च मात्रा पाई जाती है, लेकिन पोषक तत्व कम होते हैं। ये खाद्य पदार्थ प्राय: अत्यधिक प्रसंस्करित होते हैं और इनमें आमतौर पर फाइबर, विटामिन एवं खनिज की मात्रा कम होती है। जंक फूड के उदाहरणों में बर्गर, फ्राइज़ एवं पित्ज़ा जैसे फास्ट फूड आइटम, कुकीज़, कैंडी एवं सोडा जैसे मीठे स्नैक्स और चिप्स एवं प्रेट्ज़ेल जैसे नमकीन स्नैक्स शामिल हैं। नियमित रूप से जंक फूड का सेवन करने से मोटापा, हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह और दंत समस्याओं सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। ये खाद्य पदार्थ प्राय: सुगम और स्वादिष्ट होते हैं लेकिन निम्न पोषण मूल्य प्रदान करते हैं।

नोट :

Fact of the FAD

The recent online survey by the Centre for Science and Environment shows that schoolchildren are increasingly consuming packaged food products, high in fat, salt or sugar

53% girls consume protein-rich food less frequently; 42% eat vegetables less often

46% boys consume protein-rich food less frequently; 47% eat vegetables less often

1 High on packaged food items

Those consuming more than once a week on an average (%)

Note: (i) Packaged Food: Chips, instant noodles, chocolates and ice-creams; (ii) Packaged Beverages: Carbonated beverages (soft drinks), Juice-based packaged beverages & Milk-based packaged beverages like sweet lassi; (iii) Fast Food: Fries, pizzas, etc. from fast food outlets; (iv) Street Food: Chaat, samosa, etc; (v) Sweets: Cake, pastry, mithai, etc; (vi) Concentrate-based beverages: sherbats, squash, etc

2 Balanced diet takes a hit

Note: Less times means: (i) Cereals 1-2 times/day; (ii) Vegetables and Milk & milk products: 1 time/day; (iii) Pulses (for vegetarians) : 1 time/day
Limitation: For non-vegetarians, data does not capture the spread of the intake of pulses, eggs, meat & fish and only relies on average no. of times per day

3 Peer pressure, compelling ads, lead to a change in habit

Respondents (%)

4 High the screen time, higher the unhealthy diet

Children who consume fast food & packaged food at least once a day

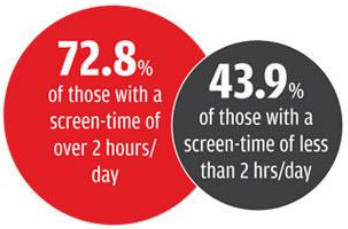

5 High the screen time, lesser the physical activity

Children who have sedentary lifestyle

Note for 4 & 5: Screen-time is time spent in (i) watching television; (ii) browsing the internet for recreation

6 When school serves junk

% of children who have packaged food & beverages over twice a week consume at school, or buy from or near school

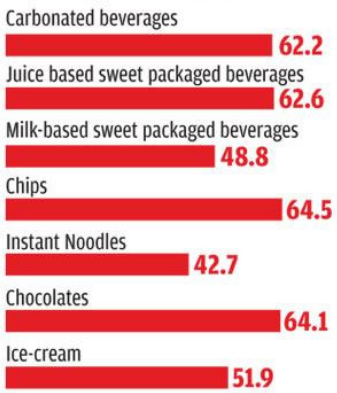

नोट :

भारत में जंक फूड/फास्ट फूड से संबद्ध विभिन्न चिंताएँ:

- **HFSS खाद्य के रूप में वर्गीकृत:**
  - जंक फूड को वसा, नमक एवं शर्करा में उच्च (High in Fats, Salts and Sugars- HFSS) खाद्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वैज्ञानिक प्रमाण पुष्टि करते हैं कि जंक फूड चिकित्सकीय रूप से संक्रमण के विरुद्ध शरीर की प्रतिरक्षा को कमज़ोर करने, रक्तचाप बढ़ाने, रक्त शर्करा में वृद्धि करने, वजन बढ़ने और कैंसर के खतरे को बढ़ाने में योगदान करते हैं।
  - भारत में इन्हें प्राय: कम्फर्ट फूड (comfort foods) के रूप में पैक किया जाता है और इसके उदाहरणों में कुकीज़, केक, चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, शर्करा पेय, फ्रोज़ेन खाद्य, डिब्बाबंद फल, भारतीय मिठाई एवं बेकरी उत्पाद शामिल हैं। कम्फर्ट फूड उन खाद्य पदार्थों को कहा जाता है जो तृप्ति प्रदान करते हैं, जिन्हें खाकर ख़ुशी मिलती है, जो प्राय: हल्के-फुल्के आहार के रूप में ग्रहण किये जाते हैं, लेकिन प्राय: जिनका पोषक मूल्य कम होता है।
- **जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में उल्लेखनीय वृद्धि:**
  - इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि भारत जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के विस्फोट का सामना कर रहा है, जहाँ अस्वास्थ्यकर आहार इसके सबसे बड़े योगदानकर्ता कारकों में से एक है।
  - स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बोझ की भयावहता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्ष 2023 में प्रकाशित **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)** के एक अध्ययन का अनुमान है कि भारत में चयापचय संबंधी विकारों का प्रसार बहुत अधिक है, जहाँ 11% लोगों को मधुमेह है, 35% को उच्च रक्तचाप है और लगभग 40% पेट के मोटापे से पीड़ित हैं।

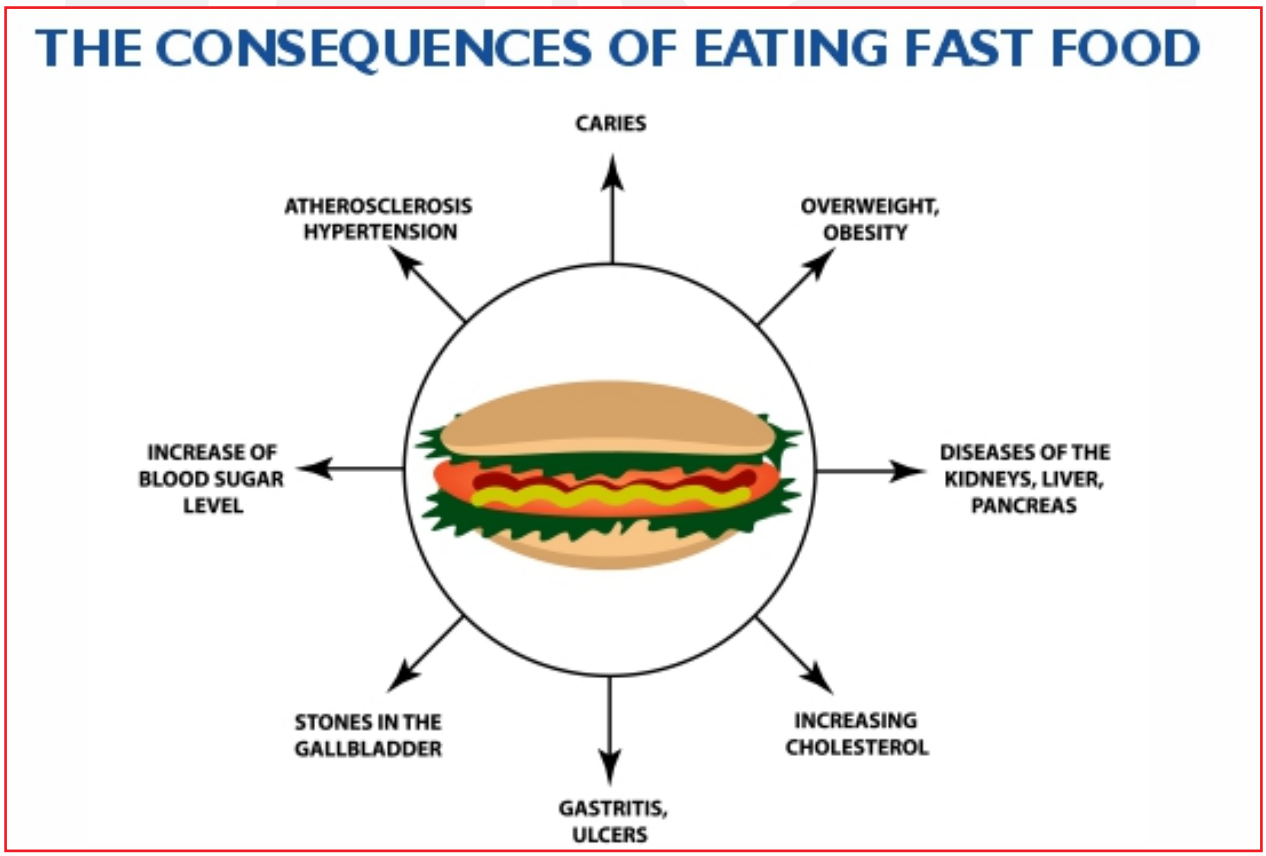

नोट :

- **आक्रामक विज्ञापन के प्रभाव:**
  - भारतीयों की बढ़ती आहार संबंधी आदतों का विश्लेषण करते समय एक महत्त्वपूर्ण विचारणीय कारक आक्रामक विज्ञापन का प्रभाव है जो 'स्वादिष्ट' एवं 'सस्ते' कम्फर्ट फूड को बढ़ावा देता है जहाँ विशेष रूप से युवा उपभोक्ताओं को लक्षित किया जाता है।
    - सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) द्वारा किये गए एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार 93% बच्चों ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ और 68% ने डिब्बाबंद मीठे पेय पदार्थ का सेवन सप्ताह में एक से अधिक बार किया था, जबकि 53% ने इन उत्पादों का सेवन दिन में कम से कम एक बार अवश्य किया था।
  - भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य उद्योग वर्ष 2011 और 2021 के बीच 13.37% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से विस्तारित हुआ है। इसके अलावा, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के वर्ष 2025-26 तक 535 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाने का अनुमान है।
- **ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Glycemic Index- GI) और ग्लाइसेमिक लोड (Glycemic Load- GL) का उच्च स्तर:**
  - आहार के GI एवं GL के बढ़ते महत्त्व का समर्थन करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। हाल ही में उच्च स्तर वाले GI एवं GL आहार और टाइप 2 मधुमेह के खतरे के बीच के संबंध को स्थापित किया गया है। हालाँकि, जो अभी कम ज्ञात है वह हृदय रोग और मृत्यु दर के साथ उच्च GI आहार का संबंध है।
    - उच्च GI वाले आहार में चीनी एवं मिठाइयाँ, सफ़ेद चावल, मैदा, आलू, सफ़ेद ब्रेड, मीठे पेय, गुड़ और कुकीज़ शामिल हैं। यह विशेष रूप से भारत और दक्षिण एशिया के लिये प्रासंगिक है जहाँ उच्च GI वाले सफ़ेद चावल या गेहूँ के रूप में कार्बोहाइड्रेट का सेवन कैलोरी के एक बड़े भाग का निर्माण करता है, जिससे हमारे आहार का GL अत्यधिक उच्च हो जाता है।

ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) और ग्लाइसेमिक लोड (GL):

- 'ग्लाइसेमिक इंडेक्स' की अवधारणा पहली बार वर्ष 1981 में टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड जेनकिंस (David Jenkins) द्वारा प्रस्तावित की गई थी। किसी खाद्य का ग्लाइसेमिक इंडेक्स रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकने के किसी खाद्य के गुण को संदर्भित करता है और यह कार्बोहाइड्रेट की 'गुणवत्ता' की एक माप है।
- तुलनित्र (comparator) के रूप में ग्लूकोज या सफ़ेद ब्रेड का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज के GI को 100 के रूप में लिया जाता है और अन्य खाद्य पदार्थों का GI इसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- इस प्रकार, खाद्य पदार्थों के GI को निम्न GI (55 से कम), मध्यम GI (56- 69) और उच्च GI (70 से अधिक) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। GI को उपभोग किये गए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से गुणा करने पर ग्लाइसेमिक लोड (GL) निर्धारित होता है ।

शर्करा कंटेंट का विनियमन:

- FSSAI ने अपने खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम 2018 में कहा है कि यदि किसी उत्पाद में कुल शर्करा 5 ग्राम प्रति 100 ग्राम से कम है, तभी वह 'निम्न शर्करायुक्त' होने का दावा कर सकता है। **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने प्रतिदिन 25 ग्राम या छह चम्मच शर्करा उपभोग की सीमा तय की है।
- **प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ के निर्माण में 'माल्टिंग' की प्रक्रिया:**
  - एडेड शुगर के अलावा, माल्टिंग (malting) की प्रक्रिया (जिसमें अनाज को अंकुरित करना, सुखाना, भूनना और उसका पाउडर बनाना शामिल है) से भी शर्करा उत्पन्न होती है। माल्टिंग की प्रक्रिया का उपयोग मूल रूप से सिंगल माल्ट व्हिस्की का उत्पादन करने के लिये किया जाता था और इसका उपयोग माल्ट-बेस्ड मिल्क बेवरीज बनाने में भी किया जाता है। विभिन्न चॉकलेट पाउडर में एडेड शुगर के अलावा माल्टोडेक्सट्रिन, लिक्विड ग्लूकोज, अनाज की माल्टिंग प्रक्रिया से उत्पन्न माल्टोज़ आदि भी शामिल होते हैं।
- **'प्रसंस्करित शिशु आहार' के कारण चिंताएँ:**
  - एक से दो वर्ष के शिशु को नेस्ले (Nestle) जैसी कंपनियाँ हर दिन बारह स्कूप या 100 ग्राम शिशु आहार (जैसे सेरेलैक) खिलाने की सलाह देती हैं। इसका अर्थ है कि शिशु प्रतिदिन 24 ग्राम शर्करा ग्रहण करता है। शिशु के आहार में अतिरिक्त शर्करा बच्चे के अग्न्याशय

नोट :

(pancreas) पर अनावश्यक दबाव बनाती है, जिससे अतिरिक्त इंसुलिन का उत्पादन होता है जिससे भविष्य में उनमें मधुमेह एवं मोटापा उत्पन्न हो सकता है।

- खाद्य के स्वाद और रूप में सुधार के लिये माल्टोडेक्सट्रिन जैसी सामग्री मिलाना हानिकारक है क्योंकि माल्टोडेक्सट्रिन के सफ़ेद स्टार्च पाउडर में सामान्य चीनी की तुलना में अधिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) होता है। अतिरिक्त शर्करा ट्राइग्लिसराइड्स में रूपांतरित हो जाती है, जो वसा का एक रूप है जो लीवर में जमा हो जाता है। इससे फैटी लीवर और इंसुलिन प्रतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है जो मधुमेह का कारण बनती है।

- **HFSS खाद्य पदार्थों के लिये सटीक परिभाषा का अभाव:**
  - **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI)** ने HFSS खाद्य पदार्थों के उपभोग को सीमित करने के लिये विनियमन जारी किये हैं। हालाँकि, वर्तमान में यह परिभाषित करने या पहचान करने की कोई स्पष्ट विधि मौजूद नहीं है कि कौन-से खाद्य पदार्थ विशेष रूप से HFSS खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। सटीक परिभाषा या पहचान प्रक्रिया की कमी इन अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के उपभोग को प्रभावी ढंग से विनियमित करने में एक चुनौती पैदा करती है।

- **FSSAI द्वारा रेटिंग स्टार्स का उपयोग, वार्निंग लेबल का नहीं:**
  - सितंबर 2022 में FSSAI ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की, जिसमें यह बताया गया कि HFSS खाद्य में क्या शामिल होगा और खाद्य पैकेट या पेय की बोतल की सामने की लेबलिंग पर उपभोक्ताओं को इसके बारे में किस प्रकार चेतावनी दी जाए।
  - इसमें कहा गया कि यदि कोई उत्पाद शर्करा और/या संतृप्त वसा से कुल ऊर्जा (किलो कैलोरी) का 10% से अधिक प्राप्त करता है तो उत्पाद में वसा और/या शर्करा की मात्रा उच्च मानी जाएगी। हालाँकि, FSSAI ने इस विनियमन में स्पष्ट नहीं किया है कि कंपनियों द्वारा पैक के सामने की लेबलिंग में वसा, शर्करा एवं नमक की मात्रा घोषित करने की आवश्यकता है या नहीं।
    - इसके अलावा, इसने 'रेटिंग स्टार्स' का उपयोग किया है, न कि वार्निंग लेबल का। उल्लेखनीय है कि वार्निंग लेबल सामने मौजूद होते हैं और उपभोक्ताओं को सूचित करते हैं यदि किसी उत्पाद में वसा, नमक या शर्करा की मात्रा अधिक है। इस दृष्टिकोण से रेटिंग स्टार्स भ्रामक सिद्ध हो सकते हैं।

- **स्टार रेटिंग सिस्टम से बचना:**
  - भारतीय पोषण रेटिंग (Indian Nutrition Rating- INR), जहाँ पैकेज्ड खाद्य उत्पादों को उत्पाद की समग्र पोषण प्रोफ़ाइल के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी, को वास्तव में खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग एवं डिस्प्ले) संशोधन विनियमन 2022 के नवीनतम मसौदे में शामिल किया गया है।
  - इससे कई चिंताएँ संबद्ध हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि स्टार रेटिंग से निर्माताओं को बचने का एक स्पष्ट रास्ता मिल जाएगा।
    - वे समग्र स्टार रेटिंग बढ़ाने के लिये एक या दो स्वस्थ घटकों का योग कर सकते हैं, जबकि उनका उत्पाद अस्वास्थ्यकर ही होगा जिनमें वसा, शर्करा एवं नमक की खतरनाक रूप से उच्च मात्रा मौजूद होगी।
    - इसके अलावा, विनियमनों की अंतिम अधिसूचना की तिथि से चार वर्ष की अवधि तक के लिये ये विनियमन स्वैच्छिक रखे गए हैं।

HFSS खाद्य पदार्थों से संबद्ध चिंताओं को दूर करने के विभिन्न उपाय:

- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:**
  - वर्ष 2013 का **सर्वोच्च न्यायालय** का एक निर्णय संवैधानिक रूप से सुदृढ़ शुरुआत की पेशकश करता है। निर्णय में न्यायालय ने इस बात पर बल दिया था कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरनाक या हानिकारक है, वह **भारत के संविधान के अनुच्छेद 21** के तहत गारंटीकृत जीवन के मूल अधिकार के लिये संभावित खतरा है।
    - लोगों के स्वास्थ्य एवं सेहत को बढ़ावा देने की आवश्यकता को चिह्नित करते हुए भारत सरकार ने 'ईट राइट इंडिया', **'फिट इंडिया मूवमेंट'** और **'पोषण' (Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition- POSHAN) 2.0** जैसी अपनी पहलों के माध्यम से स्वस्थ भोजन तथा सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है।

नोट :

ईट राइट इंडिया (Eat Right India):

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की प्रस्तावना में **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)** से भारत में लोगों के लिये सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।
- इसलिये, FSSAI ने ईट राइट इंडिया आंदोलन के माध्यम से सभी भारतीयों के लिये सुरक्षित, स्वस्थ एवं संवहनीय खाद्य सुनिश्चित करने के लिये देश की खाद्य प्रणाली को रूपांतरित करने के लिये बड़े पैमाने पर प्रयास शुरू किया है। **'सही भोजन, बेहतर जीवन'** का टैगलाइन इस आंदोलन की नींव का निर्माण करता है।
  - ईट राइट इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिये नियामक उपाय, क्षमता निर्माण और सहयोगात्मक एवं सशक्तिकरण दृष्टिकोण का एक विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाता है कि हमारा खाद्य लोगों और पृथ्वी दोनों के लिये अच्छा हो।
  - इसके अलावा, यह सभी हितधारकों—सरकार, खाद्य व्यवसायों, नागरिक समाज संगठनों, विशेषज्ञ एवं पेशेवरों, विकास एजेंसियों और बड़े पैमाने पर नागरिकों की सामूहिक कार्रवाई पर आधारित है।

नोट :

- **FSSAI विनियमनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना:**
  - चूँकि बच्चे अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के विज्ञापन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिये FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिये सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियमन, 2020 जारी किया, जहाँ स्कूल कैंटीन/मेस परिसर/छात्रावास रसोई में या स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है।
    - हाल ही में, **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights)** ने एक स्वास्थ्य पेय कंपनी को उन सभी भ्रामक विज्ञापनों, पैकेजिंग एवं लेबलों का मूल्यांकन करने और उन्हें वापस लेने के लिये नोटिस जारी किया, जो उत्पाद को 'हेल्थ ड्रिंक' के रूप में ब्रांड करते हैं। इसके लिये उत्पाद की उच्च शर्करा सामग्री का हवाला दिया गया जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। सभी कंपनियों द्वारा इस विनियमन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

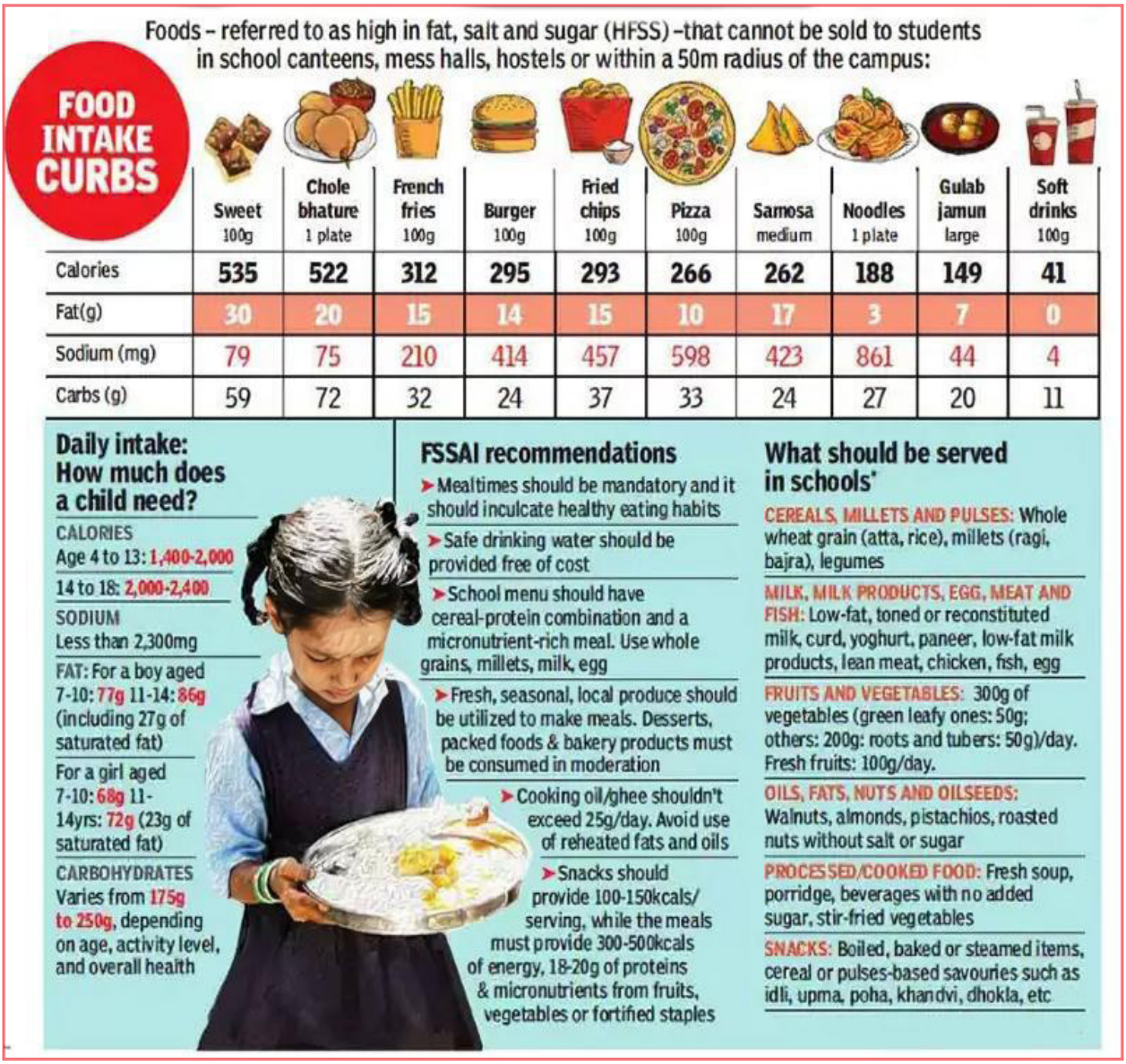

नोट :

- **FSSAI विनियमन पर पुनर्विचार:**
  - खाद्य सुरक्षा और मानक (नवजात पोषण के लिये खाद्य पदार्थ) विनियमन, 2019 के अनुसार, दुग्ध अनाज आधारित पूरक आहार में शर्करा की अनुमति दी गई है। विनियमन कहता है कि लैक्टोज और ग्लूकोज पॉलिमर को खाद्य एवं नवजात पोषण के लिये अधिमान्य कार्बोहाइड्रेट माना जाएगा।
    - यह भी कहा गया है कि नवजात खाद्य में सुक्रोज और/या फ्रुक्टोज नहीं मिलाया जाएगा, जब तक कि कार्बोहाइड्रेट स्रोत के रूप में यह आवश्यक न हो और शर्त यह है कि इनका योग कुल कार्बोहाइड्रेट के 20% से अधिक न हो। चूँकि विनियमन में शर्करा की अनुमति दी गई है, इसलिये इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
- **एक व्यापक कानून की आवश्यकता:**
  - पहला कदम यह होगा कि 'स्वास्थ्यकर' और 'अस्वास्थ्यकर' को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिये एक व्यापक विनियमन लाया जाए, जिसके दायरे में सभी पेय पदार्थ और खाद्य उत्पाद शामिल हों। सामने की पैक लेबलिंग और HFSS खाद्य पदार्थों के बारे में पहले से ही मसौदा अधिसूचना मौजूद है जिस पर सभी हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं, लेकिन इसे अभी भी लागू नहीं किया गया है। इसे विधायी समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है।
- **अस्वास्थ्यकर उत्पादों के निर्बाध विपणन को रोकना:**
  - अंतर्निहित समस्या विपणन और इसे संदेह नहीं रखने वाले उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की है। इसके अलावा, शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के तहत शिशु आहार को विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स प्राय: शिशु आहार का प्रचार करते दीखते हैं। ऐसे अवैध विज्ञापनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है।
- **स्थानीय और मौसमी फलों एवं सब्जियों को बढ़ावा देना:**
  - इसके तहत जंक फूड के स्वास्थ्य प्रभावों पर मल्टीमीडिया संदेश प्रसारित करना, 'वोकल फॉर लोकल' पर आधारित अभियानों को बढ़ावा देना (जो स्थानीय और मौसमी फलों एवं सब्जियों तथा मोटे अनाज (millets) जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देते हैं) और संतुलित आहार पर इंटरैक्टिव चर्चाओं तथा जंक फूड के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में मुख्यधारा के संवाद के लिये सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को शामिल हो सकता है।
- **नीतिगत मंशा को सार्थक परिवर्तन में बदलने की कुंजी के रूप में चार रणनीतियाँ:**
  - **सर्वप्रथम,** सरकार के लिये एक अच्छा आरंभिक बिंदु यह होगा कि बच्चों को जंक फूड के हानिकारक प्रभाव से बचाए।
    - इस प्रकार, यह आवश्यक है कि FSSAI आगे बढ़ते हुए भारतीय संदर्भ में वास्तविक HFSS खाद्य पदार्थों को 'परिभाषित' करे, जो फिर खाद्य सुरक्षा विनियमनों के बेहतर कार्यान्वयन को सक्षम बना सकता है।
  - **दूसरा,** फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग (FOPL) एक आसानी से प्राप्त हो सकने वाला परिणाम है जो उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों के बारे में सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बना सकता है।
    - वर्तमान में खाद्य पैकेट के पीछे छोटे प्रिंट में पोषण तालिका प्रदर्शित की जाती है, जिसे बहुत से लोग न तो ध्यान से देखते हैं और न ही समझ पाते हैं।
      - एक विकल्प के रूप में 'हाई इन सॉल्ट' जैसे 'वार्निंग लेबल' को सामने के हिस्से में प्रदर्शित करना अधिक सार्थक होगा जो उच्च रक्तचाप रखने वाले लोगों को त्वरित रूप से सतर्क कर सकता है।
  - **तीसरा,** गैर-प्रसंस्करित या संपूर्ण खाद्य पदार्थ (whole foods), मोटे अनाज, फल एवं सब्जियों जैसे स्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिये सकारात्मक सब्सिडी प्रदान करने हेतु नीतियाँ विकसित की जा सकती हैं, जिससे उनकी उपलब्धता एवं वहनीयता में सुधार होगा और इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उनका उपभोग बढ़ेगा।
    - नीति निर्माताओं के लिये चुनौती यह है कि किसी फल को 5 रुपए वाले उच्च नमक-युक्त चिप्स के पैकेट या 2 रुपए के उच्च शर्करा-युक्त बिस्किट से सस्ता कैसे बनाया जाए।
  - **चौथा,** नीतियों के अलावा, बच्चों और युवा वयस्कों को समान रूप से लक्षित करने वाला एक व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाया जाना चाहिये को युवा आबादी को स्वस्थ आहार आदतों और विवेकपूर्ण खाद्य ग्रहण अभ्यासों को अपनाने में मदद करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष:

स्वस्थ आहार की ओर आगे बढ़ने और इसकी सार्वजनिक मांग पैदा करने की तात्कालिकता को चिह्नित करना या जैसा कि **प्रधानमंत्री** ने कहा है कि स्वस्थ एवं पोषण की दृष्टि से विविध आहार के लिये 'जन आंदोलन' अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इन प्रयासों के साथ गंभीर नीतिगत हस्तक्षेप भी किया जाना चाहिये जो भारतीयों को सूचना-संपन्न खाद्य विकल्प चुनने के अपने अधिकार का उपयोग करने में मदद करे।

पोषक तत्वों, फाइबर और आवश्यक विटामिन से भरपूर संपूर्ण, न्यूनतम प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों का चयन कर लोग आमतौर पर प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अस्वास्थ्यकर योजक, अत्यधिक शर्करा एवं परिष्कृत अनाज का सेवन कम कर सकते हैं। यह अग्रसक्रिय दृष्टिकोण न केवल बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य का समर्थन करेगा, बल्कि मानसिक स्पष्टता और संवहनीय ऊर्जा स्तर को भी बढ़ावा देगा।

नोट :

स्वच्छ भारत मिशन की यथार्थता

वर्ष 2022 के **पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (Environment Performance Index- EPI)** में भारत को 180 देशों की सूची में निचले स्थान पर रखा गया। EPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र जीवन-शक्ति के मानदंड पर विश्व के देशों की रैंकिंग करता है। यह वायु गुणवत्ता, पेयजल और स्वच्छता जैसी 11 विषय श्रेणियों में 40 प्रदर्शन संकेतकों की माप करता है।

पिछले 10 वर्षों में सरकार ने पर्यावरणीय स्वास्थ्य एवं विकास के कई अभियान शुरू किये हैं। इनमें **स्वच्छ भारत मिशन (SBM), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)** शामिल हैं।

SBM का उद्देश्य **'वॉश' (WASH- Water, Sanitation, and Health)** के मुद्दे को संबोधित करना है। इसी तरह, **स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM)** से छोटे शहरों/क़स्बों की स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा है। हालाँकि, वायु और जल प्रदूषण सहित अन्य विभिन्न कारणों से जनसंख्या की संवेदनशीलता/भेद्यता में वृद्धि देखी गई है।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM):

- **परिचय**
  - यह एक वृहत जन आंदोलन है जिसका लक्ष्य वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत का निर्माण करना था। **राष्ट्रपिता महात्मा गांधी** सदैव स्वच्छता पर बल देते थे क्योंकि स्वच्छता से स्वस्थ और समृद्ध जीवन की राह खुलती है।
  - इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 (गांधी जयंती) के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन की नींव रखी। यह मिशन सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को दायरे में लेता है।
    - इस मिशन के शहरी घटक का क्रियान्वयन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा और ग्रामीण घटक का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी:**
  - **चरण 1:**
    - कार्यक्रम में खुले में शौच (open defecation) का उन्मूलन करना, गंदे शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वस्थ स्वच्छता अभ्यासों के संबंध में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना शामिल है।
    - मिशन 1.04 करोड़ घरों को कवर करने, 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय एवं 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय प्रदान करने और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का निर्माण करने का लक्ष्य रखता है।
      - कार्यक्रम के तहत, ऐसे आवासीय क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाना है जहाँ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करना कठिन है।
      - पर्यटन स्थलों, बाज़ारों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों आदि निर्दिष्ट स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाना है। कार्यक्रम को 4,401 शहरों में पाँच वर्ष की अवधि में लागू किया जाना था।
    - सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिये अपेक्षित सहायता के रूप में केंद्र सरकार द्वारा सामुदायिक शौचालय के निर्माण की लागत का 40% तक **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF)**/एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। SBM दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश उक्त घटक के लिये अतिरिक्त 13.33% प्रदान करेंगे।
    - पूर्वोत्तर राज्यों और **विशेष श्रेणी के राज्यों** को केवल 4% योगदान देना होगा। धन की व्यवस्था शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नवोन्मेषी तंत्रों के माध्यम से करनी होगी। सामुदायिक शौचालय की प्रति सीट अनुमानित लागत 65,000 रुपए है।
  - **चरण 2:**
    - SBM-U 2.0 में सभी शहरों को 'कूड़ा मुक्त' बनाने और 'अमृत' (AMRUT) के अंतर्गत शामिल शहरों के अलावा अन्य सभी शहरों में गंदले जल (grey and black water) प्रबंधन को सुनिश्चित करने, सभी शहरी स्थानीय निकायों को ODF+ में परिणत करने तथा 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों को ODF++ में परिणत करने की परिकल्पना की गई है, ताकि शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
      - मिशन ठोस अपशिष्टों के स्रोत पर पृथक्करण, **3Rs (reduce, reuse, recycle)** के सिद्धांतों के उपयोग, सभी प्रकार के नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये पुराने डंपसाइटों के उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिये SBM-U 2.0 का परिव्यय लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपए है।

नोट :

- **यह स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का ही विस्तार है जहाँ सभी वैधानिक क़स्बों में वित्तपोषण एवं कार्यान्वयन के लिये निम्नलिखित घटक शामिल हैं:**
  - सतत स्वच्छता (शौचालय का निर्माण)
  - 1 लाख से कम आबादी वाले सभी ULBs में मल कीचड़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल उपचार (यह SBM-U 2.0 में जोड़ा गया एक नया घटक है)
  - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
  - सूचना, शिक्षा एवं संचार
  - क्षमता निर्माण।

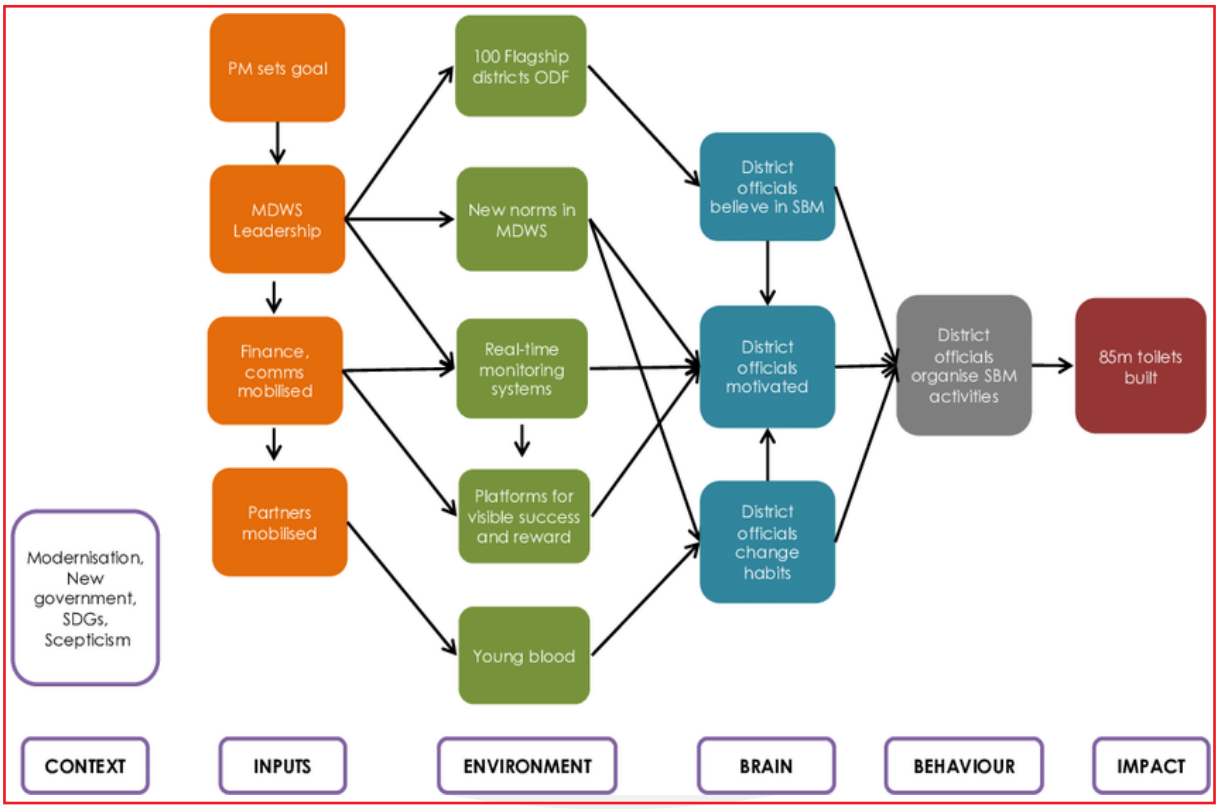

- **स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण:**
  - **चरण 1:**
    - 'निर्मल भारत अभियान' को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया है। SBM-G को भारत में स्वच्छता सुनिश्चित करने और इसे पाँच वर्षों में **खुले में शौच मुक्त (Open Defecation Free- ODF)** बनाने के लिये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था।
      - इसका उद्देश्य ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना और ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त (ODF), साफ एवं स्वच्छ बनाना है।
    - व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (Individual Household Latrines- IHHL) के निर्माण के लिये मिशन के तहत प्रदान किया गया प्रोत्साहन **गरीबी रेखा से नीचे (BPL)** के सभी परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के निम्नलिखित श्रेणी के परिवारों के लिये उपलब्ध है: **अनुसूचित जाति/जनजाति,** लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक जिनके पास आवास है, दिव्यांगजन और वे परिवार जहाँ महिलाएँ मुखिया की भूमिका रखती हैं।
    - SBM-G के तहत BPL और निर्दिष्ट श्रेणी के APL परिवारों के लिये प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि IHHL की एक इकाई के निर्माण और जल उपलब्धता (हाथ धोने और सफाई के लिये जल भंडारण सहित) के लिये 12,000 रुपए तक थी।

नोट :

- IHHL के लिये इस प्रोत्साहन राशि में केंद्रीय हिस्सेदारी 9,000 रुपए (75%) और राज्य की हिस्सेदारी 3,000 रुपए थी।
- पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये केंद्रीय हिस्सेदारी 10,800 रुपए और राज्य की हिस्सेदारी 1,200 रुपए थी (90% :10% के अनुपात में)। स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिये लाभार्थी को अपने IHHL के निर्माण में अतिरिक्त योगदान देने के लिये प्रोत्साहित किया गया।

चरण 2:

- वर्ष 2014 से 2019 तक पिछले पाँच वर्षों में समयबद्ध तरीके से ODF भारत की अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त करने के बाद कार्यक्रम के तहत प्राप्त लाभ को बनाए रखने के लिये स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन अभियान पर कार्य जारी रखना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पीछे न छूटे तथा गाँवों में संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त हो।
  - फ़रवरी 2020 में SBM-G के चरण 2 को 1,40,881 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी गई जहाँ ODF स्थिति और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) की संवहनीयता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - SBM-G के चरण 2 को वित्तपोषण के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच अभिसरण के एक नए मॉडल के रूप में विकसित करने के लिये योजनाबद्ध किया गया है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में लागू किया जाएगा।

SBM के विभिन्न घटक:

स्वच्छ विद्यालय अभियान:

- शिक्षा मंत्रालय ने SBM के तहत स्वच्छ विद्यालय अभियान लॉन्च किया है जहाँ एक वर्ष के भीतर सभी सरकारी विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक हस्तक्षेपों का एक समूह होना चाहिये जो एक बेहतर जल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई कार्यक्रम के तकनीकी एवं मानव विकास दोनों पहलुओं से संबंधित हो।
- मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ **सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)** के तहत विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं को शौचालय प्रदान करने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्वच्छता कोष:

- 'स्वच्छ भारत' के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये व्यक्तिगत परोपकारी योगदान और **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** वित्त को सुगम बनाने एवं चैनलाइज़ करने के लिये स्वच्छ भारत कोष (SBK) का गठन किया गया है।
- इस कोष का उपयोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में (विद्यालयों सहित) स्वच्छता के स्तर में सुधार के लिये किया जाएगा। कोष से प्राप्त आवंटन का उपयोग ऐसी गतिविधियों के लिये विभागीय संसाधनों की पूर्ति एवं पूरकता के लिये किया जाएगा।
  - व्यक्तियों और कॉर्पोरेट से योगदान को प्रोत्साहित करने के लिये, जहाँ भी संभव हो वहाँ कर छूट प्रदान करने के उपायों पर विचार किया जा रहा है।

GOBAR-DHAN/गोबर-धन:

- **गोबर-धन या गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Scheme-GOBAR-DHAN) योजना** वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को **संपीडित बायोगैस (CBG)** में परिवर्तित कर किसानों की आय बढ़ाना है।

SBM के कार्यान्वयन में किन विभिन्न मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है?

स्वच्छता कार्य के संबंध में बनी रहीं पारंपरिक मान्यताएँ:

- भारत में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य जातियों से संबद्ध रहा है। ऐतिहासिक रूप से, अधीनस्थ जातियों को साफ-सफाई कार्य करने के लिये विवश किया गया है। SBM ने यह आख्यान गढ़ने की कोशिश की कि स्वच्छता हर किसी का कार्य है, लेकिन इसने अंततः उन्हीं पुराने जातिगत अभ्यासों को बनाए रखा है।
  - SBM कथित रूप से सफल परियोजना है; क्योंकि किसी भी विपक्षी दल या समुदाय ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है। जबकि संपूर्ण परियोजना राज्य एजेंसियों द्वारा शासित और उनकी निगरानी के अधीन है, इसका डिज़ाइन यह स्पष्ट करता है कि बड़ी पूंजी-गहन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाता है। हालाँकि, अभी भी पुरानी प्रथाएँ ही सुर्खियों में बनी हुई हैं।

नोट :

- **शौचालयों तक सार्वभौमिक पहुँच का अभाव:**
  - केंद्र सरकार का दावा है कि भारत खुले में शौच से मुक्त है, लेकिन वस्तविकता अलग है। वर्ष 2020 में **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** की एक रिपोर्ट ने इस विषय में SBM की सफलता पर सरकार के दावों पर कई प्रश्न उठाए। इससे इस योजना के तहत शौचालय निर्माण की खराब गुणवत्ता को भी इंगित किया।
    - शहरीकरण से जुड़े कुछ अध्ययनों में बताया गया है कि कुछ महानगरों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले समुदायों के पास अभी भी सार्वजनिक शौचालयों तक पहुँच नहीं है। यहाँ तक कि ग्रामीण भारत में भी शौचालय निर्माण को अपशिष्ट निपटान से जोड़ा नहीं गया है।
    - परि-शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न मल-मूत्र कीचड़ को पर्यावरण में फेंक दिया जाता है। सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर द्वारा साफ किया जाता है और कीचड़ को विभिन्न जल प्रणालियों में बहा दिया जाता है।

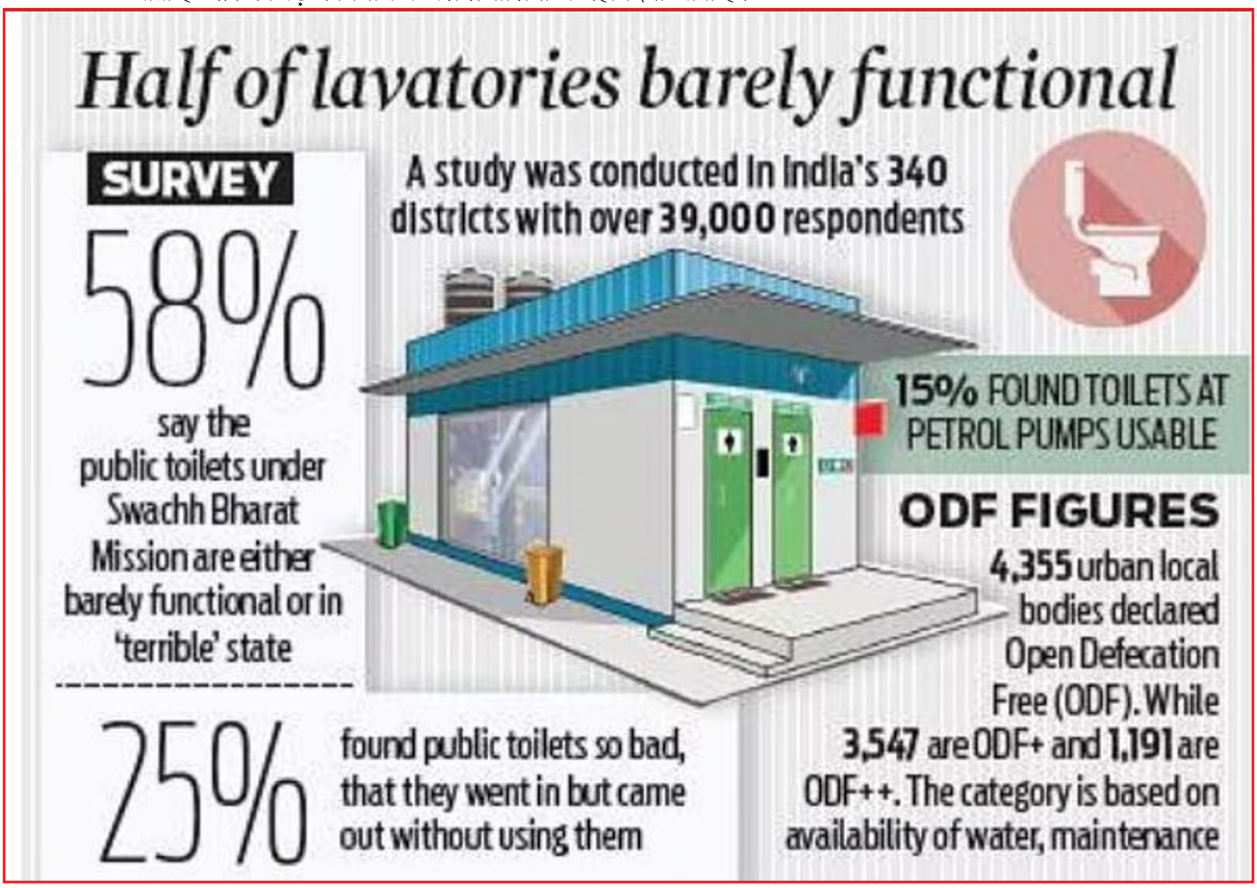

- **लोगों की संलग्नता के विकल्प के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं होना:**
  - SBM के माध्यम से सरकार जो एक कार्य करना चाहती थी, वह था अपशिष्ट प्रबंधन में लोगों की संलग्नता को कम कर इसके बदले बड़ी, पूंजी-गहन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। लेकिन ये प्रौद्योगिकी सुविधाएँ अपने समर्थकों के वादों पर खरी नहीं उतर सकी हैं, जिससे शहर-दर-शहर इन्हें दुरुस्त करने के लिये संसाधनों की और बुरी तरह से प्रबंधित अपशिष्ट से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संकट पर प्रतिक्रिया की मांग कर रहे हैं।
    - उदाहरण के लिये शहरों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को देखा जा सकता है। अधिकांश शहरों में केंद्र सरकार ठोस अपशिष्ट से निपटने के लिये तकनीकी समाधानों का उपयोग कर रही है। इनमें से कुछ समाधान अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र और जैविक मिथेनीकरण के रूप में हैं । लेकिन किसी भी मामले में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

नोट :

- इस परिदृश्य में सरकारों ने अधिकांश कार्य निजी एजेंसियों को आउटसोर्स कर दिया है जिन्होंने अपशिष्ट प्रबंधन लिये उन्हीं पारंपरिक अधीनस्थ जाति समुदायों को नियोजित किया है।

- **स्वच्छता को लाभ की इकाई बनाना:**
  - शहर की सरकारों से सड़क सफाई मशीनों (जिनका मूल्य 1 करोड़ रुपए तक है) सहित अधिक मशीनों, जियो-टैगिंग के साथ अपशिष्ट को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने के लिये अधिक वाहन आदि की खरीद के लिये कहा जा रहा है। ऐसी योजनाओं के लिये शहर सरकारों को धन उपलब्ध कराया जाता है। हालाँकि, यह समस्त कार्य शहरी डोमेन में प्रवेश कर रहे बड़े ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है जो साफ-सफाई के कार्य को लाभ के धंधे में बदल रहे हैं।
    - इन ठेकेदारों द्वारा नियोजित अधिकांश श्रमिक दलित हैं। इस प्रकार, **राज्य के पूर्ण स्वामित्व वाली एक योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण और निरंतर जातिगत भेदभाव के लिये एक साधन बन गई है।**
- **स्वच्छता निरीक्षकों की कमी:**
  - मार्च 2024 में हिमाचल प्रदेश **उच्च न्यायालय** को शहरी विकास विभाग ने बताया कि शिमला **नगर निगम** (जिसमें 34 वार्ड शामिल हैं) में केवल पाँच स्वच्छता निरीक्षक मौजूद हैं। ऐसे और अधिक निरीक्षकों की भर्ती करने के बजाय उनके सेवानिवृत्त होने के बाद इस कैडर को भंग करने की तैयारी है।
    - जिस राज्य में 50 से अधिक नगर निकाय हैं, वहाँ केवल 20 स्वच्छता निरीक्षक मौजूद हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ नगर निकायों में कोई स्वच्छता निरीक्षक मौजूद नहीं है।
- **जल आपूर्ति का अभाव:**
  - शौचालय के लिये बुनियादी ढाँचे महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन ये अकेले ही रोगजनकों के मल-मौखिक संचरण को रोकने के लिये पूर्व-आवश्यकता के रूप में काम नहीं आ सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति की कमी एक प्रमुख मुद्दा है, जहाँ केवल 42.5% घरों में शौचालय में उपयोग के लिये जल तक पहुँच है, जिससे शौचालय के गैर-उपयोग की दर बढ़ जाती है।
    - अनुपयुक्त मल-गाद प्रबंधन, अनुपयुक्त शौचालय प्रौद्योगिकी और अपर्याप्त मानव संसाधन की स्थिति भी बनी हुई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की प्राप्ति को कठिन बनाती है।
- **बच्चों में खुले में शौच की आदत:**
  - आँकड़े से पता चलता है कि वर्ष 2015 से 2019 तक खुले में शौच में 12% की कमी आई है, जिसका अर्थ यह है कि ग्रामीण आबादी का लगभग आधा हिस्सा अभी भी खुले में शौच करता है। खुले में शौच करना ग्रामीण भारत में पारंपरिक व्यवहार है और लोग इसे स्वस्थ, स्वच्छ और कभी-कभी 'धार्मिक रूप से स्वीकार्य' मानते हैं।
    - खुले में शौच का यह मुद्दा चिंता का विषय है क्योंकि सरकारी अध्ययनों से पता चलता है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का एक बड़ा अनुपात अन्य आयु समूहों की तुलना में खुले में शौच का अधिक उपयोग करता है।
- **समृद्ध राज्यों की चुनौतियाँ:**
  - प्रगति के बावजूद, समृद्ध राज्यों ने आर्थिक रूप से गरीब राज्यों की तुलना में शौचालय के उपयोग में मिश्रित प्रदर्शन और कम लाभ ही दिखाया है, जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में अनुरूप रणनीतियों की आवश्यकता को उजागर करता है।
  - तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात जैसे राज्यों ने आर्थिक रूप से वंचित राज्यों की तुलना में नियमित शौचालय के उपयोग में कम प्रगति दिखाई है, जो दर्शाता है कि कार्यक्रम का सभी राज्यों में समान प्रभाव नहीं रहा है।

SBM की प्रभावशीलता में सुधार के विभिन्न उपाय:

- **कमज़ोर/भेद्य वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना:**
  - हालाँकि भारत ने स्वच्छता कवरेज में पर्याप्त प्रगति की है, लेकिन समाज के वंचित वर्गों, जैसे महिला प्रधान परिवार, भूमिहीन लोग, प्रवासी मज़दूर और दिव्यांगजनों से संबंधित कुछ व्यक्तियों, परिवारों और समुदाय के पास अभी भी अपने घरों में शौचालय मौजूद नहीं हैं या मौजूदा शौचालय उपयोग-योग्य नहीं हैं।
    - मानव अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोणों से इस वंचित आबादी का समर्थन करना

नोट :

महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ये हाशिए पर स्थित वर्ग पहले से ही बुनियादी सेवाओं तक पहुँच से वंचित हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करते हैं।

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के साथ एकीकरण:**
  - शैक्षणिक संस्थानों, बाल देखभाल केंद्रों, अस्पतालों एवं अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों को स्वच्छता अभ्यासों में और प्रगति की आवश्यकता है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और सरकारी विभागों में स्वच्छता कवरेज के अलग-अलग आँकड़े को दीर्घावधिक एवं व्यवहार्य विकल्प बनाने के लिये नवाचार की आवश्यकता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा।
- **उपयुक्त व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना:**
  - **सतत् विकास लक्ष्य 6 (SDG 6)**, यानी वर्ष 2030 तक "सभी के लिये जल एवं स्वच्छता तक पहुँच सुनिश्चित करना" की प्राप्ति के लिये कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। विविधता, संस्कृति और आबादी में भारत जैसे वृहत देश के लिये, जहाँ कुल आबादी की 60% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, केवल शौचालय तक पहुँच से ही स्वच्छ एवं सुरक्षित स्वच्छता अभ्यासों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 1986 में शुरू किये गए भारत के पहले स्वच्छता कार्यक्रम 'केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम' से सबक प्राप्त हुआ कि केवल शौचालय निर्माण से शौचालय का उपयोग शुरू नहीं हो जाता।
    - यह कार्यक्रम घरेलू शौचालयों के निर्माण और पोर-फ्लश शौचालयों को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। हालाँकि इस कार्यक्रम में शौचालय के उपयोग के प्रति व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, जिसके कारण यह विफल हो गया। इसलिये, व्यवहारिक रूप से सुदृढ़ अभ्यासों को बढ़ावा देना एक तत्काल आवश्यकता है।
- **समग्र पथ का अनुसरण:**
  - SBM को राजनीतिक समर्थन का लाभ उठाकर, ई-बैंकिंग के माध्यम से घरों को सीधे सब्सिडी का भुगतान कर, तकनीकी मंच के माध्यम से निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ कर और कार्यक्रम की सफलता को प्रचारित कर इन मुद्दों को हल करना सीखना होगा।
    - इसे **महात्मा गांधी** के 150 वें जन्मदिन (2 अक्टूबर, 2019) तक ODF के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियानों के माध्यम से और सभी घरों में व्यक्तिगत शौचालय सुविधाएँ प्रदान करने के रूप में उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना था।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर अवसंरचना में सुधार:**
  - स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन के संबंध में उचित सीवेज तंत्र की अनुपस्थिति एक गंभीर चुनौती सिद्ध हुई। जबकि एक बड़ी आबादी शौच के लिये बाहर जाती थी, क्षेत्रों में उत्पन्न सीवेज के उपचार के लिये कार्यशील सीवेज प्रणाली का अभाव था।
    - ऐसे में शौचालय बनाने से पहले सरकार को इस समस्या का समाधान भी करना होगा। गाँवों और ग्रामीण क्षेत्रों को भी सरकार के अमृत कार्यक्रम में एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- **सुदृढ़ अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली:**
  - शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने और लैंडफिल के भर जाने से, शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन को फिर से शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि अपशिष्ट को पूरी तरह से संसाधित किया जाए और इसे लैंडफिल में न डाला जाए।
    - मंत्रालय को उन सभी राज्यों में अपशिष्ट प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिये कदम उठाना चाहिये जो पिछड़े हुए हैं और देश में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्राप्ति के लिये स्रोत पर पृथक्करण, प्राथमिक संग्रह, द्वितीयक भंडारण, परिवहन, द्वितीयक पृथक्करण, संसाधन पुनर्प्राप्ति, प्रसंस्करण, उपचार और ठोस अपशिष्ट के अंतिम निपटान पर बल देना चाहिये।
- **शहरी स्थानीय निकायों को पूरकता प्रदान करना:**
  - शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने की रणनीतियों को गहन किया जाना चाहिये और इन योजनाओं के ज़मीनी कार्यान्वयन में सुधार के प्रयास किये जाने चाहिये। भारत में शहरी स्थानीय निकायों (जो अवसंरचना और क्षमता की गंभीर कमी रखते हैं) को शहरी क्षेत्रों के प्रबंधन में नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिये समर्थन प्रदान किया जाना चाहिये और उन्हें बेहतर संसाधनों एवं साधनों से सुसज्जित किया जाना चाहिये।

नोट :

- **कर बोझ को संबोधित करना:**
  - जबकि सरकार का ध्यान यह सुनिश्चित करने पर होना चाहिये कि देश में अधिकतम अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जाए, पुनर्चक्रण एवं खाद उद्योग पर **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** व्यवस्था के तहत बढ़ा हुआ कर बोझ इस वृहत मिशन के साथ संरेखित नहीं है।
    - पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं के लिये बढ़ा हुआ कर स्लैब पुनर्चक्रण क्षेत्र को पंगु बना रहा है। कंपोस्टिंग मशीनों पर पहले के 8% के मुकाबले अब 12% टैक्स लग रहा है। एक ओर जहाँ सरकार शहरी कंपोस्ट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, वहीं 5% GST लगाने से इसके उत्पादन एवं प्रचार-प्रसार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिये, दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये GST दर को युक्तियुक्त बनाया जाना चाहिये।
- **प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण और एकीकरण:**
  - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित मोबाइल ऐप, MIS, डैशबोर्ड APIs सहित विभिन्न ई-गवर्नेंस समाधानों को शामिल करने की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में ODF+ की प्रगति को ट्रैक करना है।
  - SBM-G का ई-गवर्नेंस समाधान एक सुदृढ़, इंटरऑपरेबल, स्केलेबल, सुरक्षित एवं भूमिका-आधारित प्रणाली हो जो उपयोगकर्ता को मोबाइल ऐप का उपयोग कर भौगोलिक निर्देशांक के साथ ठोस एवं तरल की सभी संपत्तियों को दर्ज करने में सक्षम बनाए।

निष्कर्ष

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ने SBM के तहत देश भर में शौचालय की पहुँच बढ़ाकर SDG 6 की प्राप्ति की दिशा में तेज़ी से प्रगति की है। लेकिन इसके साथ ही भारत को पर्यावरण सुरक्षा और मल-मुख रोग के संचरण के ढाँचे के भीतर अपनी सफलता की संवीक्षा भी करनी चाहिये जो विशेष रूप से बच्चों को कुपोषण या समय-पूर्व मृत्यु से मुक्त बचपन बिताने में मदद कर सकती है। ऐसा करने से और SBM की चिह्नित जटिलताओं का समाधान करने से सभी के लिये सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने और SDG लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने के रूप में भारत और अन्य देशों को स्वच्छता के एजेंडों की पूर्ति करने की राह मिलेगी।

पश्चिम एशिया: अत्यधिक सैन्यीकृत क्षेत्र

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है। यह वह क्षेत्र है जो सैन्यीकरण पर अत्यधिक निर्भर है और **वैश्विक हथियारों के आयात में 30% हिस्सेदारी** रखता है। वैश्विक ऊर्जा उपभोग के लिये निष्कर्षण संसाधनों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता होने के बावजूद, पश्चिम एशिया विभिन्न संघर्षों के कारण बढ़ती अस्थिरता का सामना कर रहा है।

इज़राइल-गाज़ा संघर्ष, ईरान एवं इज़राइल के बीच शत्रुता और लेबनान एवं यमन के ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा जारी हमले तनाव बढ़ा रहे हैं।

'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' के अनुसार, पश्चिम एशिया वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक है और विश्व के शीर्ष 10 हथियार आयातकों में से चार यहीं स्थित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता है। इस सैन्यीकरण ने पश्चिम एशिया को संभावित 'बारूद के ढेर' पर बिठा रखा है।

पश्चिम एशिया में हाल की अशांति के पीछे के कारण:

- इज़राइल ने गाज़ा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जबकि **ईरान समर्थित लेबनानी शिया समूह हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते** हुए शीबा फार्म्स (Shebaa Farms) में इज़राइली सैन्य बलों पर रॉकेट दागे। शीबा फार्म्स एक इज़राइल-नियंत्रित क्षेत्र है, जिस पर लेबनान अपना दावा करता है।
- **इज़रायल की अंधाधुंध बमबारी** से असंतुष्ट अरब देशों ने यहूदी राज्य पर दबाव बनाने के लिये कूटनीति के रास्ते आजमाए।
  - ईरान समर्थित मिलिशिया ने भी इज़राइल के खिलाफ नए मोर्चे खोल दिए।
- यमन की शिया मिलिशिया हूती (Houthis) ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए नवंबर माह के मध्य में लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया।
  - उन्होंने कई **शिपिंग दिग्गजों को लाल सागर में अपना परिचालन निलंबित करने के लिये विवश किया।** लाल सागर स्वेज नहर और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के माध्यम से भूमध्य सागर को अरब सागर (और हिंद महासागर) से जोड़ता है।

नोट :

- इज़राइल ने **सीरिया और लेबनान के अंदर कई हमले किये हैं**, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के सैन्य कमांडर मारे गए हैं।
- ईरान ने 16 जनवरी को **इराक़ के कुर्दिस्तान, सीरिया और पाकिस्तान में हमले किये, जिसमें मोसाद ऑपरेशनल सेंटर और सुन्नी इस्लामी आतंकवादियों को निशाना बनाने का दावा किया** गया।
- सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में **पश्चिम एशिया का सैन्य परिव्यय उच्च बना हुआ है,** जहाँ सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, ओमान, कुवैत और इज़राइल जैसे देश लगातार **अपने सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्त्वपूर्ण भाग रक्षा क्षेत्र** को आवंटित कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में सैन्य क्षेत्र में नियोजित श्रम शक्ति का अनुपात सबसे अधिक है।

Table 1: United States has been the main supplier of arms to the West Asian countries. Numbers in %

Recipient	Top supplier	Second	Third
Qatar	U.S. (49)	U.K. (26)	Italy (21)
S. Arabia	U.S. (72)	Spain (15)	France (6.5)
Turkey	Spain (51)	Germany (31)	U.S. (11)
UAE	U.S. (55)	France (27)	Turkey (12)
Israel	U.S. (53)	Germany (47)	Italy (0.6)
Kuwait	Italy (94)	U.S. (6.0)	-
Bahrain	U.S. (100)	-	-
Iran	Russia (100)	-	-

While most of these countries are sourcing their military supplies from the U.S. and Europe, Iran is entirely dependent on Russia

Chart 2: The chart shows the region-wise military expenditure as a share of their GDP. West Asia and North Africa have been consistently leading all regions for over three decades

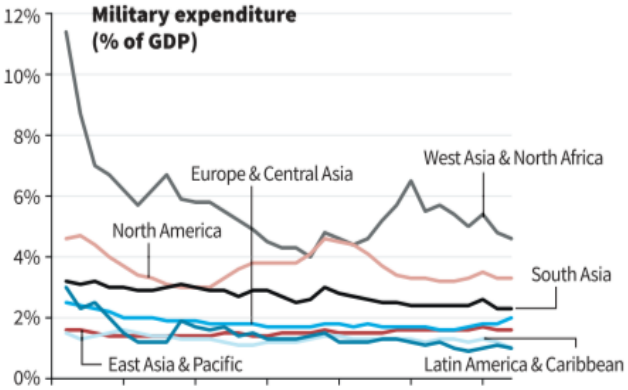

Chart 3: The chart shows the military expenditure as a share of a country's GDP in the West Asian region. Saudi Arabia, Qatar and Oman lead in this measure in the region

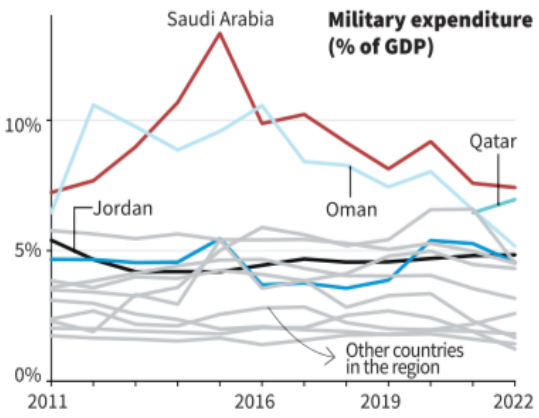

Chart 4: The chart shows the share of the labour force employed in the armed forces. The West Asian and North African region leads in this measure

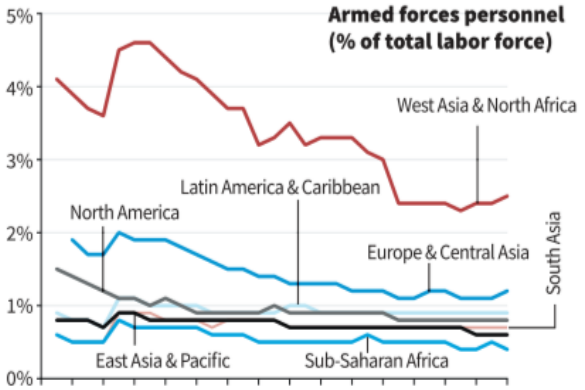

पश्चिम एशियाई संघर्ष के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **ऑटोमन साम्राज्य का प्रभाव:** पश्चिमी एशिया वृहत रूप से 14वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में रहा था।
  - इस साम्राज्य ने एक सफल प्रशासनिक प्रणाली के माध्यम से विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों वाली विविध आबादी पर शासन किया।

नोट :

- **प्रथम विश्व युद्ध के बाद की प्रगति:** प्रथम विश्व युद्ध और ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद, इस भूभाग में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विजयी मित्र राष्ट्रों (मुख्य रूप से ब्रिटेन और फ्राँस) ने स्थानीय अरब आबादी की इच्छाओं की प्राय: उपेक्षा करते हुए पूर्व ऑटोमन क्षेत्रों को आपस में बाँट लिया।
  - इससे, विशेष रूप से युद्ध के दौरान अरब समर्थन के बदले में किये गए वादों को तोड़ने के कारण, विश्वासघात और आक्रोश की भावनाएँ पैदा हुईं।
- **साइक्स-पिकॉट समझौता (Sykes-Picot Agreement):** यह वर्ष 1916 में **यूनाइटेड किंगडम और फ्राँस के बीच संपन्न एक अनौपचारिक संधि** थी, जिसमें रूसी साम्राज्य और इटली की सहमति भी शामिल थी, ताकि ऑटोमन साम्राज्य के अंतिम विभाजन में प्रभाव एवं नियंत्रण के उनके पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्रों को परिभाषित किया जा सके।
  - इस समझौते ने प्रभावी रूप से अरब प्रायद्वीप के बाहर के ऑटोमन प्रांतों को ब्रिटिश और फ्राँसीसी नियंत्रण एवं प्रभाव के क्षेत्रों में विभाजित कर दिया।
- **बाल्फोर घोषणा (Balfour Declaration):** यह वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान **ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी एक सार्वजनिक वक्तव्य था, जिसमें फिलिस्तीन में 'यहूदी लोगों के लिये राष्ट्रीय गृहक्षेत्र' (national home for the Jewish people)** की स्थापना के लिये समर्थन की घोषणा की गई थी। फिलिस्तीन उस समय एक ऑटोमन क्षेत्र था जहाँ एक छोटी अल्पसंख्यक यहूदी आबादी पाई जाती थी। इस घोषणा के कई दीर्घकालिक परिणाम सामने आए।
- **इज़राइल का निर्माण:**
  - वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में 'यहूदी लोगों के लिये राष्ट्रीय गृहक्षेत्र' की स्थापना के लिये समर्थन व्यक्त करते हुए **बाल्फोर घोषणा** जारी की।
  - **द्वितीय विश्व युद्ध** के बाद, वर्ष 1947 में **संयुक्त राष्ट्र (UN)** ने एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा जहाँ फिलिस्तीन को अलग-अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित किया जाना था और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय नगर की स्थिति प्रदान की जानी थी।
  - वर्ष 1948 में **इज़राइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा** कर दी, जिससे पड़ोसी अरब राज्यों के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया ।
- **अरब-इज़राइल युद्ध (1948):**
  - वर्ष 1948 में इज़राइल की स्वतंत्रता की यहूदी घोषणा ने आसपास के अरब राज्यों को उस पर हमले के लिये प्रेरित किया।
  - युद्ध के अंत में इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना की मूल कल्पना से **लगभग 50% अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था।**
- **वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति:**
  - **वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति** में शाह को उखाड़ फेंकने के बाद ईरान में एक धार्मिक राज्य की स्थापना हुई। इसके साथ ही **इज़राइल के प्रति ईरान का दृष्टिकोण बदल** गया और उसे फिलिस्तीनी भूमि पर कब्ज़ा करने वाले या 'ओक्यूपायर' (occupier) के रूप में देखा जाने लगा।
  - ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी (Ayatollah Khomeini) ने इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले पक्षों के रूप में चिह्नित करते हुए इन्हें क्रमश: 'छोटा शैतान' और 'बड़ा शैतान' पुकारा।
- **वर्ष 1979 के बाद एक 'छाया युद्ध' (Shadow War):**
  - इसके परिणामस्वरूप देशों के संबंध और बिगड़ गए। उल्लेखनीय है कि इज़राइल और ईरान कभी भी प्रत्यक्ष सैन्य टकराव में संलग्न नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों ने छद्म आभिकर्ताओं (proxies) और सीमित रणनीतिक हमलों के माध्यम से एक दूसरे को क्षति पहुँचाने का प्रयास किया है।
  - वर्ष 2010 के दशक की शुरुआत में इज़राइल ने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिये उसके कई प्रतिष्ठानों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया।
  - माना जाता है कि वर्ष 2010 में अमेरिका और इज़राइल द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर वायरस **'स्टक्सनेट' (Stuxnet)** विकसित किया था। इसका उद्देश्य ईरान के नैटान्ज़ (Natanz) परमाणु स्थल पर अवस्थित यूरेनियम संवर्द्धन प्रतिष्ठान पर हमला करना था। इसे किसी **औद्योगिक मशीनरी पर पहले सार्वजनिक रूप से ज्ञात साइबर हमले के रूप में देखा गया।**

नोट :

- दूसरी ओर, ईरान को इस क्षेत्र में कई आतंकवादी समूहों—जैसे लेबनान में **हिजबुल्लाह और गाज़ा पट्टी में हमास,** के वित्तपोषण और समर्थन के लिये ज़िम्मेदार माना जाता है जो इज़राइल और अमेरिका विरोधी समूह हैं।

- **हाल के घटनाक्रम:**
  - **इज़राइल पर ईरान का पूर्ण पैमाने का सैन्य हमला तथा** गाज़ा में इज़राइल की निरंतर कार्रवाई ने इस क्षेत्र की अस्थिरता को और बढ़ाया है।
  - **यमन के गृहयुद्ध, लेबनान के राजनीतिक संकट, सीरिया के गृहयुद्ध और तुर्की-साइप्रस संघर्ष सहित विभिन्न संघर्षों की निरंतरता** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को बढ़ा रही है।

प्रमुख हितधारक कौन हैं और उनके भिन्न उद्देश्य क्या हैं?

- **इज़राइल:** उसके उद्देश्यों में हमास का अंत करना, बंधकों को रिहा कराना और अपनी सुरक्षा के लिये खतरों को बेअसर करना शामिल हैं।
  - गाज़ा में इसकी सैन्य कार्रवाई और अन्य क्षेत्रों में हमले इसी उद्देश्य को परिलक्षित करते हैं।
- **हमास:** गाज़ा एवं वेस्ट बैंक में इज़राइल की नीतियों और कार्यों को चुनौती देने की इच्छा रखता है।
  - एक **फिलिस्तीनी इस्लामी राजनीतिक संगठन और आतंकी समूह के रूप** में यह इज़राइल के साथ लंबे समय से संघर्ष में शामिल रहा है।
- **ईरान: यह पश्चिम एशिया में विभिन्न इज़राइल विरोधी गैर-राज्य अभिकर्ताओं** (जैसे हमास, इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह, हूती या इराक एवं सीरिया के शिया मिलिशिया) का समर्थन करता है।
  - ईरान का लक्ष्य भूभाग में अपना प्रभाव बढ़ाना है, जहाँ वह प्राय: अमेरिकी और इज़राइली हितों का विरोध करता है।
- **हिजबुल्लाह और अन्य मिलिशिया:** प्राय: ईरान द्वारा समर्थित ये समूह मुख्य रूप से इज़राइल के विरोध में और फिलिस्तीनी हितों के समर्थन में संघर्ष में शामिल रहे हैं।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** वह इज़राइल का समर्थन करता है तथा क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और अपने हितों की रक्षा करने की इच्छा रखता है।
  - इस भूभाग में व्यापक सैन्य उपस्थिति और कूटनीतिक पकड़ रखने वाले अमेरिका के तीन उद्देश्य हैं-
    - इज़राइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना
    - क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा
    - क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व वाली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना
- **अन्य क्षेत्रीय अभिकर्ता:** पाकिस्तान जैसे देशों के इस संघर्ष में अपने रणनीतिक हित हैं, जो प्राय: धार्मिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरण से प्रभावित होते हैं।

Country	Ally/backing	Against
Israel	U.S.A	Iran, Hamas, Houthi, Hezbollah
Iran (Shia majority)	Houthi, Hamas, Hezbollah, Iran Revolutionary Guard, pro-Iran Shiia militants in Syria and Iraq	Israel, U.S.A, Islamic State (pro-Sunni), Jaish Al-Adl (pro-Sunni)

नोट :

पश्चिम एशिया में संघर्षों का भू-राजनीतिक प्रभाव:

- **मानवीय संकट:** निरंतर सैन्य कार्रवाइयों से, विशेष रूप से गाज़ा में, भारी संख्या में लोगों के हताहत होने और मानवीय स्थितियों के बिगड़ने का खतरा है।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** दीर्घावधिक संघर्ष पहले से ही अस्थिर पश्चिम एशियाई क्षेत्र को और अस्थिर कर सकते हैं जिससे पड़ोसी देश प्रभावित हो सकते हैं। गाज़ा में इज़राइल की कार्रवाइयों के कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, जिससे हिजबुल्लाह और हूती के हमले भी लगातार जारी हैं।
- **वैश्विक आर्थिक प्रभाव:** प्रमुख शिपिंग मार्गों (जैसे लाल सागर) और तेल आपूर्ति में व्यवधान के वैश्विक आर्थिक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
- **चरमपंथ का प्रसार:** जारी संघर्ष कट्टरपंथ को बढ़ावा दे सकते हैं तथा चरमपंथी समूहों के उदय का कारण बन सकते हैं, जिससे क्षेत्र और अस्थिर हो सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय संबंध:** यह संघर्ष वैश्विक शक्तियों और क्षेत्रीय राज्यों के बीच राजनयिक संबंधों को तनावपूर्ण बना रहा है, जिससे शांति एवं स्थिरता के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जटिल सिद्ध हो सकते हैं।
- **सुरक्षा विफलता:** पश्चिम एशिया में पिछले संघर्षों (जहाँ प्राय: राष्ट्र-राज्य या राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता शामिल थे) के विपरीत वर्तमान संकट व्यापक सुरक्षा विफलता से चिह्नित हो रहा है।

भारत पर इसके संभावित प्रभाव

- **ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव:** पश्चिम एशिया से आयातित तेल पर भारत की निर्भरता, मूल्य अस्थिरता और आपूर्ति व्यवधानों के प्रति उसे संवेदनशील बनाती है।
  - पश्चिम एशिया में ऊर्जा संसाधनों के लिये बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के कारण कीमतें बढ़ सकती हैं तथा आपूर्ति के लिये प्रतिस्पर्द्धा बढ़ सकती है, जिससे भारत के लिये आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाएगा।
  - भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है। भारत का 40% से अधिक तेल पश्चिम एशिया से आता है।
- **भारतीय प्रवासी:** पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या मौजूद है जिनके आय अर्जन पर पर इस उथल-पुथल का गंभीर असर पड़ सकता है।
  - **धन-प्रेषण (Remittances):** पश्चिमी एशिया के अनिवासी भारतीय प्रति वर्ष लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर घर भेजते हैं जो देश के कुल धन-प्रेषण प्रवाह में 55% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है।
    - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारत को प्राप्त कुल प्रेषण का 82% संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान जैसे पश्चिम एशियाई देशों तथा यहाँ व्यापक रूप से संलग्न एवं सक्रिय संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम से प्राप्त होता है।
- **व्यापार और निवेश:** यूएन कॉमट्रेड डेटाबेस के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 के बीच भारत के संचयी दो-तरफ़ा माल व्यापार में ईरान और GCC सदस्य देशों की हिस्सेदारी 15.3% थी।

पश्चिम एशिया के प्रति भारत का दृष्टिकोण

- **मध्य-पूर्व क्वाड (I2U2) पहल:** I2U2 (India, Israel, the U.S. and the UAE) के पीछे का विचार यह है कि आर्थिक, प्रौद्योगिकीय एवं राजनयिक सहयोग के लिये दक्षिण एशिया, मध्य-पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका को परस्पर संबद्ध किया जाए।
- **'मेडिकल डिप्लोमेसी':** 'वैक्सीन मैत्री' भारत सरकार द्वारा पश्चिम एशियाई देशों को COVID-19 टीके उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई एक मानवीय पहल थी।
  - विशेष रूप से सऊदी अरब और बहरीन इस पहल के लाभार्थी बने।
- **डाउनस्ट्रीम परियोजनाएँ:** भारत ने पश्चिम एशिया के देशों को भारत के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में निवेश करने के लिये आमंत्रित किया है।
  - अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड (ISPRL) के बीच जनवरी 2017 में तेल भंडारण एवं प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
  - यह रेखांकित करता है कि मैंगलोर कैवर्न के लिये संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल की आपूर्ति ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम सिद्ध होगी।
- **ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारी:** अबू धाबी ने लोअर ज़कुम (Lower Zakum) में भारत के ONGC के नेतृत्व वाले संघ को एक बड़ी तेल रियायत प्रदान की है।
  - विभिन्न उच्च-स्तरीय वादों और समझौतों पर नज़र रखने के लिये एक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है।

नोट :

- **टेक कूटनीति:** भारत पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने के लिये प्रौद्योगिकीय मार्ग अपना रहा है।
  - उदाहरण के लिये, डिजिटल भुगतान प्रणाली में भारत की एक प्रमुख पहल RuPay कार्ड को अबू धाबी में लॉन्च किया गया है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** भारत ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारतीय समुदाय को एक विशेष उपहार के रूप में दुबई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। योग, बॉलीवुड और संगीत भारत के सॉफ्ट पावर के अन्य कुछ आयाम हैं।

संघर्ष को संबोधित करने के लिये कौन-से दृष्टिकोण प्रस्तावित किये गए हैं?

- **वार्ता और 'टू स्टेट सॉल्यूशन':** विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं ने वार्ता के माध्यम से प्राप्त **टू स्टेट सॉल्यूशन** की वकालत की है, जहाँ **इज़राइल और फिलिस्तीन** दो स्वतंत्र राज्यों के रूप में सह-अस्तित्व में रहेंगे।
  - समझौता वार्ता स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करने, यरूशलेम की स्थिति जैसे मुद्दों का समाधान करने और दोनों पक्षों के लिये सुरक्षा गारंटी प्रदान करने पर लक्षित होगी।
  - **ओस्लो समझौता (Oslo Accords):** इज़राइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (PLO) के बीच पूर्व की वार्ताएँ टू स्टेट सॉल्यूशन की प्राप्ति पर लक्षित रही थीं।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित विभिन्न शांति योजनाएँ।

- **युद्धविराम और मानवीय सहायता:** तत्काल युद्धविराम समझौते और संघर्ष से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता से पीड़ा को कम करने और राजनयिक समाधान के लिये माहौल बनाने में मदद मिल सकती है।
  - तीव्र संघर्ष की अवधि के दौरान शत्रुता को रोकने के लिये मिस्र, कतर और अन्य क्षेत्रीय अभिकर्ताओं की मध्यस्थता से अस्थायी युद्धविराम लागू किया गया था।
  - अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन गाज़ा और वेस्ट बैंक में प्रभावित आबादी को सहायता एवं समर्थन प्रदान करते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता:** समझौता वार्ता और शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिये तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों या संगठनों (जैसे संयुक्त राष्ट्र) की भागीदारी।
- **मुख्य मुद्दों को संबोधित करना:** संघर्ष के मूल कारणों—जैसे भूमि विवाद, संसाधनों तक पहुँच और शरणार्थियों के अधिकारों को संबोधित करना दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान दे सकता है।

नोट :

- **लोगों के परस्पर संपर्क संबंधी पहल:** विश्वास और समझ के निर्माण के लिये ज़मीनी स्तर पर इज़राइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच संवाद एवं सहयोग को प्रोत्साहित करना।
  - 'सीड्स ऑफ पीस' (Seeds of Peace) और 'वनवॉइस' (OneVoice) जैसे संगठन इज़राइल और फिलिस्तीन के युवाओं के बीच संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।
  - व्यापार, शिक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में इज़राइल-फिलिस्तीन संयुक्त उद्यम की स्थापना करना जो सहयोग को बढ़ावा देंगे।
- **मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून:** यह सुनिश्चित करना कि दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार मानकों का सम्मान करें तथा उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह ठहराएँ।
  - अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) द्वारा क्षेत्र में कथित युद्ध अपराधों और मानवाधिकार हनन की जाँच की जा रही है।
  - संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में अवैध बस्तियों की निंदा की गई तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आह्वान किया गया।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** एक अधिक स्थिर वातावरण के निर्माण के लिये शांति प्रयासों में क्षेत्रीय हितधारकों और पड़ोसी देशों को शामिल किया जाना चाहिये।
  - अरब शांति पहल (Arab Peace Initiative), जो फिलिस्तीनियों के साथ एक व्यापक शांति समझौते के बदले में इज़राइल और अरब राज्यों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की पेशकश करती है।
  - मध्य-पूर्व में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनों और पहलों का आयोजन करना।
- **आर्थिक विकास:** इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और अवसर पैदा करने के लिये क्षेत्र में आर्थिक विकास का समर्थन करना।
  - फिलिस्तीन इंवेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी (PIPA) और अन्य संगठन वेस्ट बैंक एवं गाज़ा में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये कार्य कर रहे हैं।
  - आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिये धन जुटाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दाता सम्मेलनों का आयोजन।
- **सुरक्षा उपाय:** इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करना, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सेनाओं की तैनाती शामिल हो सकती है।
  - संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ट्रूस सुपरविज़न ऑर्गेनाइज़ेशन (UNTSO), युद्धविराम की निगरानी के लिये क्षेत्र में तैनात किये गए हैं।
  - हिंसा को कम करने के लिये सीमा सुरक्षा व्यवस्था और विश्वास-निर्माण के उपाय।
- **शैक्षिक पहल:** समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिये दोनों पक्षों के इतिहास एवं संस्कृति के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना।
  - ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम जो समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि इज़राइल में हैंड इन हैंड बाई-लिंगुअल स्कूल।
  - सांस्कृतिक आदान-प्रदान पहल और संयुक्त कला-संबंधी परियोजनाएँ।

निष्कर्ष

इस बात की संभावना नहीं दिखती कि सीरिया, यमन और मध्य-पूर्व के अन्य हिस्सों में जारी संघर्ष आसानी से समाप्त हो जाएँगे। सभी पक्षों को वार्ता की मेज पर लाने के लिये श्रमशील राजनीतिक कुशलता की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया शांति योजना जैसी पहले भी अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में स्व-हितकारी ही हैं, क्योंकि वे दूसरे पक्ष की पूरी तरह से उपेक्षा कर केवल एक पक्ष को लाभ पहुँचाती हैं।

बिना किसी विपक्ष के चुनाव जीतना

गुजरात के सूरत **लोकसभा** निर्वाचन क्षेत्र से सत्तारूढ़ दल (भाजपा) के उम्मीदवार या अभ्यर्थी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। यह निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति तब बनती है जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में अन्य सभी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लें या अयोग्य घोषित कर दिए जाएँ, जिससे मैदान में केवल एक उम्मीदवार रह जाए। जब ऐसा परिदृश्य उत्पन्न होता है तब औपचारिक रूप से निर्वाचन कराने की आवश्यकता के बिना ही उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। यहाँ एक विजेता तो होता है लेकिन कोई 'पराजित' पक्ष नहीं होता। यहाँ केवल वे ही होते हैं जिन्हें नियमों के तहत मैदान से बाहर कर दिया गया और जिन्होंने 'स्वेच्छया' अपना नाम वापस लेने का निर्णय लिया।

निर्वाचन संबंधी कानूनों और व्यवहार के मौजूदा प्रावधानों में निर्विरोध निर्वाचित होना पूर्णत: वैध है। कोई व्यक्ति लोगों द्वारा उसे निर्वाचित किये जाने के बिना ही सबसे बेहतर प्रतिनिधि के रूप में उभरता है, क्योंकि मतपत्र पर वही एकमात्र विकल्प होता है। यह अपेक्षित प्रयास के बिना ही कुछ हासिल कर लेने जैसा है। अब तक कम से कम 35 उम्मीदवार ऐसे रहे हैं जो लोकसभा के लिये निर्विरोध निर्वाचित हुए। इनमें से अधिकांश मामले स्वतंत्रता के बाद आरंभिक दो दशकों में सामने आए, जबकि निर्विरोध निर्वाचित होने का पिछला मामला वर्ष 2012 में सामने आया था।

निर्वाचनों के **संचालन नियम 1961** के नियम 11 में कहा गया है कि: "(1) **रिटर्निंग ऑफिसर (RO)** निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की तैयारी के पश्चात् तुरंत उस सूची की एक

नोट :

प्रति अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा और जहाँ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर या उससे कम हो, वहाँ वह सूची लगवाने के ठीक पश्चात धारा 53 की, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निर्वाचन का परिणाम, प्ररूप 21 से 21B तक में से किसी ऐसे एक प्ररूप में, जो समुचित हो, घोषित करेगा..."

नोट:

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 (Conduct of Election Rules 1961):

- **आशयित निर्वाचन की लोक सूचना:** आशयित निर्वाचन की लोक सूचना, जो धारा 31 में निर्दिष्ट है, प्ररूप 1 में होगी और निर्वाचन आयोग के किन्हीं निदेशों अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी जैसी रिटर्निंग ऑफिसर ठीक समझता हो।
- **नामांकन पत्र या नामनिर्देशन पत्र:** हर नामनिर्देशन पत्र, जो धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन उपस्थित किया गया है, 2A से 2E तक के प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में पूरा किया जाएगा, जैसा समुचित हो:
  - परंतु प्ररूप 2A या प्ररूप 2B में नामनिर्देशन-पत्र में प्रतीकों के बारे में घोषणा को पूरी करने में असफलता या पूरी करने की त्रुटि की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह धारा 36 की उपधारा (4) के अर्थ के भीतर सारवान स्वरूप की त्रुटि है।
- **नामांकन पत्र देते समय फाइल किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप:** यथास्थिति, अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावकर्ता, जैसा भी मामला हो, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र सौंपते समय उसे, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या किसी नोटरी के समक्ष प्ररूप 26 में अभ्यर्थी द्वारा ली गई शपथ का एक शपथ पत्र भी देगा।
- **संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचनों के लिये प्रतीक:** **निर्वाचन आयोग** भारत के राजपत्र में और प्रत्येक राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन प्रतीकों का, जिन्हें **संसदीय** या सभा **निर्वाचन क्षेत्रों** में निर्वाचनों में के अभ्यर्थी चुन सकेंगे और उन निर्बंधनों का, जिनके अध्यधीन उनका चुनाव होगा, विनिर्देश करेगा।

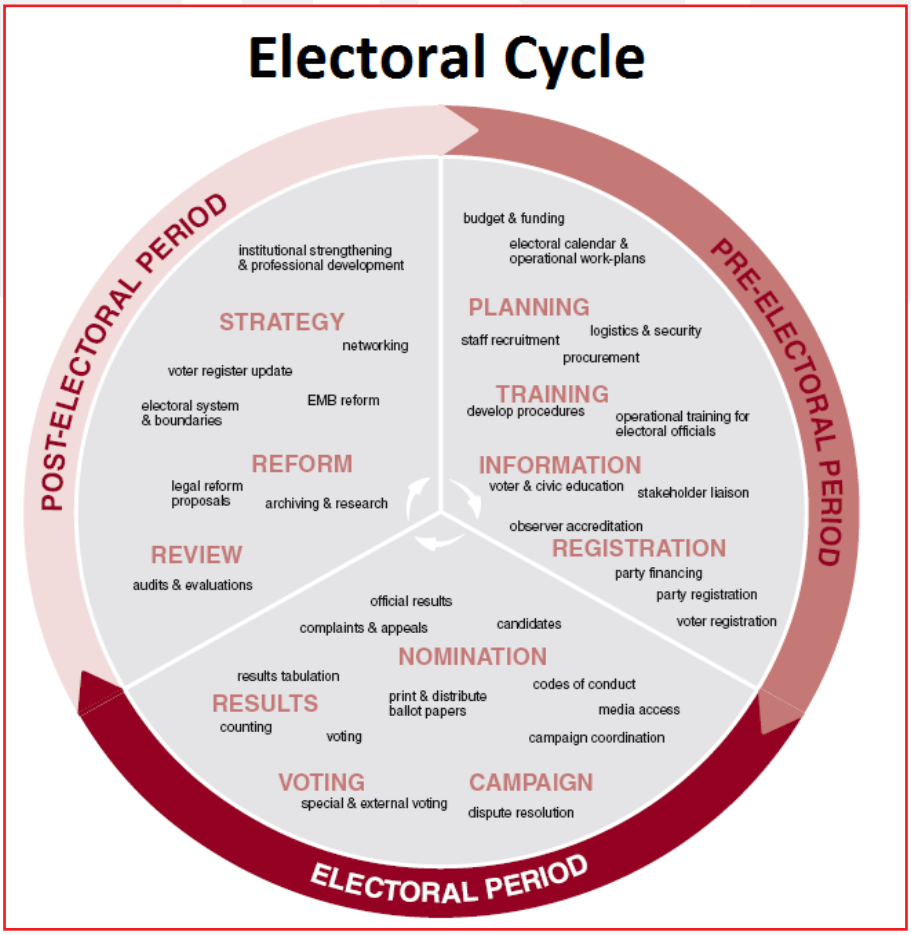

नोट :

वर्तमान मुद्दा:

- **विरोधी दल के उम्मीदवार के नामांकन का विरोध:**
  - इस मामले में, सूरत निर्वाचन क्षेत्र के विपक्षी दल के उम्मीदवार ने नामांकन पत्रों के तीन सेट फाइल किये थे। इन तीनों नामांकन पत्रों के प्रस्तावकों में उसका बहनोई, भतीजा और कारोबारी साझेदार शामिल थे। सत्तारूढ़ दल के एक कार्यकर्ता ने विपक्षी उम्मीदवार के नामांकन पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि उसके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर जाली थे।
- **नामांकन पत्रों की अस्वीकृति:**
  - RO को उन प्रस्तावकों से भी हलफनामे प्राप्त हुए, जहाँ दावा किया गया कि उन्होंने उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। जताई गई आपत्तियों पर उम्मीदवार से एक दिन के भीतर जवाब/स्पष्टीकरण की मांग की गई। चूँकि निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रस्तावकों को संवीक्षा के लिये RO के समक्ष पेश नहीं किया जा सका, इसलिये उसके नामांकन पत्रों के तीनों सेट खारिज कर दिए गए।

नोट:

रिटर्निंग ऑफिसर:

- रिटर्निंग ऑफिसर (ROs) किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष में निर्वाचन के संचालन की निगरानी के लिये ज़िम्मेदार होते हैं। वे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और चुनावी प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- उनके कर्तव्यों में उम्मीदवारों से नामांकन स्वीकार करना, नामांकन पत्रों की जाँच करना, उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित करना, मतदान प्रक्रिया का संचालन करना और मतों की गिनती कराना शामिल है। ROs यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्वाचन उचित एवं निष्पक्ष तरीके से और विधि के अनुरूप आयोजित किये जाएँ।
- **अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भी खारिज:**
  - निर्वाचन नियम किसी राजनीतिक दल द्वारा स्थानापन्न उम्मीदवार (substitute candidate) खड़ा करने की अनुमति देते हैं। यदि मूल उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो जाता है तो इस स्थानापन्न उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जा सकता है। इस मामले में विपक्षी दल ने अपना स्थानापन्न उम्मीदवार खड़ा किया था।
    - हालाँकि, इस स्थानापन्न उम्मीदवार का नामांकन पत्र भी इस कारण से खारिज कर दिया गया कि प्रस्तावक के हस्ताक्षर असली नहीं थे। शेष अन्य उम्मीदवारों के नामांकन या तो खारिज कर दिए गए या वे वापस ले लिये गए, जिससे सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार को विजेता घोषित करने का रास्ता साफ हो गया।

भारत में नामांकन संबंधी कानून

- **RPA 1951 की धारा 33:**
  - **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act) की धारा 33** में विधिमान्य नामनिर्देशन या नामांकन की शर्तें शामिल हैं। अधिनियम के अनुसार 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई निर्वाचक भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है।
- **मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रस्तावक:**
  - हालाँकि, उम्मीदवार के प्रस्तावक/प्रस्तावकों को उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिये जहाँ नामांकन दाखिल किया जा रहा है। किसी मान्यता प्राप्त दल (राष्ट्रीय या राज्य) के मामले में उम्मीदवार के पास एक प्रस्तावक का होना आवश्यक है।
- **गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रस्तावक :**
  - गैर-मान्यता प्राप्त दलों द्वारा खड़े किये गए उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिये दस प्रस्तावकों का होना आवश्यक है। एक उम्मीदवार अलग-अलग प्रस्तावकों के समर्थन के साथ अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। इसका उद्देश्य किसी उम्मीदवार के नामांकन की स्वीकृति को अधिकतम संभव बनाना है, जहाँ चार में से कोई एक भी व्यवस्थित होने के लिये स्वीकृत हो जाए।
- **नामांकन पत्रों की संवीक्षा:**
  - RPA की धारा 36 रिटर्निंग ऑफिसर (RO) द्वारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा के संबंध में कानून निर्दिष्ट करती है। इसमें यह प्रावधान है कि RO किसी ऐसी त्रुटि के लिये किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा जो सारवान प्रकृति की नहीं है।
    - हालाँकि, यह निर्दिष्ट करता है कि उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर का असली नहीं होना अस्वीकृति का आधार है।

नोट :

उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन से संबद्ध विभिन्न मुद्दे

- **'नोटा' (NOTA) मतदाताओं के लिये चिंताएँ:**
  - सवाल उठाया जा रहा है कि यह प्रक्रिया मतदाताओं को नोटा (None of the Above-NOTA) विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती है। नोटा का विकल्प मूल रूप से कानून में प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को इस बारे में 'प्रबुद्ध' करने के लिये कि कुछ मतदाता उनके बारे में क्या राय रखते हैं, न्यायालय के निर्देशों पर इसे शामिल किया गया।
  - यदि यह कहा जाए कि नोटा किसी भी तरह से निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है तो नोटा के विकल्प में विश्वास करने वाले मतदाताओं को यह सुनना अपमानजनक लग सकता है। हालाँकि अफ़सोस की बात यह है कि राजनीतिक दलों पर इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता नज़र नहीं आता।
    - इस प्रकार, राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने के लिये एक प्रगतिशील सुधार के रूप में जिसकी कल्पना की गई थी, वह व्यवस्था में इस स्थिति में आ गया है कि इसकी वैधता कमज़ोर हो गई है।
- **मतदाताओं की प्रासंगिकता को कम आँकना:**
  - निर्विरोध निर्वाचन एक अर्थ में 'निर्वाचक' (जिसे RPA में "किसी निर्वाचन क्षेत्र में वह व्यक्ति जिसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र के लिये तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है और अधिनियम में वर्णित निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन नहीं है" के रूप में परिभाषित किया गया है) को अपना प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया से पूरी तरह अपवर्जित कर देता है।
    - जिस व्यक्ति को निर्वाचक का एक भी मत प्राप्त नहीं हुआ, वह संसद में संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि के रूप में बैठेगा। यह ऐसा द्वंद्व है जो वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। इसे व्यावहारिक बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है, भले ही यह पूरी तरह से समुचित न लगे। मत के लिये जब तक अलग-अलग पक्षों की मांग नहीं होगी, तब तक मतदाताओं की पसंद परिकल्पित ही होगी, क्योंकि उनके पास पसंद के लिये विकल्प ही नहीं होगा।
- **चरम स्थिति की कल्पना:**
  - एक चरम स्थिति में, 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सभी उम्मीदवार (भले ही उनकी संख्या 10,000 हो और वे विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हों या या स्वतंत्र उम्मीदवार हों) प्रणाली के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए लेकिन लोकतंत्र की भावना को गंभीर रूप से आघात पहुँचाते हुए एक बिलियन मतदाताओं को उनके सांविधिक अधिकार से वंचित कर सकते हैं।
  - यह तर्क दिया जा सकता है कि मतदाता तब भी अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं जब चुनाव लड़ने के लिये कोई उम्मीदवार ही न हो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब प्रतियोगियों और मतदाताओं के बीच हित मौजूद हों। मत देने के लिये मत मांगे जाने की शर्त लागू होती है।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 65 के तहत अस्पष्ट प्रावधान:**
  - प्रणाली को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में देखा जाता है क्योंकि RPA प्रावधान करता है कि मतदान के पूर्ण बहिष्कार को प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा शून्य मत प्राप्त करने के रूप में देखा जाएगा और यह धारा 65 के दायरे में होगा जो 'मत बराबर होने' से संबंधित है।
    - धारा 65 में कहा गया है कि: "यदि मतों की गणना के समाप्त होने के पश्चात् यह पाता चलता है कि किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हैं, और मतों में से एक मत जोड़ दिए जाने से उन अभ्यर्थियों में से कोई निर्वाचित घोषित किये जाने के लिये हक़दार हो जाएगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर उन अभ्यर्थियों के बीच लॉट या लॉटरी द्वारा तत्क्षण विनिश्चय करेगा और ऐसे अग्रसर होगा मानो जिस अभ्यर्थी के हक़ में लॉट निकली है उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हो गया है।"
  - निर्विरोध निर्वाचन लोगों के प्रतिनिधि के चयन में लोगों की भागीदारी के बिना लोगों की इच्छा को प्रणाली की व्यावहारिक सुगमता से प्रतिस्थापित कर देता है। जहाँ लोकतंत्र को "जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिये सरकार" के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह अपरिहार्य स्थिति है।

नोट :

नामांकन पत्रों की अस्वीकृति के विरुद्ध उपलब्ध विभिन्न उपाय:

- **निर्वाचन न्यायाधिकरण विकल्पों की खोज:**
  - RPA 1951 ऐसे विवादों को सुलझाने के लिये निर्वाचन न्यायाधिकरण (Election Tribunal) की स्थापना करता है। अधिनियम की धारा 100 किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को निरस्त घोषित करने के आधार की रूपरेखा निर्दिष्ट करती है। निर्वाचन न्यायाधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष उच्च न्यायालय और अंततः **सर्वोच्च न्यायालय** में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से चुनावी विवादों के संबंध में महत्त्वपूर्ण दृष्टांत स्थापित किये हैं।
- **RPA 1951 के साथ पठित अनुच्छेद 329 का आश्रय लेना:**
  - RPA 1951 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329 (b) में प्रावधान है कि संबंधित **उच्च न्यायालय** के समक्ष निर्वाचन याचिका को छोड़कर किसी भी प्रकार से निर्वाचन पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। जिन आधारों पर ऐसी निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है, उनमें से एक नामांकन पत्रों की अनुचित अस्वीकृति है।
    - सूरत के नवीन मामले में उपलब्ध कानूनी उपाय गुजरात उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका दायर करना है। RPA में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय छह माह के भीतर ऐसे विचारण पूरी कर लेने का प्रयास करेंगे, हालाँकि अतीत में प्रायः इसका पालन नहीं किया गया है। निर्वाचन याचिकाओं का शीघ्र निस्तारण सही दिशा में एक कदम होगा।

नोट:

अनुच्छेद 329 - निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन:

- **इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—**
  - अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिये तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।
  - संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।

निर्वाचन याचिका का विचारण - RPA 1951 की धारा 86:

- उच्च न्यायालय को निर्वाचन अर्जी उपस्थापित किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उसे उस न्यायाधीश को या उन न्यायाधीशों में से एक को निर्दिष्ट किया जाएगा जो निर्वाचन अर्जियों के विचारण के लिये **मुख्य न्यायाधीश** द्वारा धारा 80A की उपधारा (2) के अधीन समनुदिष्ट किया गया है या किये गए हैं।
- निर्वाचन अर्जी का विचारण, जहाँ तक कि वह विचारण के बारे में न्याय के हितों से संगत रहते हुए साध्य हो उसकी समाप्ति तक दिन प्रतिदिन चालू रहेगा, जब तक उच्च न्यायालय उन कारणों से जो अभिलिखित किये जाएँगे यह निष्कर्ष न निकाले कि विचारण को आगामी दिन से परे स्थगित करना आवश्यक है।
- प्रत्येक निर्वाचन याचिका पर यथासंभव शीघ्रता से विचारित की जाएगी और उस तिथि से, जिसको निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय को विचारण के लिये उपस्थापित की गई है, छह माह के भीतर विचारण को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा।
- **सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना:**
  - पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय के आदेश के 30 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है:
    - **जगन नाथ बनाम जसवंत सिंह (1954) मामले** में निर्वाचन विवादों पर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देते हुए **सर्वोच्च न्यायालय** ने स्थापित किया कि यह साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर है कि किसी उम्मीदवार का निर्वाचन भ्रष्ट आचरण से उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हुआ है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्वाचन याचिका का दायरा RPA 1951 की धारा 100 में उल्लिखित आधार तक ही सीमित है।
    - मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया

कि निर्वाचन निष्पक्ष रूप से आयोजित किये जाने चाहिये और इस सिद्धांत का कोई भी उल्लंघन निर्वाचन को रद्द कर देगा। न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि निर्वाचन न्यायाधिकरण भ्रष्ट आचरण के आरोपों की जाँच कर सकता है, भले ही निर्वाचन याचिका में यह मांग स्पष्ट रूप से नहीं की गई हो।

- **'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट-सिस्टम' (FPTPS) में संशोधन:**
  - RPA 1951 में पहली बार नामांकन दाखिल करने वाले किसी भी उम्मीदवार के न होने पर दूसरी अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है, लेकिन उसके बाद पुन: इसे दोहराए जाने पर यह मूक है। हालाँकि, इसके पास एक समाधान यह है लोगों को पूरी तरह से अपवर्जित किया जाए, यदि लोग निर्वाचन से दूर रहते हैं और 'नोटा' के विकल्प से वंचित हैं, क्योंकि नोटा का लोकतांत्रिक अभ्यास में कोई महत्त्व नहीं है।
    - उम्मीदवार इस प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं लेकिन लोग सामूहिक रूप से ऐसा नहीं कर सकते। विजयी उम्मीदवारों की घोषणा के लिये मतों का न्यूनतम प्रतिशत लागू कर **फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट-सिस्टम** में संशोधन करने पर विचार किया जाना चाहिये।
    - इसी प्रकार, यदि कोई उम्मीदवार दूसरी बार भी निर्वाचन के लिये स्वयं को पेश नहीं करता है तो उस सीट को मनोनीत की श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिये, जहाँ **भारत के राष्ट्रपति** सरकार से परामर्श किये बिना निर्धारित योग्यता के अनुसार किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

भारत में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है, लेकिन जब उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित किये जाने से इस लक्ष्य से समझौता हो जाता है। भारत व्यापक कानूनी ढाँचे, सुदृढ़ संस्थानों और सक्रिय नागरिक भागीदारी के माध्यम से ऐसे निर्वाचनों की दिशा में प्रयास कर सकता है जो कदाचार एवं हेरफेर से मुक्त हों। चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करना राजनीतिक दलों, चुनावी अधिकारियों और न्यायपालिका सहित सभी हितधारकों के लिये अनिवार्य है। भारत निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल्यों को बरकरार रखते हुए अपनी लोकतांत्रिक नींव को सुदृढ़ कर सकता है तथा यह सुनिश्चित कर सकता है कि लोगों की इच्छा एवं अभिव्यक्ति शासन की आधारशिला बनी रहे।

■■■

The Vision

दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न

- एंटी-ट्रस्ट कानून निष्पक्ष बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा एवं नवाचार की सुनिश्चितता के लिये बड़ी तकनीकी कंपनियों की एकाधिकारवादी प्रथाओं को किस प्रकार संबोधित करते हैं? व्याख्या कीजिये।
- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एचआईवी/एड्स रोगियों को एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) प्रदान करने में विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये। एचआईवी/एड्स महामारी से निपटने में भारत के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
- हाल के संशोधनों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में विधायी ढाँचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये।
- तमिलनाडु के मछुआरों के लिये कच्चातिवु समझौते के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ और भारत-श्रीलंका संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।
- वैश्विक सुरक्षा समीकरण पर नाटो विस्तार के प्रभाव और गैर-नाटो देशों के लिये इसके निहितार्थ का मूल्यांकन कीजिये। समकालीन भू-राजनीति में नाटो की भूमिका और भारत के रणनीतिक हितों के लिये इसके महत्त्व की भी चर्चा कीजिये।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की उपलब्धियों और इसके समक्ष आई बाधाओं का परीक्षण कीजिये। 'विकसित भारत' के लक्ष्य के लिये एक प्रेरक शक्ति के रूप में RBI की पूरी क्षमता को साकार करने के लिये आवश्यक सुधारों का प्रस्ताव कीजिये।
- उच्चतर शिक्षा में कॉलेज स्वायत्तता की अवधारणा की—इसके महत्त्व, संबद्ध चुनौतियों और संभावित सुधारों पर प्रकाश डालते हुए, चर्चा कीजिये।
- प्रौद्योगिकी और नीति सुधारों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए भारत में समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने की राह की चुनौतियों और आवश्यक रणनीतियों की चर्चा कीजिये। वे कौन-से प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ सुधार किये जा सकते हैं?
- रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग के आधुनिक युद्ध तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिये। भारत इन प्रगतियों का किस प्रकार प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकता है?
- महिलाओं की आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन को संबोधित करने में लिंग-संवेदनशील नीतियों की भूमिका की चर्चा कीजिये।
- भारत में ई-मोबिलिटी संक्रमण से संबद्ध उभरती हुई चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। इसके व्यापक अंगीकरण के लिये की गई सरकारी पहलों एवं संबद्ध अवसरों की चर्चा कीजिये।
- भारतीय राज्यों के समक्ष वित्त प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए राजस्व एवं राजकोषीय अनुशासन बढ़ाने के उपाय सुझाइये।
- भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी और संवहनीय प्रक्रियाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इन्हें समावेशी विकास के लिये कैसे एकीकृत किया जा सकता है?
- भू-राजनीतिक बदलावों और पर्यावरणीय चिंताओं पर विचार करते हुए आर्कटिक क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों, चुनौतियों एवं संभावित सहयोग पर चर्चा कीजिये।
- वस्तुओं और सेवाओं तक अभिगम्यता के मामले में दिव्यांग उपभोक्ताओं के समक्ष उभरने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिये। समाज में समावेशी उपभोग को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक नीतिगत उपाय सुझाइये।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के निहितार्थों की चर्चा कीजिये। इसके संरक्षण हेतु कौन-से उपाय आवश्यक हैं?
- क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए दक्षिण चीन सागर के आसपास के भू-राजनीतिक महत्त्व और क्षेत्रीय विवादों पर चर्चा कीजिये।

नोट :

- वैश्विक शांति और स्थिरता पर ईरान-इज़राइल संघर्ष के संभावित प्रभावों पर चर्चा कीजिये। मध्य-पूर्व क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइये।
- पर्यावरण जागरूकता और संवहनीय अभ्यासों को बढ़ावा देने में पृथ्वी दिवस के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। लोग पृथ्वी के संरक्षण में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं?
- कर अपवंचन और कर चोरी के नैतिक एवं आर्थिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये तथा समाज और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उपाय सुझाइये।
- स्वास्थ्य पर प्रसंस्करित और वसा, नमक एवं शर्करा में उच्च (HFSS) खाद्य पदार्थों के प्रभाव पर चर्चा कीजिये तथा उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिये नीतिगत उपायों का प्रस्ताव कीजिये।
- भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अभ्यासों पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव की चर्चा कीजिये। इसके कार्यान्वयन में कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ मौजूद हैं?
- पश्चिम एशियाई संघर्ष के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिये। वे कौन-से दृष्टिकोण हैं जिनके माध्यम से इस संघर्ष को हल किया जा सकता है?
- भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के महत्त्व की चर्चा कीजिये। यह समय के साथ किस प्रकार विकसित हुआ है?

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :